सत्यमेव जयते

भारतीय विशिष्ट
पहचान प्राधिकरण

आधार

वार्षिक रिपोर्ट

2022-23

G20 भारत 2023 INDIA

आज़ादी का अमृत महोत्सव

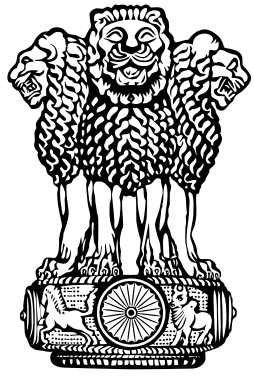

सत्यमेव जयते

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (भाविपप्रा)

वार्षिक रिपोर्ट

2022-23

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
बंगला साहिब रोड, गोल मार्केट
नई दिल्ली - 110001

अस्वीकरणः

प्रस्तुत प्रतिवेदन मूल रूप से अंग्रेजी लिखित वार्षिक रिपोर्ट का हिंदी अनुवाद है।
यदि इसमें कोई विसंगति पाई जाती है तो अंग्रेजी लिखित रिपोर्ट ही मान्य होगी।

भाविपप्रा ©2023

यह रिपोर्ट www.uidai.gov.in पर उपलब्ध है।

संदेश - अध्यक्ष
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण

मुझे वर्ष 2022-23 के लिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए हर्ष की अनुभूति हो रही है। यह एक ऐसा वर्ष रहा जिसमें हमारी जीवनचर्या वापस पटरी पर लौटने लगी, क्योंकि इस दौरान हमारा समाज और अर्थव्यवस्था ने दो साल की महामारी के उपरांत उभरना शुरू किया। उभरती वैश्विक प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद पुनरुद्धार की गति ने सकारात्मक रूप से आश्चर्यचकित किया है और महामारी के कारण हुए आर्थिक नुकसान से पूरी तरह उभरने के लिए इस गति को बनाए रखना महत्वपूर्ण है।

वर्ष 2022-23 यूआईडीएआई के लिए भी एक यादगार वर्ष रहा। आधार अब देश के निवासियों की पहचान के प्रमुख प्रमाण के रूप में दृढ़तापूर्वक स्थापित हो गया है: वर्तमान में लगभग 7 करोड़ आधार अधिप्रमाणन प्रतिदिन किए जाते हैं। इससे हमारे डिजिटलीकरण अभियान में बढ़ोतरी हुई है और फलस्वरूप हमारी अर्थव्यवस्था को औपचारिक बनाने में सहायता मिली है, जिससे अन्य विभिन्न लाभों के अन्यत्र कर प्रणाली के अनुपालन में भी सुधार हो रहा है।

देश में वयस्क नामांकन अब लगभग 100% पहुंचने, और डेटा गोपनीयता कानून के अधिनियमित होने के साथ, वर्तमान में हमारी प्राथमिकताएं निवासियों के जीवन और संस्थानों की कार्यप्रणाली को सुगम बनाने, डेटा को अद्यतित रखने और इसकी गुणवत्ता में सुधार करने, सुरक्षा और संरक्षा में सुधार करने के लिए प्रौद्योगिकी मानकों को लगातार अद्यतित करने के संबंध में इसके उपयोग को बढ़ाने पर केंद्रित हो रही हैं।

वर्ष 2021-22 के दौरान ई-केवाईसी के शुल्क में महत्वपूर्ण कमी होने के बाद आधार सेवाओं के उपयोग में तेजी से बढ़ोतरी होने से हमे प्रोत्साहन मिला है। नई सेवाओं के आधार प्लेटफॉर्म से लगातार

जुड़ने और आधार सेवाओं का उपयोग जारी रहने से, इसके उपयोग में बढ़ोतरी होने की संभावना है। चेहरा प्रमाणीकरण की शुरूआत होने, फ्रिंगरप्रिंट की जीवंतता जांच के साथ अधिक सुरक्षित एफएमआर-एफआईआर (फिंगर मिनुटिया और फिंगर इमेज) आधारित प्रमाणीकरण और आधुनिक प्रमाणीकरण उपकरणों के फलस्वरूप आधार ईको-सिस्टम के सुदृढ़ीकरण और इसके उपयोग के संवर्धन में सहायता मिलेगी।

चूंकि वर्तमान में अधिकांश नामांकन एक दशक से अधिक पुराने हो चुके हैं, इसलिए हमने लोगों के लिए अपने विवरण को अद्यतित करने के संबंध में एक अभियान भी शुरू किया है। ।

यूआईडीएआई की 2022-23 की वार्षिक रिपोर्ट, आधार ईको-सिस्टम की कार्यप्रणाली, आधार अधिनियम, वर्ष के दौरान आयोजित गतिविधियों, महत्वपूर्ण उपलब्धियों, शुरू की गई अभिनव पहलों और हमारे भावी लक्ष्यों के बारे में एक अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। यूआईडीएआई के वर्ष 2022-23 के वित्तीय विवरणों में भी विस्तार से चर्चा की गई है।

मैं, यूआईडीएआई परिवार, जिसमें इसके कर्मचारी, भागीदार, सहायक कर्मचारी और विक्रेता शामिल हैं, को उनके सतत रूप से निष्पादित समर्पित कार्यों के लिए धन्यवाद करता हूँ , जिनकी बदौलत प्रतिदिन करोड़ों देशवासियों की सहायता करने में गौरव का अनुभव होता है, और जो एक ऐसी सेवा में अपना योगदान दे रहें हैं जिसका अनुकरण अब अन्य राष्ट्र करने का प्रयास कर रहे हैं।

प्रौद्योगिकी में तेजी से हो रहे परिवर्तन के साथ आधार को भी इस क्षेत्र में अपनी बढ़त बनाए रखनी होगीः सुदृढ़ ह्यआधारह्ल जिसने भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (डीपीआई) प्रदान की है, के लिए प्रौद्योगिकियों और प्रक्रियाओं को सतत रूप से अद्यतित करते रहने की आवश्यकता है। भारत द्वारा वैश्विक स्तर पर निरंतर आर्थिक सौपान प्राप्त करने के साथ-साथ, हम अपनी भूमिका निभाने के प्रति आश्वस्त और प्रतिबद्ध हैं।

नीलकंठ मिश्रा
अध्यक्ष, यूआईडीएआई

वर्ष 2022-23 के लिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की वार्षिक रिपोर्ट का अंगीकरण एवं प्रमाणीकरण

वर्ष 2022-23 के लिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) की वार्षिक रिपोर्ट को, इसकी अनुसूचियों, अनुलग्नकों और संलग्न टिप्पणियों सहित, 23 नवंबर, 2023 को आयोजित प्राधिकरण की 33वीं बैठक में अंगीकृत किया गया और इसे भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (विवरणियां और वार्षिक रिपोर्ट) नियम, 2018 के नियम 4 के उप-नियम (3) के उपबंधों के अनुसरण में, प्राधिकरण के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित और प्रमाणित किया गया है। .

2. इस वार्षिक रिपोर्ट में आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) की धारा 27 के उपबंधों के तहत भारत सरकार को अग्रेषित की जाने वाली आवश्यक जानकारी निहित है और इसमें प्राधिकरण का अवलोकन, उक्त अधिनियम के अंतर्गत प्राधिकरण को समनुदेशित कार्यों के निष्पादन के संबंध में उसके द्वारा क्रियान्वित गतिविधियां और वित्त वर्ष 2022-23 के लिए प्राधिकरण के खातों का लेखापरीक्षित वार्षिक विवरण शामिल है।

Neelkanth Mishra

(नीलकंठ मिश्रा)
अध्यक्ष

Nilesh Shah

(निलेश शाह)
सदस्य

(मौसम)
सदस्य

Amit Agrawal

(अमित अग्रवाल)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की संरचना

डॉ. आनंद देशपांडे
सदस्य (अंशकालिक), भाविपप्रा

डा. आनंद देशपांडे 8 सितंबर, 2016 से भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) के अंशकालिक सदस्य हैं।

परसिस्टेंट सिस्टम्स के संस्थापक, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक डॉ. आनंद देशपांडे आईआईटी, खड़गपुर से कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में बी.टेक (ऑनर्स) और इंडियाना यूनिवर्सिटी, ब्लूमिंगटन, इंडियाना, यूएसए से कंप्यूटर साइंस एम.एस. और पीएच.डी. हैं। वे 1990 में परसिस्टेंट सिस्टम्स की स्थापना के बाद से ही इसे विकसित करने में एक प्रेरक शक्ति रहे हैं और आज यह सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली वैश्विक कंपनी के रूप में उभरी है।

(डॉ आनंद देशपांडे, सदस्य (अंशकालिक), यूआइडीएआई के पद से दिनांक 11 सितंबर, 2022 को कार्यमुक्त हो गए।)

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की संरचना

डॉ. सौरभ गर्ग
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भाविपप्रा

डॉ. सौरभ गर्ग भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। इससे पहले वे ओडिशा में प्रधान सचिव थे, जहां उन्होंने कृषि को डिजिटल बनाने और किसानों के लिए प्रत्यक्ष आय हस्तांतरण योजना विकसित करने पर काम किया। डॉ. सौरभ गर्ग भारत सरकार के वित्त मंत्रालय में कार्यरत रहे हैं। उन्होंने शहरी और औद्योगिक अवसंरचना के विकास के क्षेत्रों में भी काम किया है।

डॉ. गर्ग ओडिशा कैडर के एक आईएएस अधिकारी हैं और उन्हें सरकार के विभिन्न स्तरों के साथ-साथ निजी क्षेत्र में 30 से अधिक वर्षों का कार्यानुभव है। उन्होंने वाशिंगटन डीसी में भारत के कार्यकारी निदेशक के कार्यालय में विश्व बैंक के सलाहकार के रूप में भी काम किया है। वे सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक रह चुके हैं।

डॉ. गर्ग ने जॉन्स हॉपकिन्स यूनिवर्सिटी, अमेरिका से अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र और विकास में पी.एच.डी. की है। उन्होंने भारतीय प्रबंधन संस्थान, अहमदाबाद से एमबीए किया है, जहां उन्हें स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया और उन्होंने बी.टेक. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नई दिल्ली से की है। वे लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस, लंदन में शिवनिंग गुरुकुल के अध्येता भी रहे।

डॉ सौरभ गर्ग के कई लेख प्रकाशित हुए हैं और उन्होंने प्रशासन, बुनियादी ढांचे के वित्तपोषण और वित्तीय समावेशन में नवप्रवर्तन सहित विभिन्न विषयों की पुस्तकों के लिए लेख लिखें हैं।

(डॉ सौरभ गर्ग, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, यूआइडीएआई के पद से दिनांक 21 अप्रैल 2023 को कार्यमुक्त हो गए।)

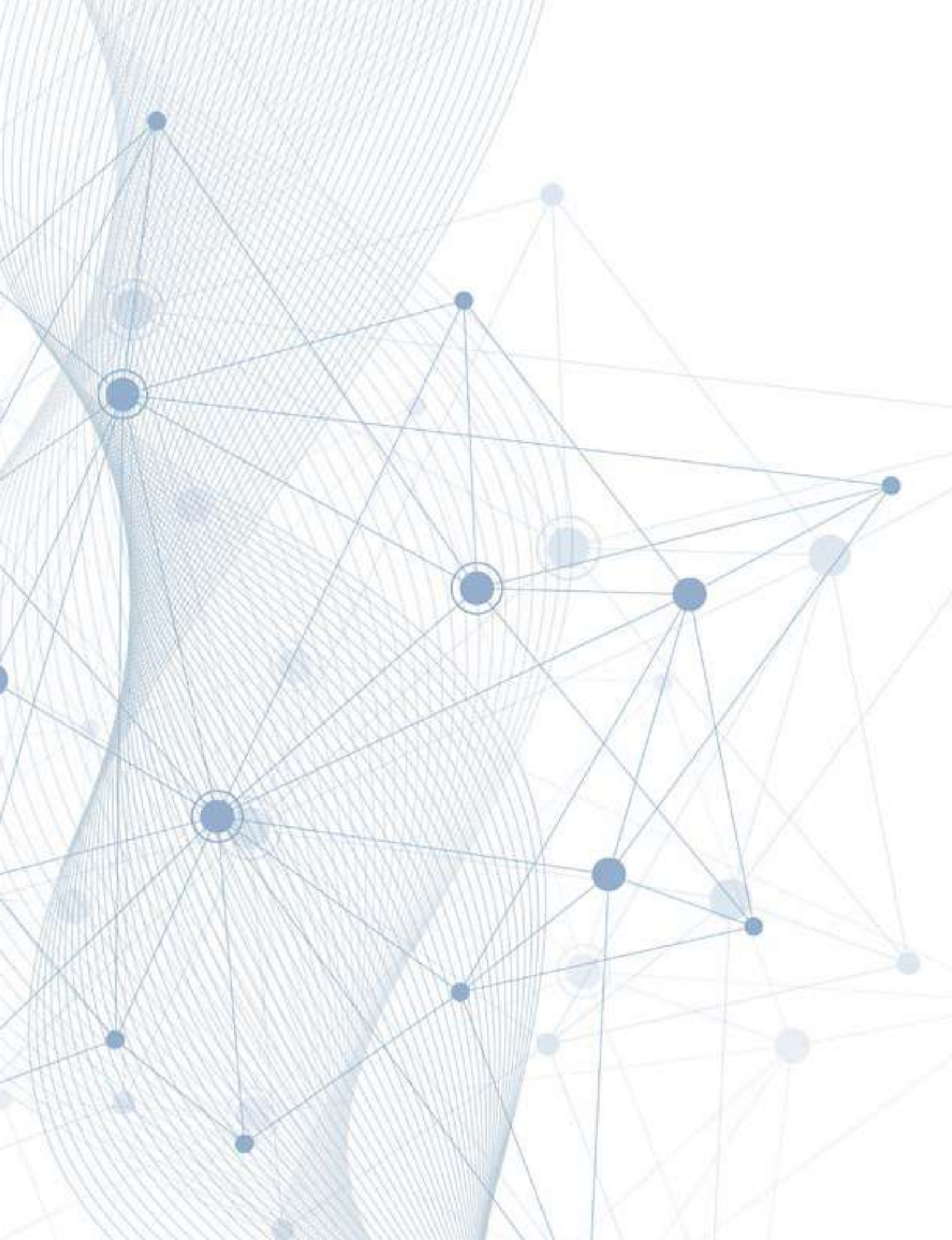

विषय सूची

1. अवलोकन 1–10

1.1 वर्ष 2022-23 1
1.2 सबसे विश्वसनीय पहचान 1
1.3 भाविपप्रा का सृजन 2
1.4 भाविपप्रा का अधिदेश 3
1.5 भाविपप्रा का सफर 4
1.6 विजन, मिशन और मूल मंत्र 6
1.7 भाविपप्रा के उद्देश्य 9
1.8 भाविपप्रा को सोपे गए कार्य 9

2. संगठनात्मक संरचना 11–16

2.1 प्राधिकरण की संरचना 12
2.2 मुख्यालय की संरचना 12
2.3 क्षेत्रीय कार्यालय की संरचना 14

3. भाविपप्रा की कार्यप्रणाली 17–42

3.1 अवलोकन 17
3.2 नामांकन एवं अद्यतन ईकोसिस्टम 18
3.3 नामांकन भागीदार 20
3.4 नामांकन प्रक्रिया 20
3.5 आधार नामांकन प्रगति 22
3.6 आधार डेटा अद्यतन 24
3.7 आधार सेवा केंद्र 28
3.8 आधार सेवाओं के लिए ऑनलाइन अपॉइंटमेंट 28
3.9 अधिप्रमाणन ईकोसिस्टम 29
3.10 अधिप्रमाणन भागीदार 29
3.11 आधार अधिप्रमाणन सेवाएं 32
3.12 अधिप्रमाणन ईकोसिस्टम में प्रमुख विकास 35
3.13 संभारिकी एवं सीआई प्रभाग ईकोसिस्टम 37
3.14 आधार पत्र मुद्रण और वितरण 37
3.15 ई-आधार 38
3.16 आर्डर आधार पीवीसी कार्ड सेवा 38
3.17 प्रशिक्षण, परीक्षण एवं प्रमाणीकरण ईकोसिस्टम 39
3.18 ग्राहक संबंध प्रबंधन 41
3.19 आधार सहायक सेवाएं - आधार संपर्क केंद्र 41
3.20 चैटबॉट सेवाएं 42

4. डेटा सुरक्षा एवं निजता 43–46

4.1 डेटा की सुरक्षा एवं निजता संरक्षण 43
4.2 डिजाइन द्वारा सुरक्षा एवं निजता 43
4.3 सुरक्षित प्रक्रिया के द्वारा आधार नामांकन 44
4.4 सुरक्षित प्रक्रिया के द्वारा आधार अधिप्रमाणन 44
4.5 संयोजन रहित न्यूनतम डेटा 44
4.6 डेटा का कोई एकीकरण नहीं 45
4.7 इष्टतम अनभिज्ञता 45

4.8 स्थान की जानकारी नहीं 45
4.9 संघबद्ध डेटा मॉडल तथा एक-मार्गी संयोजन 45
4.10 आधार डेटा की सुरक्षा 46
4.11 भाविपप्रा आईएसओ 27001:2013 द्वारा प्रमाणित 46
4.12 आईएसओ/ आईईसी 29100:2011 एवं आईएसओ/ आईईसी 27701: 2019 का भाविपप्रा द्वारा अनुपालन 46
4.13 'संरक्षित प्रणाली' के रूप में सीआईडीआर अवसंरचना की घोषणा 46
4.14 सुशासन जोखिम अनुपालन एवं निष्पादन सेवा प्रदाता (जीआरसीपी-एसपी) 46
4.15 बाह्य ईकोसिस्टम भागीदारों की सूचना सुरक्षा का मूल्यांकन 46
4.16 भाविपप्रा में धोखाधड़ी प्रबंधन प्रणाली 46

5. आधार - सुशासन में उपयोग 47-52

5.1 आधार - शासन में सुधार हेतु एक उपकरण 47
5.2 प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) में आधार 50
5.3 डीबीटी योजनाओं के लिए आधार अधिनियम 2016 की धारा 7 के तहत आधार का उपयोग 51
5.4 आधार अधिनियम 2016 (संशोधित) की धारा 4 के तहत राष्ट्र के हित में निर्धारित उद्देश्यों के लिए आधार का उपयोग 52

6. भाविपप्रा के संगठनात्मक मामले 53-58

6.1 यौन उत्पीड़न की रोकथाम संबंधी 53
6.2 भाविपप्रा में राजभाषा नीति का कार्यान्वयन 53
6.3 नागरिक चार्टर 55
6.4 ज्ञान प्रबंधन पोर्टल 55
6.5 नोडल आरटीआई प्रकोष्ठ 55
6.6 भाविपप्रा की वेबसाइट 55
6.7 एकीकृत मोबाइल ऐप 58
6.8 ई-ऑफिस कार्यान्वयन 58

7. 2022-23 की प्रमुख विशेषताएं और पहल 59-70

7.1 भुवन आधार सेवा केंद्र पोर्टल 59
7.2 गुणवत्ता जांच प्रक्रिया का सुदृढ़ीकरण 60
7.3 2022-23 के लिए अधिप्रमाणन ईकोसिस्टम की विशेषताएं 60
7.4 घरेलू और वैश्विक आउटरीच 60
7.5 आधार ईकोसिस्टम का सुदृढ़ीकरण और नवीन पहलें 62
7.6 मेक इन इंडिया पहल और एसईटीएस के साथ समझौता ज्ञापन 65
7.7 वर्ष 2022-23 में सीआरएम और संभारिकी ईकोसिस्टम में प्रमुख विकास 66
7.8 प्रशासन प्रभाग की मुख्य विशेषताएं 67

8. भावी योजनाएं 71-74

8.1 नामांकन एवं अद्यतन प्रभाग 71
8.2 अधिप्रमाणन प्रभाग 71
8.3 प्रौद्योगिकी विकास 71
8.4 प्रशासन प्रभाग 74

9. वित्तीय कार्य-निष्पादन 75-78

9.1 भाविपप्रा निधि 75
9.2 बजट एवं व्यय 75
9.3 सेवाओं से आय 78

10. वर्ष 2022-23 के लिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का लेखापरीक्षित विवरण 79-132

11. अनुलग्नक 133-148

11.1 अनुलग्नक 1:आधार अधिनियम, 2016 133
11.2 अनुलग्नक 2: आधार विनियम 135
11.3 अनुलग्नक 3: सत्यापन हेतु स्वीकार्य समर्थित दस्तावेजों की सूची 137
11.4 अनुलग्नक 4: 31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार परिपूर्णता रिपोर्ट 146

12. लघुरूपण 149-156

तालिकाओं की सूची

तालिका 1 - वर्तमान संरचना 12
तालिका 2 - भाविपप्रा के क्षेत्रीय कार्यालयों की संरचना 14
तालिका 3 - राज्य स्तरीय कार्यालय एवं उनके क्षेत्राधिकार 15
तालिका 4 - माहवार आधार सृजन (2022-23) 24
तालिका 5 - वर्षवार और संचयी अधिप्रमाणन संव्यवहार 31
तालिका 6 - माहवार अधिप्रमाणन संव्यवहार (2022-23) 31
तालिका 7 - वर्षवार और संचयी ई-केवाईसी संव्यवहार 34
तालिका 8 - माहवार ई-केवाईसी संव्यवहार (2022-23) 34
तालिका 9 - प्रदान किए गए प्रशिक्षकों का विवरण (01.04.2022-31.03.2023) 40
तालिका 10 - कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम (2022-23) 53
तालिका 11 - बीई/आरई 2009 -10 से 2022 -23 के लिए बुक किये गए व्यय का विवरण 76
तालिका 12 - वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए बजट और व्यय का सारांश 76
तालिका 13 - वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान सेवाओं से हुई आय का विवरण 78
तालिका 14 - विनियमों की सूची 135

आकृतियों की सूची

आकृति 1 - संगठनात्मक संरचना 11
आकृति 2 - भाविपप्रा मुख्यालय की ऑर्गेनोग्राम 13
आकृति 3 - भाविपप्रा क्षेत्रीय कार्यालयों की ऑर्गेनोग्राम 16
आकृति 4 - राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों में आधार संतृप्ति (31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार) 19
आकृति 5 - विभिन्न आधार सेवाओं के लिए निवासी द्वारा देय शुल्क 31 मार्च 2023 तक 27

ग्राफों की सूची

ग्राफ 1 - वर्षवार आधार सृजन (सितंबर 2010 से मार्च 2023) 23
ग्राफ 2 - संचयी आधार सृजन (सितंबर 2010 से मार्च 2023) 23
ग्राफ 3 - वर्षवार आधार अद्यतन 27
ग्राफ 4 - वर्षवार आधार अधिप्रमाणन संव्यवहार 30
ग्राफ 5 - संचयी अधिप्रमाणन संव्यवहार 30
ग्राफ 6 - वर्षवार ई-केवाईसी संव्यवहार 33
ग्राफ 7 - संचयी ई-केवाईसी संव्यवहार 33
ग्राफ 8 - बैंक खातों से विशिष्ट रूप से जुड़े आधारों की प्रगति 47
ग्राफ 9 - एईपीएस संव्यवहार की प्रगति मई 2014 से 48
ग्राफ 10 - आधार भुगतान ब्रिज से संव्यवहार की प्रगति 49
ग्राफ 11 - आधार भुगतान ब्रिज से मूल्य संव्यवहार की प्रगति 50
ग्राफ 12 - बीई/आरई 2015 -16 से 2022 -23 तक बुक किये गए व्यय का विवरण 77
ग्राफ 13 - वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान सेवाओं से हुई आय का विवरण 78

115.78.184
56.df.31

1. अवलोकन

1.1 वर्ष 2022-23

1.1.1 वर्ष 2022-23 कई मायनों में एक सकारात्मक वर्ष रहा। वर्ष 2022-23 में महामारी की अवधि के उपरांत विभिन्न क्षेत्रों में सुधार के उत्साहजनक संकेत दिखे। दुनिया के कई प्रमुख देशों में आर्थिक मंदी को लेकर चुनौतियां बनी हुई हैं, जिससे रिकवरी पर असर पड़ा है। आपूर्ति श्रृंखला के मुद्दों, मुद्रास्फीति और अन्य कारकों के कारण विभिन्न क्षेत्रों ने दर्शाया कि महामारी के बाद की दुनिया में सुधार अनुमान की तुलना में धीमा है। हालाँकि, भारत की आर्थिक प्रगति से पता चलता है कि हम सुधार की राह पर हैं और भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना हुआ है।

1.1.2 2022-23 की वार्षिक रिपोर्ट मुख्य रूप से यूआईडीएआई की कार्यप्रणाली और ईकोसिस्टम का उल्लेख करती है। यह विभिन्न पहलों, महत्वपूर्ण उपलब्धियों, भावी लक्ष्यों आदि की पूर्ण जानकारी भी देती है। इस रिपोर्ट में प्राधिकरण के वित्तीय ब्योरे और खातों के विवरण पर भी चर्चा की गई है।

1.2 सबसे विश्वसनीय पहचान

1.2.1 आधार, सबसे विश्वसनीय पहचान, के साथ भारत ने व्यक्तिगत रूप से आबादी को सशक्त बनाने के लिए पहचान का एक ऐसा भरोसेमंद परिप्रेक्ष्य दिया है कि कोई भी विकास के रास्ते पर पीछे न रहे। यह उपलब्ध सीमित संसाधनों के साथ सेवाओं, लाभों और सब्सिडी के पारदर्शी और लक्षित वितरण के लिए सबसे उपयुक्त तकनीक है। आधार भारत में किसी अन्य पहचान दस्तावेज की तुलना में अधिक आत्मविश्वास और विश्वास को प्रेरित करता है। वर्तमान में, दुनिया का लगभग हर छठा व्यक्ति आधार धारक है।

1.2.2 आधार - 12 अंकीय विशिष्ट पहचान संख्या - में परिवर्तन लाने की जबरदस्त क्षमता है, क्योंकि यह लोगों को कई तरीकों से सशक्त बनाता है, ताकि बड़े पैमाने पर लोगों के जीवन में सुरक्षा और विश्वास की भावना प्रबल हो सके। यह सब आधार की तकनीक, इसके प्लेटफॉर्म, इसकी प्रमाणीकरण संरचना और सत्यापन योग्य पहचान के रूप में इसके उपयोग के कारण संभव हो पाया है।

1.2.3 आधार से पहले के दिनों में किसी की पहचान को साबित करना सबसे बड़ी चुनौती थी। इस असमर्थता ने न केवल सरकार द्वारा समय-समय पर प्रदान किए जाने वाले लाभ, सब्सिडी और अन्य अनुदानों को प्राप्त करने और उनका लाभ उठाने में समाज के गरीब और वंचित वर्गों को रोका, बल्कि यह छद्म/जाली और नकली पहचान के लिए संसाधनों की विविधता और लीकेज का भी कारण बनी। विभिन्न सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों की एजेंसियों को, निवासियों को सेवाएं प्रदान करने के लिए पहचान के प्रमाण की आवश्यकता होती है, लेकिन पहचान के सत्यापन के अभाव, फर्जी अभ्यावेदनों, सुविधाओं के दुरुपयोग और दुर्लभ सरकारी संसाधनों की चोरी का कारण बनते हैं। आधार पूर्व दिनों में, कोई भी राष्ट्रीय स्तर पर सत्यापित पहचान दस्तावेज/नंबर नहीं था, जिसे निवासियों और सेवा प्रदाता एजेंसियां विश्वास, सहजता और आत्मविश्वास के साथ उपयोग कर सकें।

1.2.4 सितंबर 2010 में इस पृष्ठभूमि के समक्ष, एक बड़े पैमाने पर तकनीकी रूप से जटिल पहचान कार्यक्रम, जिसे तत्समय विशिष्ट पहचान (यूआईडी) कार्यक्रम कहा जाता है, मानवीय इतिहास में अनसुना, को शुरू किया गया था। इसने भारत के प्रत्येक निवासी को न्यूनतम जनसांख्यिकीय डेटा जैसे नाम, जन्म तिथि, पता, लिंग और बायोमैट्रिक के आधार पर विशिष्ट पहचान देने की परिकल्पना की, जिसमें फोटो के साथ दस उंगलियों के निशान और आईरिस शामिल थे। चूंकि आधार बायोमैट्रिक के डि-डुप्लीकेशन पर आधारित है, इसलिए डुप्लिकेट, छद्म और नकली पहचान, जिन्हें ज्यादातर अन्य कार्यक्रमों में शामिल किया जाता था, यहां लगभग असंभव थी।

1.2.5 विशिष्ट पहचान (यूआईडी) संख्या, आधार के रूप में विख्यात, की भारत के निवासियों के लिए सार्वभौमिक रूप से यूआईडी नंबर स्थापित करने के उद्देश्य से एक परियोजना के रूप

में कल्पना की गई थी, ताकि (क) डुप्लिकेट और नकली पहचान को खत्म करने के लिए इसे पर्याप्त रूप से मजबूत बनाया जा सके, और (ख) किफायती तौर पर आसानी से सत्यापित और प्रमाणित हो सके।

1.3 भाविपप्रा का सृजन

1.3.1 विशिष्ट पहचान की अवधारणा पर सर्वप्रथम विचार-विमर्श और उस पर कार्य 2006 में उस समय किया गया था, जब "बीपीएल परिवारों के लिए विशिष्ट पहचान" परियोजना के संबंध में 3 मार्च, 2006 को प्रशासनिक अनुमोदन, पूर्ववर्ती सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा दिया गया था। इस परियोजना को 12 महीनों की एक अवधि के दौरान राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) द्वारा क्रियान्वित किया जाना था। तत्पश्चात, 3 जुलाई, 2006 को बीपीएल परिवारों के लिए विशिष्ट पहचान परियोजना के तहत मुख्य डेटाबेस से डेटा फील्ड के अद्यतन, आशोधन, आवर्धन और विलोपन हेतु प्रक्रियाओं पर सुझाव देने के लिए एक प्रक्रिया समिति का गठन किया गया था।

1.3.2 तत्पश्चात, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्मार्ट गवर्नेंस (एनआईएसजी) और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (डीआईटी) के संरक्षण में एक 'कार्यनीतिक दृष्टिकोण - निवासियों की विशिष्ट पहचान' को तैयार किया गया और उसे प्रक्रिया समिति को प्रस्तुत किया गया। इसने करीबी संयोजन की यह परिकल्पना की थी कि विशिष्ट पहचान निर्वाचन संबंधी डेटाबेस के लिए होगा। समिति ने तत्कालीन योजना आयोग (अब नीति आयोग) के संरक्षण में एक कार्यकारी आदेश द्वारा एक विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का गठन किए जाने की आवश्यकता का मूल्यांकन किया ताकि, प्राधिकरण के लिए एक अखिल-विभागीय और तटस्थ पहचान सुनिश्चित की जा सके और साथ-साथ एक 11वीं योजना के लिए निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के संबंध में संक्रेद्रित दृष्टिकोण समर्थित हो सके। प्रक्रिया समिति ने 30 अगस्त, 2007 को आयोजित अपनी 7वीं बैठक में तत्कालीन योजना आयोग को 'सैद्धांतिक' अनुमोदन के लिए संसाधन मॉडल पर आधारित एक विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत करने का निर्णय लिया।

1.3.3 उसी दौरान, भारत के महापंजीयक, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) के सृजन और भारत के नागरिकों के लिए बहु-उद्देश्यीय राष्ट्रीय पहचान पत्र बनाने में कार्यरत थे। इसलिए, तत्कालीन प्रधान मंत्री के अनुमोदन से दो योजनाओं - नागरिकता अधिनियम, 1955 के तहत राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर और तत्कालीन सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (वर्तमान में इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय) की विशिष्ट पहचान नंबर परियोजना को मिलाने के लिए मंत्रियों का अधिकार प्राप्त समूह (ईजीओएम) के गठन करने का निर्णय लिया गया।

1.3.4 सचिवों की समिति की सिफारिशों और मंत्रियों का अधिकार प्राप्त समूह (ईजीओएम) के निर्णय उपरांत, प्राधिकरण यूआईडीएआई का गठन किया गया और उसे जनवरी 2009 में अधिसूचना संख्या ए-43011/02/2009-प्रशा.। दिनांक 28 जनवरी, 2009 में निर्धारित कार्यों और उत्तरदायित्वों के साथ तत्कालीन योजना आयोग के संबद्ध कार्यालय के रूप में अधिसूचित किया गया। प्रारंभ में पांच वर्षों के कार्यकाल के लिए श्री नंदन एम नीलेकणि को मंत्रिमंडल सचिव के रैंक एवं दर्जे में दिनांक 2 जुलाई, 2009 की अधिसूचना संख्या (ए-43011/02/2009-प्रशा.।(खंड-।।) के तहत भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के प्रथम अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। इसी वर्ष जुलाई में श्री राम सेवक शर्मा, भा.प्र.से. ने पहले महानिदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया।

1.3.5 28 जनवरी, 2009 को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की स्थापना के उपरांत, कार्यक्रम, कार्यप्रणाली और कार्यान्वयन पर यूआईडीएआई को सुझाव देने के लिए 30 जुलाई, 2009 को यूआईडीएआई पर प्रधान मंत्री परिषद का गठन किया गया था ताकि, मंत्रालयों/विभागों, हितधारकों और भागीदारों के बीच समन्वय सुनिश्चित किया जा सके। प्रधान मंत्री परिषद ने, 12 अगस्त, 2009 को अपनी पहली बैठक में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत यूआईडी प्रणाली पर विस्तृत कार्यनीति और दृष्टिकोण को अनुमोदित कर दिया।

1.3.6 यूआईडीएआई पर प्रधान मंत्री परिषद ने भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण को जनसांख्यिकीय और बायोमैट्रिक डेटा के लिए मानक स्थापित करने वाले शीर्ष निकाय के रूप में घोषित कर दिया। इस अधिदेश के अनुसरण में, इन मानकों पर संस्तुति करने

के लिए यूआईडीएआई ने दो समितियों अर्थात, (i) जनसांख्यिकीय डेटा मानक और सत्यापन प्रक्रिया संबंधी समिति और, (ii) बायोमैट्रिक मानक संबंधी समिति का गठन किया। श्री एन विट्ठल की अध्यक्षता में, जनसांख्यिकीय डेटा मानक और सत्यापन प्रक्रिया संबंधी समिति द्वारा 9 दिसंबर, 2009 को प्रस्तुत की गई रिपोर्ट को बाद में यूआईडीएआई द्वारा स्वीकार कर लिया गया, जबकि विभिन्न बायोमैट्रिक विशेषताओं के लिए मानकों पर बायोमैट्रिक मानक संबंधी समिति द्वारा रिपोर्ट को, एनआईसी के तत्कालीन महानिदेशक डॉ. बी. के. गैरोला की अध्यक्षता में 07 जनवरी 2010 को प्रस्तुत किया गया। इस रिपोर्ट को भी भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा स्वीकार कर लिया गया।

1.3.7 प्रधानमंत्री परिषद को भाविपप्रा पर मंत्रिमंडल समिति से प्रतिस्थापित कर दिया गया। इस समिति का गठन भारत सरकार के दिनांक 22 अक्तूबर, 2009 के आदेश संख्या 1/11/6/2009 द्वारा किया गया था। इस अधिसूचना के अनुसार, इस समिति के प्रकार्यों में, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के संगठन, योजना, नीतियों, कार्यक्रमों, स्कीमों, वित्तपोषण और भाविपप्रा के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपनायी जाने वाली कार्यप्रणाली सहित प्राधिकरण से संबंधित सभी मुद्दें शामिल हैं।

1.3.8 मंत्रिमंडल के अनुमोदनों के अनुसार, आधार नामांकन को भौगोलिक रूप से यूआईडीएआई और आरजीआई के बीच विभाजित कर दिया गया। तदनुसार, यूआईडीएआई को 24 राज्यों एवं संघ राज्य-क्षेत्रों (यूटी) में आधार का नामांकन करने और आरजीआई को 12 राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों में नामांकन करने का कार्य सौंपा गया। हालांकि, गृह मंत्रालय ने दिनांक 5 मई, 2016 के अर्ध शासकीय पत्र सं. आरजी(पी)/एनपीआर/आरजीआई के द्वारा यूआईडीएआई को उन 10 राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों नामतः अरूणाचल प्रदेश, दादर और नगर हवेली, जम्मू व कश्मीर, लक्षद्वीप, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल (असम एवं मेघालय को छोड़कर), जिनके नामांकन का कार्य पूर्व में आरजीआई को सौंपा गया था, में नामांकन कार्य शुरू करने के लिए कहा गया।

1.3.9 इसके अलावा, गृह मंत्रालय ने अपने दिनांक 20 अप्रैल, 2017 के पत्र द्वारा सूचित किया कि राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) योजना के तहत बायोमैट्रिक नामांकन का कार्य, आधार अधिनियम, 2016 के अधिनियमित होने के फलस्वरूप यूआईडीएआई द्वारा साफ्टवेयर में किए गए परिवर्तन के उपरांत 23 सितंबर, 2016 से बंद पड़ा है। इसलिए, यूआईडीएआई सांविधिक उपबंधों के तहत असम और मेघालय सहित संपूर्ण देश में आधार हेतु नामांकन करने के लिए सक्षम है।

1.3.10 संसद ने 2016 में आधार (वित्तीय एवं अन्य प्रसुविधाओं, लाभों और सेवाओं का लक्षित वितरण) अधिनियम, 2016 (2016 के 18) को लागू करके आधार को विधायी स्तर प्रदान किया और भारत सरकार ने इसे 26 जून 2016 को अधिसूचित किया। तत्पश्चात, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण को नई दिल्ली में प्रधान कार्यालय के साथ आठ क्षेत्रीय कार्यालय बेंगलुरु, चंडीगढ़, दिल्ली, गुवाहाटी, हैदराबाद, लखनऊ, मुंबई एवं रांची और केंद्र के लिए केंद्रीय पहचान डेटा रिपॉजिटरी ऑपरेशन, हेब्बल (बेंगलुरु) में और मानेसर (गुरुग्राम) में संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की अधिसूचना संख्या एस.ओ.2358 (ई) दिनांक 12 जुलाई, 2016 को आधार अधिनियम की धारा 11 के तहत प्रदत्त शक्तियों के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा एक सांविधिक विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के रूप में स्थापित किया गया था।

1.3.11 प्राधिकरण ने 14 सितंबर, 2021 को आयोजित अपनी 28वीं बैठक में, भोपाल, अहमदाबाद, कोलकाता, भुवनेश्वर और तिरूवंतपुरम में 5 राज्य कार्यालय खोलने के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया। राज्य सरकारों के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करने के लिए राज्य कार्यालयों को खोला गया था।

1.4 भाविपप्रा का अधिदेश

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण को प्रत्येक निवासी को आधार नंबर जारी करने के संबंध में नीति बनाने, प्रक्रिया और प्रणाली विकसित करने तथा प्रमाणन निष्पादन करने के लिए अधिदेशित किया गया है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण को केंद्रीय पहचान डेटा रिपॉजिटरी (सीआईडीआर) में संचित सूचना को अनधिकृत ऐक्सेस या दुरुपयोग से सुरक्षित एवं संरक्षित करने के संबंध में सभी आवश्यक उपाय सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है।

1.5 भाविपप्रा का सफर

2005-08
- एनपीआर और यूआईडी को मिलाने के लिए ईजीओएम का गठन
- यूआईडी प्राधिकरण को सौंपने से पहले एनपीआर के तहत अनुमोदित फोटोग्राफ और बायोमेट्रिक्स का संग्रह

2009-14
- भाविपप्रा एक कार्यकारी आदेश द्वारा अस्तित्व में आया
- 2010 में पहला यूआईडी बनाया गया
- 2012 में डीबीटी योजना लागू की गई

2015-17
- वर्ष 2016 में आधार अधिनियम पारित
- भाविपप्रा एक सांविधिक प्राधिकरण बन गया

2018
- उच्चतम न्यायालय के निर्णय ने आधार अधिनियम की धारा 7 को संवैधानिक वैधता प्रदान की

2019
- आधार और अन्य कानून (संशोधन) अधिनियम पारित

2020-23
- 93% से अधिक आधार परिपूर्णता प्राप्त
- कल्याण और सुशासन संबंधी 1700 से अधिक सरकारी योजनाएं

1.5.1 पहली विशिष्ट पहचान (यूआईडी), विख्यात नाम आधार, 29 सितंबर, 2010 को जारी की गई थी। तत्पश्चात 31 मार्च, 2023 तक 136.65 करोड़ से अधिक भारतीय निवासियों को आधार नंबर जारी किए जा चुके हैं। एक विशिष्ट पहचान के तौर पर आधार की निम्न विशेषताएं हैं -

- यह 12 अंकों की एक यादृच्छिक संख्या है।
- यादृच्छिक संख्या में कोई आसूचना या रूपरेखा शामिल नहीं है।
- विशिष्टता का सुनिश्चयन बायोमैट्रिक गुणधर्म से होता है।
- इसमें केवल संख्याएं हैं, यह स्मार्ट कार्ड नहीं है।
- इसका नामांकन व अद्यतन देश में कहीं से भी किया जा सकता है।
- इसका ऑनलाइन अधिप्रमाणन देश में कभी भी, कहीं से भी किया जा सकता है।
- पूरे देश में संवहनीय पहचान है, जो क्षेत्र व भाषा की अड़चनों से परे है।
- एक बार सृजित और निर्गत संख्या फिर कभी भी पुनःसृजित और पुनर्निर्गत नहीं की जा सकती।
- यह नागरिकता, अधिकार एवं पात्रता प्रदान नहीं करता।
- संग्रहित सूचना की निजता एवं सुरक्षा। निवासी की सहमति के बिना कोई डेटा साझा न करना।

1.5.2 नामांकन के संदर्भ में, भाविपप्रा लगभग पूरे देश को कवर कर लिया है। भाविपप्रा की संकल्पना देश के सभी निवासियों के नामांकन की है जिसमें बच्चों, महिलाओं, दिव्यांगों, गरीबों एवं समाज के वंचित वर्गों के प्रति विशेष ध्यान दिया गया है। 31 मार्च 2023 तक 136.65 करोड़ से अधिक आधार सृजित किए गए हैं तथा इसमें प्रतिदिन निरंतर वृद्धि हो रही है। भाविपप्रा अपनी सेवा डिलीवरी में सुधार लाने के निरंतर उपाय कर रहा है, ताकि आम तौर पर लोगों की सुविधा के लिए जीवन सुगमता और व्यवसाय सुगमता का सृजन हो सके। आधार का उपयोग विभिन्न सरकारी योजनाओं में सब्सिडी, लाभ एवं सेवाए देने में किया जा रहा है, जिसके फलस्वरूप लाभार्थियों को सब्सिडी, लाभ एवं सेवाएं देने में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। इसके अलावा, आधार ने लीकेज पर अंकुश लगाने और विभिन्न डेटाबेसों से छदम/नकली लाभार्थियों पर प्रतिबंध लगाने से राजकोष में महत्वपूर्ण बचत की है।

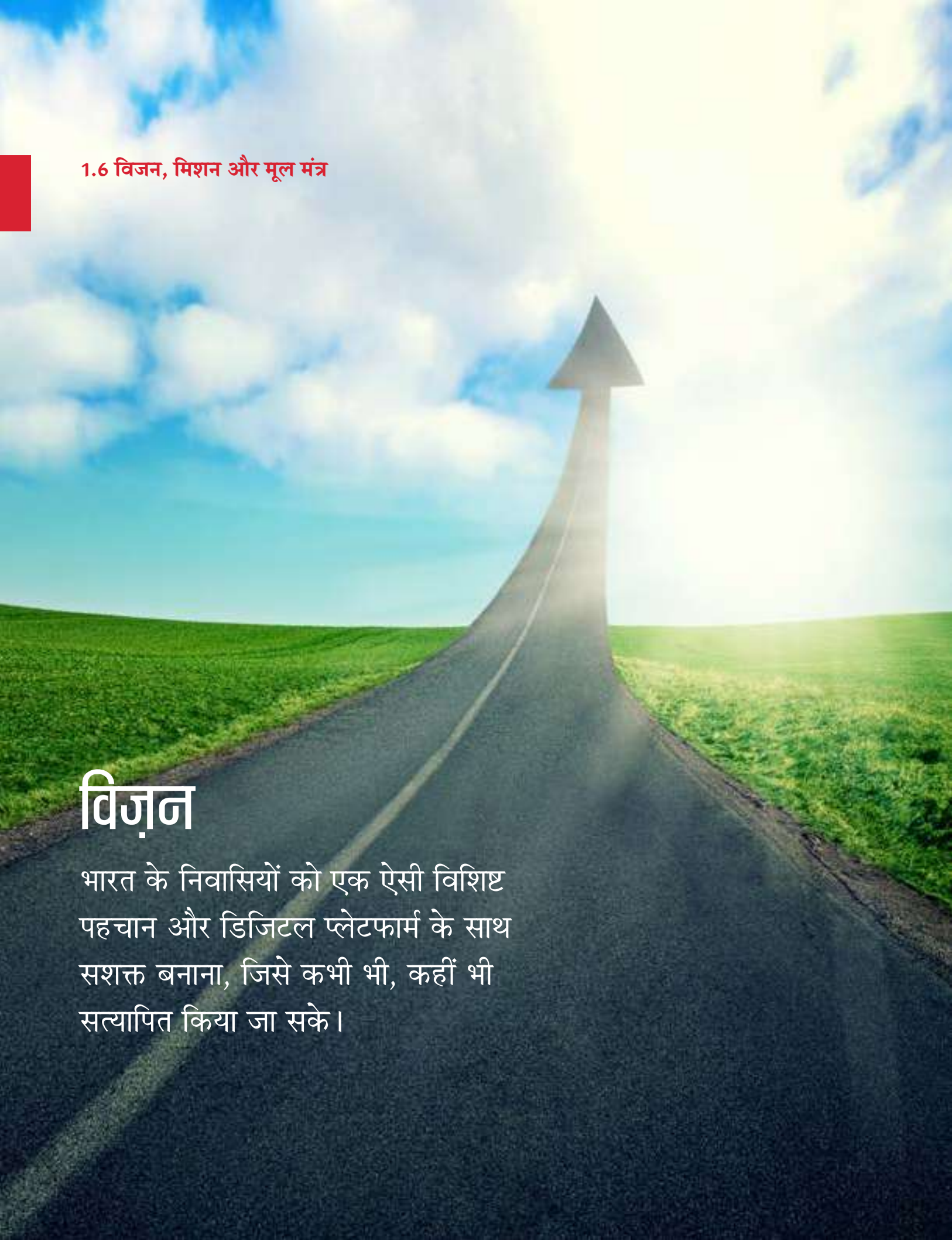

विज़न

भारत के निवासियों को एक ऐसी विशिष्ट पहचान और डिजिटल प्लेटफार्म के साथ सशक्त बनाना, जिसे कभी भी, कहीं भी सत्यापित किया जा सके।

मिशन

- एक विशिष्ट पहचान संख्या प्रदान करने के द्वारा भारत के निवासियों को सुशासन, सहायिकियों, लाभों और सेवाओं का कुशल, पारदर्शी और लक्षित परिदान उपलब्ध कराना, जिनके लिए व्यय भारत की समेकित निधि से किया गया हो।
- भारत के निवासियों को आधार नंबर जारी करने के लिए नीति, प्रक्रिया और प्रणाली का विकास करना, ताकि वे नामांकन की प्रक्रिया के दौरान अपनी जनसांख्यिकीय व बायोमेट्रिक जानकारी प्रस्तुत करने के लिए अनुरोध कर सकें।
- आधार धारकों के लिए उनकी डिजिटल पहचान के अद्यतन और अधिप्रमाणन के संबंध में नीति, प्रक्रिया और प्रणाली का विकास करना।
- प्रौद्योगिकी अवसंरचना की उपलब्धता, मापनीयता और प्रतिरोधक्षमता सुनिश्चित करना।
- भाविपप्रा के दृष्टिकोण व मूल्यों को आगे बढ़ाने के लिए इसे दीर्घकालिक सतत् संगठन बनाना।
- व्यक्तियों की पहचान सूचना एवं अधिप्रमाणन रिकॉर्ड की सुरक्षा और गोपनीयता सुनिश्चित करना।
- आधार अधिनियम का सभी व्यक्तियों और एजेंसियों से अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित कराना।
- आधार अधिनियम के उपबंधों को लागू करने के लिए आधार अधिनियम के अनुरूप विनियम और नियम बनाना।

मूल मंत्र

- हम सुशासन को सुविधाजनक बनाने में विश्वास करते हैं
- हम सत्यनिष्ठा को महत्व देते हैं
- हम समावेशी राष्ट्र निर्माण के लिए प्रतिबद्ध हैं
- हम सहयोगी दृष्टिकोण का अनुसरण करते हैं और अपने भागीदारों को महत्व देते हैं
- हम निवासियों और सेवा प्रदाताओं को प्रदान की जा रही सेवाओं में उत्कृष्टता लाने के लिए प्रयासरत रहेंगे
- हमारा ध्यान हमेशा निरंतर सीखने और गुणवत्ता में सुधार करने पर केंद्रित होगा
- हम नवप्रवर्तन से प्रेरित हैं और अभिनव के लिए अपने भागीदारों को प्लेटफार्म प्रदान करते हैं
- हम एक पारदर्शी और उदार संगठन में विश्वास करते हैं

1.7 भाविपप्रा के उद्देश्य

भाविपप्रा का गठन भारत के निवासियों के लिए सार्वभौमिक रूप से ''आधार'' नामक विशिष्ट पहचान (यूआईडी) नंबर जारी करने सहित निम्नलिखित उद्देश्य के लिया किया गया थाः

- जो इतने पुष्ट हों कि उनसे नकली और छद्म पहचानों को समाप्त किया जा सके, तथा
- जिनका सत्यापन और अधिप्रमाणन कभी भी, कहीं भी सरल एवं किफायती ढ़ंग से हो सके।

1.8 भाविपप्रा को सौंपे गए कार्य

आधार अधिनियम, 2016 की धारा 23 के अनुसार, भाविपप्रा ने व्यक्तियों को आधार नंबर जारी करने के लिए नीति, प्रक्रिया एवं प्रणाली का विकास किया और आधार अधिनियम के अंतर्गत उसका अधिप्रमाणन किया। प्राधिकरण के कार्यों में, अन्य विषयों के सहित निम्नलिखित शामिल हैं-

- नामांकन के लिए अपेक्षित जनसांख्यिकीय एवं बायोमेट्रिक सूचना और उसके संग्रहण एवं सत्यापन की प्रक्रियाओं को स्पष्ट रूप से विनियमों में विनिर्दिष्ट करना;
- आधार नंबर चाहने वाले व्यक्ति से जनसांख्यिकीय सूचना एवं बायोमेट्रिक सूचना का संग्रहण विनियमों में विनिर्दिष्ट विधि के अनुरूप करना;
- केंद्रीय पहचान डेटा रिपॉजिटरी (सीआईडीआर) के प्रचालन हेतु एक अथवा अधिक संस्थाओं की स्थापना करना;
- व्यक्तियों के लिए आधार नंबरों का सृजन एवं निर्धारण करना;
- आधार नंबरों का प्रमाणीकरण निष्पादित करना;
- केंद्रीय पहचान डेटा रिपॉजिटरी (सीआईडीआर) में व्यक्तियों की सूचना का अनुरक्षण एवं अद्यतन विनियमों में विनिर्दिष्ट विधि के अनुरूप करना;
- विनियमों में विनिर्दिष्ट विधि के अनुरूप, एक आधार नंबर व उससे संबद्ध सूचना को निरस्त और निष्क्रिय करना;
- विभिन्न सहायिकियों, लाभों, सेवाओं और अन्य उद्देश्यों, जिसके लिए आधार नंबर का उपयोग किया जा सकता है, को प्रदान करने या प्राप्त करने के प्रयोजनार्थ आधार नंबर के उपयोग के तरीके को विनिर्दिष्ट करना;
- विनियमों द्वारा रजिस्ट्रारों, नामांकन एजेंसियों एवं सेवा प्रदाताओं की नियुक्ति करने एवं ऐसी नियुक्तियों को समाप्त करने से संबंधित नियम एवं शर्तों का ब्योरा विनिर्दिष्ट करना;
- केंद्रीय पहचान डेटा रिपॉजिटरी (सीआईडीआर) की स्थापना, प्रचालन एवं अनुरक्षण करना;
- इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन विनियमों में विनिर्दिष्ट के अनुरूप आधार नंबर धारकों से संबद्ध सूचना को साझा करना;
- आधार अधिनियम के अनुपालन में केंद्रीय पहचान डेटा रिपॉजिटरी, अधिनियम के अंतर्गत नियुक्त रजिस्ट्रारों, नामांकन एजेंसियों एवं अन्य एजेंसियों से सूचना व रिकार्ड की मांग करना, उनका निरीक्षण करना तथा प्रचालनों की लेखापरीक्षा करना;
- आधार अधिनियम के अंतर्गत डेटा प्रबंधन, सुरक्षा प्रोटोकॉल एवं अन्य प्रौद्योगिकी सुरक्षा से जुड़ी विभिन्न प्रक्रियाओं को विनियमों में विनिर्दिष्ट करना;
- शुल्क लगाना एवं उसे एकत्रित करना अथवा रजिस्ट्रारों, नामांकन एजेंसियों अथवा अन्य सेवा प्रदाताओं को इस अधिनियम के अंतर्गत उनके द्वारा प्रदान की गई सेवा के संबंध में ऐसे शुल्क की प्राप्ति के लिए अधिकृत करना, जैसा कि विनियमों में विनिर्दिष्ट किया गया है;
- इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ प्राधिकरण को उसके कार्यों के निर्वहन में सहायता देने के लिए यथा आवश्यक समितियां नियुक्त करना;
- आधार नंबर के उपयोग सहित बायोमेट्रिक एवं संबंधित क्षेत्रों के संवर्धन के लिए उपयुक्त प्रणाली के जरिए अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देना;

- रजिस्ट्रारों, नामांकन एजेंसियों एवं अन्य सेवा प्रदाताओं के लिए विनियमों, नीतियों एवं व्यवहारों को विकसित एवं विनिर्दिष्ट करना;
- व्यक्तियों, रजिस्ट्रारों, नामांकन एजेंसियों एवं सेवा प्रदाताओं की शिकायतों के निवारण के लिए शिकायत निवारण तंत्र और सुविधा केंद्रों की स्थापना करना;
- आधार अधिनियम के प्रयोजनार्थ सूचना के संग्रहण, भंडारण, सुरक्षण या प्रक्रमण से संबंधित किसी कार्य अथवा व्यक्तियों को आधार नंबर के वितरण अथवा प्रमाणीकरण निष्पादन करने के लिए केंद्र सरकार या राज्य सरकारों या संघ-राज्य क्षेत्रों अथवा अन्य एजेंसियों के साथ, जैसा भी मामला हो, समझौता ज्ञापन अथवा अनुबंध करना;
- अधिसूचना द्वारा अपेक्षित संख्या में रजिस्ट्रारों की नियुक्ति करना एवं सूचना के संग्रहण, भंडारण, सुरक्षण, प्रक्रमण या प्रमाणीकरण करने या उससे संबद्ध अन्य कार्यों के लिए एजेंसियों की नियुक्ति करना तथा उन्हें प्राधिकृत करना, जैसा आधार अधिनियम के प्रयोजनों के लिए आवश्यक है;
- इस अधिनियम के अंतर्गत इसके कार्यों के कुशल निर्वहन के लिए परामर्शदाताओं, सलाहकारों एवं अन्य व्यक्तियों, यथा आवश्यक, को ऐसे भत्तों या पारिश्रमिक तथा नियम एवं शर्तों के अनुसार नियुक्त करना, जैसा अनुबंध में विनिर्दिष्ट किया गया है।

2. संगठनात्मक संरचना

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ('प्राधिकरण/भाविपप्रा') का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है तथा इसके नियंत्रणाधीन आठ क्षेत्रीय कार्यालय बेंगलुरु, चंडीगढ़, गुवाहाटी, हैदराबाद, लखनऊ, मुंबई, नई दिल्ली और रांची में स्थित हैं। भाविपप्रा के दो डेटा केंद्र - एक हेब्बल (बेंगलुरु) कर्नाटक तथा दूसरा मानेसर (गुरूग्राम) हरियाणा में स्थित है। हाल ही में, प्राधिकरण ने दिनांक 14.09.21 को आयोजित अपनी 28वीं बैठक के दौरान राज्य सरकारों के साथ बेहतर समन्वय के लिए 5 राज्य कार्यालय खोलने को मंजूरी दी। भाविपप्रा की संगठनात्मक संरचना को आकृति 1 में दर्शाया गया है।

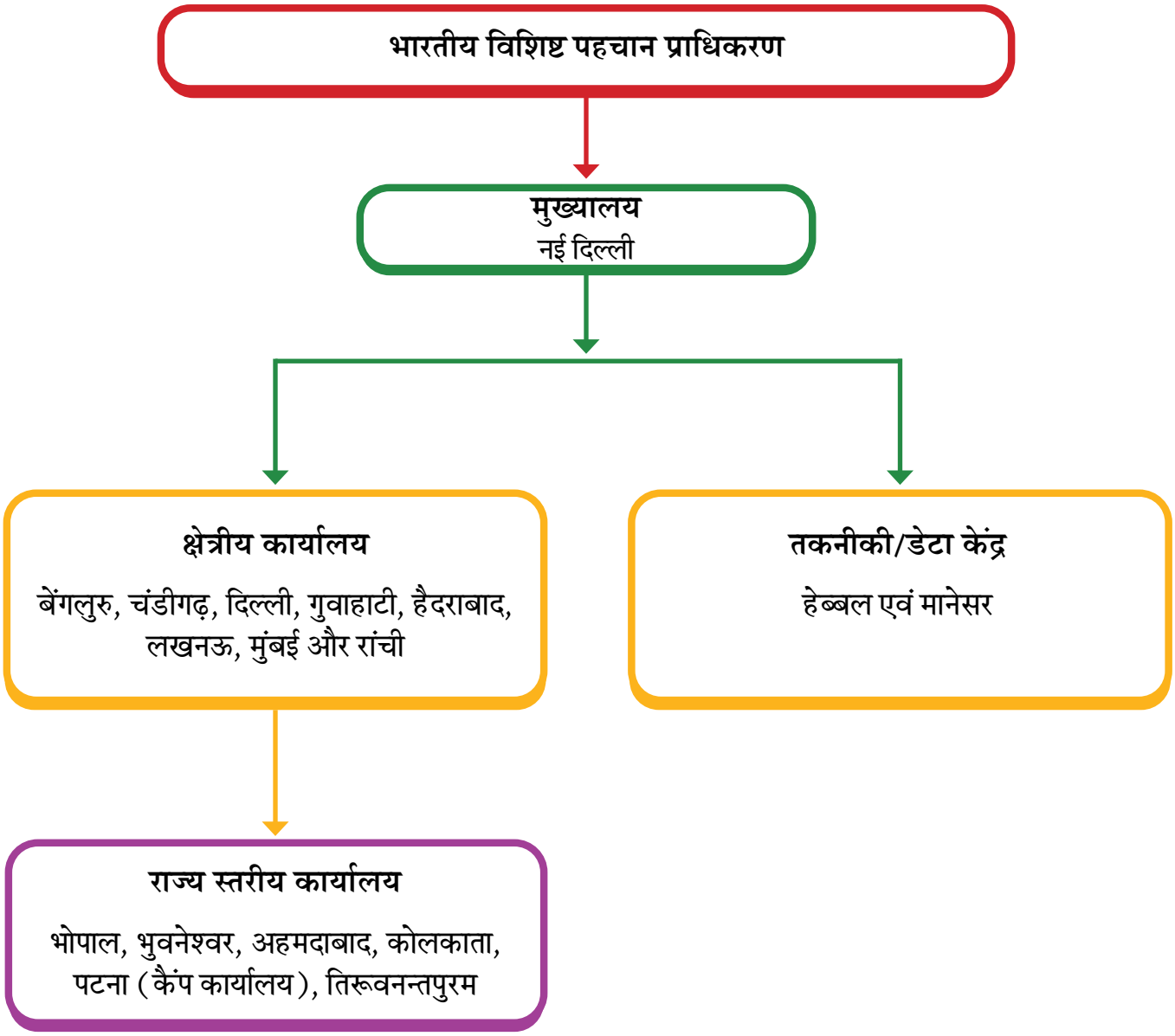

आकृति 1 - संगठनात्मक संरचना

2.1 प्राधिकरण की संरचना

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (भाविपप्रा) एक अध्यक्ष, दो अंशकालिक सदस्यों तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जो प्राधिकरण के सदस्य सचिव भी हैं, से युक्त है। 31 मार्च 2023 के अनुसार प्राधिकरण की संरचना को तालिका-1 में दर्शाया गया है।

तालिका 1 - वर्तमान संरचना

क्र.सं.	सदस्य का नाम तथा विवरण	पदनाम
1	**डॉ. आनन्द देशपांडे** पर्सिस्टेंट सिस्टम्स के संस्थापक, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	सदस्य (अंशकालिक) 11 सितंबर, 2022 को कार्यकाल समाप्त
2	**डॉ. सौरभ गर्ग** आईएएस (ओडिशा:1991)	मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) एवं सदस्य सचिव

अध्यक्ष (अंशकालिक) एवं एक सदस्य (अंशकालिक) का पद रिक्त है।

2.2 मुख्यालय की संरचना

मुख्यालय में मुख्य कार्यकारी अधिकारी के कार्य-सहयोग के लिए भारत सरकार के संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी के रूप में उपमहानिदेशक कार्यरत हैं, जो भाविपप्रा के विभिन्न कार्य-प्रभागों के प्रभारी हैं। उपमहानिदेशकों के साथ कार्य-सहयोग के लिए निदेशक, उप निदेशक, अनुभाग अधिकारी एवं सहायक अनुभाग अधिकारी नियुक्त हैं। भाविपप्रा मुख्यालय की संगठनात्मक संरचना को आकृति-2 में दर्शाया गया है।

भा.वि.प.प्रा. मुख्यालय भवन, नई दिल्ली

ऑर्गेनोग्राम - मुख्यालय*

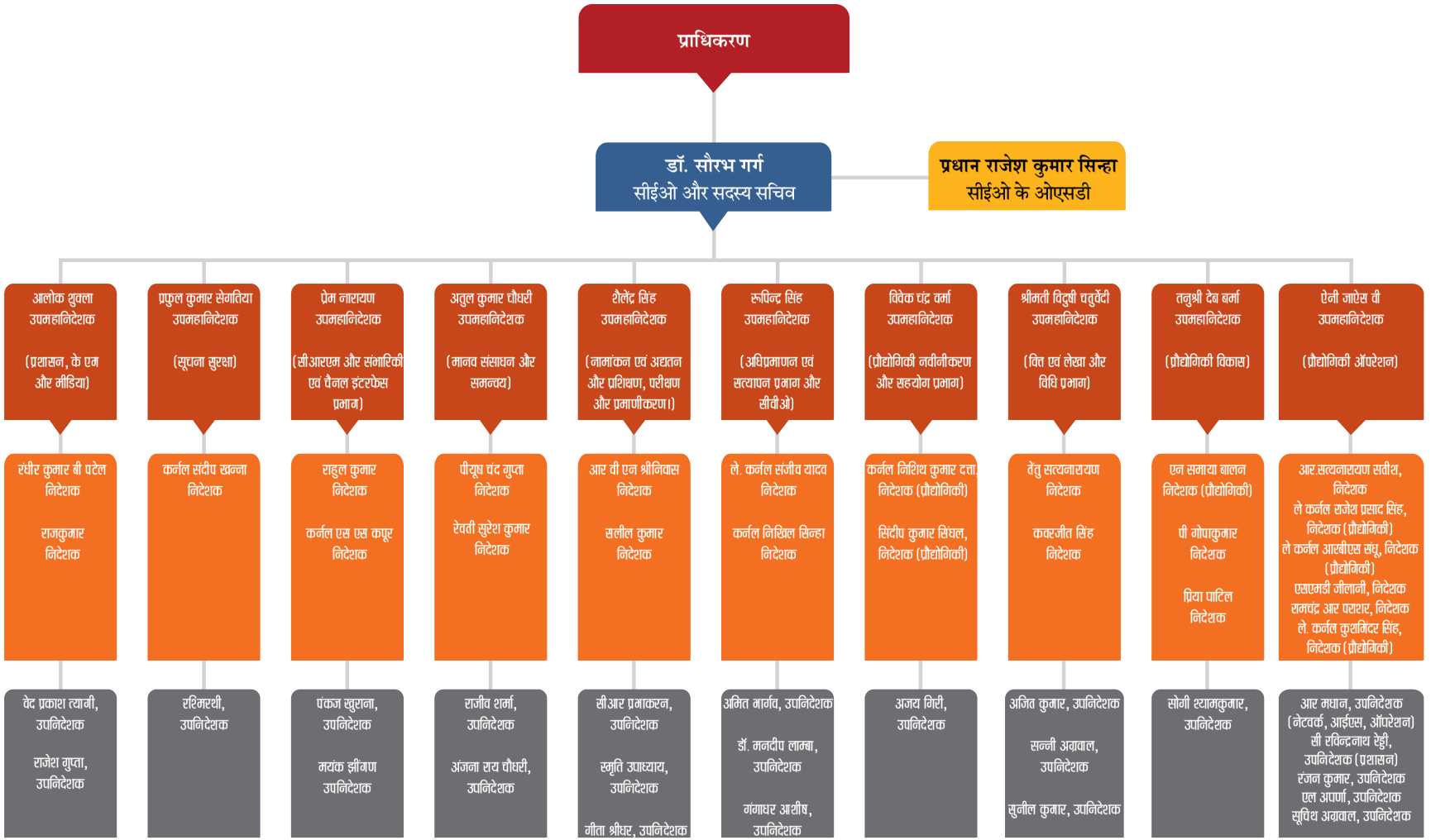

आकृति 2 - भाविपप्रा मुख्यालय का ऑर्गेनोग्राम

**31 मार्च 2023 तक के अनुसार*

मेरा आधार, मेरी पहचान

2.3. क्षेत्रीय कार्यालय की संरचना

भाविपप्रा के आठ क्षेत्रीय कार्यालयों में से प्रत्येक का कार्यालय प्रमुख उपमहानिदेशक (डीडीजी) रैंक का अधिकारी है तथा उनकी सहायता के लिए निदेशक, उप निदेशक, अनुभाग अधिकारी, सहायक अनुभाग अधिकारी, वरिष्ठ लेखा अधिकारी, लेखाकार एवं वैयक्तिक कर्मचारी कार्यरत हैं। क्षेत्रीय कार्यालयों और उनके क्षेत्राधिकार में आने वाले राज्यों एवं संघ राज्य-क्षेत्रों का विवरण तालिका-2 में दर्शाया है। भाविपप्रा के क्षेत्रिए कार्यालयों के ऑर्गेनोग्राम को आकृति - 3 में दर्शाया गया है।

तलिका 2 - भाविपप्रा के क्षेत्रीय कार्यालयों की संरचना

क्षेत्रीय कार्यालय	क्षेत्रीय कार्यालयों के अंतर्गत राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र
बेंगलुरु	कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप, पुदुचेरी, तमिलनाडु
चंडीगढ़	चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, पंजाब
नई दिल्ली	मध्य प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान और उत्तराखंड
गुवाहाटी	अरूणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा
हैदराबाद	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और तेलंगाना
लखनऊ	उत्तर प्रदेश
मुंबई	दादर व नगर हवेली तथा दमन एवं दीव, गोवा, गुजरात और महाराष्ट्र
रांची	बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल

तालिका 3 – राज्य स्तरीय कार्यालय और उनके क्षेत्राधिकार

क्षेत्रीय कार्यालय (आरओ)	राज्य स्तरीय कार्यालय	क्षेत्राधिकार
क्षेत्रीय कार्यालय बेंगलुरू	तिरूवनन्तपुरम	केरल
क्षेत्रीय कार्यालय नई दिल्ली	भोपाल	मध्यप्रदेश
क्षेत्रीय कार्यालय हैदराबाद	भुवनेश्वर	ओडिशा
क्षेत्रीय कार्यालय मुबंई	अहमदाबाद	गुजरात
क्षेत्रीय कार्यालय रांची	कोलकाता	पश्चिम बंगाल
क्षेत्रीय कार्यालय रांची	पटना (कैंप कार्यालय)	बिहार

ऑर्गेनोग्राम - क्षेत्रीय कार्यालय*

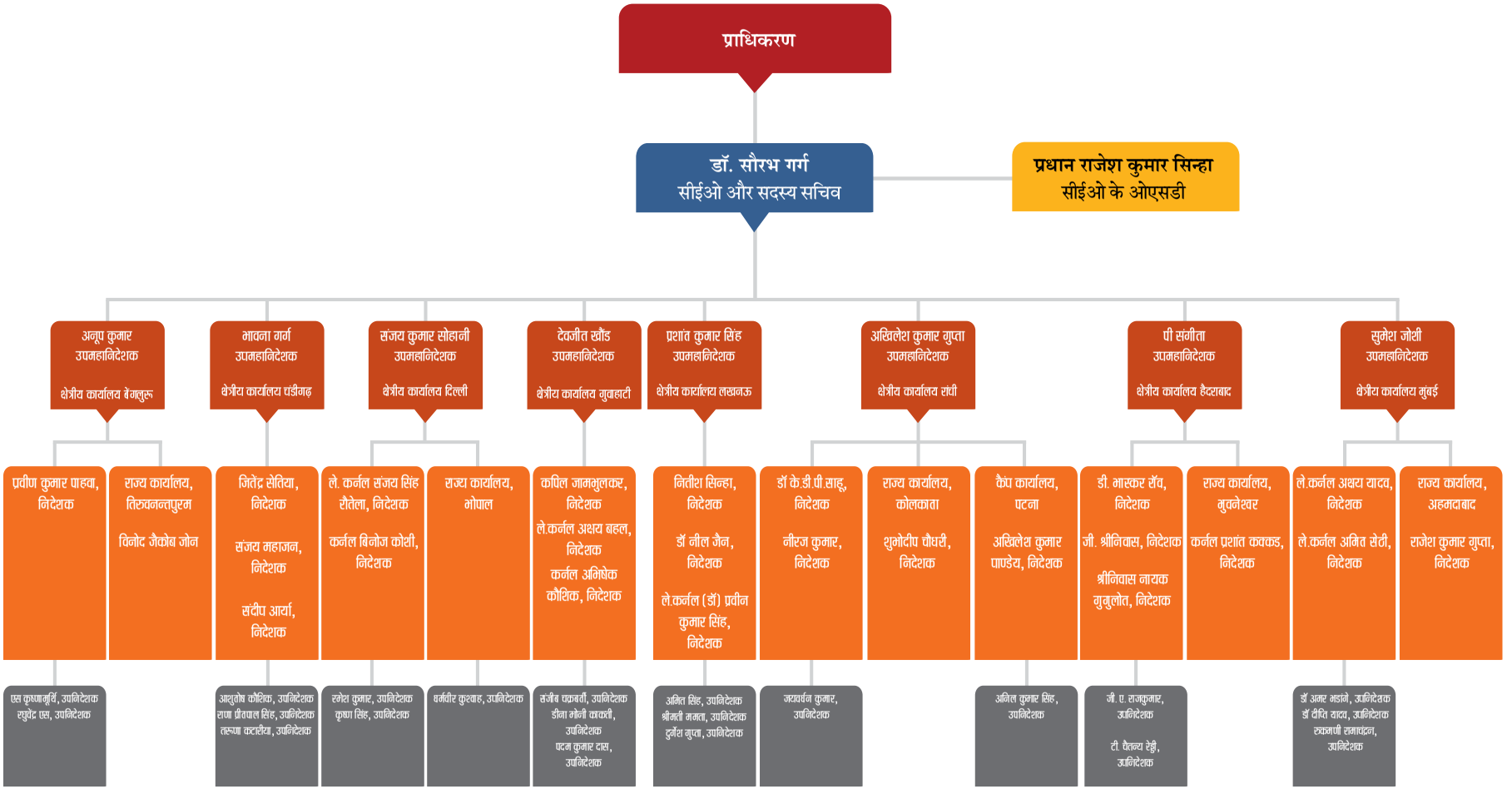

आकृति 3 - भाविपप्रा क्षेत्रीय कार्यालयों का ऑर्गेनोग्राम

**31 मार्च 2023 तक के अनुसार*

मेरा आधार, मेरी पहचान

3. भाविपप्रा की कार्यप्रणाली

3.1 अवलोकन

3.1.1. आधार का उद्देश्य, केवल 'पहचान प्रमाण' से भारत के निवासियों को एक विशिष्ट पहचान और डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ सशक्त बनाना है। यह 12-अंकीय पहचान संख्या, निवासी को आधार नामांकन की प्रक्रिया से गुजरने के बाद, अन्य बातों के साथ-साथ, उसकी जनसांख्यिकीय और बायोमेट्रिक जानकारी प्रस्तुत करने के उपरांत, जारी की जाती है।

3.1.2. एक बार निवासियों का नामांकन होने पर, वे आधार अधिनियम, 2016 के तहत निर्धारित प्रमाणीकरण के विभिन्न तरीकों से, जैसा भी मामला हो, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों या ऑफलाइन सत्यापन के द्वारा अपनी पहचान प्रमाणित करने और उसे स्थापित करने के लिए आधार नंबर का उपयोग कर सकते हैं और यह निवासी द्वारा अनेक बार सेवाओं, लाभों और सब्सिडी का उपयोग करने पर हर बार पहचान दस्तावेजों को प्रस्तुत करने संबंधी परेशानी को समाप्त करता है।

3.1.3. भाविपप्रा अपने संपूर्ण डेटाबेस में उपलब्ध निवासियों के जनसांख्यिकीय और बायोमेट्रिक विशेषताओं को डी-डुप्लिकेट करने के बाद ही उनको आधार नंबर जारी करता है। आधार प्रमाणीकरण विभिन्न योजनाओं के तहत दोहराव को समाप्त करने में सक्षम बनाता है और इससे सरकारी कोष में पर्याप्त बचत होने की आशा है। यह सरकार को लाभार्थियों के प्रत्यक्ष लाभ संबंधी कार्यक्रम को सफल बनाने के संबंध में सटीक डेटा भी प्रदान करता है और यह सरकारी विभागों/सेवा प्रदाताओं को विभिन्न योजनाओं के समन्वय करने और अनुकूल बनाने में अनुमति प्रदान करता है। आधार कार्यान्वयन एजेंसियों को लाभार्थियों के सत्यापन करने और लाभों का लक्षित वितरण सुनिश्चित करने में सक्षम बनाता है।

3.1.4. सेवा वितरण तंत्र के बारे में सटीक और पारदर्शी जानकारी प्रदानकर्ता आधार प्लेटफॉर्म के साथ, सरकार वितरण प्रणाली में सुधार कर सकती है और सेवा वितरण नेटवर्क में शामिल मानव संसाधन का बेहतर उपयोग उपयोग करने के साथ-साथ दुर्लभ विकास निधि का इष्टतम उपयोग कर सकती है। इसलिए, प्रभावी और कुशल सेवाओं की उच्च प्रभावकारिता, समावेश और साल भर उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा किसी भी समय और कहीं भी प्रमाणित करने के लिए भाविपप्रा ने कई इकोसिस्टम स्थापित किए हैं और उन्हें निवासियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए आधार अधिनियम और इसके विनियमों के अनुसार संचालित किया है।

3.1.5. आधार अधिनियम, 2016 के अंतर्गत अधिसूचित विनियम इस प्रकार हैं:

- भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (प्राधिकरण की बैठकों में कार्य संचालन) विनियम, 2016 (2016 का सं. 1)
- आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 (2016 का सं. 2)
- आधार (अधिप्रमाणन) विनियम, 2016 (2016 का सं. 3) [आधार (अधिप्रमाणन और ऑफलाइन सत्यापन) विनियम, 2021 (2021 का सं.2) द्वारा प्रतिस्थापित]।
- आधार (डेटा सुरक्षा) विनियम, 2016 (2016 का सं. 4)
- आधार (सूचना की सहभाजिता) विनियम, 2016 (2016 का सं. 5)
- आधार (नामांकन और अद्यतन) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2017 (2017 का सं.1)
- आधार (नामांकन और अद्यतन) (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2017 (2017 का सं. 2)
- आधार (नामांकन और अद्यतन) (तृतीय संशोधन) विनियम, 2017 (2017 का सं. 3)
- आधार (नामांकन और अद्यतन) (चतुर्थ संशोधन) विनियम, 2017 (2017 का सं. 5)

- आधार (नामांकन और अद्यतन) (पांचवा संशोधन) विनियम, 2018 (2018 का सं. 1)
- आधार (नामांकन और अद्यतन) (छठा संशोधन) विनियम, 2018 (2018 का सं. 2)
- आधार (आधार अधिप्रमाणन सेवाओं का मूल्य-निर्धारण) विनियम, 2019 (2019 का सं.1) [आधार (आधार अधिप्रमाणन सेवाओं का मूल्य-निर्धारण) विनियम, 2021 (2021 का सं. 1) द्वारा प्रतिस्थापित]।
- आधार (नामांकन और अद्यतन) (सातवां संशोधन) विनियम, 2019 (2019 का सं. 3)
- भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति) विनियम, 2020 (2020 का सं. 1)
- भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2020 (2020 का सं. 2)
- आधार (नामांकन और अद्यतन) (आठवां संशोधन) विनियम, 2020 (2020 का सं.3)
- आधार (आधार अधिप्रमाणन सेवाओं का मूल्य-निर्धारण) विनियम, 2021 (2021 का सं.1)
- आधार (अधिप्रमाणन और ऑफलाइन सत्यापन) विनियम, 2021 (2021 का सं. 2)
- भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2021(2021 का सं. 3)
- आधार (अधिप्रमाणन और ऑफलाइन सत्यापन) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2022 (2022 का सं.1)
- आधार (नामांकन और अद्यतन) (नौवां संशोधन) विनियम, 2022 (2022 का सं. 2)
- भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति) (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2022 (2022 का सं. 3)
- भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2022 (2022 की संख्या 5)
- आधार (नामांकन एवं अद्यतन) (दसवां संशोधन) अधिनयम, 2022 (2022 की संख्या 6)
- आधार (अधिप्रमाणन और ऑफलाइन सत्यापन) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2023 (2023 की संख्या 1)
- आधार (आधार अधिप्रमाणन सेवाओं का मूल्य निर्धारण) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2023 (2023 की संख्या 2)

3.1.6. निम्नलिखित भाविपप्रा के ईकोसिस्टम हैं:

- नामांकन और अद्यतन ईकोसिस्टम
- अधिप्रमाणन ईकोसिस्टम
- संभारिकी ईकोसिस्टम
- प्रशिक्षण, परीक्षण और प्रमाणन ईकोसिस्टम
- उपभोक्ता संबंध प्रबंधन

3.2 नामांकन और अद्यतन ईकोसिस्टम

3.2.1 आधार नामांकन भाविपप्रा का प्राथमिक अधिदेश होने के कारण, संगठन का ध्यान निवासियों के नामांकन पर रहा है। आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के अनुसार, आधार की नामांकन प्रक्रिया अर्थात विशिष्ट पहचान (यूआईडी) संख्या, किसी निवासी द्वारा नामांकन केंद्र में नामांकन एजेंसी को नामांकन फॉर्म भरकर सहायक दस्तावेजों के साथ अपनी जानकारी जमा करने, जनसांख्यिकीय और बायोमेट्रिक डेटा प्राप्त किए जाने, अनुबंध-III में निर्धारित दस्तावेजों की सूची के अनुसार पहचान का प्रमाण (पीओआई), पते का प्रमाण (पीओए) और जन्म तिथि का प्रमाण (पीओडीओबी) दस्तावेज जमा करने के साथ शुरू होती है।

3.2.2 31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार, देश भर में बैंकों, डाकघरों, सीएससी, आधार सेवा केंद्रों (एएसके), बीएसएनएल और भाविपप्रा के रजिस्ट्रार के रूप में राज्य सरकारों द्वारा 64,003 आधार नामांकन और अद्यतन केंद्र चलाए जा रहे हैं। केंद्र में, नामांकन प्रचालक द्वारा सिस्टम में विवरण दर्ज करने के बाद, निवासी नामांकन/अद्यतन के लिए ली गई जानकारी की सटीकता की पुष्टि करता है और प्रक्रिया पूरी होने पर नामांकन आईडी युक्त पावती पर्ची प्राप्त करता है। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों के नामांकन की सुविधा के लिए 31,568 बाल नामांकन लाइट किट(सीईएलसी) किट भी उपलब्ध हैं। उक्त के अलावा, निवासी स्वयं पता और दस्तावेज अपडेट करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल https://myaadhaar.uidai.gov.in का उपयोग भी कर सकते हैं।

3.2.3 नामांकन या अद्यतन के लिए ली गई जानकारी को भाविपप्रा के डेटा केंद्रों में संसाधित किया जाता है और क्रमशः आधार या इसका अद्यतन संस्करण को सृजित किया जाता है। भाविपप्रा ने 31 मार्च 2023 तक, 136.65 करोड़ से अधिक आधार (129.48 करोड़ लाइव आधार) जारी किए हैं। 26 राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों में आधार का कवरेज 90% से अधिक के संतृप्ति स्तर तक पहुंच गया है, जबकि 6 राज्यों/ संघ राज्य-क्षेत्रों में कवरेज 80% और 90% के बीच है। आकृति-4, 31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार राज्यों/ संघ राज्य-क्षेत्रों में आधार कवरेज की स्थिति को दर्शाती है। 18+ आयु वर्ग के लिए संतृप्ति 100% है।

3.2.4 चूंकि कई राज्य पहले ही आधार संतृप्ति स्तर तक पहुंच चुके हैं, इसलिए काम की मात्रा 'नामांकन' से 'अद्यतन' में स्थानांतरित हो गई है। आने वाले समय में, आधार और इस विशिष्ट पहचान संख्या का लाभ उठाने वाले विभिन्न सेवाओं की सफलता इसके डेटाबेस की अद्यतन स्थिति पर निर्भर करेगी, इस प्रकार आधार की जानकारी को निरंतर अद्यतन बनाए रखना भाविपप्रा का एक महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है। निवासी किसी भी आधार नामांकन केंद्र पर जाकर आधार में किसी भी जनसांख्यिकीय और बायोमेट्रिक जानकारी को अद्यतित करवा सकते हैं।

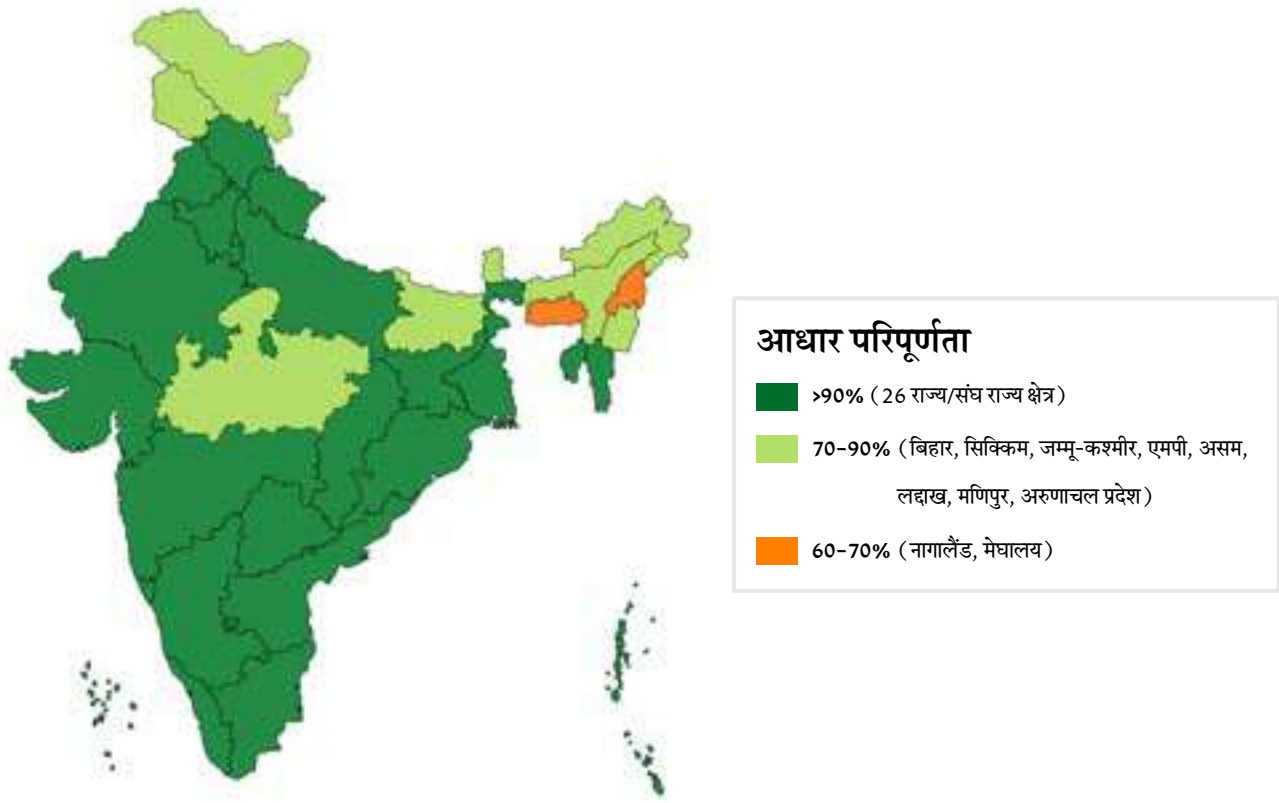

आकृति 4 - राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों में आधार संतृप्ति (31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार)

3.2.5 भाविपप्रा, आधार का लाभ उठाने वाली आधारभूत अवसंरचना और अनुप्रयोगों के विकास के लिए केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/राज्य सरकारों के साथ निकट समन्वय से कार्य कर रहा है। भाविपप्रा नामांकन गतिविधियों को अधिकतम बनाने के लिए राज्य सरकारों और संघ राज्य-क्षेत्रों को नामांकन किट अधिप्राप्त करने के उद्देश्य से आईसीटी अवसंरचना के लिए सहायता भी प्रदान करता है। तदनुसार, भाविपप्रा परियोजना की शुरूआत से 31 मार्च 2023 तक, 29 राज्यों/7 संघ राज्य-क्षेत्रों /3 विभागों और 2 केंद्रीय मंत्रालयों को 474.46 करोड़ रुपए की राशि की आईसीटी सहायता प्रदान की गई है। यह सहायता उसके अंतर्गत बनाई गई नीति के अनुसार 3 अलग-अलग चरणों में प्रदान की गई थी।

3.3 नामांकन भागीदार

3.3.1. आधार नामांकन और अद्यतन करने के लिए भाविपप्रा के पास एक ईकोसिस्टम विद्यमान है, जिसमें आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 में निर्दिष्ट किए गए अनुसार निम्नलिखित भागीदार शामिल हैं:

1. **रजिस्ट्रार:** आधार अधिनियम, 2016 के तहत व्यक्तियों को नामांकित करने के उद्देश्य से प्राधिकरण (भाविपप्रा) द्वारा अधिकृत या मान्यता प्राप्त कोई भी संस्था।
2. **नामांकन एजेंसी:** आधार अधिनियम, 2016 के तहत व्यक्तियों की जनसांख्यिकीय और बायोमेट्रिक जानकारी एकत्र करने के लिए प्राधिकरण या रजिस्ट्रार, जैसा भी मामला हो, द्वारा नियुक्त एजेंसी।
3. **नामांकन केंद्र:** निवासियों का नामांकन करने और उनकी जानकारी को अद्यतन करने के लिए एक नामांकन एजेंसी द्वारा स्थापित एक स्थायी या अस्थायी केंद्र।
4. **प्रचालक:** नामांकन केंद्रों पर नामांकन की प्रक्रिया को निष्पादित करने के लिए नामांकन एजेंसियों द्वारा नियोजित प्रमाणित कर्मचारी।
5. **पर्यवेक्षक:** नामांकन केंद्रों के संचालन और प्रबंधन के लिए नामांकन एजेंसियों द्वारा नियोजित प्रमाणित कर्मचारी।
6. **सत्यापनकर्ता:** नामांकन केंद्रों पर दस्तावेजों के सत्यापन के लिए रजिस्ट्रार द्वारा नियुक्त कार्मिक।

3.4 नामांकन प्रक्रिया

3.4.1 किसी निवासी के लिए आधार नामांकन प्रक्रिया में नामांकन केंद्र पर जाना, नामांकन फॉर्म भरना, जनसांख्यिकीय और बायोमेट्रिक डेटा प्रदान करना, पहचान का प्रमाण (पीओआई), पते का प्रमाण (पीओए) और जन्म तिथि का प्रमाण (पीओडीओबी) संबंधी दस्तावेज जमा करना, सूचित सहमति देना और नामांकन पूरा होने के बाद नामांकन आईडी युक्त पावती पर्ची प्राप्त करना शामिल है।

3.4.2 नामांकन फॉर्म में भरे गए नामांकन डेटा को सहायक दस्तावेजों के साथ सत्यापित किया जाता है और सिस्टम में अपलोड किया जाता है, जहां डेटा विभिन्न जांच और सत्यापन चरणों से होकर गुजरता है और आधार नंबर सृजित किया जाता है।

3.4.3 भाविपप्रा प्रक्रिया अनुलग्नक III में उल्लिखित पीओआई, पीओए और पीओडीओबी दस्तावेजों की विस्तृत श्रृंखला को स्वीकार करती है। यदि परिवार के किसी सदस्य के पास वैध दस्तावेज नहीं हैं, तब भी वह आधार के लिए नामांकन कर सकता है, यदि उसका नाम पारिवारिक पात्रता दस्तावेज में मौजूद है। ऐसे मामले में, पात्रता दस्तावेज में दर्ज परिवार के मुखिया (एचओएफ) को पहले वैध पीओआई, पीओए और पीओडीओबी दस्तावेजों के साथ खुद को नामांकित करने की आवश्यकता होती है। तत्पश्चात, परिवार का मुखिया संबंध का प्रमाण (पीओआर) दस्तावेज जमा करके परिवार के अन्य सदस्यों का परिचय, आधार नामांकन के लिए कर सकता है। भाविपप्रा अनुलग्नक- III में उल्लिखित कई दस्तावेजों को संबंध के प्रमाण (पीओआर) के रूप में स्वीकार करता है।

3.4.4 आधार के लिए नामांकन के दौरान, केवल न्यूनतम जनसांख्यिकीय जानकारी, जैसे नाम, लिंग, आवासीय पता, जन्म तिथि (डीओबी) तथा बायोमेट्रिक जानकारी जैसे सभी दस उंगलियों के निशान, दोनों आईरिस और चेहरे की छवि का स्कैन कैप्चर किया जाता है।

3.4.5 इसके अतिरिक्त, निवासी के पास अपना ई-मेल आईडी और मोबाइल नंबर देने का विकल्प होता है। प्रमाणीकरण उद्देश्य

के लिए मोबाइल नंबर के व्यापक उपयोग को ध्यान में रखते हुए, निवासियों को नामांकन के समय मोबाइल नंबर इंगित करने का सुझाव दिया जाता है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के संबंध में, केवल नाम, लिंग, जन्मतिथि और बच्चे के चेहरे की छवि कैप्चर की जाती है तथा माता-पिता का आधार नंबर कैप्चर किया जाएगा। हालांकि, बायोमेट्रिक माता-पिता में से किसी एक का लिया जाता है।

जांस्कर, लद्दाख में खानाबदोशों के लिए आधार नामांकन केंद्र

3.4.6 संक्षेप में, नामांकन के लिए दो माध्यम मौजूद हैं:

दस्तावेज आधारित

पहचान के प्रमाण (पीओआई) का वैध दस्तावेज, पते के प्रमाण (पीओए) का वैध दस्तावेज जन्मतिथि के प्रमाण (पीओबी) का दस्तावेज (सत्यापित जन्मतिथि के मामले में) को नामांकन के समय प्रस्तुत किया जाएगा।

परिवार के मुखिया (एचओएफ) पर आधारित

परिवार का मुखिया (एचओएफ) ऐसे दस्तावेज, जो संबंध का प्रमाण (पीओआर) स्थापित करते हैं, के माध्यम से परिवार के सदस्यों का परिचय करा सकता है।

3.4.7 आधार एक सर्व-समावेशी कार्यक्रम है और इसलिए, भाविपप्रा ने उन व्यक्तियों के नामांकन के लिए भी प्रक्रिया निर्धारित की है, जो किन्हीं कारणों से अपने सभी या कोई बायोमेट्रिक्स प्रदान करने में सक्षम नहीं हैं। इस प्रकार, कोई भी निवासी आधार से बाहर नहीं रह जाता है।

नामांकन शिविर में निवासियों का नामांकन होते हुए

3.5 आधार नामांकन प्रगति

3.5.1 सितंबर 2010 में पहला आधार सृजित किए जाने के बाद से, आधार नामांकन में तेजी से वृद्धि हुई है और 31 मार्च 2023 तक 136.65 करोड़ से अधिक आधार बनाए गए हैं। आधार की यात्रा और वर्ष-वार प्रगति को ग्राफ-1 में चित्रित किया गया है। संचयी आधार सृजन को ग्राफ-2 में दर्शाया गया है। वर्ष 2022-23 के दौरान, माह-वार आधार सृजन डेटा को तालिका-4 में दर्शाया गया है।

3.5.2 आधार नामांकन में हुई प्रगति का आकलन करने के लिए जारी किए गए आधार की संख्या को जनसंख्या के प्रतिशत के संदर्भ में मूल्यांकित करना होगा। आधिकारिक जनगणना के आंकड़े वर्ष 2011 से संबंधित हैं। इसलिए एक उचित मूल्यांकन करने के लिए, अनुमानित जनसंख्या की गणना उपलब्ध जनगणना के आंकड़ों और जन्म और मृत्यु दर पर की जानी चाहिए। इसलिए, 31 मार्च 2023 को अनुमानित जनसंख्या 138.72 करोड़ है।

3.5.3 आधार नंबर केवल एक बार जारी किया जाता है और इसे कभी भी दोबारा जारी नहीं किया जाता है। तथापि, मृत्यु होने के कारण आधार धारकों की वास्तविक संख्या हमेशा कम ही रहेगी। इसलिए, आधार धारण करने वाले जीवित व्यक्तियों की संख्या को दर्शाने के लिए 'लाइव आधार' की अवधारणा शुरू की गई है। 31 मार्च 2023 तक जारी किए गए 'लाइव आधार' की संख्या अनुमानित रूप से 129.48 करोड़ है। 31 मार्च, 2023 को राज्य-वार लाइव आधार संतृप्ति अनुबंध-IV में दी गई है।

ग्राफ 1 – वर्षवार आधार सृजन (सितंबर 2010 से मार्च 2023)

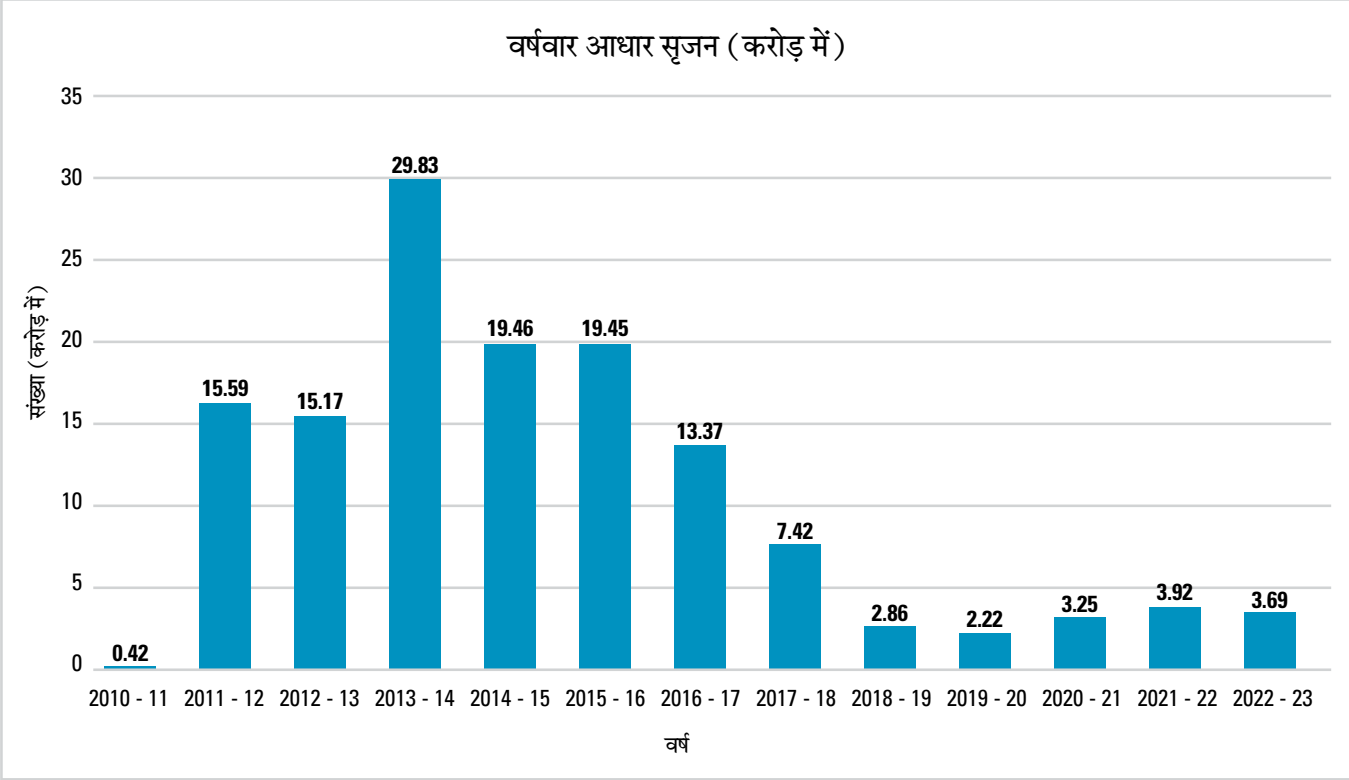

ग्राफ 2 – संचयी आधार सृजन (सितंबर 2010 से मार्च 2023)

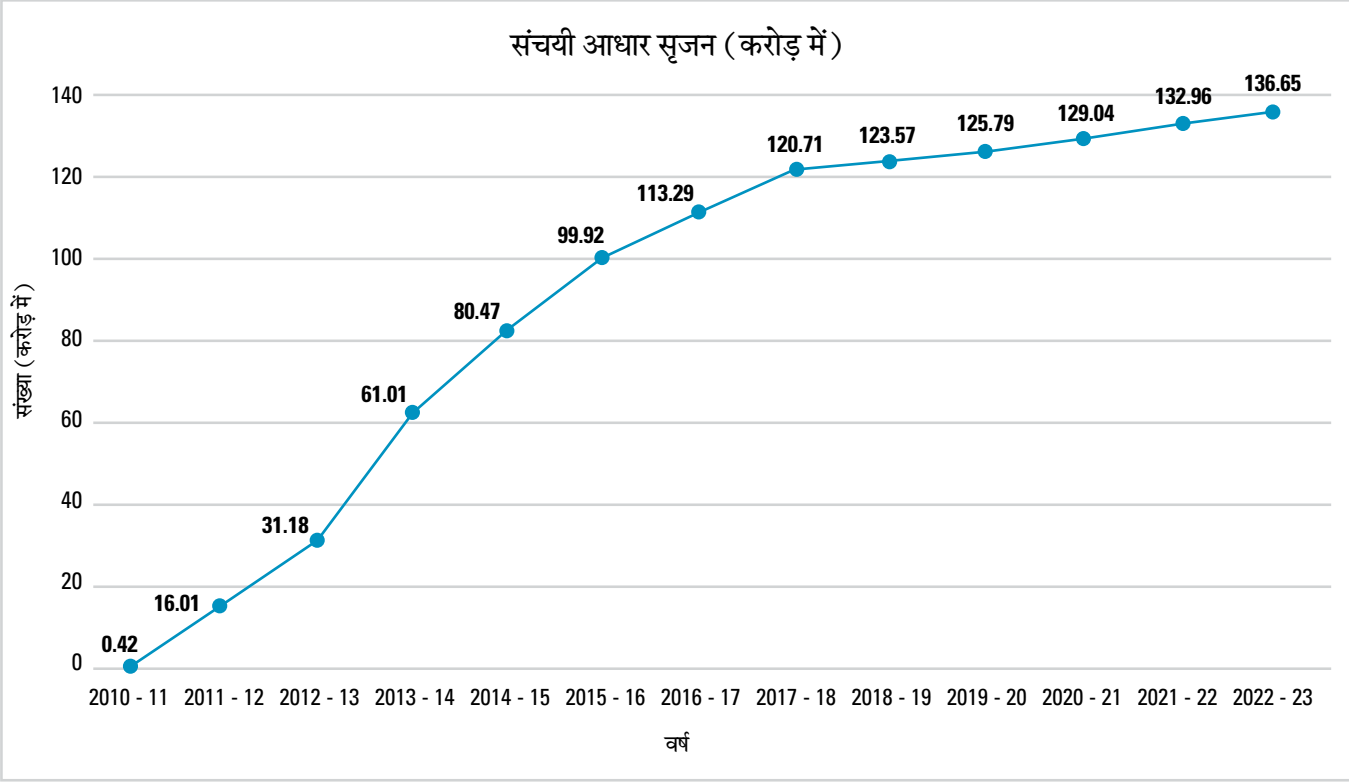

तालिका 4 - माहवार आधार सृजन (2022-23)

माह	माहवार आधार सजन (लाख में)
अप्रैल 2022	28.63
मई 2022	24.15
जून 2022	28.05
जुलाई 2022	45.83
अगस्त 2022	34.09
सितंबर 2022	38.69
अक्तूबर 2022	28.95
नवंबर 2022	20.65
दिसंबर 2022	28.31
जनवरी 2023	43.38
फरवरी 2023	26.09
मार्च 2023	22.52
कुल	**369.34**

3.5.4 वयस्क आबादी के बीच आधार की पहुंच संतृप्ति स्तर तक पहुंच गई है और इसलिए, भाविपप्रा का प्राथमिक ध्यान अब 0-5 और 5-18 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के नामांकन पर केंद्रित हो गया है। उपरोक्त आयु वर्ग में शेष आबादी को कवर करने के लिए, भाविपप्रा ने क्रमशः महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (एमओडब्ल्यूसीडी) तथा स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के साथ क्रमशः आंगनवाड़ियों और स्कूलों में बच्चों के नामांकन के लिए भागीदारी की है।

3.6 आधार डाटा अद्यतन

3.6.1 आधार नंबर निवासी को जारी किया गया एक आजीवन नंबर है। किसी निवासी की बायोमेट्रिक विशेषताओं के अलावा, जनसांख्यिकीय विवरण जैसे निवासी का नाम, पता, जन्मतिथि (डीओबी), लिंग और मोबाइल नंबर/ईमेल (वैकल्पिक) भाविपप्रा डेटाबेस में संग्रहीत किए जाते हैं। यद्यपि जनसांख्यिकीय विवरण में आम तौर पर पते, मोबाइल नंबर और विवाह के बाद

नाम के परिवर्तन के कारण निवासी के जीवनकाल के दौरान निरंतर परिवर्तन होते ही रहते हैं, बच्चों के 5-7 और 15-17 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर निःशुल्क बायोमेट्रिक अपडेट करने या उम्र बढ़ने/दुर्घटना के कारण बायोमेट्रिक्स के नुकसान/परिवर्तन के कारण अन्य निवासियों द्वारा अद्यतन करने की आवश्यकता होती है। निवासियों के समयावधि के अंतर्गत अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट (एमबीयू) करने में असमर्थ रहने पर शुल्क को निवासी द्वारा वहन किया जाएगा तथा बायोमेट्रिक अपडेट के अभाव में आधार को निष्क्रिय किया जा सकता है। तदनुसार, आधार नंबर से जुड़े जनसांख्यिकीय और बायोमेट्रिक जानकारी को अद्यतन करने की आवश्यकता रहती है, ताकि डेटाबेस में संग्रहीत जानकारी की सटीकता सुनिश्चित हो और वह प्रमाणीकरण उद्देश्य के लिए प्रासंगिक हो।

3.6.2 भाविपप्रा ने दिनांक 09.11.2022 को राजपत्र अधिसूचना के तहत प्रकाशित आधार (नामांकन एवं अद्यतन) (दसवां संशोधन) विनियम, 2022 (2022 का संख्यांक 6) के अंतर्गत दस्तावेज अपडेट के लिए प्रावधान किया है। प्रावधान के अनुसार, आधार धारक अपने आधार नामांकन की तारीख से प्रत्येक 10 वर्ष की समाप्ति पर न्यूनतम एक बार पहचान का प्रमाण (पीओआई) और पते का प्रमाण (पीओआई) दस्तावेज जमा करने के द्वारा आधार में अपने समर्थित दस्तावेज को अपडेट कर सकते हैं ताकि केंद्रीय पहचान डेटा रिपॉजिटरी (सीआईडीआर) में उनकी जानकारी की निरंतर सटीकता सुनिश्चित की जा सके।

3.6.3 हाल के दिनों में प्राथमिक पहचान दस्तावेज के रूप में आधार को प्राप्त महत्व को देखते हुए, राष्ट्रीय सुरक्षा पर किसी भी कपटपूर्ण नामांकन गतिविधियों के संभावित प्रभाव की चिंता बढ़ गई है। किसी अनधिकृत निवासी के लिए आधार सृजन के अवसर को कम करने के लिए, नये आधार नामांकन के लिए नामांकन ईकोसिस्टम को और मजबूत करने की आवश्यकता महसूस की गई। इसलिए यह निर्णय लिया गया है कि वयस्क नागरिकों (>18 वर्ष की आयु) के लिए नये आधार के अनुरोध राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र की सरकारों को आधार राज्य सत्यापन पोर्टल के जरिए जनसांख्यिकीय सूचना एवं समर्थित दस्तावेजों के सत्यापन के लिए भेजा जाए।

3.6.4 परिवार का मुखिया (एचओएफ) आधारित पता अद्यतन – नागरिक केंद्रिक सेवा के अंश के रूप में आधार 2.0 विचार-विमर्श के अनुक्रम में, आसानी से पता अपडेट करने के लिए भाविपप्रा ने ऐसे पारिवारिक सदस्य, जिनके पास पते के प्रमाण (पीओए) का वैध दस्तावेज नहीं है, के लिए एचओएफ प्रमाणीकरण के उपयोग द्वारा ऑनलाइन माइ-आधार पोर्टल (https://myaadhaar.uidai.gov.in/) के जरिए आधार अपडेट करने का प्रावधान किया है।

3.6.5 आधार डेटा को अद्यतन करने के संबंध में निवासियों के लिए मुख्य रूप से दो विधियां उपलब्ध हैं:

- **ऑनलाइन (https://myaadhaar.uidai.gov.in/) पूर्व में स्वयं सेवा अद्यतन पोर्टल (एसएसयूपी पोर्टल) के माध्यम से:** यह एक ऑनलाइन माध्यम है जिसके द्वारा एक निवासी वैध सहायक दस्तावेजों के साथ अपने पते को अद्यतन करवा सकता हैं। वे निवासी जिनके मोबाइल नंबर पहले से आधार में दर्ज हैं, वे इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।
- **आधार नामांकन और अद्यतन केंद्र पर जाकर:** कोई निवासी किसी भी जनसांख्यिकीय या बायोमेट्रिक डेटा को अद्यतन करने के लिए नामित बैंक शाखाओं, डाकघरों, एएसके, सीएससी, यूटीआईआईएसएल या अन्य सरकारी कार्यालयों में स्थित 64,003 आधार नामांकन और अद्यतन केंद्रों में से किसी पर भी जा सकता है। उपरोक्त के अलावा, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के नामांकन की सुविधा के लिए 31,568 बाल नामांकन लाइट क्लाइंट (सीईएलसी) नामांकन किट भी उपलब्ध हैं।

3.6.6 31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार, इसकी स्थापना के बाद से 74.68 करोड़ जनसांख्यिकीय एवं बायोमेट्रिक अद्यतन किए जा चुके हैं। 2012 से वर्षवार आधार अद्यतन को ग्राफ 3 में दर्शाया गया है।

3.6.7 निवासियों के लिए आधार नामांकन और बच्चों का अनिवार्य बायोमेट्रिक अद्यतन निःशुल्क प्रदान कराया जाता है। हालांकि, अन्य सेवाओं के लिए आकृति-5 में दर्शाए अनुसार मामूली शुल्क लिया जाता है।

ग्राफ 3 – वर्षवार आधार अद्यतन

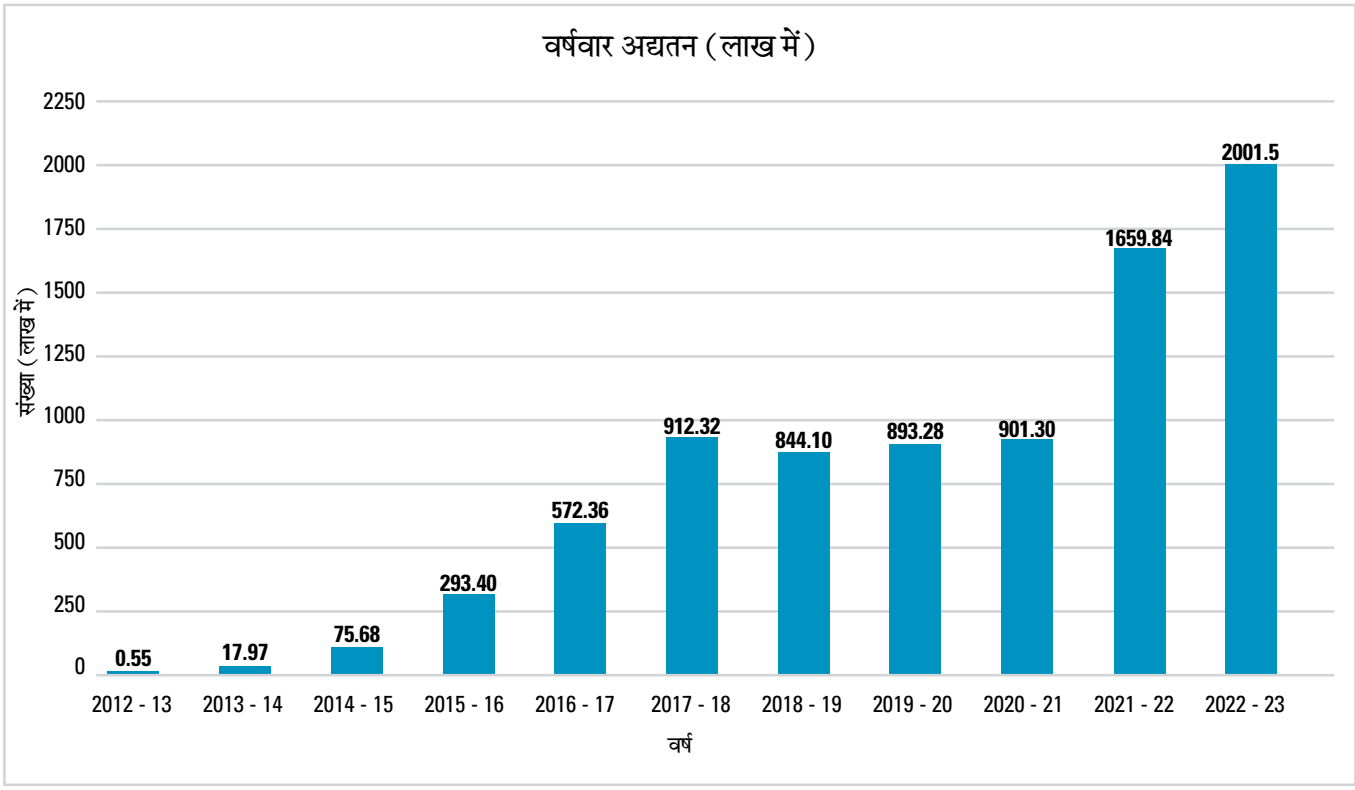

चित्र 5 - विभिन्न आधार सेवाओं के लिए निवासी द्वारा देय शुल्क (31 मार्च 2023 तक)

3.7 आधार सेवा केंद्र

3.7.1 भाविपप्रा ने अपने प्रत्यक्ष नियंत्रण और प्रबंधन के अंतर्गत देश भर के 72 शहरों में 88 आधार सेवा केंद्र (एएसके) स्थापित करने की योजना बनाई है, ताकि निवासियों को आधार नामांकन और अद्यतन सेवाओं के संदर्भ में सुरक्षित और पूर्व-अपॉइंटमेंट पर आधारित सुविधाजनक अनुभव प्रदान किया जा सके। इन आधार सेवा केंद्रों को इस प्रकार डिजाइन किया गया है कि ये सप्ताह के सभी 7 दिनों में अन्य सुविधाएं प्रदान करने के अलावा उच्च सेवा क्षमता, वातानुकूलित परिवेश, एक से अधिक नामांकन काउंटर, बैठने की उचित व्यवस्था और इलेक्ट्रॉनिक टोकन सिस्टम प्रदान कर सकें। सभी आधार सेवा केंद्रों में व्हील-चेयर की सुविधा उपलब्ध है तथा इनमें बुजुर्गों या शारीरिक रूप से असमर्थ/ दिव्यांगजनों को सेवा प्रदान करने के लिए यहां विशेष प्रावधान किए गए हैं।

3.7.2 देश के 72 शहरों में इन 88 आधार सेवा केंद्रों को स्थापित करने और संचालन करने के लिए भाविपप्रा ने दो सेवा प्रदाताओं को नियुक्त किया है। अनिवासी भारतीयों सहित निवासी निम्नलिखित सेवाओं के लिए पहले अपॉइंटमेंट लेकर अपनी सुविधानुसार अपने आस-पास के किसी भी आधार सेवा केंद्र पर जा सकते हैं:

- आधार नामांकन
- उनके आधार में किसी जनसांख्यिकीय जानकारी - नाम, पता, लिंग, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर अथवा ई-मेल आईडी का अद्यतन
- उनके आधार में बायोमेट्रिक डेटा - फोटो, फिंगरप्रिंट और आइरिस स्कैन का अद्यतन
- डाउनलोड और प्रिंट आधार सेवाएं

आधार सेवा केंद्र पर आधार के लिए नामांकन कराते निवासी

3.8 आधार सेवाओं के लिए ऑनलाइन अपॉइंटमेंट

3.8.1 निवासियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए, भाविपप्रा ने ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुकिंग सुविधा शुरू की है। भाविपप्रा द्वारा संचालित सभी आधार सेवा केंद्र ऑनलाइन अपॉइंटमेंट सिस्टम का पालन कर रहे हैं, जहां कोई भी निवासी आधार नामांकन के लिए अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकता है या अपनी पसंद के अनुसार आसपास के किसी भी आधार सेवा केंद्र में नामांकन या अद्यतन करा सकता है। निवासी वेबसाइट लिंक https://appointments.uidai.gov.

in/bookappointment.aspx के माध्यम से अपने या परिवार के किसी सदस्य के लिए अपॉइंटमेंट बुक कर सकता है।

3.8.2 यह एक निःशुल्क सेवा है जहां किसी निवासी को आधार पंजीकृत मोबाइल नंबर की आवश्यकता नहीं होती है। हालांकि, कोई भी निवासी एक ही मोबाइल नंबर का प्रयोग करके प्रति माह अधिकतम 5 अप्वाइंटमेंट बुक कर सकता है।

3.9 अधिप्रमाणन ईकोसिस्टम

3.9.1 भाविपप्रा जनसांख्यिकीय और बायोमेट्रिक डेटा के उपयोग द्वारा ऑनलाइन अधिप्रमाणन प्रदान करता है। यूआईडी (आधार) नंबर, जो विशिष्ट रूप से किसी निवासी की पहचान करता है, व्यक्तियों को देश भर में सार्वजनिक और/ या निजी एजेंसियों को स्पष्ट रूप से अपनी पहचान स्थापित करने का साधन प्रदान करता है। आधार ऑनलाइन अधिप्रमाणन निवासी के आधार नंबर के सत्यापन की अनुमति देता है और पहचान प्रमाण के रूप में कार्य करता है। आधार ने औपचारिक रूप से 7 फरवरी 2012 को फिंगरप्रिंट आधारित ऑनलाइन अधिप्रमाणन, 24 मई 2013 को आईरिस आधारित अधिप्रमाणन, ओटीपी अधिप्रमाणन, ई-केवाईसी सेवाओं को और 15 अक्तूबर, 2021 को चेहरा अधिप्रमाणन को शुरू किया।

3.9.2 तत्पश्चात, विभिन्न योजनाओं जैसे पीडीएस, मनरेगा, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, छात्रवृत्तियां और एलपीजी सब्सिडी को सेवा के लक्षित वितरण के लिए आधार के साथ एकीकृत किया गया। इसके अलावा, विभिन्न राज्य सरकार लोक आयोग, परिवार पहचान, विभिन्न चिकित्सा परिषद/स्वास्थ्य संबंधित सेवाएं और विद्युत बोर्ड सुशासन (समाज कल्याण, नवप्रवर्तन, ज्ञान नियम, 2020) के लिए आधार अधिप्रमाणन के तहत आधार प्रमाणीकरण सेवाओं का उपयोग कर रहे हैं। ई-केवाईसी सेवा का उपयोग विभिन्न सरकारी एप्लीकेशनों द्वारा किया जा रहा है, जैसे आयकर रिटर्न दाखिल करना और पैन कार्ड जारी करना। ई-केवाईसी सेवा प्रदाता, आधार आधारित ई-केवाईसी का उपयोग करते हुए पेपरलेस केवाईसी सेवा प्रदान कर सकते हैं और कागज के रखरखाव, उसके भंडारण और जाली दस्तावेजों के जोखिम से बच सकते हैं। चूंकि आधार ई-केवाईसी वास्तविक-समय पर आधारित है, यह सेवा प्रदाताओं को, निवासियों के लिए सेवाओं का तत्काल वितरण करने में समर्थ बनाता है।

3.10 अधिप्रमाणन भागीदार

भाविपप्रा अधिप्रमाणन प्रयोक्ता एजेंसी (एयूए), ई-केवाईसी प्रयोक्ता एजेंसी (केयूए) और अधिप्रमाणन सेवा एजेंसी (एएसए) नामक एजेंसियों, जिन्हें आधार (अधिप्रमाणन और सत्यापन) विनियम, 2021 के विनियम 12 के अनुसार नियुक्त किया जाता है, के माध्यम से अधिप्रमाणन और ई-केवाईसी सेवाएं प्रदान करता है।

1. **अधिप्रमाणन प्रयोक्ता एजेंसी (एयूए):** भाविपप्रा अधिप्रमाणन प्रयोक्ता एजेंसी (एयूए) नामक अनुरोधकर्ता संस्थाओं के माध्यम से हां/नहीं अधिप्रमाणन सेवाएं प्रदान करता है। एयूए भारत में पंजीकृत कोई भी सरकारी/ सार्वजनिक विधिक संस्था हो सकती है, जो निवासियों को अपनी सेवाएं प्रदान करने के लिए आधार अधिप्रमाणन का प्रयोग करती है। एयूए एक सुरक्षित प्रोटोकॉल का उपयोग करते हुए एएसए (या तो स्वयं एएसए बनकर या किसी मौजूदा एएसए की सेवाएं लेकर) के माध्यम से भाविपप्रा डेटा केंद्र/केंद्रीय पहचान डेटा रिपॉजिटरी (सीआईडीआर) से जुड़ा होता है। 31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार 183 एयूए सक्रिय हैं। स्थापना के बाद से, 31 मार्च 2023 तक अनुरोधकर्ता संस्थाओं द्वारा 1470.22 करोड़ ई-केवाईसी संव्यवहारों सहित 9486.48 करोड़ प्रमाणीकरण किए गए हैं।

   वर्षवार एवं संचयी आधार प्रमाणीकरण संव्यवहार तालिका-5, ग्राफ-4 और ग्राफ-5 में दर्शायें गये हैं। इसी प्रकार, 2022-23 के दौरान माह-वार आधार प्रमाणीकरण संव्यवहार तालिका-6 में दर्शाए गए हैं।

ग्राफ 4 – वर्षवार आधार अधिप्रमाणन संव्यवहार

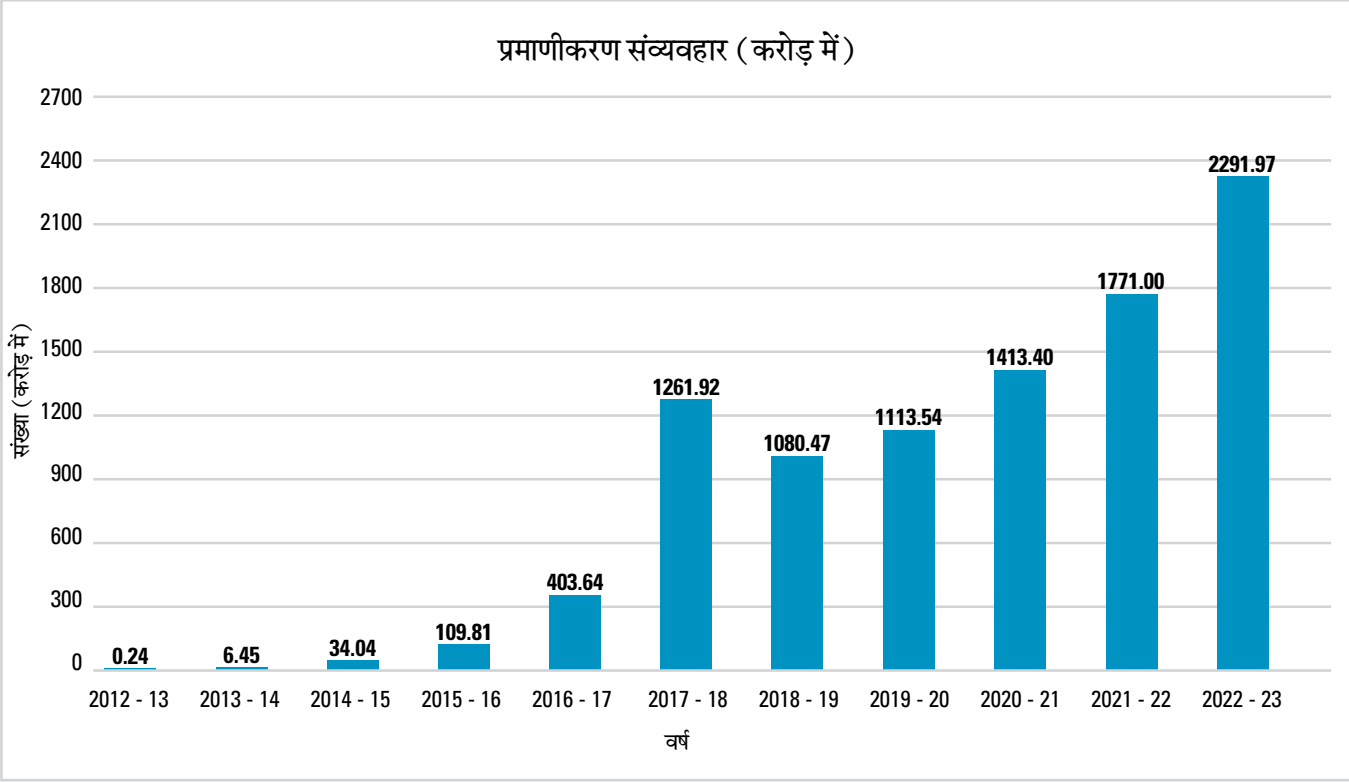

ग्राफ 5 – संचयी अधिप्रमाणन संव्यवहार

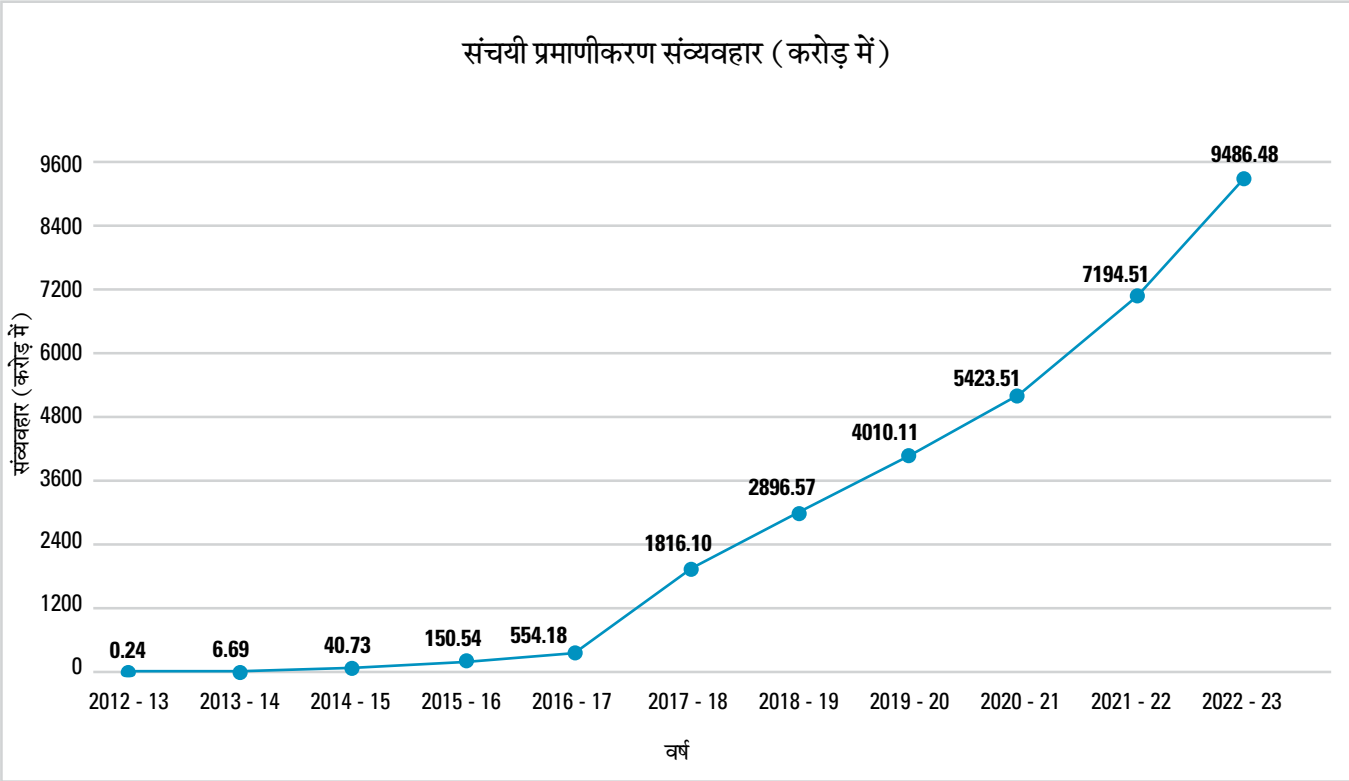

तालिका 5 – वर्षवार और संचयी अधिप्रमाणन संव्यवहार

वर्ष	अधिप्रमाणन संव्यवहार (करोड़ में)	संचयी संव्यवहार (करोड़ में)
2012-13	0.24	0.24
2013-14	6.45	6.69
2014-15	34.04	40.73
2015-16	109.81	150.54
2016-17	403.64	554.18
2017-18	1,261.92	1,816.10
2018-19	1,080.47	2,896.57
2019-20	1,113.54	4,010.11
2020-21	1,413.40	5,423.51
2021-22	1,771.00	7,194.51
2022-23	2,291.97	9,486.48

तालिका 6 – माहवार अधिप्रमाणन संव्यवहार (2022-23)

माह	अधिप्रमाणन संव्यवहार (करोड़ में)
अप्रैल 2022	163.94
मई 2022	159.36
जून 2022	184.94
जुलाई 2022	194.52
अगस्त 2022	177.68
सितंबर 2022	175.41
अक्तूबर 2022	175.44
नवंबर 2022	195.39
दिसंबर 2022	208.47
जनवरी 2023	199.62
फरवरी 2023	226.29
मार्च 2023	230.91
योग	**2291.97**

2. **ई-केवाईसी उपयोगकर्ता एजेंसी (केयूए):** एक एयूए होने के अलावा केयूए एक अनुरोधकर्ता संस्था भी है जो ई-केवाईसी अधिप्रमाणन सुविधा का उपयोग करती है। 31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार, 175 केयूए संस्थाएं आधार प्लेटफॉर्म पर सक्रिय हैं और स्थापना के बाद से, 31 मार्च 2023 तक 1470.22 करोड़ ई-केवाईसी संव्यवहार निष्पादित किए गए हैं।
3. **अधिप्रमाणन सेवा एजेंसी (एएसए):** एएसए एक ऐसी एजेंसी है जिसने सीआईडीआर के साथ लीज लाइन कनेक्टिविटी हासिल की है। ये सीआईडीआर के साथ स्थापित किए गए सुरक्षित कनेक्शन के माध्यम से मध्यवर्ती इकाइयों को समर्थ बनाने की भूमिका निभाती हैं। एएसए एयूए से प्राप्त प्रमाणीकरण अनुरोधों को सीआईडीआर को प्रेषित करती हैं और सीआईडीआर की प्रतिक्रिया को वापस एयूए को भेजती हैं। 31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार 22 एएसए सक्रिय हैं।

3.11 आधार अधिप्रमाणन सेवाएं

3.11.1 आधार अधिप्रमाणन वह प्रक्रिया है जिसमें आधार नंबर, अन्य विशेषताओं (जनसांख्यिकीय/बायोमेट्रिक्स/ ओटीपी) के साथ सत्यापन के लिए भाविपप्रा के केंद्रीय पहचान डेटा रिपॉजिटरी (सीआईडीआर) में प्रस्तुत की जाती है; सीआईडीआर यह सत्यापित करता है कि प्रस्तुत किया गया डेटा सीआईडीआर में उपलब्ध डेटा से मेल खाता है या नहीं और 'हां/नहीं' के साथ अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। प्रतिक्रिया के अंश के रूप में कोई भी व्यक्तिगत पहचान संबंधी जानकारी नहीं बताई जाती है। अधिप्रमाणन का उद्देश्य निवासियों को सेवा प्रदाताओं के लिए अपनी पहचान स्थापित करने में सक्षम बनाना है, ताकि यह पुष्टि की जा सके कि क्या वे वही निवासी हैं जिसका 'वे दावा कर रहे हैं' जिससे कि उन्हें सेवाएं और लाभ प्रदान किए जा सकें। आधार ई-केवाईसी एक अन्य प्रकार की अधिप्रमाणन सेवा है जिसमें भाविपप्रा अपने सीआईडीआर में संग्रहीत डेटा के अनुसार इनपुट मापदंडों को अधिप्रमाणित करता है और एन्क्रिप्टेड ई-केवाईसी डेटा के साथ डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित ई-केवाईसी अधिप्रमाणन प्रतिक्रिया देता है।

3.11.2 अधिप्रमाणन के प्रकार

प्राधिकरण द्वारा दो प्रकार की अधिप्रमाणन सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं, अर्थात :-

1. **'हाँ/नहीं' अधिप्रमाणन:** भाविपप्रा ने फरवरी 2012 में 'हाँ/नहीं' अधिप्रमाणन सुविधा आरंभ की थी। अनुरोधकर्ता संस्था आधार नंबर धारक से एन्क्रिप्टेड फॉर्मेट में आधार और जनसांख्यिकीय और/या बायोमेट्रिक जानकारी और/या ओटीपी को भेजती है। भाविपप्रा उसके पास संग्रहीत डेटा में से इनपुट मापदंडों को अधिप्रमाणित करता है और 'हाँ' या 'नहीं' प्रतिक्रिया वापस भेजता है।
2. **ई-केवाईसी अधिप्रमाणन:** भाविपप्रा ने मई 2013 में ई-केवाईसी अधिप्रमाणन सुविधा शुरू की। अनुरोधकर्ता संस्था आधार नंबर धारक से एन्क्रिप्टेड फॉर्मेट में आधार और बायोमेट्रिक जानकारी और/या ओटीपी भेजती है। भाविपप्रा उसके पास संग्रहीत डेटा में से इनपुट मापदंडों को अधिप्रमाणित करता है और एन्क्रिप्टेड ई-केवाईसी डेटा के साथ डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित ई-केवाईसी अधिप्रमाणन प्रतिक्रिया वापस भेजता है। वर्षवार और संचयी ई-केवाईसी संव्यवहारों को तालिका-7, ग्राफ-6 और ग्राफ-7 में दर्शाया गया है। इसी तरह, 2022-23 के दौरान माह-वार किए गए आधार अधिप्रमाणन संव्यवहार को तालिका 8 में दर्शाया गया है।

3.11.3 अधिप्रमाणन के माध्यम: भाविपप्रा अधिप्रमाणन के विभिन्न माध्यम प्रदान करता है, जैसे जनसांख्यिकीय, बायोमेट्रिक (फिंगरप्रिंट, आइरिस और चेहरा), ओटीपी और बहु-कारक अधिप्रमाणन। प्राधिकरण द्वारा अधिप्रमाणन अनुरोध पर केवल आधार (अधिप्रमाणन और ऑफलाइन सत्यापन) विनियम, 2021 के अनुसार अनुरोधकर्ता संस्था द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजे गए अनुरोध और प्राधिकरण द्वारा निर्धारित विनिर्देशों के अनुरूप ही

ग्राफ 6 – वर्षवार ई-केवाईसी संव्यवहार

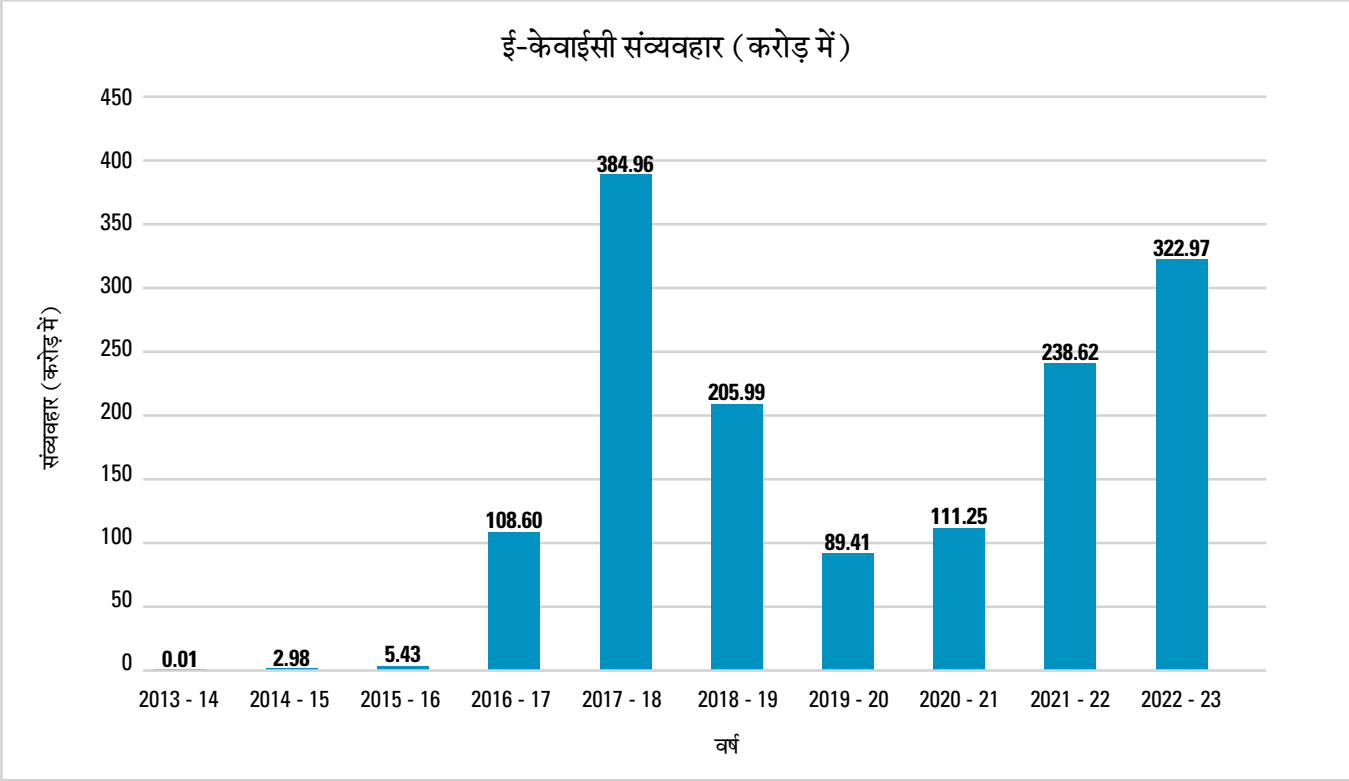

ग्राफ 7 – संचयी ई-केवाईसी संव्यवहार

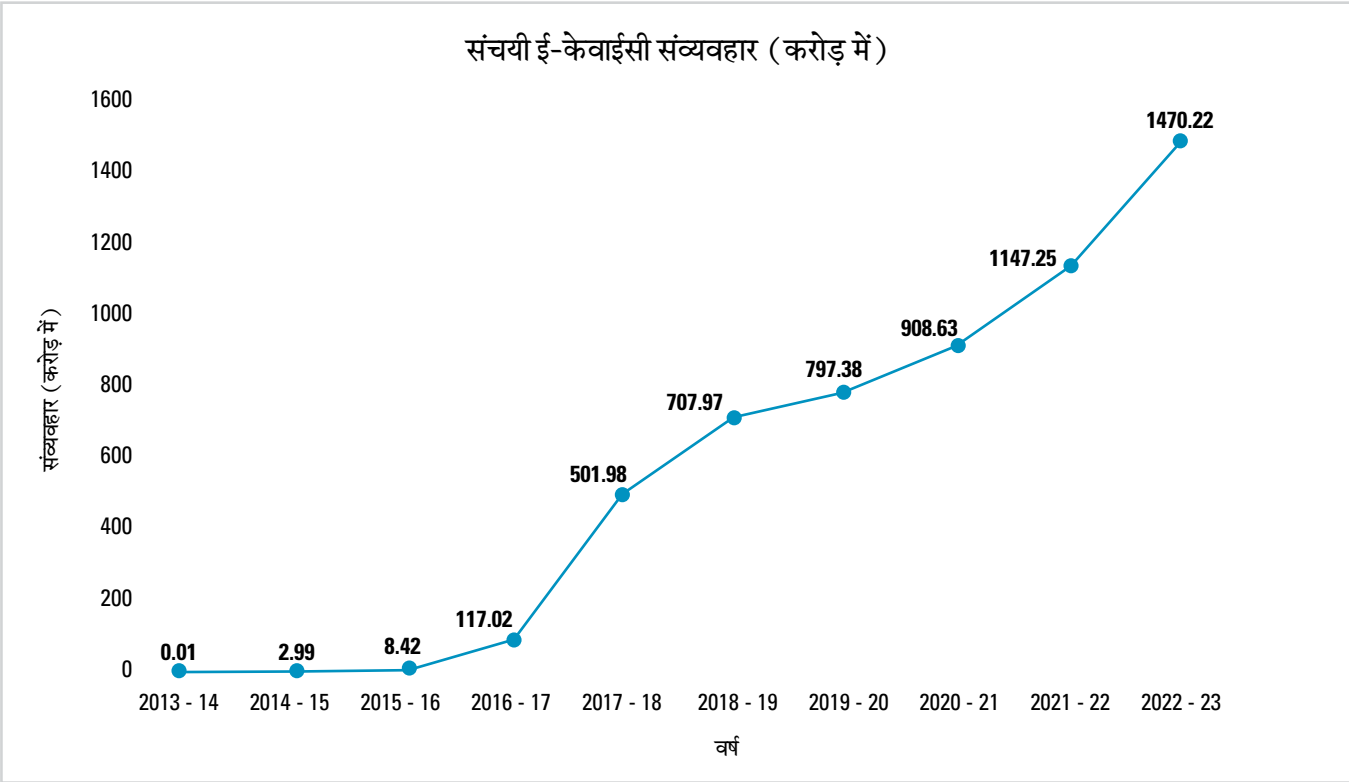

तालिका 7 - वर्षवार और संचयी ई-केवाईसी संव्यवहार

वर्ष	ई-केवाईसी संव्यवहार (करोड़ में)	संचयी संव्यवहार (करोड़ में)
2013-14	0.01	0.01
2014-15	2.98	2.99
2015-16	5.43	8.42
2016-17	108.60	117.02
2017-18	384.96	501.98
2018-19	205.99	707.97
2019-20	89.41	797.38
2020-21	111.25	908.63
2021-22	238.62	1,147.25
2022-23	322.97	1,470.22

तालिका 8 - माहवार ई-केवाईसी संव्यवहार (2022-23)

वर्ष	ई-केवाईसी संव्यवहार (करोड़ में)
अप्रैल 2022	27.39
मई 2022	28.19
जून 2022	23.59
जुलाई 2022	22.84
अगस्त 2022	23.43
सितंबर 2022	25.26
अक्तूबर 2022	23.57
नवंबर 2022	28.75
दिसंबर 2022	32.48
जनवरी 2023	29.51
फरवरी 2023	26.77
मार्च 2023	31.19
योग	**322.97**

विचार किया जाता है। प्रमाणीकरण निम्नलिखित माध्यमों द्वारा किया जा सकता है:

1. **जनसांख्यिकीय अधिप्रमाणन:** आधार नंबर और आधार नंबर धारक की जनसांख्यिकीय जानकारी का मिलान सीआईडीआर में आधार नंबर धारक की जनसांख्यिकीय जानकारी से किया जाता है।
2. **ओटीपी आधारित अधिप्रमाणन:** सीमित समय वैधता के साथ वन टाईम पिन (ओटीपी) आधार नंबर धारक के पंजीकृत मोबाइल नंबर या ई-मेल पते पर भेजा जाता है अथवा उसे अन्य उपयुक्त माध्यमों से सृजित किया जाता है। आधार नंबर धारक अधिप्रमाणन के दौरान अपने आधार नंबर के साथ इस ओटीपी को उपलब्ध कराएगा और इसका भाविपप्रा द्वारा सृजित ओटीपी से मिलान किया जाएगा।
3. **बायोमेट्रिक आधारित अधिप्रमाणन:** आधार नंबर धारक द्वारा प्रस्तुत की गई आधार संख्या और बायोमेट्रिक जानकारी का मिलान सीआईडीआर में संग्रहीत उक्त आधार नंबर धारक की बायोमेट्रिक जानकारी से किया जाता है। यह फिंगरप्रिंट-आधारित या आइरिस-आधारित अधिप्रमाणन या चेहरा अधिप्रमाणन हो सकता है या सीआईडीआर में संग्रहीत बायोमेट्रिक जानकारी के आधार पर अन्य बायोमेट्रिक तौर-तरीके हो सकते हैं।
4. **बहु-कारक अधिप्रमाणन:** अधिप्रमाणन के लिए ऊपर उल्लिखित माध्यमों में से दो या अधिक संयोजनों का प्रयोग किया जा सकता है।

3.11.4 अनुरोधकर्ता संस्था सुरक्षा में वृद्धि करने के लिए अपनी आवश्यकता के अनुसार बहु-कारक अधिप्रमाणन सहित किसी विशेष सेवा या व्यावसायिक कार्य/संव्यवहार के लिए यथावर्णित उपलब्ध अन्य माध्यमों में से अधिप्रमाणन के किसी भी उपयुक्त माध्यम का चयन कर सकती है।

3.11.5 अपवाद प्रबंधन: आधार (अधिप्रमाणन और ऑफलाइन सत्यापन) विनियम, 2021 के विनियम 14(1)(i) के अनुसार, सभी अनुरोधकर्ता संस्थाओं को आधार नंबर धारक को अधिप्रमाणन सेवाओं का निर्बाध प्रावधान सुनिश्चित करने के लिए अपवाद-प्रबंधन तंत्र और बैक-अप पहचान अधिप्रमाणन तंत्र को क्रियान्वित करना आवश्यक है।

3.12 अधिप्रमाणन ईकोसिस्टम में प्रमुख विकास

3.12.1 एल1 (L1) पंजीकृत उपकरण: डेटा की सुरक्षा बढ़ाने के लिए भाविपप्रा ने सभी बायोमेट्रिक अधिप्रमाणन अनुरोधों के लिए पंजीकृत उपकरणों (आरडी) के उपयोग को अनिवार्य कर दिया है। क्षेत्र में एल0 पंजीकृत उपकरणों के सफल रूपांतरण के बाद, भाविपप्रा ने एल1 पंजीकृत उपकरणों की अवधारणा पेश की है। एल1 पंजीकृत उपकरणों में, हस्ताक्षर और बायोमेट्रिक के एन्क्रिप्शन को विश्वसनीय निष्पादन परिवेश (टीईई) के भीतर कार्यान्वित किया जाता है, जहां मेजबान ऑपरेटिंग सिस्टम (ओएस) में निजी कुंजी प्राप्त करने या बायोमेट्रिक्स इंजेक्ट करने के लिए कोई तंत्र मौजूद नहीं होता है। एल1 पंजीकृत अधिप्रमाणन उपकरणों के लाभ निम्न प्रकार से हैं:-

- बॉयोमेट्रिक के हस्ताक्षर और एन्क्रिप्शन को हार्डवेयर स्तर पर विश्वसनीय निष्पादन परिवेश (टीईई) के अंतर्गत कार्यान्वित किया जाता है।
- टीईई के अंतर्गत निजी कुंजियों का प्रबंधन।
- पीआईडी ब्लॉक अधिक सुरक्षित परिवेश में है।
- पीसीएच (पूर्व-प्रमाणित हार्डवेयर), सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रमाणन/सत्यापन।
- पूर्व-प्रमाणित हार्डवेयर के लिए विशिष्ट पहचान।
- पीआईडी ब्लॉक के आकार में कोई परिवर्तन नहीं।
- 'रिप्ले' विकल्प कम हो गए हैं।
- गणना में कम छेड़छाड़ की जाती है।

- उपकरण केवल-पढ़ने के लिए मेमोरी के साथ एम्बेडेड है।
- चिप स्तर पर अधिक सुरक्षा विशेषताएं।
- बायोमेट्रिक उपकरण की कीमत में मामूली वृद्धि।
- भाविपप्रा में संव्यवहार संचालन क्षमता वही रहेगी।

तीन उपकरण विक्रेताओं को प्रमाणित किया गया है। अन्य उपकरण विक्रेता परीक्षण चरण की प्रक्रिया में हैं। एल1 पंजीकृत प्रमाणीकरण उपकरणों को अक्तूबर 2022 में आधार प्रमाणीकरण ईकोसिस्टम में रोल आऊट किया गया है।

3.12.2 फिंगरप्रिंट इमेज रिकॉर्ड (एफआईआर)- फिंगरप्रिंट मिनुशिया रिकॉर्ड (एफएमआर) एकल पीआईडी ब्लॉक में कार्यान्वयन: आधार प्रमाणीकरण को अधिक सुरक्षित बनाने और फिंगरप्रिंट प्रमाणीकरण के जीवंतता गुणों को बढ़ाने के लिए, भाविपप्रा ने सिंगल पीआईडी ब्लॉक (व्यक्तिगत पहचान ब्लॉक) में एफआईआर-एफएमआर की सुविधा शुरू की है। सिंगल पीआईडी ब्लॉक अवधारणा को लागू करने का मुख्य फोकस विभिन्न बैंकों, वित्तीय संस्थाओं, आधार सक्षम भुगतान प्रणालियों और निवासियों के लिए अन्य आधार अनुप्रयोगों में धोखाधड़ी वाली गतिविधियों को खत्म करना और प्रमाणीकरण को अधिक सुरक्षित और लाइवनेस डिटेक्शन को कुशल बनाना है। प्रमाणीकरण एपीआई में सिंगल पीआईडी ब्लॉक में एफएमआर (फिंगर मिनुशिया रिकॉर्ड) - एफआईआर (फिंगर इमेज रिकॉर्ड) का उपयोग करके फिंगरप्रिंट प्रमाणीकरण अनुरोध भेजने का प्रावधान है। इससे पूर्व सभी संस्थाएं मुख्य रूप से फिंगरप्रिंट आधारित आधार प्रमाणीकरण के लिए एफएमआर का उपयोग कर रही थीं और कुछ केवल एफआईआर का उपयोग कर रही थी। वर्तमान में प्रमाणीकरण ईकोसिस्टम में सभी एयूए/केयूए 31.03.2023 तक पूरी तरह स्थानांतरित हो गई हैं। सभी फिंगरप्रिंट प्रमाणीकरण संव्यवहार अब एफएमआर-एफआईआर सिंगल पीआईडी कैप्चर विधि में निष्पादित किए जाते हैं।

3.12.3 चेहरा प्रमाणीकरण: भाविपप्रा ने 15 अक्तूबर 2021 को चेहरा प्रमाणीकरण (फेस ऑथेंटिकेशन) विधि की शुरूआत की, जिसके द्वारा आधार नंबर धारक की पहचान को आधार प्रमाणीकरण के साथ सत्यापित किया जा सकता है। चेहरा प्रमाणीकरण की सफलता से यह पुष्टि होती है कि सत्यापन के लिए स्कैन किया जा रहा आपका भौतिक चेहरा उसी चेहरे से मेल खाता है जिसे नामांकन के समय आपका आधार नंबर सृजित करने के दौरान कैप्चर किया गया था। चेहरे का सफल प्रमाणीकरण यह पुष्टि करता है कि आप वही हैं जो आप होने का दावा कर रहे हैं। चेहरा प्रमाणीकरण आरडी ऐप एक टचलेस एप्लिकेशन है जो आधार प्रमाणीकरण उपयोगकर्ता एजेंसी (एयूए) एप्लिकेशन को कैप्चर की गई चेहरे की छवि के जरिए जीवंतता की पुष्टि उपरांत निवासी को प्रमाणित करने की सुविधा देता है। जीवन प्रमाण जैसी सेवाओं के लिए चेहरा प्रमाणीकरण आधिकारिक तौर पर शुरू किया गया था, जो पेंशन भोगियों को बैंक या सामान्य सेवा केंद्रों पर जाने की आवश्यकता के बिना अपने घर पर डीएलसी बनाने की सुविधा प्रदान करता है, इस प्रकार 'ईज ऑफ लिविंग' को बढ़ावा देता है, एनआईसी ने केंद्र/राज्य सरकार में कर्मचारियों की उपस्थिति दर्ज करने के लिए एईबीएएस में चेहरा प्रमाणीकरण को एकीकृत किया है। यह टचलेस विधि प्रदान करता है और फिंगरप्रिंट कैप्चर मामलों का भी ध्यान रखता है। विभिन्न बैंकों ने अपने ग्राहकों का बैंक खाता खोलने जैसी बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए चेहरा प्रमाणीकरण कार्यप्रणाली को अपना लिया है। 31 संस्थाओं को चेहरा प्रमाणीकरण की अनुमति प्रदान की गई है। प्रमाणीकरण ईकोसिस्टम के अन्य भागीदारों को भी चेहरा प्रमाणीकरण का उपयोग करने के लिए बढ़ावा दिया जाएगा। आरंभ से 31 मार्च, 2023 तक चेहरा प्रमाणीकरण संव्यवहारों की कुल संख्या 5.05 करोड़ है।

3.12.4 आधार पेपरलेस ऑफलाइन ई-केवाईसी: भाविपप्रा ने बिना अधिप्रमाणन के आधार नंबर धारक की पहचान सत्यापित करने की प्रक्रिया शुरू की है। आधार पेपरलेस ऑफलाइन ई-केवाईसी एक सुरक्षित डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित दस्तावेज है, जिसमें नाम, पता, फोटो, लिंग, जन्मतिथि, पंजीकृत मोबाइल नंबर का हैश, पंजीकृत ईमेल पते का हैश और संदर्भ आईडी (टाइम स्टैम्प के साथ आधार के अंतिम 4 अंक) जैसे विवरण शामिल होते हैं। आधार नंबर धारक इस दस्तावेज को भाविपप्रा की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं और इसे शेयर कोड (4-अंकीय कोड) के साथ परस्पर सुविधा के अनुसार ऑफलाइन आधार अधिप्रमाणन की मांगकर्ता संस्थाओं के साथ साझा कर सकते हैं।

3.12.5 आधार लॉक/अनलॉक: आधार की सुरक्षा में और अधिक वृद्धि करने के लिए, भाविपप्रा ने आधार को लॉक और अनलॉक करने की सुविधा आरंभ की है, जो आधार धारक को अपने आधार को 'लॉक' या 'अनलॉक' करने का विकल्प प्रदान करती है। आधार लॉक होने की स्थिति में, अनुरोधकर्ता संस्थाएं आधार का प्रयोग करते हुए अधिप्रमाणन (बायोमेट्रिक/जनसांख्यिकीय/ओटीपी) नहीं कर सकेंगी। तथापि, अनुरोधकर्ता संस्थाएं लॉक किए गए आधार की वर्चुअल आईडी का उपयोग करके अधिप्रमाणन करने में सक्षम होंगी। आधार धारक भाविपप्रा की वेबसाइट, एसएमएस और एम-आधार मोबाइल एप्लिकेशन जैसे विभिन्न चैनलों के माध्यम से अपना आधार लॉक कर सकता है। यूआईडी अनलॉक करने के लिए, आधार धारक के पास 16 अंकों की अद्यतन वर्चुअल आईडी होनी चाहिए। अद्यतन वर्चुअल आईडी को आधार धारक अपने पंजीकृत मोबाइल पर एसएमएस के जरिए प्राप्त कर सकता है।

3.12.6 आधार सुरक्षित क्यूआर कोड: आधार सुरक्षित क्यूआर कोड आधार धारक की पहचान के ऑफलाइन सत्यापन के लिए भाविपप्रा द्वारा प्रदान किया गया एक त्वरित प्रतिक्रिया कोड है। आधार सुरक्षित क्यूआर कोड में डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित जनसांख्यिकीय डेटा यानी नाम, पता, फोटो, लिंग, जन्मतिथि, अप्रत्यक्ष पंजीकृत मोबाइल नंबर, पंजीकृत ईमेल पता और संदर्भ आईडी (आधार और समय टिकट के अंतिम 4 अंक) शामिल हैं। यह डिजिटल हस्ताक्षरित क्यूआर कोड ई-आधार, आधार पत्र, आधार पीवीसी कार्ड एवं एंड्रॉइड और आईओएस पर उपलब्ध एमआधार ऐप पर उपलब्ध है। आधार सुरक्षित क्यूआर कोड को भाविपप्रा द्वारा प्रकाशित एंड्रॉइड/आईओएस/विंडोज रीडर एप्लिकेशन या एमआधार ऐप के माध्यम से स्कैन किया जा सकता है।

3.12.7 आइरिस उपकरणों को बढ़ावा देना: आइरिस उपकरण संपर्क - रहित डिवाइस हैं और अधिप्रमाणन की प्रक्रिया, निवासी के साथ बिना किसी शारीरिक संपर्क के पूर्ण की जा सकती है। आइरिस उपकरणों का प्रयोग महामारी के समय में एक वरदान के रूप में सिद्ध हुआ है, यह एक ऐसी संपर्क-रहित अधिप्रमाणन विधि है जिससे निवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित होती है और यह उन्हें सरकार द्वारा प्रदान किए जाने वाले सभी लाभों को प्राप्त करने में सुविधा प्रदान करती है। इसके अलावा, फिंगरप्रिंट उपकरणों की तुलना में आइरिस उपकरणों में अधिप्रमाणन सफलता दर अधिक है। आइरिस डिवाइस सुरक्षित भी है, क्योंकि इसमें किसी भी क्लोन आइरिस का प्रयोग करके फर्जी अधिप्रमाणन करना असंभव है। इन कारकों के फलस्वरूप, भाविपप्रा अनुरोधकर्ता संस्थाओं के मध्य आइरिस उपकरणों के प्रयोग को बढ़ावा दे रहा है। भाविपप्रा एसटीक्यूसी के साथ मिलकर विभिन्न फॉर्म फैक्टर में आइरिस उपकरण मॉडल को प्रमाणित करने और उन्हें आरंभ करने की दिशा में काम कर रहा है। आइरिस डिवाइस मॉडल, टैबलेट/पीओएस उपकरणों में पृथक या एकीकृत रूप में उपलब्ध हैं, जो अनुरोधकर्ता संस्थाओं को उनकी आवश्यकता के अनुसार आइरिस उपकरण मॉडल चुनने की सुविधा प्रदान करते हैं। वित्त वर्ष 2022-23 में 31 मार्च, 2023 तक आइरिस डिवाइस के प्रयोग में लगभग 2.55 लाख के औसत मासिक संव्यवहार की वृद्धि हुई है।

3.13 संभारिकी एवं सीआई प्रभाग ईकोसिस्टम

3.13.1 भाविपप्रा के संभारिकी एवं सीआई प्रभाग को निवासियों के आधार पत्रों के मुद्रण और वितरण का काम सौंपा गया है। नए नामांकन, जनसांख्यिकीय अद्यतन (मोबाइल और ईमेल को छोड़कर) और पुनर्मुद्रण के मामले में आधार पत्र मुद्रण उपरांत निवासियों को भेजे जाते हैं। भाविपप्रा ने 25 सितंबर, 2020 से एक प्रीमियम भुगतान सेवा शुरू की है, जिसका नाम 'ऑर्डर आधार पीवीसी कार्ड (ओएसी)' है। यह प्रभाग व्यावसायिक प्रभागों, आधार ईकोसिस्टम हितधारकों, भागीदारों के साथ समन्वय कर रहा है और निवासियों के अनुभव के आधार पर विभिन्न गतिविधियों के लिए सभी प्रकार्यात्मक आवश्यकताओं को कैप्चर कर रहा है।

3.14 आधार पत्र मुद्रण और वितरण

3.14.1 एक बार आधार सृजित हो जाने के बाद, यह सुनिश्चित करना होता है कि इसे मुद्रित किया जाए और स्वीकार्य समय-सीमा के भीतर निवासी को वितरित किया जाए। प्रत्येक आधार पत्र में एक मुद्रित, लैमिनेटेड दस्तावेज होता है जिसमें एक तस्वीर, जन्म तिथि, निवासी की जनसांख्यिकीय जानकारी, आधार नंबर और

सुरक्षित (क्यूआर) कोड होता है, जिसमें ऑफलाइन सत्यापन के लिए भाविपप्रा के डिजिटल हस्ताक्षर के साथ फोटोग्राफ और जनसांख्यिकीय विवरण शामिल होता है।

3.14.2 आधार पत्र 13 अलग-अलग भाषाओं में मुद्रित किए जाते हैं। आधार डेटाबेस में पंजीकृत पते पर निवासियों को आधार पत्रों के वितरण के लिए डाक विभाग भाविपप्रा का वितरण भागीदार है। भाविपप्रा नए नामांकन के साथ-साथ अद्यतन के लिए आधार पत्र भेजता है। स्थापना के बाद से, 31 मार्च 2023 तक, 135.51 करोड़ आधार पत्र मुद्रित किए गए हैं और प्रथम श्रेणी डिजिटली फ्रैंक्ड मदों के रूप में भारतीय डाक के माध्यम से निवासियों को भेजे गए हैं। साथ ही, 31 मार्च 2023 तक भारतीय डाक के माध्यम से प्रथम श्रेणी डिजिटली फ्रैंक्ड आर्टिकल के रूप में निवासियों को 49.03 करोड़ अद्यतन आधार पत्र (ई-मेल/मोबाइल के अपडेट को छोड़कर) भेजे गए हैं।

3.15 ई-आधार

ई-आधार में भाविपप्रा द्वारा डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित एक सुरक्षित त्वरित प्रतिक्रिया (क्यूआर) कोड निहित है, जो स्कैन किए जाने पर आधार धारक की तस्वीर और जनसांख्यिकीय विवरण प्रदर्शित करता है। आधार प्रणाली में, निवासी के विवरणों को क्यूआर कोड और ऑफलाइन एक्सएमएल की मदद से स्थापित की गई ऑनलाइन प्रमाणीकरण प्रक्रिया या ऑफलाइन सत्यापन के माध्यम से सत्यापित किया जा सकता है। इसलिए, पहचान के वैध प्रमाण के रूप में ई-आधार स्वीकार्य है। 31 मार्च 2023 तक कुल 186.98 करोड़ ई-आधार डाउनलोड किए गए हैं।

3.16 आर्डर आधार पीवीसी कार्ड सेवा

3.16.1 भाविपप्रा ने 25 सितंबर 2020 से अपनी वेबसाइट www.uidai.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन ऑर्डर आधार पीवीसी कार्ड (ओएसी) सेवा प्रारंभ की, जिसमें स्पीड पोस्ट वितरण प्रभार की लागत सहित 50/- रुपए के मामूली शुल्क के भुगतान पर निवासियों को आधार पीवीसी कार्ड उनके पंजीकृत पते पर प्राप्त करने की सुविधा प्रदान की जाती है।

3.16.2 आधार पीवीसी कार्ड में उन्नत सुरक्षा विशेषताएं जैसे क्यूआर कोड, माइक्रो टेक्स्ट, गिलोच पैटर्न, घोस्ट इमेज और

होलोग्राम मौजूद हैं। यह आधार पत्र, ई-आधार और एम-आधार के अलावा निवासी के लिए एक और विकल्प उपलब्ध कराता है; ये सभी उपयोग के लिए समान रूप से मान्य हैं। इसके अलावा, यह टिकाऊ और रखने में आसान है।

3.16.3 भाविपप्रा ने 31 मार्च, 2023 तक लगभग 3.23 करोड़ आधार पीवीसी कार्ड (समुद्री मछुवारों को 0.12 करोड़ कार्ड सहित) का मुद्रण और प्रेषण किया है। समुद्री मछुवारों को आधार पीवीसी कार्ड अपेक्षित अनुरोधों के अनुसार जारी किया जा रहा है।

3.17 प्रशिक्षण, परीक्षण और प्रमाणीकरण ईकोसिस्टम

3.17.1 किसी भी कार्यक्रम, विशेषकर भाविपप्रा जैसे व्यापक पैमाने के कार्यक्रम, की सफलता के लिए यह अनिवार्य है कि नामांकन के दौरान एकत्र किए गए डेटा की गुणवत्ता पर पर्याप्त बल दिया जाए। इसके अतिरिक्त, यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि आधार डेटा को कैप्चर करने और उसका प्रयोग करने के लिए जिम्मेदार लोगों को पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित किया जाए। यह सुनिश्चित करने के लिए, भाविपप्रा ने प्रशिक्षण, परीक्षण और प्रमाणन ईकोसिस्टम को तैयार किया है। इस इकोसिस्टम में 'सामग्री विकास एजेंसी' (सीडीए) और 'परीक्षण एवं प्रमाणन एजेंसी' (टीसीए) शामिल हैं।

3.17.2 आधार नामांकन या अद्यतन के समय एकत्र किए गए डेटा की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए, भाविपप्रा केवल प्रमाणित प्रचालकों, पर्यवेक्षकों को ही नियुक्त करता है। आधार नामांकन/अद्यतन में शामिल सभी हितधारकों के पर्याप्त और प्रभावी प्रशिक्षण के लिए भाविपप्रा द्वारा विभिन्न प्रशिक्षण पद्धतियों को अपनाया गया है, जिनमें बृहद प्रशिक्षण और प्रमाणन शिविरों और पुनश्चर्या/अभिविन्यास प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन शामिल है। इसके परिणामस्वरूप अधिकांश राज्यों में सुव्यवस्थित नामांकन हुआ है और लगभग 100% नामांकन स्तर प्राप्त किया गया है।

- **मास्टर ट्रेनिंग (प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण):** मास्टर ट्रेनिंग प्रशिक्षण संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों में प्रशिक्षकों का एक पूल बनाया जाना सुनिश्चित करता है, जो प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद अपने क्षेत्राधिकार में नामांकन प्रचालकों (ईसीएमपी और सीईएलसी) को प्रशिक्षण देने के लिए जिम्मेदार होंगे। 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक कुल 1,285 मास्टर प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए गए, जिनमें 58,273 कार्मिकों को प्रशिक्षित किया गया।

- **मेगा प्रशिक्षण और प्रमाणीकरण कैम्प:** भाविपप्रा ने नामांकन की गति में कोई व्यवधान न आए यह सुनिश्चित करने के लिए प्रमाणित प्रचालकों/पर्यवेक्षकों का एक बृहद पूल तैयार करने के लिए मेगा प्रशिक्षण और प्रमाणन शिविरों के माध्यम का आयोजन करता है। 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक आधार नामांकन पर कुल 613 मेगा प्रशिक्षण और प्रमाणन शिविर आयोजित किए गए, जिनमें 5,977 व्यक्तियों को प्रशिक्षित और प्रमाणित किया गया।

- **अभिविन्यास कार्यक्रम:** नवनियुक्त नामांकन कर्मचारियों को नामांकन प्रक्रिया से अच्छी तरह से परिचित कराने के लिए अभिविन्यास कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक 364 सत्र आयोजित किए गए, जिनमें 23,549 कर्मियों को प्रशिक्षण दिया गया।

- **पुनश्चर्या कार्यक्रम:** यह कार्यक्रम सक्रिय/प्रमाणित नामांकन प्रचालकों के ज्ञान को परिपुष्ट करने और प्रक्रिया में नवीनतम नीतिगत परिवर्तनों से उन्हें अवगत कराने के लिए आयोजित किया जाता है।

  1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक 821 कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें 40,282 व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया। 01 अप्रैल, 2022 से 31 मार्च 2023 की अवधि के दौरान, लगभग 1.12+ लाख उम्मीदवारों को ईसीएमपी/सीईएलसी प्रचालकों/पर्यवेक्षकों के रूप में प्रमाणित किया गया। इसमें निजी/पीएसयू बैंकों, डाक विभाग, आईपीपीबी, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य और अन्य विभागों/मंत्रालयों के उम्मीदवारों शामिल हैं।

3.17.3 एलएमएस (लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम)-ई-लर्निंग पोर्टल: भाविपप्रा ने एलएमएस पोर्टल बनाया है और स्व-अध्ययन/पुनश्चर्या और अभिविन्यास प्रशिक्षण के लिए अपने ऑपरेटरों को ऐक्सेस प्रदान की है। एलएमएस में भाविपप्रा ईकोसिस्टम के प्रचालकों के प्रमाणन, प्रशिक्षण और पुनर्प्रशिक्षण से सीखने का परिज्ञान प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करता है, जो शिक्षार्थियों की गतिविधि पर मेट्रिक्स प्रदान करता है।

31 मार्च, 2023 तक एलएमएस पर ई-लर्निंग विषय-वस्तु के 20 घंटों के लिए 31,700 से अधिक कोर्स पंजीकरण प्राप्त हुए हैं। वर्तमान में पोर्टल केवल भाविपप्रा ईकोसिस्टम से जुड़े ऑपरेटरों के लिए खुला हुआ है। भाविपप्रा आंतरिक प्रयोक्ताओं से प्राप्त फीडबैक को शामिल करने के उपरांत आम जनता के लिए पोर्टल को खोलेगा।

मॉड्यूल है। एलएमएस स्वचालित और वास्तविक समय की अधिसूचनाओं के माध्यम से शिक्षार्थियों की प्रगति, पाठ्यक्रम, पूर्णता , प्रमारण और उपलब्धियों को मॉनिटर करता है। एलएमएस पोर्टल में प्रशिक्षण कार्यक्रमों के प्रभाव को ट्रैक करने और मापने की विशेषताएं हैं। यह अनुकूलन योग्य रिपोर्ट और डैशबोर्ड के माध्यम

तालिका 9 – प्रदान किए गए प्रशिक्षकों का विवरण (01.04.2022–31.03.2023)

क्र. सं.	प्रशिक्षण का प्रकार	प्रतिभागी	सत्रों की संख्या	प्रशिक्षित प्रतिभागियों की संख्या
1.	अभिविन्यास कार्यक्रम प्रशिक्षक का प्रशिक्षण	नए/नवीन नामांकन स्टाफ	364	23549
2.	मेगा प्रशिक्षण - एवं प्रमाणीकरण कैंप	सरकारी कार्मिक जिन्हें नामांकन स्टाफ बनाने के लिए नामित किया गया है।	613	5977
3.	पुनश्चर्या प्रशिक्षण	विद्यमान नामांकन स्टाफ	821	40282
4.	मास्टर प्रशिक्षण	सरकारी कार्मिक एवं नामांकन स्टाफ जिन्हें प्रशिक्षक बनाने के लिए नामित किया गया है।	1285	58273
योग			**3083**	**128081**

3.17.4 प्रशिक्षण, परीक्षण और प्रमाणन (टीटीएंडसी) नई नीति रोल आऊट: भाविपप्रा ने विभिन्न हितधारकों और क्षेत्रीय कार्यालयों के परामर्श से 02.01.2023 को 'प्रशिक्षण, परीक्षण और प्रमाणन नीति' को प्रकाशित किया है। नीति के तहत न केवल ईएंडयू ईकोसिस्टम के ऑपरेटरों को शामिल किया गया है, बल्कि अधिप्रमाणन, सीआरएम, शिकायत निवारण और क्यूसी ईकोसिस्टम के ऑपरेटरों को भी शामिल किया गया है। नीति के फलस्वरूप विभिन्न प्रकार के ऑपरेटरों की कार्यप्रणाली में सुधार होगा और आधार ईकोसिस्टम सुदृढ़ होगा।

3.18 ग्राहक संबंध प्रबंधन

ग्राहक संबंध प्रबंधन भाविपप्रा के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण गतिविधि है। आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 अपने विनियम 32, अध्याय-VII (शिकायत निवारण तंत्र) में अधिदेशित करता है कि प्राधिकरण (भाविपप्रा) निवासियों के प्रश्नों और शिकायतों के समाधान के लिए संपर्क के केंद्रीय बिंदु के रूप में कार्य करने के लिए एक संपर्क केंद्र स्थापित करेगा, जिससे निवासी टोल-फ्री नंबर और/या ईमेल के माध्यम से, जैसा प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट किया जाए, संपर्क कर सकते हैं। संपर्क केंद्र निम्नलिखित कार्य करेगा

- प्रश्नों या शिकायतों को दर्ज करने के लिए एक तंत्र प्रदान करना और मामले के बंद होने तक उसकी आगे निगरानी करने के लिए निवासियों को एक विशिष्ट संदर्भ संख्या प्रदान करना।
- यथासंभव क्षेत्रीय भाषा समर्थन प्रदान करना।
- निवासियों से प्राप्त उनकी पहचान संबंधी जानकारी से जुड़ी किसी भी जानकारी की सुरक्षा सुनिश्चित करना।
- इस प्रयोजन के लिए प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट प्रक्रियाओं और प्रक्रियाओं का अनुपालन करना।

3.19 आधार सहायता सेवाएं – आधार संपर्क केंद्र

3.19.1 भाविपप्रा ने आधार जीवन चक्र और संबंधित सेवाओं से जुड़े निवासियों के प्रश्नों और शिकायतों का समाधान करने के सहायतार्थ आधार संपर्क केंद्र या संपर्क केंद्र स्थापित किए हैं। आधार संपर्क केंद्र के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं:

- अखिल भारत स्तर पर एक सुलभ टोल-फ्री नंबर और ईमेल प्रदान करना जिसके प्रयोग द्वारा निवासी आधार संपर्क केंद्र से संपर्क कर सकते हैं।
- भारत के सभी क्षेत्रों से प्राप्त शिकायतों और प्रश्नों को हल करने के लिए विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में सहायता प्रदान करना।
- आधार संपर्क केंद्र पर कॉल करने वाले निवासियों के लिए एक इंटरएक्टिव वॉयस रिस्पांस (आईवीआर) तंत्र प्रदान करना।
- निवासियों की इच्छा के अनुसार उन्हें आधार संपर्क केंद्र के कार्यकारी के साथ बातचीत करने के लिए सुविधा प्रदान करना।
- निवासी भाविपप्रा के रेजिडेंट पोर्टल के माध्यम से भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
- निवासियों के प्रश्नों और शिकायतों के समाधान में सहायतार्थ सामान्य ग्राहक संबंध प्रबंधन (सीआरएम) संबंधी एक एप्लिकेशन बनाना और उसका रखरखाव करना।

3.19.2 आधार संपर्क केंद्र की अवसरंचना और प्रौद्योगिकी

वर्तमान में, आधार संपर्क केंद्र में निम्नलिखित शामिल है:

- **टोल-फ्री नंबर 1947:** टोल फ्री नंबर '1947' पर पूरे भारत में कहीं से भी बात की जा सकती है। यह शॉर्ट कोड श्रेणी 1-का टोल फ्री नंबर है, जिसे दूरसंचार विभाग द्वारा भाविपप्रा को आवंटित किया गया है। इस शॉर्ट कोड का उपयोग अंतर्गामी और निर्गामी एसएमएस सेवाओं के लिए भी किया जाता है।
- **संपर्क केंद्र अवसंरचना:** संपर्क केंद्र अवसंरचना में ट्रंक लाइन, पीबीएक्स सोल्यूशन, आईवीआरएस प्रणाली, स्वचालित कॉल वितरक (कॉल सेंटर सहायकों के मध्य कॉल वितरण के लिए), कंप्यूटर टेलीफोन एकीकरण यूनिट और वॉइस लॉगर सिस्टम (तकनीकी गुणवत्ता मूल्यांकन और प्रशिक्षण उद्देश्य के लिए दर्ज 100% कॉल) शामिल हैं। आईवीआरएस कॉल करने वालों के साथ कॉलर के संबंधित राज्य की स्थिति के अनुसार हिंदी/अंग्रेजी/क्षेत्रीय भाषाओं में संश्लेषित रिकॉर्ड की गई आवाज के माध्यम से दुतरफा बातचीत करता है। वर्तमान में आईवीआरएस में हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती, कन्नड़, मराठी, तेलुगु, बंगाली, पंजाबी, ओडिया, तमिल, असमिया और मलयालम हैं। वर्तमान में आईवीआरएस में निम्नलिखित विशेषताएं उपलब्ध हैं:

- बार-बार पूछे जाने वाले प्रश्न।
- 14-अंकीय ईआईडी सर्च पर आधारित आधार नामांकन स्थिति।
- 14-अंकीय यूआरएन नंबर पर आधारित आधार अद्यतन स्थिति।
- कॉलकर्ता के क्षेत्र पर आधारित आईवीआरएस पर भाषा विकल्प का बौद्धिक चयन।
- पहले ही लॉग की गई शिकायतों की स्थिति।
- अपना आधार नंबर जानें।
- आधार संपर्क केंद्र कार्यकारी को कॉल भेज देना, यदि कॉलर द्वारा इच्छा व्यक्त की गई है।

3.19.3 कॉल परिमाणः सामान्यतया, भाविपप्रा संपर्क केंद्र में कॉल पैटर्न 1.5-2 लाख कॉल/प्रतिदिन और प्रतिदिन 2,500 से 3,000 ईमेल प्राप्त होते हैं। किसी विशेष योजना/लाभ के लिए आधार के उपयोग के संबंध में केंद्र या राज्य सरकार द्वारा किसी भी बड़ी घोषणा के साथ यह मात्रा बदलती रहती है, जिसके परिणामस्वरूप इस परिमाण में अचानक वृद्धि होती है। अधिक नामांकन, अद्यतन और प्रमाणीकरण तथा केंद्र सरकार की योजनाओं/लाभों के साथ आधार को जोड़ने के कारण इस ट्रैफिक की वर्तमान मात्रा के न्यूनतम 5% (प्रत्येक वर्ष के आधार पर) की वृद्धि होने की संभावना रहती है।

3.20 चैटबॉट सेवाएं

हाल ही में शुरू किया गया एआई/एमएल आधारित चैटबॉट, आधार मित्र भी निवासियों में लोकप्रिय हो रहा है और यहां तक कि यह लोकप्रिय क्विज शो 'कौन बनेगा करोड़पति' में भी प्रदर्शित हुआ है। 'आधार मित्र' पर लगभग 60,000 वार्तालाप दैनिक आधार पर हो रहे हैं और जल्द ही 75,000 का आंकड़ा पार करने की संभावना है।

नए चैटबॉट में कई नयी विशेषताएँ हैं - जैसे आधार नामांकन / अद्यतन स्थिति की जांच, आधार पीवी सी कार्ड को ट्रैक करना, नामांकन केंद्र के जगह की जानकारी, इत्यादि। निवासी आधार मित्र के द्वारा अपनी शिकायतें दर्ज कर उनको ट्रैक कर सकता हैं। आधार मित्र हिन्दी और अँग्रेजी , दोनों भाषाओं में उपलब्ध है।

4. डेटा सुरक्षा एवं निजता

4.1 डेटा सुरक्षा एवं निजता संरक्षण

4.1.1 भाविपप्रा में एक सुव्यवस्थित, बहु-स्तरीय मजबूत सुरक्षा प्रणाली स्थापित है, जिसकी नियमित रूप से समीक्षा की जाती है और जिसे उच्चतम स्तर की डेटा सुरक्षा और प्रामाणिकता बनाए रखने के लिए अपग्रेड किया जाता है। आधार ईको-सिस्टम के आर्किटैक्चर को डेटा सुरक्षा और गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन किया गया है, जो प्रारंभिक डिजाइन से अंतिम चरण तक सिस्टम का एक अभिन्न अंग है। डेटा की सुरक्षा और गोपनीयता को और मजबूत करने के लिए नियमित आधार पर सुरक्षा लेखापरीक्षा की जाती हैं और भाविपप्रा की समग्र सुरक्षा स्थिति में सुधार के लिए सभी संभव उपाय किए गए हैं।

4.1.2 आधार में डेटा की गोपनीयता को अत्यंत प्राथमिकता दी जाती है, जो मूलभूत आबद्धकारी सिद्धांतों से स्पष्ट है, जिन पर आधार को डिजाइन किया गया है तथा इसे आधार अधिनियम और विनियमों के विभिन्न उपबंधों के माध्यम से और मजबूत किया गया है। आधार अधिनियम की धारा 29 किसी भी उद्देश्य के लिए कोर बायोमेट्रिक की सहभागिता या प्रकटीकरण पर रोक लगाती है, जिसका उल्लंघन करना अधिनियम की धारा 37 के तहत तीन साल तक की कैद सहित दंडनीय है। केंद्रीय पहचान डेटा रिपॉजिटरी (सीआईडीआर) में अनधिकृत एक्सेस करने के लिए 10 साल तक के कारावास के दंड का प्रावधान है (धारा 38)। सीआईडीआर में डेटा से छेड़छाड़ के लिए 10 साल तक के कारावास के दंड का प्रावधान है (धारा 39)।

4.1.3 आधार अधिनियम के तहत विनियमों को यह सुनिश्चित करने के लिए अधिसूचित किया गया है कि नामांकन, अधिप्रमाणन और अन्य संबद्ध गतिविधियों को नियम के अनुसार सख्ती से लागू किया जाए। आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 यह सुनिश्चित करता है कि नामांकन एक सुरक्षित प्रक्रिया के तहत किया जाता है, जिसकी प्रक्रिया में शामिल सभी एजेंसियों की जिम्मेदारी और जवाबदेही स्पष्ट रूप से परिभाषित की गई है। इसके अलावा, आधार (अधिप्रमाणन) विनियम 2016 को यह सुनिश्चित करने के लिए तैयार किया गया है कि अधिप्रमाणन सुरक्षित परिस्थितियों में किया जाए।

4.2 डिजाइन द्वारा सुरक्षा एवं निजता

4.2.1 आधार की अवसंरचना को आंतरिक रूप से न्यूनतम सुरक्षा, इष्टतम अनभिज्ञता और फेडरेटेड डेटाबेस के तीन मुख्य सिद्धांतों के साथ डेटा सुरक्षा और निजता सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन किया गया है। आधार को स्वाभाविक रूप से इस तरह डिजाइन किया गया है कि व्यक्ति की सूचनात्मक गोपनीयता सुरक्षित रह सके। यह नामांकन के समय और बाद में अद्यतन के समय न्यूनतम डेटा का संग्रह करने के द्वारा, विशिष्ट पहचान प्रदान करना, बायोमेट्रिक डी-डुप्लीकेशन के बाद आधार नंबर जारी करना, उक्त पहचान रिकॉर्ड के जीवनचक्र परिवर्तनों का प्रबंध करना और पहचान सत्यापन के लिए आवश्यक विभिन्न ऐप्लिकेशन हेतु पहचान सत्यापन (ऑनलाइन अधिप्रमाणन) करने के संबंध में एक ऐप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (एपीआई) प्रदान करना सुनिश्चित करता है।

4.2.2 इष्टतम अनभिज्ञता के सिद्धांत के अनुपालन में, आधार कभी भी किसी अन्य जानकारी या ऐसा कोई विवरण एकत्र नहीं करता है जो किसी व्यक्ति की गोपनीयता के संबंध में चिंता का कारण बन सके। आधार नंबर एक यादृच्छिक संख्या है, जिसमें कोई खुफिया या प्रोफाइलिंग जानकारी अंतर्निहित नहीं है।

4.2.3 आधार का डिजाइन केवल पहचान पर ही आधारित है। शुद्ध पहचान प्लेटफार्म के रूप में आधार प्रणाली का डिजाइन आधार के संभावित दुरुपयोग के भ्रम को दूर करता है, जबकि व्यक्ति को आवश्यकता के अनुसार अपनी पहचान साबित करने के लिए आधार के उपयोग की अनुमति दी जाती है। यह आधार प्लेटफॉर्म पर बनाए जा सकने वाले विभिन्न अनुप्रयोगों और उपयोगिताओं को नया रूप देने और उनका उपयोग करने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म का प्रावधान भी करता है। आधार लिंकिंग के दौरान, संबंधित डेटाबेस, आधार नंबर धारक की स्पष्ट

सहमति के साथ केवल आधार आधारित सत्यापन करता है, किंतु तत्पश्चात उक्त डेटाबेस किसी भी जानकारी को साझा नहीं करता है, यहां तक कि भाविपप्रा के पास सत्यापन से संबंधित जानकारी भी नहीं होती है।

4.3 सुरक्षित प्रक्रिया के द्वारा आधार नामांकन

4.3.1 भाविपप्रा ने भारत के निवासियों का आधार नामांकन करने के लिए रजिस्ट्रारों एवं अधिकृत नामांकन एजेंसियों के जरिए राष्ट्रव्यापी अवसंरचना स्थापित की है। रजिस्ट्रार मुख्यतः सरकारी विभागों/एजेंसियों तथा सरकारी क्षेत्र के बैंकों से संबद्ध हैं। नामांकन एजेंसियों का चयन एक कड़ी चयन प्रक्रिया से किया जाता है। निवासी का नामांकन, भाविपप्रा प्रमाणित प्रचालक द्वारा भाविपप्रा के सॉफ्टवेयर पर अत्यधिक मजबूत, नियंत्रित, अपरिवर्तनीय एवं सुरक्षित प्रक्रिया से किया जाता है।

4.3.2 पूरे देश में निवासियों को, कड़ी जांच प्रक्रिया के आधार पर चुने गए प्रमाणित प्रचालको के जरिए ही आधार के लिए नामांकित किया जाता है। प्रचालक को भी पहले अपना आधार नंबर प्राप्त करना होता है और तत्पश्चात उसे अपनी अंगुलियों की छाप तथा आधार नंबर के जरिए प्रत्येक नामांकन को हस्ताक्षरित करना होता है। इस प्रक्रिया से यह पूरा लेखा-जोखा मिल जाता है कि कौन सा नामांकन कब, कहां, किस प्रचालक ने किया तथा उल्लंघन किए जाने के किसी मामले में प्रचालक एवं नामांकन एजेंसी के दायित्व को तत्काल निर्धारित किया जा सकता है। तत्पश्चात, व्यक्ति के एकत्रित बायोमेट्रिक डेटा का मिलान आधार धारकों, जो वर्तमान में 132.96 करोड़ से अधिक हैं, के विद्यमान डेटाबेस से किया जाता है और मिलान न होने पर ही, आधार नंबर सृजित किया जाता है। इतने बड़े पैमाने का बायोमेट्रिक मिलान 24 घंटे के भीतर हो जाता है।

4.3.3 बायोमेट्रिक सहित समस्त नामांकन डेटा को नामांकन के समय 2048 बिट एंक्रिप्शन कुंजी से ही कूटबद्ध कर दिया जाता है। इसके पश्चात कोई भी एजेंसी इसको एक्सेस नहीं कर सकती तथा भाविपप्रा द्वारा भी इसका एक्सेस केवल उपलब्ध सुरक्षित डिक्रिप्शन कुंजी के उपयोग से किया जा सकता है। अभी तक, ऐसी कोई घटना संज्ञान में नहीं आई है जिसमें आधार के डेटाबेस से किसी नामांकित निवासी के मूल बायोमेट्रिक का अनधिकृत एक्सेस करने की सूचना प्राप्त हुई हो।

4.4 सुरक्षित प्रक्रिया के द्वारा आधार अधिप्रमाणन

4.4.1 आधार अधिप्रमाणन प्रक्रिया से केवल हाँ/नहीं में प्रयुत्तर प्राप्त होते हैं। यह डेटा निजता को सुरक्षित रखते हुए निवासी के पहचान दावे के एप्लिकेशनों के द्वारा 'सत्यापन' करा देता है। सुविधा के सुनिश्चयन और साथ ही निवासी के पहचान डेटा के संरक्षण के लिए 'निजता एवं उद्देश्य' के बीच संतुलन अत्यन्त महत्वपूर्ण है। बाह्य प्रयोक्ता एजेंसियों को आधार डेटाबेस का एक्सेस नहीं है।

4.4.2 आधार ई-केवाईसी सेवा निवासी को, अपने आधार पत्र के इलेक्ट्रॉनिक संस्करण को साझा करने के लिए भाविपप्रा को अधिकृत करने की अनुमति देता है। आधार ई-केवाईसी के प्रत्येक अनुरोध के लिए, निवासी के सफल अधिप्रमाणन के बाद ही जनसांख्यिकीय और फोटो डेटा, इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में साझा किया जाता है।

4.5 संयोजन रहित न्यूनतम डेटा

4.5.1 आधार व्यवस्था में देश के प्रत्येक आधार धारक से संबंधित डेटा भाविपप्रा के केंद्रीय रिपॉजिटरी में होता है, अतः इसका डिजाइन न्यूनतम डेटा संग्रहण को ध्यान में रखकर इस प्रकार किया गया है कि इससे केवल पहचान संबंधी क्रियाकलाप (सृजन तथा अधिप्रमाणन) ही किए जा सकें। इस डिजाइन की अवधारणा इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए की गई है कि भाविपप्रा निवासियों की निजता का सम्मान करता है तथा अपनी व्यवस्था में गैर-अनिवार्य डेटा का संयोजन नहीं करता है। न्यूनतम डेटा (4 गुण - नाम, पता, लिंग, तथा जन्म तिथि तथा 2 गुण - वैकल्पिक डेटा - मोबाइल एवं ई-मेल) के अलावा इसके केंद्रीय डेटाबेस में आधार का उपयोग करने के संबंध में विद्यमान प्रणाली या ऐप्लिकेशन में कोई संयोजन उपलब्ध नहीं है।

4.5.2 यह न्यूनतर डिजाइन अनिवार्य रूप से डेटा के एक समूह का निमार्ण करता है जिसमें एक केंद्रीकृत मॉडल के अन्यत्र विभिन्न अनुप्रयोगों/प्रणालियों (निवासी डेटा के लिए एक संघीय मॉडल) में निवासी डेटा अंतर्निहित है, जिससे एकल प्रणाली के निवासी और उसके लेनदेन इतिहास का पूरा ज्ञान होने का जोखिम समाप्त हो जाता है।

4.6 डेटा का कोई एकीकरण नहीं

आधार तंत्र को विभिन्न प्रकार के डेटा का संग्रहण एवं पुल करने के लिए डिजाइन नहीं किया गया है और इस प्रकार यह ऐसा एकल केंद्रीय डेटा रिपॉटजिटरी नहीं बन सकता, जिसमें निवासियों के बारे में सभी जानकारी मौजूद हो। इसमें सूचनाओं (जैसे पैन नंबर, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, पीडीएस कार्ड नंबर, ईपीआईसी नंबर, इत्यादि) का कोई संयोजन किसी अन्य प्रणाली के साथ नहीं होता है। इस डिजाइन ने संव्यवहार डेटा को एक फेडरेटेड मॉडल में विशिष्ट सिस्टम में रहने की अनुमति दी है। यह तरीका विभिन्न एजेंसियों के स्वामित्व वाली कई प्रणालियों में वितरित सूचनाओं को रहने की अनुमति देता है।

4.7 इष्टतम अनभिज्ञता

4.7.1 आधार, संव्यवहार विवरण, अधिप्रमाणन उद्देश्य, बैंक खाता संख्या, बैंक विवरण, पसंद या नापसंद, जाति, पारिवारिक संबंध, धर्म, आय, पेशा, संपत्ति, शिक्षा, मोबाइल (संचार प्रयोजनों या आधार नामांकन ओटीपी भेजने के लिए भाविपप्रा के दौरान पंजीकृत एक के अन्यत्र), ऐसा कोई विवरण जो किसी व्यक्ति की गोपनीयता के संबंध में चिंता का कारण हो जैसे अन्य जानकारी एकत्र नहीं करता है। यहां तक कि जन्म की तारीख या किसी अन्य जानकारी जैसे कि प्रशासनिक सीमाओं (राज्य/जिला/तालुक) का उपयोग करके जन्म या निवास का स्थान, आधार संख्या में एम्बेडेड नहीं है। आधार नंबर एक यादृच्छिक संख्या है, जिसमें कोई खुफिया या प्रोफाइलिंग जानकारी अंतर्निहित नहीं है। 12 अंकों की संख्या को अगले कुछ शताब्दियों के लिए आबादी की पहचान की जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनाया गया है।

4.7.2 अधिप्रमाणन का डिजाइन इस प्रकार तैयार किया गया है कि इससे न तो अधिप्रमाणन का उद्देश्य और न ही किसी प्रकार के अन्य संव्यवहार संदर्भों की जानकारी आधार तंत्र को हो पाती है। आधार अधिप्रमाणन तथा इसके प्रचालन मॉडल का निर्माण शून्य-ज्ञान व्यवस्था के रूप में किया गया है तथा यह सुरक्षा से कोई समझौता किए बिना वैयक्तिक निजता की रक्षा, स्वतः ही संव्यवहार अपरिज्ञानी बन कर करता है। किसी एजेंसी द्वारा आधार नंबर धारक का अधिप्रमाणन करने मात्र से आधार तंत्र को अधिप्रमाणन के उद्देश्य अथवा स्थल की जानकारी प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त नहीं होता है। अतः आधार व्यवस्था को यह बिल्कुल ज्ञात नहीं हो पाता है कि आधार अधिप्रमाणन करने वाला व्यक्ति कोई बैंककर्मी है जो अपनी ड्यूटी पर स्वयं अपनी हाजिरी के लिए अधिप्रमाणन कर रहा है अथवा कोई अपने खाते को खोलने अथवा उसमें से धन अंतरण इत्यादि के लिए आधार अधिप्रमाणन कर रहा है।

4.8 स्थान की जानकारी नहीं

भाविपप्रा अधिप्रमाणन प्रणाली में स्थान की जानकारी नहीं होती है, अर्थात आधार अधिप्रमाणन उस स्थान से अंजान होता है, जहाँ से अधिप्रमाणन अनुरोध भेजा जाता है, जिसके फलस्वरूप किसी निवासी के ट्रैक होने का जोखिम समाप्त हो जाता है।

4.9 संघबद्ध डेटा मॉडल तथा एक-मार्गी संयोजन

4.9.1 इसके विशिष्ट डिजाइन के द्वारा यह सिस्टम सभी डोमेन विशिष्ट संव्यवहार डेटा युक्त आधार डेटाबेस को समाप्त कर देता है और इस तरह निवासी विशिष्ट संव्यवहार डेटा सामान्य डेटाबेस में विकेंद्रित रहने की बजाय सभी प्रयोक्ता एजेंसियों के बीच विकेंद्रित रहता है।

4.9.2 यहां यह भी नोट करना महत्वपूर्ण है कि विभिन्न तंत्र (आधार नंबर के उपयोग द्वारा) भाविपप्रा से संदर्भित होते हैं, परंतु भाविपप्रा द्वारा ऐसी प्रणालियों के लिए विपरीत संयोजन का अनुरक्षण नहीं किया जाता है। उदाहरण के तौर पर, बैंक खाता खोलते समय, बैंक को आधार नंबर दिया जाता है, परंतु भाविपप्रा, बैंक में धारित किसी डेटा अथवा बैंक खाता संख्या और न ही किसी बैंकिंग संव्यवहार विवरण तक एक्सेस नहीं कर सकता है। इस प्रकार, आधार सीडिंग एक प्रकार से कड़ी व्यवस्थित एकमार्गीय संयोजन है, जिसमें आधार नंबर का समावेश लाभार्थी के डेटाबेस से किसी प्रकार के डेटा से भाविपप्रा के डेटाबेस में पुलिंग के बिना संव्यवहार किया जाता है।

4.10. आधार डेटा की सुरक्षा

4.10.1 भाविपप्रा द्वारा विश्व की अत्यधिक उन्नत एंक्रिप्शन प्रौद्योगिकी के उपयोग से आधार डेटा का संव्यवहार एवं भंडारण करता है। आधार आधारित अधिप्रमाणन किसी भी समकालिक अन्य प्रणाली की तुलना में सुदृढ़ एवं सुरक्षित है। आधार व्यवस्था में से किसी भी आधार बायोमेट्रिक के दुरूपयोग की स्थिति में जांच करने एवं चोरी की पहचान तथा कार्रवाई करने की क्षमता उपलब्ध है।

4.10.2 भाविपप्रा के सर्वरों में से प्रमुख बायोमेट्रिक का उल्लंघन अथवा लीकेज की कोई घटना रिपोर्ट नहीं की गई है।

4.10.3 आधार डेटा सुरक्षा को नियमित सूचना सुरक्षा मूल्यांकन और विभिन्न ईको-सिस्टम साझेदारों की लेखापरीक्षा के जरिए और अधिक सुदृढ़ किया गया है।

4.11 भाविपप्रा आईएसओ 27001:2013 द्वारा प्रमाणित

भाविपप्रा ने अत्यधिक सुदृढ़ सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली स्थापित की है, तथा इसने एसटीक्यूसी से आईएसओ 27001:2013 प्रमाणन प्राप्त किया है।

4.12 आईएसओ/ आईईसी 29100:2011 एवं आईएसओ/ आईईसी 27701: 2019 का भाविपप्रा द्वारा अनुपालन

भाविपप्रा आईएसओ/आईईसी 29100:2011 (सूचना प्रौद्योगिकी - सुरक्षा तकनीक-केंद्रीय पहचान डेटा रिपोजिटरी (सीआईडीआर) के लिए गोपनीयता फ्रेमवर्क) का अनुपालन करता है और आईएसओ/आईईसी 27701:2019 (गोपनीयता सूचना प्रबंधन प्रणाली) के लिए प्रमाणित है।

4.13. 'संरक्षित प्रणाली' के रूप में सीआईडीआर अवसंरचना की घोषणा

निवासी डेटा की सुरक्षा के लिए भाविपप्रा-सीआईडीआर सूचना की सुरक्षा सर्वोपरि है। सूचना की गोपनीयता, सत्यनिष्ठा और उपलब्धता को नियंत्रणों के जरिए हर समय बनाए रखा जाता है, जो सूचना परिसंपत्तियों के अनुरूप है, ताकि सूचना प्रणाली को सभी प्रकार के जोखिमों से बचाया जा सके। भाविपप्रा की सुरक्षा को साइबर खतरे की खुफिया जानकारी के जरिए राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयकर्ता द्वारा भी सक्रिय रूप से सहयोग दिया जा रहा है।

4.14. सुशासन जोखिम अनुपालन एवं निष्पादन सेवा प्रदाता (जीआरसीपी-एसपी)

जीआरसीपी ढांचे का विजन, भाविपप्रा के संचालन के लिए एक मजबूत, व्यापक और सुरक्षित वातावरण के निर्माण की सुविधा प्रदान करना है। लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए, जीआरसीपी-एसपी दृश्यता, प्रभावकारिता और नियंत्रण के संदर्भ में भाविपप्रा और भागीदार ईको-सिस्टम की निगरानी के साथ भाविपप्रा प्रबंधन प्रदान करता है।

4.15 बाह्य ईकोसिस्टम भागीदारों की सूचना सुरक्षा का मूल्यांकन

भाविपप्रा की सुरक्षा को विभिन्न ईकोसिस्टम भागीदारों के नियमित सूचना सुरक्षा मूल्यांकन के जरिए और संवर्धित किया गया है।

4.16 भाविपप्रा में धोखाधड़ी प्रबंधन प्रणाली

भाविपप्रा में सुव्यवस्थित, बहुस्तरीय पहुंच युक्त सुदृढ़ धोखाधड़ी प्रबंधन प्रणाली स्थापित है। फोरेंसिक प्रयोगशाला की स्थापना होने से भाविपप्रा की धोखाधड़ी जांच क्षमता कई गुणा बढ़ गई है। भाविपप्रा एनएबीएल इंडिया से आईएसओ/आईईसी 17025 :2017 के तहत फारेंसिक लैब को मान्यता देने की प्रक्रिया में है।

5. आधार – सुशासन में उपयोग

5.1. आधार – शासन में सुधार हेतु एक उपकरण

5.1.1 वित्तीय समावेशन हेतु आधार: आधार नंबर एक विशिष्ट डिजिटल पहचान है, जिसे किसी व्यक्ति के जीवनकाल में बदला नहीं जा सकता है। बैंक खाते के साथ लिंक किए जाने पर, आधार किसी व्यक्ति का 'वित्तीय पता' बन जाता है, जो देश के वित्तीय समावेशन के लक्ष्य को पूरा करने में सहायता करता है। किसी व्यक्ति विशेष के बैंक खाते में कोई भी भुगतान अंतरित करने के लिए 12-अंकीय आधार नंबर पर्याप्त है। इस प्रकार यह अन्य ब्योरा यथा बैंक खाता, आईएफएससी कोड और बैंक शाखा विवरण सरकार/संस्थानों को देने की आवश्यकता को समाप्त कर देता है। यह किसी व्यक्ति को यह तय करने का अधिकार भी देता है कि वह किस बैंक खाते में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के तहत धन प्राप्त करना चाहता है, जिसे लाभार्थी द्वारा कभी भी बैंक खाता लिंकिंग फॉर्म, भारतीय बैंक संघ (आईबीए) द्वारा यथा अनुमोदित, को भरकर अपने आधार की एक प्रति जमा करने के द्वारा बदलवा सकता है। 19 दिसंबर 2017 से प्रक्रिया को सरल बनाने और खाताधारक की जानकारी के बिना किसी अन्य बैंक में डीबीटी से जुड़े बैंक खाते के हस्तांतरण की सुभेद्यता को कम करने के लिए कुछ बदलाव किए गए हैं। 31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार, एनपीसीआई मैपर पर [डेटा स्रोतः भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम - एनपीसीआई] 77.03 करोड़ से अधिक आधार को बैंक खातों से विशिष्ट रूप से जोड़ा गया है। ग्राफ 8, मई 2014 से बैंक खातों से विशेषकर जुड़े आधार नंबरों की प्रगति प्रदान करता है (डेटा स्रोतः एनपीसीआई)।

ग्राफ 8 – बैंक खातों से विशिष्ट रूप से जुड़े आधारों की प्रगति

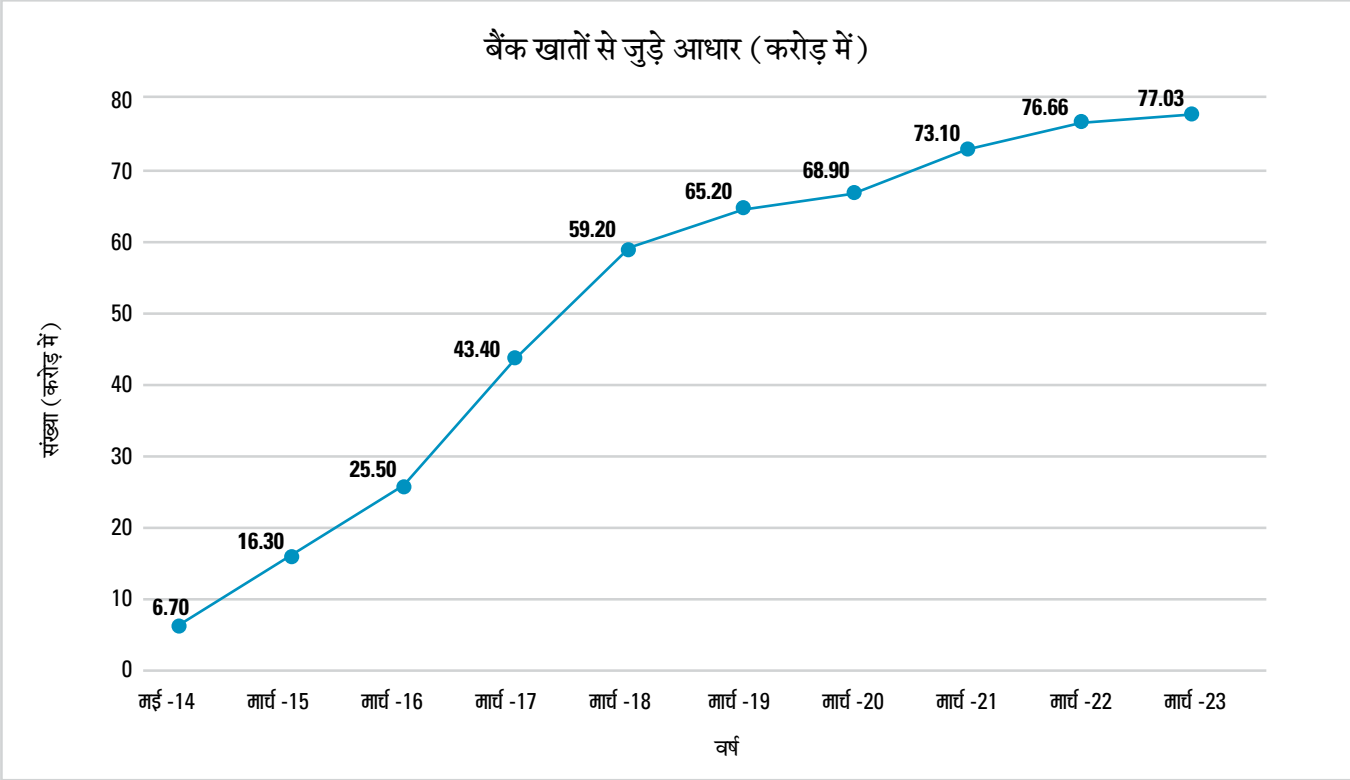

5.1.2 आधार का प्रयोग विभिन्न प्रकार की भुगतान प्रणालियां जैसे ऐईपीएस, एपीबी और भीम आधार विकसित की गई हैं और इनका संचालन बैंकिंग प्लेटफॉर्म के उपयोग से भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) द्वारा किया जा रहा है, जिनसे देश में वित्तीय समावेशन के लक्ष्य को प्राप्त करने में काफी सहायता मिली है। इनका संक्षेप में वर्णन निम्नलिखित खंडों में किया गया है।

5.1.3 आधार समर्थित भुगतान प्रणाली (एईपीएस): आधार समर्थित भुगतान प्रणाली या एईपीएस माइक्रो एटीएम में उपयोग किया जाने वाला प्लेटफॉर्म है, जो बैंकों द्वारा दूर-दराज के क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए बैंकों द्वारा नियुक्त बैंक मित्रों द्वारा क्रियान्वित किया जाता है। एईपीएस प्रत्येक व्यक्ति को केवल अपने आधार का उपयोग करके बुनियादी बैंकिंग लेनदेन जैसे निकासी, नकद जमा, अपने बैंक खाते से धन का हस्तांतरण आदि करने में सहायता प्रदान करता है। 31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार, 1670.41 करोड़ से अधिक सफलतापूर्वक संव्यवहार एईपीएस प्लेटफार्म पर किए गए हैं तथा 128 बैंकों और डाक विभाग द्वारा लगभग 43 लाख माइक्रो एटीएम उपलब्ध कराये गये हैं। यह उल्लेखनीय है कि 2021-22 की तुलना में एईपीएस संव्यवहार की कुल संख्या में संचयी रूप से 22.59 % की वृद्धि देखी गई है। इसने डोर-स्टेप बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने में अत्यधिक सुविधा प्रदान की और कोविड-19 महामारी के कारण लोगों की कठिनाइयों को कम करने में सहायता की। ग्राफ-9 में मई, 2014 से माइक्रो एटीएम में एईपीएस संव्यवहारों की प्रगति को दर्शाया गया है (डेटा स्रोतःएनपीसीआई)।

5.1.4 आधार भुगतान ब्रिज (एपीबी): आधार भुगतान ब्रिज अथवा एपीबी एक अन्य भुगतान प्रणाली है जिसका उद्देश्य मुख्य रूप से सरकार और निवासी दोनों पक्षों को, लाभ के साथ बैंकिंग लेनदेन से संबंधित चुनौतियों से निपटने में सहायता प्रदान करना है। यह मुख्यतः सरकार-से-नागरिक (जी2सी) तथा व्यवसाय-से-उपभोक्ता (बी2सी) का एक अंतरण प्लेटफार्म है, जिसमें किसी आधार धारक की निधियों का अंतरण मात्र उसकी आधार संख्या का उल्लेख करके ही किया जा सकता है। आधार से संबद्ध

ग्राफ 9 - एईपीएस संव्यवहार की प्रगति मई 2014 से

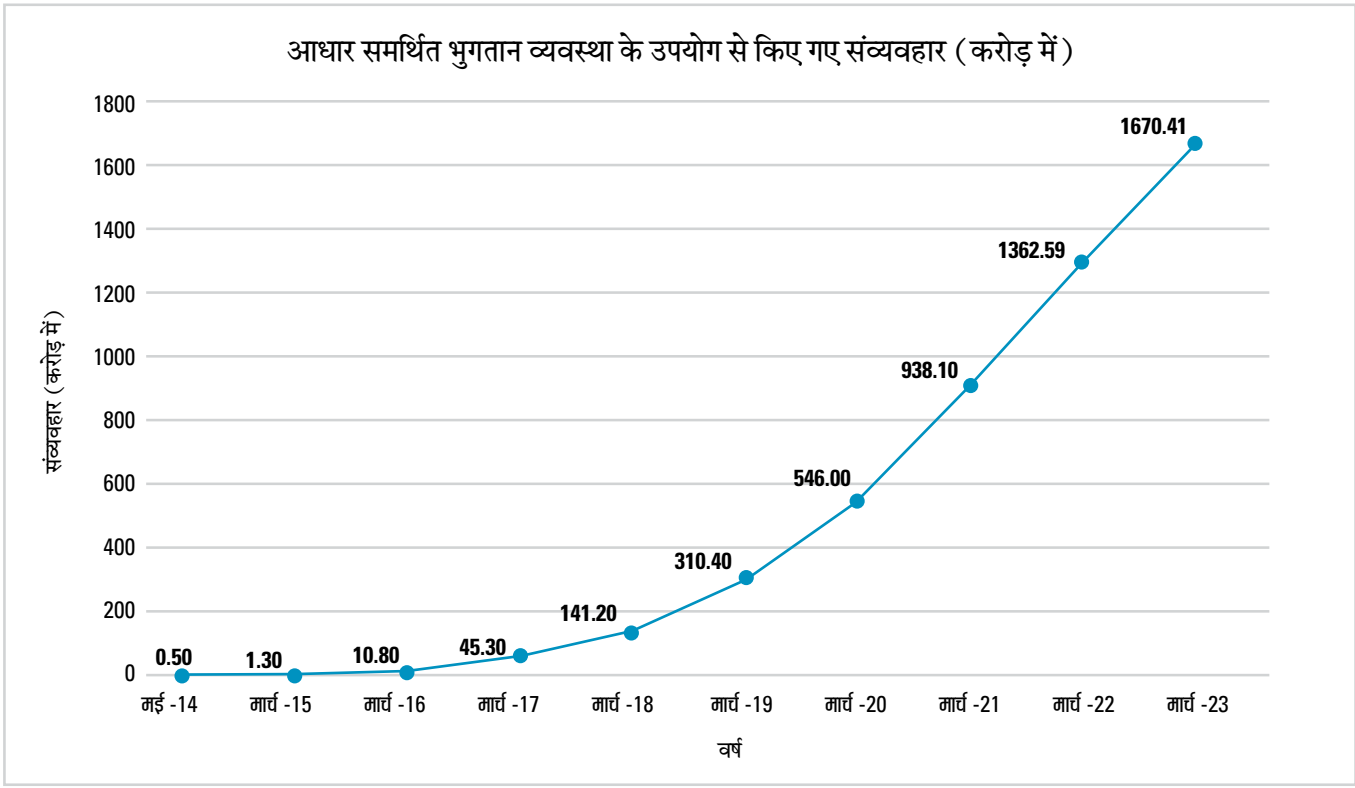

(लिंक) बैंक खातों में निधि का आधार भुगतान ब्रिज के माध्यम से स्वतः अंतरण हो पाता है।

5.1.5 ईको-सिस्टम स्तर पर, आधार भुगतान ब्रिज को पहले ही व्यापक स्वीकार्यता मिल चुकी है तथा अब यह भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एक अनुमोदित भुगतान व्यवस्था है। 31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार, 1303 बैंक आधार भुगतान ब्रिज से संबद्ध हैं, जिनमें सभी राष्ट्रीयकृत बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा कई सहकारी बैंक शामिल हैं। संचयी रूप से, 1077.24 करोड़ से अधिक का लेनदेन सफलतापूर्वक एपीबी पर किया गया है, जिसकी राशि 8,68,550.50 करोड़ रुपए है, जो पिछले साल (राशि 6,21,014 करोड़ रुपए) की तुलना में 40% की वृद्धि है। मई, 2014 से, लेन-देन क्रमशः ग्राफ 10 और 11 एपीबी की प्रगति और लेनदेन की संख्या को दशार्ते हैं (डेटा स्रोतः एनपीसीआई)।

5.1.6 भीम आधारः भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा विकसित, आधार-लिंक्ड भीम मोबाइल ऐप्प एकीकृत भुगतान इंटरफेस पर आधारित है। भीम आधार भुगतान व्यापारियों को, आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से काउंटर पर ग्राहकों से डिजिटल भुगतान प्राप्त करने में समर्थ बनाता है। यह ग्राहक के बायोमेट्रिक्स को प्रमाणित करके किसी भी बैंक के ग्राहक से भुगतान स्वीकार करने के लिए इसे किसी भी अधिग्रहणकर्ता बैंक से जुड़े किसी भी व्यापारी को भीम आधार पे पर लाइव होने की अनुमति प्रदान करता है। यह आंतरिक भुगतान के तरीके में बदलाव करता है, जिससे उन्हें तात्कालिक, सुरक्षित और सही मायने में डिजिटल रखा गया है।

5.1.7 कोई व्यापारी बैंक खाते और एक सामान्य कम-लागत के एंड्रॉइड स्मार्ट फोन के साथ लगभग 2,000 रुपए की बायोमेट्रिक डिवाइस प्राप्त करके और गुगल प्ले स्टोर ऐप से डाउनलोड करके एक डिजिटल व्यापारी बन सकता है, इस प्रकार एक व्यापारी ग्राहकों से कैशलेस भुगतान लेने में सक्षम होता है। वर्तमान में इसे 106 बैंकों द्वारा परिनियोजित किया गया है और 2.35 लाख से

ग्राफ 10 – आधार भुगतान ब्रिज से संव्यवहार की प्रगति

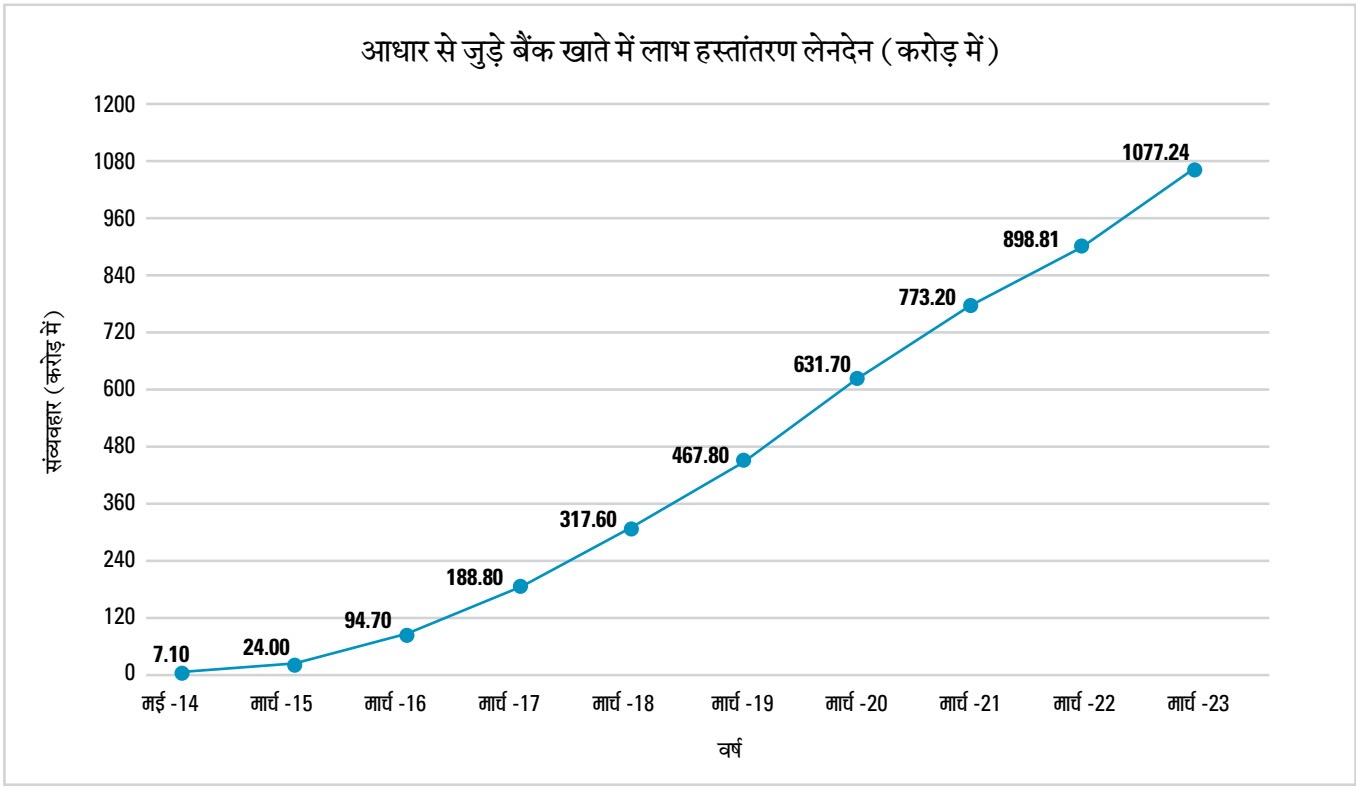

अधिक व्यापारी इसका सक्रिय रूप से उपयोग कर रहे हैं। 31 मार्च 2023 तक, इसके द्वारा कुल मिलाकर लगभग 7.81 करोड़ के लेनदेन किए गए हैं (डेटा स्रोत : एनपीसीआई)।

5.2 प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) में आधार

5.2.1 कल्याणकारी सेवाओं की अधिक पारदर्शी और कुशल ढंग में लक्षित डिलीवरी की प्राप्ति हेतु, भारत सरकार ने जनवरी 2013 के दौरान आधार भुगतान ब्रिज (एपीबी) और अन्य चैनलों के जरिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) को शुरू किया था। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के अधिकार के साथ संयुक्त त्रि-व्यवस्था जेएएम (जन-धन, आधार और मोबाइल) ने समाज के वंचित वर्गों को औपचारिक रूप से वित्तीय प्रणाली में शामिल कर दिया है, जिसके द्वारा पारदर्शी एवं जवाबदेह सुशासन, लोगों के विकास और सशक्तीकरण के पथ पर क्रांति आयी है।

5.2.2 प्रत्यक्ष लाभ अंतरण को केंद्रीय क्षेत्र और केंद्रीय रूप से प्रायोजित सभी योजनाओं के लिए चरणबद्ध तरीके से लागू किया गया है। लाभार्थियों के बैंक खातों से संबद्ध आधार हेतु नगद लाभों के अंतरण हेतु एपीबी पर विभिन्न डीबीटी योजनाएं लाभ ले रही हैं। 31 मार्च, 2023 के अनुसार, पहल (पीएएचएएल), मनरेगा इत्यादि सहित विभिन्न योजनाओं में 1077.24 करोड़ सफलतापूर्वक संव्यवहारों में 8,68,550.50 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया था (डेटा स्रोत : एनपीसीआई)।

ग्राफ 11 - आधार भुगतान ब्रिज से मूल्य संव्यवहार की प्रगति

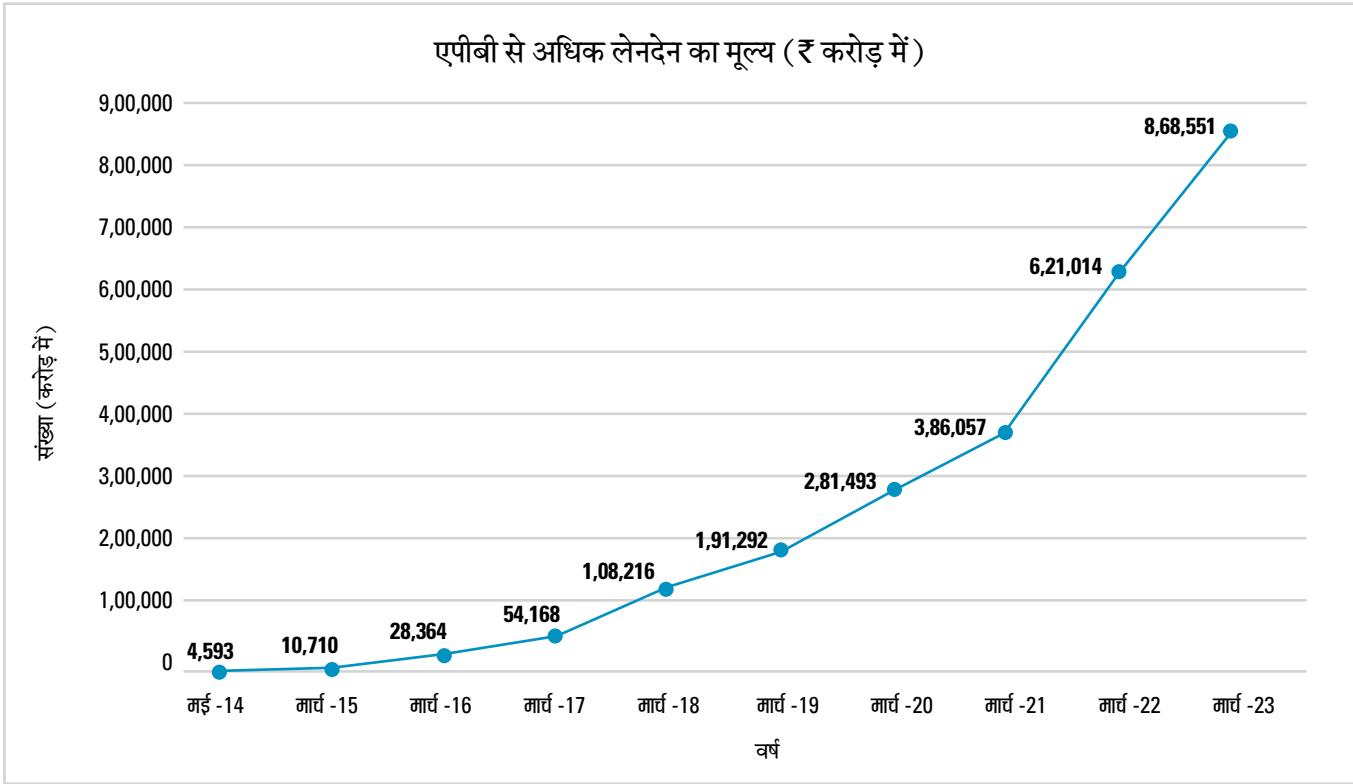

5.3 डीबीटी योजनाओं के लिए आधार अधिनियम 2016 की धारा 7 के तहत आधार का उपयोग

5.3.1 अधिनियम 2016 [आधार और अन्य कानून (संशोधन) अधिनियम, 2019 के द्वारा यथा संशोधित] की धारा 7 के तहत प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के अंतर्गत भारत के समेकित कोष या राज्य के समेकित कोष से वित्तपोषित किसी भी योजना के लिए आधार का उपयोग करने के लिए केंद्र सरकार या राज्य सरकार से संबंधित विभाग/मंत्रालय को पहचान के रूप में आधार को राजपत्र में एक अधिसूचना जारी करने की आवश्यकता होती है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा मंत्रिमंडल सचिवालय के निर्णय के अनुसार, भाविपप्रा को आधार अधिनियम 2016 के अनुपालन में संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा धारा 7 की अधिसूचनाओं के प्रारूपण एवं पुनरीक्षण कार्य को कानून और न्याय मंत्रालय की सम्यक विधीक्षा के साथ सुगम बनाने हेतु अधिदेशित किया गया है। 31 मार्च 2023 तक, केंद्र सरकार में 48 मंत्रालयों/विभागों ने आधार अधिनियम 2016 की धारा 7 के तहत 320 योजनाओं (केंद्रीय रूप से प्रायोजित या केंद्रीय क्षेत्र) को कवर करते हुए 185 अधिसूचनाएं जारी की हैं (डेटा स्त्रोतः egazette.nic.in)।

5.3.2 आधार और अन्य कानून (संशोधन) अधिनियम, 2019 के साथ अधिनियम 2016 की धारा 7 में संशोधन करके इसे समेकित कोष राज्य के लिए भी लागू किया जाएगा। तदनुसार, भाविपप्रा ने 25 नवंबर, 2019 को सभी राज्य समेकित निधि से वित्तपोषित योजनाओं के लिए आधार अधिनियम 2016 की धारा 7 के तहत आधार के उपयोग के संबंध में विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए हैं। वयस्कों और बाल लाभार्थियों के लिए दिशानिदेशों में, धारा 7 अधिसूचनाएं जारी करते समय मानक टेम्पलेट्स का अलग से उपयोग करते हुए राज्यों द्वारा पालन किए जाने वाले चरणों को रेखांकित किया गया है। 31.03.2023 तक, धारा 7 के अंतर्गत विभिन्न राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों द्वारा 1223 से अधिक योजनाएं अधिसूचित की गईं।

5.4 आधार अधिनियम 2016 (संशोधित) की धारा 4 के तहत राष्ट्र हित में निर्धारित उद्देश्यों के लिए आधार का उपयोग

आधार और अन्य कानून (संशोधन) अधिनियम, 2019 के तहत आधार अधिनियम 2016 की धारा 4 में भी संशोधन किया गया है, ताकि केंद्र सरकार प्राधिकरण के परामर्श से और राज्य के हित में, इस तरह के प्रयोजन के लिए आधार अधिप्रमाणन करने की अनुमति दे सके। इस संशोधन के अनुसरण में, 5 अगस्त, 2020 को सुशासन (सामाजिक कल्याण, नवप्रवर्तन, ज्ञान) के लिए आधार प्रमाणीकरण नियम, 2020 अधिसूचित किया गया, जिसके अंतर्गतकेंद्र/राज्य मंत्रालयों/विभागों की विभिन्न योजनाओं/पहलों के लिए सुशासन के हित में, सार्वजनिक धन के लीकेज को रोकने, निवासियों के सुलभ जीवन को बढ़ावा देने तथा उनके लिए सेवाओं की पहुंच को बेहतर बनाने के लिए, स्वैच्छिक तौर पर आधार प्रमाणीकरण की अनुमति प्रदान की गई है। इसके अलावा, इलेक्ट्रानिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने दिनांक 18.08.2020 के परिपत्र संख्या 13(6)/2018-ईजी-II (वॉल्यूम-II) के माध्यम से उपरोक्त नियमों के तहत आधार प्रमाणीकरण के उपयोग के प्रस्तावों को प्रस्तुत करने के लिए आवेदन प्रारूप और दिशानिर्देश जारी किए हैं। अधिसूचना के उपरांत, 31.03.2023 तक, केंद्र के 44 प्रस्तावों और राज्य सरकार के 95 प्रस्तावों को अनुमोदित किया गया है।

6. भाविपप्रा के संगठनात्मक मामले

6.1 यौन उत्पीड़न की रोकथाम संबंधी

6.1.1 कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीडन (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 की धारा 22 के अनुसार तथा कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा उनके दिनांक 2 फरवरी 2015 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 11013/2/2014-स्था.क-III में जारी किए गए अनुदेशों के अनुपालन में, वर्ष के लिए अपेक्षित जानकारी नीचे तालिका में दी गई है।

तालिका 10 - कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम (2022-23)

क्र. सं.	विवरण	वित्त वर्ष 2022-23
1	वर्ष में यौन उत्पीड़न के बारे में प्राप्त शिकायतें	शून्य
2	वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतें	01 (वित्तीय वर्ष 21-22 से संबंधित)
3	90 दिनों से अधिक समय से लंबित मामले	शून्य
4	यौन उत्पीड़न की निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष के लिए वर्ष के दौरान आयोजित जागरूकता कार्यक्रमों पर कार्यशालाएँ	01
5	कार्यवाही की प्रकृति	2021-2022 से संबंधित लंबित मामले का निपटारा किया गया। आईसीसी के फैसले के मुताबिक कर्मचारी के खिलाफ अनु-शासनात्मक कार्रवाई की गई और उसे उसकी भूमिका से बर्खास्त कर दिया गया।

6.1.2 उक्त अधिनियम और उसके प्रासंगिक नियमों/आदेशों के अनुरूप (माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित विशाखा दिशानिर्देश सहित), भाविपप्रा ने 'कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम संबंधी नीति' (पीओएसएच नीति) तैयार की है, जो भाविपप्रा की आधिकारिक वेबसाइट www.uidai.gov.in पर उपलब्ध है।

6.1.3 कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के अध्याय-II की धारा 4 के उपबंधों के अनुसार तीन वर्ष की अवधि समाप्त होने के फलस्वरूप भाविपप्रा में "आंतरिक शिकायत समिति" का पुनर्गठन किया गया।

6.2 भाविपप्रा में राजभाषा नीति का कार्यान्वयन

6.2.1 भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण अपने मुख्यालय और सभी 8 क्षेत्रीय कार्यालयों में भारत सरकार की राजभाषा नीति को लागू कर रहा है तथा राजभाषा अधिनियम और राजभाषा (संघ के आधिकारिक प्रयोजनों के लिए उपयोग) नियमों में परिकल्पित विभिन्न उपबंधों और इस संबंध में समय-समय पर जारी भारत सरकार के आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित कर रहा है।

6.2.2 वर्ष 2022-23 के दौरान, भाविपप्रा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी की अध्यक्षता में मुख्यालय में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की चार बैठकें आयोजित की गई, जिनमें अन्य मदों/विषयों के अलावा हिंदी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई और भाविपप्रा के मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों में सरकारी

कार्य में हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए निर्णय लिए गए। हिंदी के प्रगामी प्रयोग पर सरकार द्वारा गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग के वार्षिक कार्यक्रम 2022-23 में निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार हिंदी के उपयोग को बढ़ाने के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों को विशेष रूप से क्षेत्र 'क', 'ख' और 'ग' में, हिंदी में मूल पत्राचार करने के लिए आवश्यक दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।

6.2.3 नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, दिल्ली (मध्य-2) की क्रमशः 19 अगस्त, 2022 और 16 जनवरी, 2023 को आयोजित बैठकों में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, मुख्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने भागीदारी की।

6.2.4 समीक्षावधि के दौरान, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के अधिकारियों/कर्मचारियों को राजभाषा नीतियों/नियमों और अन्य विषयों पर जानकारी देने के लिए 04 कार्यशालाएं आयोजित की गईं। इन कार्यशालाओं में मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों के 136 से अधिक अधिकारियों और कर्मचारियों ने भाग लिया।

6.2.5 वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान, संसदीय राजभाषा समिति की दूसरी उपसमिति द्वारा क्रमशः 30.04.2022 और 04.01.2023 को दो क्षेत्रीय कार्यालय चंडीगढ़ और रांची का राजभाषायी निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान, समिति ने दोनो क्षेत्रीय कार्यालयों को दैनिक सरकारी कामकाज में हिंदी के उपयोग को बढ़ावा देने के सुझाव दिए। निरीक्षण के दौरान क्षेत्रीय कार्यालय चंडीगढ़ को दिए गए आश्वासन पूरे कर दिए गए हैं और अनुपालन रिपोर्ट संसदीय राजभाषा समिति को प्रस्तुत करने के लिए इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राजभाषा अनुभाग को भेज दी गई है। क्षेत्रीय कार्यालय रांची के संबंध में, आश्वासनों पर अनुपालन रिपोर्ट उचित समय पर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय/समिति के कार्यालय को भेजी जाएगी।

6.2.6 भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों में 16 से 29 सितंबर, 2022 के दौरान हिंदी पखवाडे.का आयोजन किया गया। हिंदी दिवस के अवसर पर, प्राधिकरण के सभी अधिकारियों/कार्मिकों के लिए भाविपप्रा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी की ओर से हिंदी संदेश प्रचालित किया गया। हिंदी पखवाड़े के दौरान भाविपप्रा मुख्यालय में पांच प्रतियोगिताएं आयोजित की गई, जिनमें 221 अधिकारियों/कर्मचारियों ने सक्रिय रूप से भाग लिया। 29 सितंबर, 2022 को आयोजित वार्षिक पुरस्कार वितरण कार्यक्रम में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भाविपप्रा द्वारा मुख्यालय के 29 विजेता अधिकारियों/कर्मचारियों को नकद पुरस्कार एवं प्रमाणपत्र प्रदान किए गए।

6.2.7 सरकारी कार्य में राजभाषा को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक वर्ष भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण मुख्यालय और उसके क्षेत्रीय कार्यालयों में हिंदी में नोटिंग और ड्राफ्टिंग प्रोत्साहन योजना लागू करता है। इस योजना के तहत भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण मुख्यालय के सात कर्मचारियों को योजना के अंतर्गत नकद पुरस्कार के लिए पात्र पाया गया और 29 सितंबर, 2022 को आयोजित वार्षिक पुरस्कार वितरण कार्यक्रम में विजेताओं को नकद पुरस्कार और प्रमाणपत्र से सम्मानित किया गया।

6.2.8 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, अधिकारियों को उनके दैनिक हिंदी कार्य में प्रवीण बनाने के लिए, मुख्यालय के राजभाषा अनुभाग/मानव संसाधन प्रभाग ने केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय/भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी 'पारंगत' प्रशिक्षण कार्यक्रम (21.10.2022 से 21.11.2022 और 16.01.2023 से 13.02.2023) प्रचालित किया। इन विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाविपप्रा द्वारा कुल 45 कार्मिकों को नामित किया गया और जिनमें से 36 अधिकारी/कर्मचारी अंतिम परीक्षा में शामिल हुए। दोनों प्रशिक्षण कार्यक्रम में, 34 कार्मिकों ने प्रथम स्थान और 2 कार्मिकों ने दूसरा स्थान प्राप्त किया।

6.2.9 राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय/भारत सरकार द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार संगठन के अंतर्गत हिंदी निरीक्षण के निर्धारित 25 प्रतिशत लक्ष्य के अनुपालन में, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के मानव संसाधन प्रभाग की राजभाषा दल ने दिनांक 09 फरवरी, 2023 को दो क्षेत्रीय कार्यालयों (गुवाहाटी और रांची) का निरीक्षण किया और दिनांक 27 से 28 फरवरी, 2023 को भाविपप्रा के मुख्यालय के 04 प्रभागों (प्रौद्योगिकी-क्क, विधि, नामांकन एवं अद्यतन-I और सीआरएम) का राजभाषाई निरीक्षण किया गया। सभी संबंधितों को आवश्यक अनुर्देश/ सुझाव और दिशानिर्देश जारी किए गए।

6.3 नागरिक चार्टर

यह संगठन की ओर से अपने सभी हितधारकों के प्रति प्रतिबद्धता रखते हुए विशिष्ट मानकों, गुणवत्ता और समय-सीमा के साथ नागरिकों को सेवाओं के वितरण की सुविधा प्रदान करने के लिए एक उपकरण है। नागरिक चार्टर की नियमित आधार पर समीक्षा की जाती है। भाविपप्रा की वेबसाइट पर निम्नलिखित लिंक पर नागरिक चार्टर प्रदान किया गया है: *https://uidai.gov.in/images/Citizen_Charter_January_23-06_03_2023.pdf*

नागरिक चार्टर को डाउनलोड करने के लिए स्केन करें

6.4 ज्ञान प्रबंधन पोर्टल

ज्ञान प्रबंधन मॉड्यूल (केएमएस) भाविपप्रा कर्मचारियों के बीच आंतरिक संचार, बेहतर सूचना विनिमय और टीमवर्क को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) द्वारा विकसित एक ऑनलाइन समुदाय आधारित मंच है। ज्ञान प्रबंधन सिस्टम में ज्ञान प्रबंधन डैशबोर्ड है जहां विभिन्न प्रभागों, क्षेत्रीय कार्यालयों और प्रबंधित सेवा प्रदाता द्वारा नवीनतम कार्यालय आदेश, परिपत्र, निविदाएं, अन्य भाविपप्रा संबंधित दस्तावेज आदि अपलोड किए जाते हैं।

6.5 नोडल आरटीआई प्रकोष्ठ

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (आरटीआई अधिनियम) के अनुसार, भाविपप्रा में मानव संसाधन प्रभाग के अंतर्गत आरटीआई प्रकोष्ठ सभी ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन/अपील/शिकायतों के साथ-साथ केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) से संबंधित मामलों को संसाधित करता है। साथ ही, इस संबंध में तिमाही रिपोर्ट तैयार की जाती है और उन्हें निदेर्शों के अनुसार सीआईसी को भेजा जाता है। वर्ष के दौरान, विभिन्न केंद्रीय लोक सूचना अधिकारियों (सीपीआईओ) और प्रथम अपीलीय अधिकारियों (एफएए) द्वारा क्रमशः 2659 आरटीआई आवेदनों और 389 अपीलों पर कार्रवाई की गई। भाविपप्रा के केंद्रीय लोक सूचना अधिकारियों (सीपीआईओ) और प्रथम अपीलीय प्राधिकरणों (एफएए) की सूची को भी आरटीआई अधिनियम, 2005 के अनुसार अन्य अनिवार्य मदों के साथ नियमित रूप से तैयार/अद्यतित किया जाता है और भाविपप्रा कीआधिकारिक वेबसाइटः www.uidai.gov.in पर 'आरटीआई' टैब के तहत पोस्ट किया जाता है।

6.6 भाविपप्रा की वेबसाइट

6.6.1 भाविपप्रा वेबसाइट (https://www.uidai.gov.in) भारत के निवासियों के लिए आधार ऑनलाइन सेवा विंडो है, साथ ही यह विभिन्न ईकोसिस्टम भागीदारों और बड़े पैमाने पर जनता के लिए प्राथमिक वेब सूचना केंद्र है। भारत में अधिकांश निवासी मोबाइल के जरिए आधार सेवाएं और संबंधित जानकारी चाहते हैं। उन मोबाइल उपयोगकताओं तक पहुंचने और आधार सेवाओं की पहुंच में सुधार सुनिश्चित करने के लिए, भाविपप्रा वेबसाइट और आधार सेवा पोर्टलों को हाल ही में नया रूप दिया गया है और इन्हें बहु-उपकरण अनुकूल बनाया गया है। इसके अलावा, देश की विविध जनसांख्यिकीय जानकारी अंग्रेजी, हिंदी और 11 भारतीय क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध है। वेबसाइट का लैंडिंग पृष्ठ, मुख पृष्ठ और अन्य सेवा पोर्टल अगले पृष्ठ पर दिखाए गए हैं-

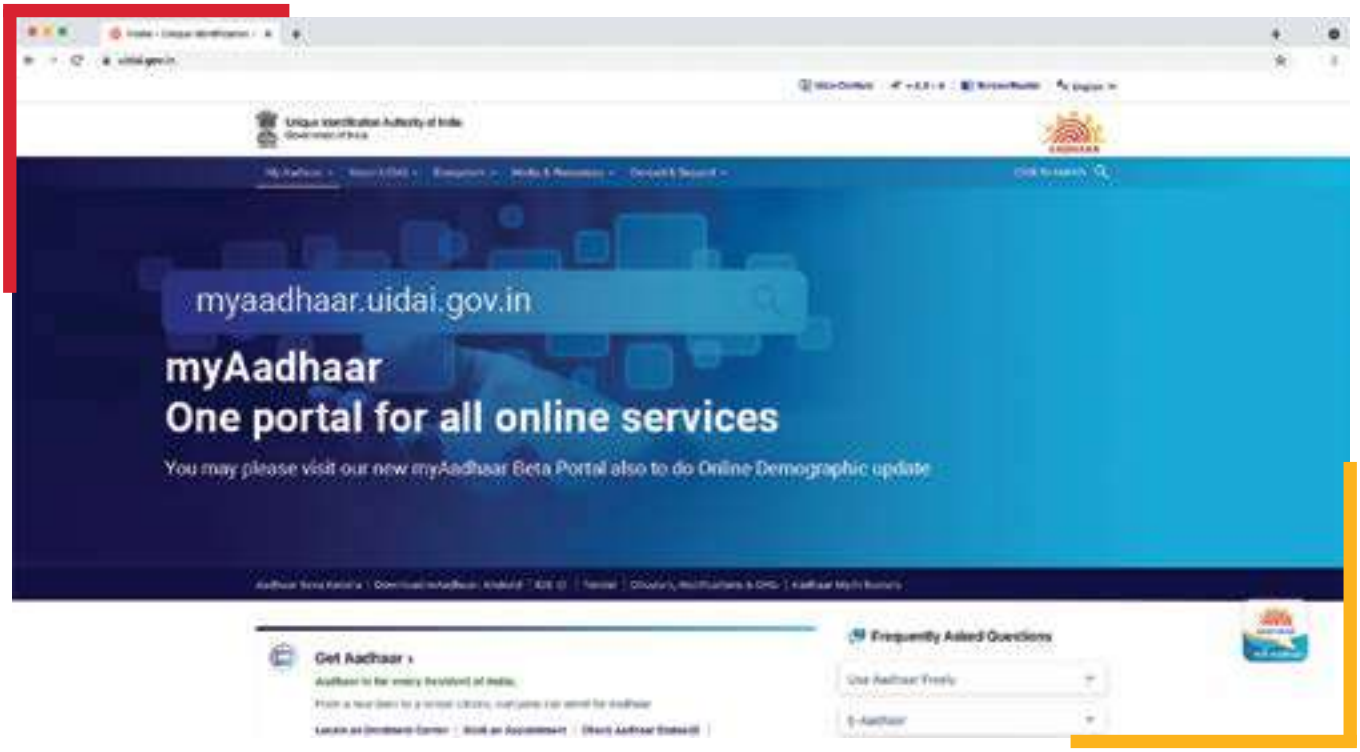

uidai.gov.in पर जाने के लिए स्कैन करें

6.6.2 भाविपप्रा वेबसाइट की निम्नलिखित विशेषताएं हैं:-

- उत्तरदायी यूएक्स यह सुनिश्चित करने के लिए है कि आधार सेवाओं और जानकारियों तक पहुँच बनाने के दौरान मोबाइल प्रयोक्ताओं को उपयोग का बेहतर अनुभव हासिल हो।
- सबसे अधिक मांग वाली आधार सेवाओं को वेबसाइट के अंतर्गत रखने के स्थान पर भाविपप्रा वेबसाइट आधार ऑनलाइन सेवाओं तक सीधे पहुंच प्रदान करती है। स्पष्ट इंफॉर्मेशन आर्किटैक्चर।
- दो-चरणीय निर्बाध नेविगेशन, सार्वभौमिक रूप से समझने योग्य लेबल और सर्च विशेषताएं यह सुनिश्चित करती हैं कि निवासियों को सही समय पर सही जानकारी प्राप्त हो सके।
- आधार नामांकन, अधिप्रमाणन प्रौद्योगिकियों, भाविपप्रा इकोसिस्टम पर सूचनात्मक दस्तावेज, जो नामांकन और अधिप्रमाणन प्रणालियों/प्रक्रियाओं और विभिन्न आधार सेवाओं पर प्रशासनिक और तकनीकी विवरण प्रदान करते हैं, वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।
- नवीनतम समाचारों, प्रेस विज्ञप्तियों, वीडियो, कार्यक्रमों, कार्यशालाओं और अभियानों, अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों आदि के नियमित अपडेट।
- वेबसाइट में संपर्क अनुभाग, मुख्यालय के साथ-साथ क्षेत्रीय कार्यालयों और तकनीकी केंद्रों में विभिन्न प्रभागों और पदाधिकारियों के संपर्क विवरण प्रदान करता है।
- वेबसाइट भारत सरकार की रैपिड असेसमेंट सिस्टम आरएएस के साथ एकीकृत है, जो उपयोगकर्ता को वेबसाइट और अन्य उपलब्ध आधार ऑनलाइन सेवाओं पर अपनी प्रतिक्रिया साझा करने के लिए एक पोर्टल प्रदान करती है। अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) अनुभाग निवासियों को मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए आधार सेवाओं पर विशिष्ट आधार सेवाओं से प्रासंगिक रूप से जुड़ा हुआ है। विभिन्न विषयों पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न 13 भारतीय भाषाओं जैसे - अंग्रेजी, हिंदी, असमिया, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और उर्दू में उपलब्ध कराए जाते हैं। वेबसाइट देश भर में सृजित आधार और किए गए अधिप्रमाणन की कुल संख्या से संबंधित विश्लेषण प्रदर्शित करती है। वेबसाइट डब्ल्यू3सी द्वारा सीएसएस और एचटीएमएल के लिए प्रमाणित है और वर्तमान में जीआईजीडब्ल्यू अनुपालन के लिए एसटीक्यूसी द्वारा इसकी लेखापरीक्षा की जा रही है। सोशल मीडिया अनुभाग निवासियों को नवीनतम अपडेट देखने और भाविपप्रा के फेसबुक और ट्विटर पृष्ठों में शामिल होने की सुविधा प्रदान करता है।

6.6.3 सामान्य रिपॉजिटरी के रूप में भाविपप्रा की वेबसाइट

भाविपप्रा वेबसाइट निम्नलिखित के लिए सामान्य रिपॉजिटरी के रूप में कार्य करती है :

- नीतियां, दिशानिर्देश, जांच-सूचियां और अन्य ऑन-बोर्डिंग दस्तावेज जो पारिस्थितिकी-तंत्र भागीदारों के लिए महत्वपूर्ण हैं, जो संसाधन खंड में उपलब्ध हैं।
- आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 और संबंधित नियमों, विनियमों, अधिसूचनाओं और परिपत्रों को विधि खंड के तहत प्रमुखता से रखा गया है।
- राज्य और गैर-राज्य रजिस्ट्रारों के साथ समझौता ज्ञापन, व्यावसायिक उपयोगकताओं के लिए निविदाएं और संबंधित दस्तावेज संसाधन खंड में नामांकन दस्तावेज और भाविपप्रा दस्तावेज के तहत उपलब्ध हैं।
- समाचार, प्रेस विज्ञप्ति, आधार से संबंधित अभियान, वीडियो और अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न, डाउनलोड करने योग्य प्रारूप में मीडिया खंड के अंतर्गत उपलब्ध हैं।

6.6.4 ऑनलाइन आधार सेवाओं और अन्य पोर्टलों तक सिंगल-पॉइंट एक्सेस

भाविपप्रा वेबसाइट निम्नलिखित सेवा, विश्लेषण और व्यवसाय पोर्टलों तक भी प्रत्यक्ष लिंक प्रदान करती है:-

- नामांकन केंद्र ढूंढें
- अपॉइंटमेंट बुक करें
- आधार स्थिति की जाँच करें
- आधार डाउनलोड करें
- खोया अथवा भूली हुई यूआईडी/ईआईडी प्राप्त करें
- आधार पीवीसी कार्ड आर्डर करें
- आधार पीवीसी कार्ड स्थिति की जांच करें
- नामांकन/अद्यतन केंद्र पर आधार अद्यतन कराएं
- आधार अद्यतन स्थिति की जांच करें
- जनसांख्यिकी डेटा अद्यतन करें और स्थिति की जांच करें
- आधार अद्यतन इतिहास
- आधार नंबर सत्यापित करें
- ई-मेल/मोबाइल नंबर सत्यापित करें
- आधार बैंक/एकाउंट लिंकिंग स्थिति की जांच करें
- वर्चुअल आईडी (वीआईडी) जेनरेटर
- बायोमेट्रिक लॉक/अनलॉक करें
- आधार लॉक और अनलॉक सेवा
- आधार अधिप्रमाणन इतिहास
- आधार पेपरलेस ऑफलाइन ई-केवाईसी
- एसएमएस पर आधार सेवाएं
- दस्तावेज अद्यतन

6.6.5 आधार डैशबोर्ड: विश्लेषणात्मक डैशबोर्ड आधार नामांकन, अद्यतन, अधिप्रमाणन और ई-केवाईसी सेवाओं के लिए वृहत डेटा प्रदर्शित करता है।

6.7 एकीकृत मोबाइल ऐप

भाविपप्रा ने एम-आधार ऐप का अपग्रेडेड वर्जन जारी किया है। ऐप एंड्रॉइड और आईओएस दोनों संस्करणों में उपलब्ध है और इसमें आधार सेवाओं जैसे ऑर्डर आधार पीवीसी कार्ड, क्यूआर कोड स्कैनर, अपॉइंटमेंट बुकिंग आदि की एक श्रृंखला विद्यमान है, जिन्हें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों विधि में एक्सेस किया जा सकता है। ऐप आधार धारक के लिए एक व्यक्तिगत खंड प्रदान करता है, जिससे धारक हर समय भौतिक प्रति रखने के बजाय सॉफ्टकॉपी के रूप में आधार की जानकारी लेकर चल सकता है। निवासी आधार के साथ या आधार के बिना इस ऐप को अपने स्मार्ट फोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। हालांकि, वैयक्तिक आधार सेवाओं का लाभ उठाने के लिए निवासी को ऐप में अपना आधार प्रोफाइल पंजीकृत करना होगा। देश के विभिन्न भाग में निवासियों तक पहुंच बनाने के लिए इस ऐप को अंग्रेजी, हिंदी और 11 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध कराया गया है।

6.8 ई-ऑफिस कार्यान्वयन

प्रशासन प्रभाग ने भाविपप्रा के समस्त कार्यालयों में ई-ऑफिस को सफलतापूर्वक लागू किया है, जिसके परिणामस्वरूप फाइल वर्क 100% पेपरलेस हो गया है। ई-ऑफिस की औपचारिक रूप से शुरूआत 15 सितंबर, 2020 को एनआईसी की सहायता से की गई थी और एप्लिकेशन को इसके भुवनेश्वर डेटा सेंटर में होस्ट किया गया है। कार्यालय का काम ई-ऑफिस के माध्यम से करने के इस ऑनलाइन माध्यम ने कार्यालय प्रक्रिया को बहुत तेज, सरल और निर्बाध बना दिया है, जो महामारी परिदृश्य के दौरान अनिवार्य रूप से सहायक है।

7. 2022-23 की प्रमुख विशेषताएं और पहल

7.1 भुवन आधार सेवा केंद्र पोर्टल

7.1.1 आधार अधिनियम के अनुसार, कई विभिन्न प्रकार के आधार केंद्र हैं, जो नामांकन और अद्यतन सेवाएं, जनसांख्यिकीय अद्यतन, बाल आधार नामांकन, मोबाइल अपडेट आदि जैसी विभिन्न सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। केंद्रों का यह वर्गीकरण सार्वजनिक डोमेन में आसानी से उपलब्ध नहीं था तथा निवासियों इन सेवाओं को हर स्थान पर उपलब्ध मान रहे थे। निवासी आधार केंद्रों के विजुअल प्रतिनिधित्व, स्थान आधारित खोज मानदंड और मार्ग नेविगेशन सुविधाओं की मांग कर रहे थे। उपरोक्त सभी का निवारण करने के उद्देश्य से, भाविपप्रा ने 04 जुलाई,2022 को एनआरएससी, इसरो के सहयोग से 'भुवन आधार' पोर्टल को लॉन्च किया।

भुवन पोर्टल के व्यापक लाभ इस प्रकार हैं:

- नेविगेशन कार्यक्षमता के साथ आधार केंद्रों का भूस्थानिक-प्रदर्शन।
- निवासी के स्थान के अनुसार नजदीकी नामांकन केंद्रों का विवरण प्रदान करना।
- केंद्र प्रकार, पिनकोड, राज्य, जिला और उप-जिला जैसे व्यापक खोज मापदंड।
- पोर्टल नामांकन केंद्रों की विभिन्न श्रेणियों को प्रदर्शित करने के लिए रंग कूटबद्ध आइकन का भी उपयोग करता है।
- अंतराल क्षेत्रों की पहचान करना (तहसील उप-स्तर) जहां नामांकन और अद्यतन केंद्र स्थापित किए जाने हैं।

भुवन आधार पोर्टल का लैंडिंग पृष्ठ

7.2 गुणवत्ता जांच प्रक्रिया का सुदृढ़ीकरण:

7.2.1 एपीआई सेतु एकीकरण: गुणवत्ता जांच प्रक्रिया को सुदृढ़ करने के लिए, भाविपप्रा ने आधार नामांकन एवं अद्यतन के लिए निवासी द्वारा प्रस्तुत सहायक दस्तावेज की प्रामाणिकता के सत्यापन के संबंध में डिजिलॉकर और गुणवत्ता जांच पोर्टल के मध्य एकीकरण कार्य पूरा कर लिया है। वर्तमान में भाविपप्रा द्वारा सत्यापन के लिए डिजिटलॉकर में संग्रहीत 'ड्राइविंग लाइसेंस' और 'सीबीएसई मार्क-शीट' का उपयोग किया जा रहा है।

7.3 2022-23 के लिए अधिप्रमारण इकोसिस्टम की मुख्य विशेषताएँ

7.3.1 डिजी यात्रा: माईटी ने डिजि यात्रा में पंजीकरण के लिए आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 की धारा 4 की उप-धारा 4 के खंड (ख) के उप-खंड (ii) के तहत ऑनलाइन प्रमाणीकरण के लिए नागर विमान मंत्रालय (एमओसीए) के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

7.3.2 पर्यटन उद्योग: पर्यटन मंत्रालय ने आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 की धारा 4 की उप-धारा 4 के खंड (ख) के उप-खंड (ii) के तहत दिनांक 11.11.2022 की राजपत्र अधिसूचना के अंतर्गत यह अधिसूचित किया है कि केंद्र सरकार द्वारा अधिकृत पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार एतद्वारा, अधिसूचित करता है कि राष्ट्रीय एकीकृत डेटाबेस आतिथ्य उद्योग (निधि) पोर्टल निम्नलिखित उद्देश्य के लिए स्वैच्छिक रूप से आधार प्रमाणीकरण करेगा: -

- आवेदकों का प्रमाणीकरण।
- प्रतिरूपण/प्रॉक्सी आवेदकों की रोकथाम।

7.3.3 कैदियों का कल्याण: गृह मंत्रालय ने दिनांक 06.03.2023 की राजपत्र अधिसूचना के जरिए आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम 2016 की धारा 4 की उप-धारा 4 के खंड (ख) के उप-खंड (ii) के तहत यह अधिसूचित किया है कि जेल के कैदियों के लिए अन्य बातों के साथ-साथ 'हां/नहीं' प्रमाणीकरण सुविधा का उपयोग करते हुए, उन्हें विभिन्न लाभों/सुविधाओं जिनके वे हकदार हैं, जैसे सुधारात्मक उपाय, स्वास्थ्य, कौशल विकास, व्यावसायिक प्रशिक्षण, रिश्तेदारों के साथ बातचीत, कानूनी सहायता आदि की डिलीवरी के लिए आधार प्रमाणीकरण किया जाएगा। साथ ही, यह भी अधिसूचित किया जाता है कि राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों के जेल विभागों को कैदियों के आधार प्रमाणीकरण करने की अनुमति है।

7.4 घरेलू और वैश्विक आउटरीच

7.4.1 जी-20 कार्यक्रम के आयोजनों में भागीदारी: जी-20 शिखर सम्मेलन प्रत्येक वर्ष एक रोटेटिंग प्रेसीडेंसी के नेतृत्व में आयोजित किया जाता है। भारत के पास 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक जी20 की अध्यक्षता है। जी20 की अध्यक्षता वाला देश एक वर्ष के लिए जी20 एजेंडा का संचालन करता है और पूरे वर्ष मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और सभ्य समाजों के बीच शिखर सम्मेलन और बैठकों की मेजबानी करता है। इसमें दो समानांतर ट्रैक शामिल हैं: फाइनेंस ट्रैक और शेरपा ट्रैक। सभी जी20 गतिविधियों के समग्र समन्वय को पूरा करने के लिए, भाविपप्रा मुख्यालय में उपमहानिदेशक(एयू) की अध्यक्षता में एक समर्पित जी20 प्रकोष्ठ स्थापित किया गया था। भाविपप्रा ने निम्नलिखित जी20 कार्यक्रम के आयोजनों में भाग लिया है:

क्र. स.	विवरण	कार्यक्रम	प्रकार	स्थान
1	9-11 जनवरी, 2023	वित्तीय समावेशन के लिए वैश्विक भागीदारी के लिए बैठक,	स्टॉल	कोलकाता
2	13-15 फरवरी, 2023	डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप	स्टॉल और स्पीकर	लखनऊ
3	22-25 फरवरी, 2023	फाइनेंस और सेंट्रल बैंक डिप्टी (एफसीबीडी) तथा वित्त मंत्री एवं सेंट्रल बैंक गवर्नर (एफएमसीबीजी) की बैठक	स्टॉल	बेंगलुरु
4	1-3 मार्च 2023	भ्रष्टाचार-रोधी कार्य समूह	स्टॉल और स्पीकर	गुरूग्राम
5	30 मार्च से 02 अप्रैल, 2023	दूसरी जी20 शेरपा बैठक	स्पीकर	कुमारकोम

7.4.2 आईआईआईटी-बी (एमओएसआईपी) के साथ समझौता ज्ञापन: भाविपप्रा ने दिनांक 2.6.2022 को मॉड्यूलर ओपन-सोर्स आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म (एमओएसआईपी) की मेजबानी कर रहे अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, बेंगलुरू (आईआईआईटी-बी) के साथ समझौता ज्ञापन किया है। समझौता ज्ञापन का उद्देश्य निवासी केंद्रित सेवाओं में सुधार करने, उन्नत प्रौद्योगिकियों के अंगीकरण का पता लगाने, आधार के उपयोग की विधियों में सुधार करने, अंतर्राष्ट्रीय आउटरीच क्रियान्वित करने, ज्ञान को साझा करने और सर्वोत्तम परिपाटियों का प्रसार करने के लिए पारस्परिक शक्तियों का उपयोग करना है। समझौता ज्ञापन का विस्तृत कार्यक्षेत्र निम्नानुसार है:

- अंतर्राष्ट्रीय डिजिटल पहचान मानकों के विकास, मानकीकरण के अंतर्राष्ट्रीय निकायों के लिए प्रस्ताव और प्रस्तावित मानकों को प्रदर्शित करने के लिए सैंडबॉक्स/टेस्ट बेड के निर्माण में सहयोग।
- मुक्त डिजिटल पहचान प्लेटफार्मों और मुक्त मानकों पर डिजिटल पहचान प्रणाली बनाने की आवश्यकता वाले अन्य देशों को सहायता प्रदान करना।
- आधार में एमओएसआईपी और अन्य ओपन-सोर्स प्रौद्योगिकियों के उपयोग की खोज और सुविधाओं का उपयोग।
- विकास और सहयोग का कोई अन्य क्षेत्र, जिस पर परस्पर सहमति हो।

7.4.3 ग्लोबल फिनटेक फेस्ट (जीएफएफ) में भागीदारी: ग्लोबल फिनटेक फेस्ट (जीएफएफ 2022) का तीसरा संस्करण, संयुक्त रूप से 19-22 सितंबर 2022, को मुंबई में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई), पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया (पीसीआई) और फिनटेक कन्वर्जेंस काउंसिल (एफसीसी) द्वारा आयोजित किया गया। भाविपप्रा ने जीएफएफ में 'आधार उपयोग में नए क्षितिज की खोज - फिनटेक के लिए अवसर' शीर्षक से एक विशेष सत्र आयोजित किया। इस कार्यक्रम में, भाविपप्रा ने उद्योग और सरकार दोनों के लाभ के लिए आधार-समर्थित ऑफलाइन केवाईसी के अधिक उपयोग को बढ़ावा देने के लिए अपनी कुछ प्रस्तावित पहलों और उदाहरणों को प्रस्तुत किया। प्रस्तुति को उद्योग जगत द्वारा विधिवत सराहा गया था।

7.4.4 अंतर्राष्ट्रीय निकायों के साथ कार्य: भाविपप्रा 2022-23 में विश्व बैंक, लैटिन अमेरिकी और कैरेबियन काउंसिल ऑफ सिविल रजिस्ट्री, आइडेंटिटी एंड वाइटल स्टैटिस्टिक्स आदि जैसे अंतर्राष्ट्रीय निकायों के साथ सक्रिय रूप से कार्यरत रहा जिसने विश्व स्तर पर लोगों के लिए आधार और इसकी ताकत को प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान किया। फिलीपींस, मैक्सिकन, मिस्र, गाम्बिया, कजाकिस्तान, मालदीव, नेपाल, वियतनाम, त्रिनिदाद और टोबैगो और स्विट्जरलैंड जैसे कुछ देशों ने अपने नागरिकों के लिए आईडी विकसित करने के लिए भाविपप्रा के अनुभव से सीखने में सक्रिय रुचि दिखाई है।

7.4.5 केन्या सरकार के साथ कार्य: केन्या सरकार के अनुरोध पर, भाविपप्रा और विदेश मंत्रालय के अधिकारियों से युक्त एक प्रतिनिधिमंडल ने 16.02.2023 से 19.02.2023 के दौरान केन्या का दौरा किया। उपमहानिदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय (हैदराबाद) और निदेशक (एयू प्रभाग) ने केन्या के राष्ट्रपति और उनके मंत्रियों को भारत में आधार के कार्यान्वयन के संबंध में जानकारी दी। केन्या सरकार ने, केन्या में इसी तरह के यूआईडी कार्यान्वयन को दोहराने की तीव्र इच्छा व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय ने केन्या विशिष्ट डिजिटल पहचान कार्यक्रम सहयोग के कार्यान्वयन के लिए केन्या सरकार और भारत सरकार के बीच एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) के मसौदे का प्रस्ताव किया है। भाविपप्रा ने इस कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

7.4.6 केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों और राज्य सरकारों के साथ आधार अभिविन्यास कार्यशालाएं: भाविपप्रा ने आधार के बारे में जागरूकता बढ़ाने और सरकारी योजनाओं में आधार के उपयोग से संबंधित मुद्दों का निवारण करने के लिए केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के साथ कई कार्यशालाएं आयोजित की हैं। इस संबंध में केंद्रीय मंत्रालयों के साथ 22.4.2022 को अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में और राज्य सरकारों के साथ 1.6.2022 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में 'आधार उपयोग के सरलीकरण की नवीन पहलें' विषय पर कार्यशाला आयोजित की गई। भाविपप्रा ने अगस्त से नवंबर, 2022 के दौरान भाविपप्रा मुख्यालय में प्रमाणीकरण और उपयोग ईकोसिस्टम तंत्र पर केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के साथ सात अभिविन्यास कार्यशालाएं भी आयोजित की हैं। पहले चरण में, 34 मंत्रालयों ने कार्यशाला में भाग लिया और 221 योजनाओं पर चर्चा की गई। दूसरे चरण में, जनवरी-फरवरी 2023 के दौरान 16 मंत्रालयों ने भाग लिया और आयोजित तीन कार्यशालाओं में लगभग 105 योजनाओं पर चर्चा की गई। इसी तरह की कार्यशालाएं क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा भी राज्य सरकारों के साथ आयोजित की गईं। भाविपप्रा के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा 31 राज्यों को शामिल करते हुए 25 कार्यशालाएं आयोजित की गईं।

7.5 आधार ईकोसिस्टम का सुदृढ़ीकरण और नवीन पहलें

भाविपप्रा ने मानेसर और बेंगलुरु में अत्याधुनिक डेटा केंद्रों की स्थापना की है जो उद्योग की अग्रणी सर्वोत्तम परिपाटियों और मानकों के अनुरूप हैं। भाविपप्रा डेटा केंद्र में स्थापित ऑन-प्रिमाइस प्राइवेट क्लाउड, भाविपप्रा सेवाओं की उच्च संव्यहार और परिचालन संबंधी आवश्यकताओं का समर्थन करने के लिए अत्यधिक सुरक्षित, मापनीय और लोचदार है। भाविपप्रा क्लाउड को ओपन-सोर्स टूल का उपयोग करके तैयार किया गया है और विभिन्न व्यावसायिक अनुप्रयोगों में आंतरिक उपभोग के लिए आईएएएस और पीएएएस सेवाएं प्रदान करता है। क्लाउड डेटा केंद्र प्रबंधन, डिजिटल कार्यप्रवाह, मॉनीटरिंग, प्रावधान और एसएलए प्रबंधन प्रक्रियाओं के सभी पहलुओं से युक्त पूर्णतया स्वचालित वास्तविक समय मॉनीटरिंग प्रणालियों से समर्थित है। ऑन-प्रिमाइस निजी क्लाउड सेवाओं में स्थानांतरण से नागरिक केंद्रित सेवाओं में और संवर्धन करने तथा सुशासन को सुगम बनाने में सहायता मिलेगी। इससे भाविपप्रा के अंतर्गत आवर्धन और क्षमता विकास को समर्थ करने के लिए अत्यधिक मापनीय और लोचदार मंच भी सुनिश्चित होगा। भाविपप्रा के प्रौद्योगिकी केंद्र ने नामांकन, प्रमाणीकरण प्रक्रिया आदि में आधार ईकोसिस्टम प्रणालियों को सुदृढ़ करने के लिए विभिन्न परियोजनाएं/गतिविधियां शुरू की हैं।

7.5.1 नामांकन गुणवत्ता समीक्षा में राज्य सरकार की ऑनबोर्डिंग: आधार प्रणाली के सुदृढ़ीकरण की दिशा में, भाविपप्रा ने आधार की क्षमता का उपयोग करने वाले बुनियादी ढांचे और अनुप्रयोगों को विकसित करने के लिए कई राज्य सरकारों के साथ सक्रिय रूप से सहयोग किया है। इस सतत प्रयास के अंश के रूप में, वयस्क निवासियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों और विवरणों को, निवासियों का आधार नंबर सृजित करने से पूर्व संबंधित राज्य सरकारों और संघ राज्य-क्षेत्रों (यूटी) को उनकी सहमति के लिए साझा किया जा रहा है। इस प्रक्रिया को एनआईसी के सर्विस प्लस प्लेटफॉर्म के जरिए सुविधाजनक बनाया गया है। वर्तमान में, यह पहल 21 राज्यों/संघ

राज्य-क्षेत्रों के लिए सक्रिय है और शेष 15 राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों को आने वाले दिनों में रोल आऊट किया जाएगा।

7.5.2 आधार प्लेटफॉर्म पर नियंत्रित नामांकन: आधार नामांकन प्रक्रिया, भारत की डिजिटल पहचान प्रणाली का एक महत्वपूर्ण घटक, में सुरक्षा और अखंडता के सुदृढ़ीकरण में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। 20 फरवरी 2023 से वयस्क निवासियों के नए नामांकन की सुविधा कुछ नामांकन केंद्रों तक सीमित थी। इस उपाय का उद्देश्य आधार डेटा की विश्वसनीयता और विश्वसनीयता को सुनिश्चित करना, व्यक्तियों की गोपनीयता और हितों की रक्षा करना है।

7.5.3 नामांकन एवं अद्यतन प्रक्रिया के लिए क्रियान्वित संवर्धित सत्यापन प्रणाली: अत्याधुनिक तकनीक के साथ विकसित गुणवत्ता जांच (क्यूसी) पोर्टल अक्तूबर 2022 में शुरू किया गया था। यह पोर्टल क्यूसी विक्रेताओं के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में कार्य करता है, जो लगभग 500 ऑपरेटरों को रोजगार प्रदान करता है, और ये ऑपरेटर निवासियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों को मैन्युअल रूप से सत्यापित करते हैं। क्यूसी प्रणाली, सत्यापन परिणामों का उपयोग निवासी अनुरोधों को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए करती है, तत्पश्चात आधार सृजित करने या उसे अस्वीकार करने की प्रक्रिया तदनुसार शुरू होती है। यह पोर्टल प्रभावशाली क्षमताओं का दावा करता है, इसमें प्रतिदिन 10 लाख पैकेट को संभालने की क्षमता है।

अपनी दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया के अंश के रूप में, क्यूसी प्रणाली दस्तावेज जारीकर्ता प्राधिकारियों के साथ संपर्क करने के लिए एपीआई सेतु इंटरफेस का उपयोग करती है। यह निर्बाध एकीकरण, सिस्टम को निवासियों द्वारा प्रदान किए गए दस्तावेजों की प्रामाणिकता को कुशलतापूर्वक सत्यापित करने में समर्थ बनाता है।

7.5.4 भाविपप्रा में निवासी दस्तावेजों की सटीकता में सुधार: अगस्त 2022 में, निवासियों को आधार डेटाबेस में अपने सहायक दस्तावेजों को अपडेट करने की अनुमति देने का निर्णय लिया गया। इस पहल का उद्देश्य पहचान प्रमाण (पीओआई) और पते के प्रमाण (पीओए) के नवीनतम दस्तावेजों को एकत्र करने के द्वारा जानकारी की सटीकता सुनिश्चित करना है। निवासी आसानी से माईआधार पोर्टल और ईसीएमपी ग्राहकों के माध्यम से अपने अपडेट दस्तावेज जमा कर सकते हैं। इस सुविधा के फलस्वरूप निवासियों का सुदृढ़ीकरण, डेटा एकीकरण में सुधार, और आधार रिकॉर्ड के अनुरक्षण में अभिवृद्धि सुनिश्चित हुई। इसके कार्यान्वयन के बाद से, दस्तावेज अपडेट सुविधा ने आधार प्रणाली को सुदृढ़ किया है और एक भरोसेमंद पहचान प्रणाली के रूप में इसकी विश्वसनीयता को मजबूत किया है।

7.5.5 यूनिफाइड मोबाइल एप्लिकेशन फॉर न्यू-एज गवर्नेंस (उमंग) के साथ एकीकरण: भारत के सभी नागरिकों को सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करने के लिए डिजिटल इंडिया पहल के एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में उमंग ऐप को डिजाइन किया गया है। यह विभिन्न सरकारी सेवाओं तक पहुंचने के लिए वन-स्टॉप प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करता है, जिससे उपयोगकर्ता भुगतान, पूरा पंजीकरण, जानकारी की खोज और आवेदन पत्र को ऐक्सेस कर सकते हैं। अपने उपयोगकर्ता के अनुकूल इंटरफेस और चौबीसों घंटे की उपलब्धता के साथ, ऐप का उद्देश्य सरकारी सेवाओं को आम जनता के लिए आसानी से ऑनलाइन प्रदान करना है। उमंग ऐप डिजिटल गवर्नेंस को बढ़ावा देने और देश भर के नागरिकों के लिए सुविधा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

उमंग में 11 आधार सेवाओं को शामिल किया गया है:-

- आधार डाउनलोड करें
- प्रोफाइल (डाउनलोड आधार का हिस्सा)
- ऑफलाइन ई-केवाईसी
- वर्चुअल आईडी सृजित करें
- भुगतान इतिहास
- प्रमाणीकरण इतिहास

- बॉयोमेट्रिक लॉक/अनलॉक करें
- आधार सत्यापित करें
- आधार नामांकन/अद्यतन स्थिति की जांच करें
- ईमेल/मोबाइल सत्यापित करें
- खोया हुआ ईआईडी/यूआईडी पुनः प्राप्त करें

7.5.6 सैंडबॉक्स वातावरण: आधार 2.0 कार्यशाला के अंश के रूप में, भाविपप्रा ने एक ग्राउंड-ब्रेकिंग पहल: सैंडबॉक्स वातावरण की शुरूआत की। इस अभिनव स्पेश विशेष रूप से डिजाइन, सुगम ऐक्सेस प्रदान करने और आधार स्टैक के साथ निर्बाध रूप से एकीकृत अनुप्रयोगों को विकसित करने का अवसर प्रदान करने के द्वारा नए प्रवेशकों को सशक्त बनाने के लिए किया गया था। सैंडबॉक्स वातावरण ने एक समर्पित नेटवर्क स्पेस के रूप में कार्य किया, जहां ईकोसिस्टम तंत्र भागीदार आसानी से भाविपप्रा एपीआई को एकीकृत और परीक्षण कर सकते हैं, जिससे व्यवसायों और विकासकर्ताओं के लिए समान रूप से वैश्विक स्तर की संभावनाएं प्राप्त होती हैं। इस वातावरण का लाभ लेते हुए, विकासकर्ता समुदाय अपने अनुप्रयोगों में आधार प्रमाणीकरण सेवाओं के निर्बाध एकीकरण को सुनिश्चित करते हुए, नए व्यावसायिक परिदृश्यों एवं प्रवाहों का पता लगाने और उसका अनुमान करने में समर्थ था। इस दूरगामी सोच वाले दृष्टिकोण के कारण न केवल सहयोग को बढ़ावा मिला बल्कि विभिन्न उद्योगों में परिवर्तनकारी समाधानों का मार्ग भी प्रशस्त हुआ।

7.5.7 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग (एआई/एमएल) पर आधारित एप्लिकेशन:

- भाविपप्रा की टीम ने उंगली, चेहरे और आईरिस अधिप्रमारण के लिए मॉड्यूल विकसित किए हैं। इन प्रौद्योगिकियों में भाविपप्रा प्रणाली के अंतर्गत अधिप्रमारण सटीकता और धोखाधड़ी की रोकथाम में सुधार करने की संभावना है।
- स्वामित्व समाधानों पर निर्भरता को कम करने के लिए, भाविपप्रा स्वदेशी स्वचालित बायोमेट्रिक पहचान प्रणाली (एबीआईएस) मॉड्यूल विकसित करने के लिए सॉफ्टवेयर विकास एजेंसी (एसडीए) में सक्रिय रूप से कार्यरत है।
- भाविपप्रा ने टचलेस फिंगर ऑथेंटिकेशन (ऑफलाइन) तकनीक की प्रगति के लिए संकेंद्रित अनुसंधान और विकास प्रयासों को सुगम बनाने के लिए आईआईटी बॉम्बे के साथ एक कार्यनीतिक समझौता ज्ञापन (एमओयू) किया है।
- उंगली की जीवंतता, हमारे उन्नत धोखाधड़ी संसूचक मॉड्यूल, ने वास्तविक और नकली फिंगरप्रिंट के बीच सटीक रूप से अंतर करके हमारी प्रमाणीकरण प्रक्रिया में विशेष रूप से अभिवृद्धि की है।

7.5.8 बीआई (बिजनेस इंटेलिजेंस): भाविपप्रा में सीईओ डैशबोर्ड को डेटा-संचालन निर्णयन क्षमताओं के साथ वरिष्ठ प्रबंधन को सशक्त बनाने के लिए लॉन्च किया गया था। यह नामांकन, अपडेट और प्रमाणीकरण डेटा पर विस्तृत रिपोर्ट प्रदान करता है, जो विभिन्न रजिस्ट्रारों द्वारा प्रस्तुत ग्रेनुलर अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। डैशबोर्ड मुख्य मैट्रिक्स की निगरानी, प्रवृत्तियों की पहचान करने और दक्षता बढ़ाने तथा भाविपप्रा की सेवाओं के सुचारू कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए निरंतर सुधार करने में समर्थ बनाता है।

7.5.9 अन्य प्रौद्योगिकी उन्नति: निजी क्लाउड रोलआउट के अंश के रूप में, ऐप्लिकेशंस को कुबेरनेट्स (के8) पर अधिक आधुनिक बनाया जा रहा है और कंटेनर तैयार जा रहा है। डेटा केंद्र (डीसी) संचालन का निरंतर स्वचालन, कुबेरनेट्स, ईएलके, प्रोमेथियस, ग्रेफना, जम्माद, कैलिको आदि जैसे उद्योग के अग्रणी ओपनसोर्स टूल के माध्यम से ऑर्केस्ट्रेशन और निगरानी के लिए किया जा रहा है। सूचना प्रौद्योगिकी अवसंरचना पुस्तकालय (आईटीआईएल) फ्रेमवर्क को सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं के समग्र जीवनचक्र रोलआउट के लिए अपनाया गया है। ऐप्लिकेशंस के त्वरित, सुरक्षित और निर्बाध परिनियोजन के लिए उन्नत देव-सेक-ऑपरेशन की योजना बनाई जा रही है और उसे निष्पादित किया जा रहा है। बेहतर प्रमाणीकरण निवासी अनुभव के लिए तीसरे

डेटा केंद्र की स्थापना की योग्यता और आवश्यकता की संभावना तलाशी जा रही है।

7.5.10 अतिरिक्त विशेषताओं के साथ नए बीएसपी की ऑनबोडिंग: भाविपप्रा ने बायोमेट्रिक डी-डुप्लीकेशन के उद्देश्य से 2009 में अपनी स्थापना के बाद से बायोमेट्रिक समाधान लागू किया था। नई तकनीकी प्रगति और उद्योग में उपलब्ध नवीनतम सुविधाओं का लाभ लेने के साथ, भाविपप्रा ने 150 करोड़ से अधिक बायोमेट्रिक गैलरी के लिए 02 जनवरी 2023 से अपनी नई स्वचालित बायोमेट्रिक पहचान प्रणाली (एबीआईएस) लागू की है। भाविपप्रा ने अपनी तकनीकी और कार्यात्मक आवश्यकता को पूरा करने के लिए अपने ईकोसिस्टम के अंतर्गत तीन एबीआईएस समाधान लागू किए हैं। पुराने एबीआईएस समाधानों में डी-डुप्लीकेशन के लिए फिंगरप्रिंट और आईरिस थे। भाविपप्रा ने अब बेहतर परिणामों के लिए फिंगरप्रिंट और आईरिस के साथ चेहरे को भी एक नए साधन के रूप में पेश किया है। वर्तमान प्रणाली डी-डुप्लिकेशन करने और मिश्रित बायोमेट्रिक्स, स्वैप्ड और इनवर्टेड फिंगरप्रिंट, इनवर्टेड आईरिस आदि जैसी विभिन्न विसंगतियों की पहचान करने में सक्षम है। इसमें खराब गुणवत्ता वाले बायोमेट्रिक्स पर डी-डुप्लिकेशन करने और इसे सत्यापित करने के लिए परिणाम देने के लिए अत्याधुनिक एल्गोरिदम भी है। इन विशेषताओं के अलावा, नया एबीआईएस संयुक्त स्केल स्कोर के साथ व्यक्तिगत साधन-वार डी-डुप्लीकेशन मिलान स्कोर सृजित करता है, जिसे पहले एबीआईएस द्वारा सृजित नहीं किया गया था। इस नए साधन-वार मिलान स्कोर के साथ, एबीआईएस ऐप्लिकेशंस के बेहतर परिणाम या सुधार के लिए अधिक विश्लेषण किया जा सकता है।

वर्तमान में भाविपप्रा प्रतिदिन 1 मिलियन से अधिक डी-डुप्लिकेशन करने में सक्षम है। नई प्रणाली आईएसओ 2005 मानक के अनुसार कैप्चर किए गए बायोमेट्रिक्स को संसाधित करने के अनुकूल है और भावी तालमेल रखने के लिए, इसे आईएसओ 2011 प्रारूप के अनुकूल बनाया गया है। यह अत्याधुनिक बायोमेट्रिक समाधान, आधार ईकोसिस्टम का केंद्र है और भविष्य के लिए तैयार है।

7.6 मेक इन इंडिया पहल और एसईटीएस के साथ समझौता ज्ञापन

आईटी और आईएस उपकरणों के लिए अधिकांश प्रस्ताव विदेशी मूल उपस्कर निमार्ता (ओईएम) से हैं। इससे आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन (वितरण में देरी) और समर्थन समस्याओं से संबंधित मुद्दें सामने आते हैं। इसके अतिरिक्त, उद्योग जगत के नेताओं द्वारा अन्य देशों में उत्पादन की ऑफ-शोरिंग के कारण एम्बेडेड कोड या मैलवेयर से जुड़े आपूर्ति श्रृंखला जोखिमों की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा, साइबर सुरक्षा उत्पादों को विकसित करने की आवश्यकता है, जो प्रमात्रा कंप्यूटिंग प्रौद्योगिकी की प्रगति के साथ उत्पन्न होने वाले आगामी साइबर सुरक्षा खतरों को नियंत्रित कर सकते हैं।

मेक इन इंडिया पहल के एक अंश के रूप में, सुरक्षा क्षेत्र में आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए स्वदेशी फर्मों और ओईएम की सहायता करने पर भाविपप्रा द्वारा विचार किया गया है। भाविपप्रा ने बेंगलुरु स्थित भाविपप्रा डेटा केंद्र में एक पीओसी परिवेश स्थापित किया है, ताकि भारतीय मूल उपस्कर निर्माता (ओईएम) को अपने उत्पादों और क्षमताओं का प्रदर्शन करने की सुविधा प्राप्त हो सके। दो भारतीय मूल उपस्कर निर्माता (ओईएम) ने पहले ही अपने उत्पाद का पीओसी शुरू कर दिया है।

भाविपप्रा सरकारी संगठनों द्वारा स्वदेशी साइबर सुरक्षा उत्पादों के अनुसंधान और विकास की सुविधा भी प्रदान कर रहा है। सोसाइटी फॉर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन एंड सिक्योरिटी (एसईटीएस) भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय के तहत काम करने वाली एक संस्था है। एसईटीएस साइबर सुरक्षा और प्रमात्रा कंप्यूटिंग और क्रिप्टोग्राफी के क्षेत्र में उत्पादों के अनुसंधान और विकास में शामिल है। भाविपप्रा और एसईटीएस अधिकारियों की आपस में विस्तृत चर्चा हुई है और प्रमात्रा कंप्यूटिंग और क्रिप्टोग्राफी केंद्रित नवप्रवर्तन, साइबर सुरक्षा के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट और ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी आदि के क्षेत्र में सहयोग और संयुक्त अनुसंधान के लिए एसईटीएस और भाविपप्रा के बीच 23 मार्च 2023 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

7.7 वर्ष 2022-23 में सीआरएम और संभारिकी ईकोसिस्टम में प्रमुख विकास

सीआरएम सॉफ्टवेयर एप्लिकेशन: भाविपप्रा ने 2022-23 में नई ओपन सोर्स सीआरएम प्रणाली विकसित की है, जिसमें निवासियों के लिए भाविपप्रा के सेवा वितरण में संवर्धन करने की आधुनिक विशेषताएं हैं। इस प्रणाली में फोन कॉल, ईमेल, चैटबॉट, वेब पोर्टल, सोशल मीडिया, पत्र और वॉक-इन जैसे कई चैनलों का समर्थन करने की क्षमता है, जिसके माध्यम से शिकायतों को पंजीकृत, ट्रैक और प्रभावी ढंग से हल किया जा सकता है। इसके माध्यम से, भाविपप्रा ने ऐसे केंद्रीकृत शिकायत निवारण तंत्र की ओर कदम बढ़ा दिया है, जहां भाविपप्रा के सभी क्षेत्रीय कार्यालय और प्रभाग विभिन्न चैनलों के माध्यम से सीआरएम केस निर्माण और समाधान के लिए एक ही प्लेटफार्म का उपयोग कर रहे हैं।

भाविपप्रा की इन-हाउस ओपन सोर्स सीआरएम प्रणाली 135 करोड़ से अधिक निवासियों को प्रभावी ढंग से सेवा प्रदान करने में सहायता कर रही है और यह निवासियों को सेवा वितरण के क्षेत्र में प्रमुख है।

7.7.1 नई सीआरएम प्रणाली के बारे में एक संक्षिप्त जानकारी: भाविपप्रा की नई सीआरएम प्रणाली अत्याधुनिक ओपन सोर्स सीआरएम समाधान है और डिजाइन में भविष्योन्मुखी है जिसमें कई अनूठी विशेषताएं शामिल हैं। नई सीआरएम प्रणाली का डिजाइन निवासियों को भाविपप्रा के सेवा वितरण को बढ़ाने को ध्यान में रखते हुए आधुनिक सुविधाओं के साथ किया गया है।

नए सीआरएम समाधान में फोन कॉल, ईमेल, चैटबॉट, वेब पोर्टल, सोशल मीडिया, पत्र और वॉक-इन जैसे कई चैनलों का समर्थन करने की क्षमता है, जिसके माध्यम से शिकायतों को दर्ज किया जा सकता है, उन्हें ट्रैक किया जा सकता है और उनका हल प्रभावी ढंग से किया जा सकता है।

नए सीआरएम सिस्टम में आंतरिक सेवा सुधार के लिए कई मॉड्यूल जैसे मानक प्रतिक्रिया टेम्पलेट (एसआरटी), चैटबॉट प्रतिक्रिया टेम्पलेट (सीआरटी), रिपोर्टिंग मॉड्यूल, गुणवत्ता ऑडिटिंग के लिए गुणवत्ता मॉड्यूल, प्रदर्शन का ट्रैक रखने के लिए मोबाइल ऐप, वास्तविक समय के प्रदर्शन डेटा को ट्रैक रखने के लिए वॉलबोर्ड और डैशबोर्ड भी शामिल हैं।

7.7.2 नई सीआरएम प्रणाली की मुख्य विशेषताएं: भाविपप्रा ने आधार नामांकन और अद्यतन, प्रमाणीकरण, संभारिकी और अन्य सेवाओं से संबंधित निवासी के प्रश्नों और शिकायतों को संभालने के लिए एक बहु-चैनल केंद्रीकृत शिकायत हैंडलिंग तंत्र स्थापित किया है, जहां एक निवासी संपर्क और अपनी शिकायत दर्ज करने के लिए फोन, ईमेल, चैट, पत्र और वेब पोर्टल जैसे कई चैनलों के माध्यम से भाविपप्रा तक पहुंच सकता है, जो पिछले सीआरएम समाधान में उपलब्ध नहीं था। इस नवाचार ने शिकायतों से निपटने को केंद्रीकृत बना दिया है।

आधार संपर्क केंद्र और अन्य आंतरिक प्रभागों की सेवा डिलीवरी की गुणवत्ता को मापने के लिए, सीआरएम में एक समर्पित गुणवत्ता मॉड्यूल तैयार किया गया है। गुणवत्ता विश्लेषक, आधार संपर्क केंद्र और अन्य आंतरिक प्रभागों की प्रतिक्रियाओं की लेखापरीक्षा कर सकता हैं। लेखापरीक्षा पर प्रतिक्रिया साझा करना, लेखापरीक्षक का ऑडिट करना, अन्य पक्ष की लेखापरीक्षा, कई चैनलों की लेखापरीक्षा के लिए सहायता और डेटा की सैंपलिंग जैसी विशेषताएं नए समाधान पर बनाई गई हैं। फोन, ईमेल, चैटबॉट, सोशल मीडिया, आंतरिक प्रभाग केस क्लोजर और अन्य को कवर करने वाले इस मॉड्यूल के जरिए चैनलों की लेखापरीक्षा की जा सकती है। इस मॉड्यूल का डिजाइन निवासियों को समग्र सेवा वितरण में सुधार को ध्यान में रखते हुए किया गया है।.

नई डिजाइन की गई सीआरएम प्रणाली को ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम आदि जैसे विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के साथ एकीकृत किया गया है, जहां निवासी समाधान के लिए अपने प्रश्नों/शिकायतों को उठाने के लिए भाविपप्रा से संपर्क कर सकते हैं। नए डिजाइन में भावना विश्लेषण भी शामिल है, जो भाविपप्रा की प्रतिक्रिया के प्रति निवासियों की भावनाओं और राय पर विचार करता है।

नया सीआरएम का डिजाइन आधुनिक रिपोर्टिंग सुविधाओं के साथ किया गया है, जो उपयोगकर्ता को दृश्य विश्लेषण, रिपोर्टों की ऑटो शेड्यूलिंग, संगठनात्मक आवश्यकता के अनुसार रिपोर्ट के

अनुकूलन में समर्थ बनाता है, डैशबोर्ड सुविधा का निर्माण व्यक्तिगत उपयोगकताओं को एक नजर में उनके कार्यनिष्पादन की जानकारी देने के लिए किया गया है। वॉलबोर्ड का डिजाइन संपर्क केंद्रों और भाविपप्रा के शीर्ष प्रबंधन को वास्तविक समय डेटा को प्रदर्शित करने के लिए किया गया है। शीर्ष प्रबंधन के लिए डेटा रिपोर्टिंग सुविधा के साथ मोबाइल ऐप्प भी सीआरएम के कार्यनिष्पादन पर नजर रखने के लिए शुरू किया गया है।

निवासियों को कई चैनलों के माध्यम से प्रतिक्रिया साझा करने का अधिकार दिया गया है, जो पिछले सीआरएम समाधान में सीमित था। निवासी एसएमएस, वेब, ईमेल, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आदि के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया साझा कर सकते हैं।

सर्वेक्षण की अतिरिक्त विशेषता को नई सीआरएम प्रणाली में संसाधित किया गया है, जिसमें वेब, ईमेल, एसएमएस, सोशल मीडिया, वॉयस ब्लास्ट सुविधा के माध्यम से निवासी सर्वेक्षण करने की सुविधा है, जहां पूरी तरह से स्वचालित सर्वेक्षण प्रतिक्रियाएं एकत्र की जाती हैं और मानवीय हस्तक्षेप के बिना रिपोर्ट सृजित की जाती हैं।

निवासियों के अनुभव को बेहतर बनाने और शिकायतों के समाधान के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर जवाबदेही तय करने से, लॉग को कैप्चर करने के साथ-साथ टर्नअराउंड टाइम (टीएटी) के माप को नए सीआरएम में शुरू किया गया है। इस कार्यक्षमता में टीएटी का उल्लंघन होने की स्थिति में अगले उच्च स्तर के अधिकारियों को एसएमएस / ईमेल के माध्यम से अलर्ट भेजने का प्रावधान किया गया है।

7.7.3 सीपीजीआरएएमएस: सार्वजनिक शिकायतों का निवारण करने के लिए डीएआरपीजी द्वारा प्रकाशित रैंकिंग रिपोर्ट में भाविपप्रा सभी ग्रुप ए मंत्रालयों, विभागों और स्वायत्त निकायों के बीच लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। भाविपप्रा को पिछले 8 महीनों में से 7 बार पहला स्थान प्रदान किया गया है। भाविपप्रा के लिए सीपीजीआरएएमएस पीजी का औसत समापन समय ~10 - 15 दिन है।

क्र. स.	विवरण	माह							
		अगस्त,22	सितंबर,22	अक्तूबर,22	नवंबर,22	दिसंबर,22	जनवरी,23	फरवरी,23	मार्च,23
1.	रैंक	प्रथम	प्रथम	प्रथम	प्रथम	प्रथम	द्वितीय	प्रथम	प्रथम
2.	जीआरआई स्कोर	62.60%	62.74%	64.31%	64.62%	65.03%	57.36%	61.26%	62.22%

7.7.4 संभारिकी और सीआई डिवीजन: संभारिकी एंड सीआई डिवीजन ने ई एंड यू डिवीजन के कहने पर 20 फरवरी, 2023 को पता सत्यापन पत्र (एवीएल) सेवा की प्रिंटिंग के लिए अनुबंध कार्य आदेश दिया है। निवासी को इस पता सत्यापन पत्र (एवीएल) की सूचना डाक विभाग की स्पीड पोस्ट सेवा के जरिए दी जाएगी।

7.8 प्रशासन प्रभाग की मुख्य विशेषताएं

7.8.1 भाविपप्रा में आधार समर्थित बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली (एईबीएएस): आधार समर्थित बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली (एईबीएएस) से संबंधित भारत सरकार के दिशानिदेर्शों के अनुसार, भाविपप्रा मुख्यालय uidai.attendance.gov.in प्रशासन प्रभाग पोर्टल का प्रबंधन कर रहा है। इस संबंध में की गई आवश्यक कार्रवाई इस प्रकार है:-

- भाविपप्रा संगठन में एईबीएएस प्रणाली को नियंत्रित और प्रबंधित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से मुख्यालय द्वारा मानक प्रचालन क्रियाविधि (एसओपी) जारी की गई है।
- एईबीएएस पोर्टल में संगठन (भाविपप्रा) में शामिल होने पर नए कार्मिकों (अर्थात सरकारी/गैर-सरकारी/

अनुबंधित) का पंजीकरण इस संबंध में विद्यमान दिशानिदेर्शों के अनुसार किया जाता है।

- भाविपप्रा में कार्मिकों (अर्थात सरकारी/गैर-सरकारी/अनुबंधित) की एईबीएएस आईडी का सक्रियण, निष्क्रियता, स्थानांतरण भी एसओपी/दिशानिदेर्शों के अंतर्गत शामिल है।

7.8.2 वर्ष 2022-2023 के दौरान, प्रशासन प्रभाग, भाविपप्रा मुख्यालय ने निम्नलिखित गतिविधियां आयोजित की हैं:

तिथि	कार्यक्रम
21 अप्रैल 2022	अंबेडकर भवन, नई दिल्ली में 'आधार से संबंधित मुद्दों पर नवीनतम विकास' पर कार्यशाला
01 जून 2022	आधार उपयोग के सरलीकरण के लिए नवीन पहलें विषय पर कार्यशाला
21 जून 2022	आठवां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस
08 अगस्त 2022 से 10 अगस्त 2022	आजादी का अमृत महोत्सव (एकेएएम) के अवसर पर निबंध लेखन और चित्रकारी प्रतियोगिता
अगस्त 2022	हर घर तिरंगा अभियान
15 अगस्त 2022	75वें स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण
09 सितंबर 2022	राजभाषा पुरस्कार वितरण समारोह-2022
02 अक्तूबर 2022 से 31 अक्तूबर 2022	स्वच्छता के लिए विशेष अभियान 2.0
16 अक्तूबर 2022	फिट इंडिया फ्रीडम रन
25 नवंबर 2022	19 से 25 नवंबर 2022 तक सांप्रदायिक सद्भाव अभियान सप्ताह और झंडा दिवस का आयोजन
26 नवंबर 2022	संविधान दिवस समारोह का आयोजन
01 दिसंबर 2022 से 07 दिसंबर 2022	सशस्त्र सेना झंडा दिवस के लिए अंशदान
01 फरवरी 2023 से 15 फरवरी 2023	वर्ष 2023 के लिए स्वच्छता पखवाड़ा का आयोजन
26 जनवरी 2023	गणतंत्र दिवस पर ध्वजारोहण

7.8.3 भाविपप्रा, मुख्यालय भवन को ग्रीन रेटिंग फॉर इंटिग्रेटेड हेबिटेट असेसमेंट (जीआरआईएचए) से रेटिंग:

भाविपप्रा मुख्यालय का भवन 12 अक्तूबर 2020 को पांच साल से स्थायी पांच सितारा रेटिंग धारण कर रहा है।

7.8.4 भाविपप्रा मुख्यालय भवन को वर्ष 2022-23 में निम्नलिखित पुरस्कार और ट्रॉफी प्रदान की गई हैं:

- ऊर्जा संरक्षण में राष्ट्रीय अनुकरणीय निष्पादन में विजेता पुरस्कार
- स्वच्छता पखवाड़ा आयोजन में विजेता पुरस्कार

स्वच्छता पखवाडा ट्रॉफी (विजेता) - 2022

ऊर्जा संरक्षण में राष्ट्रीय अनुकरणीय निष्पादन में विजेता पुरस्कार-2022 (प्रमाण पत्र)

इंडिया हैबिटेट सेंटर, नई दिल्ली में 14 वें जीआरआईएचए (गृहा) वार्षिक शिखर सम्मेलन - दिसंबर 2022 के दौरान ट्रॉफी पुरस्कार समारोह

8. भावी योजनाएं

8.1 नामांकन और अद्यतन प्रभाग

8.1.1 भाविपप्रा नामांकन ईकोसिस्टम के साथ नाविक रिसीवर एकीकरण: भाविपप्रा ने इसरो के सहयोग से अधिक सटीक और कुशल जियो-टैगिंग क्षमता के लिए ईसीएमपी किट के साथ नाविक उपकरणों के एकीकरण का परीक्षण किया है। इसके अलावा, एकत्रित लैट/लॉन्ग डेटा की सुरक्षा में वृद्धि के लिए, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी के सहयोग से वायरलेस संचार के संबंध में एलओआरए टेक्नोलॉजी पर निर्मित एक प्रोटोटाइप नाविक रिसीवर और लैट/लॉन्ग डेटा के एन्क्रिप्शन के लिए एईएस-256 बिट एल्गोरिदम का परीक्षण कर रहा है।

8.1.2 निरीक्षण पोर्टल के लिए एनआरएससी के साथ सहयोग: भाविपप्रा ने इसरो (एनआरएससी) के सहयोग से आधार नामांकन केंद्रों के निरीक्षण/लेखापरीक्षा के संचालन और भंडारण की कार्यक्षमता प्रदान करने के लिए भुवन आधार पोर्टल को बढ़ाने की योजना बनाई है। यह योजना है कि आधार नामांकन केंद्र के क्षेत्र स्तर के विवरण के साथ-साथ जीपीएस के निदेशांक को कैप्चर करने के लिए एक मोबाइल एप्लिकेशन को डिजाइन किया जाएगा। क्षेत्रीय कार्यालयों और आंतरिक रिपोर्टिंग उद्देश्यों तक पहुंच में आसानी के लिए निरीक्षण डेटा को भाविपप्रा बैकऑफिस पोर्टल के साथ एकीकृत किया जाएगा। यह अभिवृद्धि भाविपप्रा द्वारा किए जा रहे मैन्युअल निरीक्षण को स्वचालित कर देगी और यह सुनिश्चित करेगी कि रजिस्ट्रार/नामांकन एजेंसियां आधार विनियमों का अनुपालन कर रही हैं।

8.2 अधिप्रमाणन प्रभाग

8.2.1 स्पर्शरहित बायोमेट्रिक समाधान: भाविपप्रा शारीरिक और व्यावहारिक बायोमेट्रिक्स, स्पर्शरहित फिंगरप्रिंट, हथेली के छाप के विभिन्न पहलुओं से युक्त स्पर्शरहित बायोमेट्रिक समाधान पर कार्य कर रहा है, जिसमें बायोमेट्रिक फील्ड पर कार्यरत उत्कृष्टता के विभिन्न एकेडेमिया स्मार्ट डिवाइस विकसित करने के लिए कार्यरत हैं, जिसका उपयोग आधार प्रमाणीकरण ईकोसिस्टम में सार्वभौमिक प्रमाणीकरण के रूप में किया जा सकता है।

स्पर्शरहित बायोमेट्रिक समाधान के प्रमुख बिंदु इस प्रकार हैं:

- इसकी मुख्य आवश्यकता फोन कैमरे के जरिए आसानी से बायोमेट्रिक्स कैप्चर करना और प्रमाणीकरण को सुगम बनाना है। धोखाधड़ी से बचने के लिए जीवंतता परम अपेक्षा है।
- प्रयोक्ता का श्रेष्ठ अनुभव और प्रमाणीकरण की श्रेष्ठ सफलता दर।
- कैप्चर करने में आसान, धोखा करना कठिन और स्मार्ट फोन से ज्यादा किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं ।

8.3 प्रौद्योगिकी विकास

भाविपप्रा 2.0 पहल- इस विषय के तहत, भाविपप्रा द्वारा निम्नलिखित दीर्घकालिक परियोजनाएं शुरू की गई हैं: -

1. **नामांकन प्रक्रिया और सॉफ्टवेयर स्टैक का पुन:डिजाइन करना:** पुनः डिजाइन के अंश के रूप में, नई प्रौद्योगिकी स्टैक और प्रक्रिया संवर्द्धन के अनुसार अगले बिलियन अपडेट/नामांकन के लिए पूर्ण बैकएंड को पुनः डिजाइन किया जा रहा है।
2. **सहयोगी गुणवत्ता जांच:** नामांकन और अद्यतन प्रक्रिया के अंश के रूप में निवासी द्वारा प्रस्तुत सहायक दस्तावेजों को स्वचालित रूप से प्राप्त करने के लिए डिजिलॉकर के साथ एकीकरण किया गया है। दस्तावेज एकीकरण सेवा शुरू की गई है जो अनुमोदित 15 दस्तावेजों (भाविपप्रा द्वारा सत्यापित) की सूची से दस्तावेज प्राप्त करने के लिए एपीआई सेतु के साथ इंटरफेस के रूप में कार्य करती है। यह निवासियों के लिए डिलीवरी में सुगमता प्रदान करती है और अस्वीकरण विशेषता के साथ-साथ अधिक मजबूत और धोखाधड़ी प्रतिरोधी कार्य-प्रवाह के निर्माण में सहायता

प्रदान करती है। यह एकीकरण विभिन्न डिजिटल इंडिया परियोजनाओं के बीच एकीकरण का प्रदर्शन है।

3. **सार्वभौमिक प्रमाणक:** भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का उद्देश्य निवासियों के लिए फिंगरप्रिंट, चेहरा प्रमाणीकरण और वन-टाइम पासवर्ड (ओटीपी) जैसी विभिन्न प्रमाणीकरण विधियों को ऐक्सेस करने और उनका उपयोग करने के लिए व्यापक मंच के रूप में मोबाइल उपकरणों का लाभ लेना है। भाविपप्रा मोबाइल प्रौद्योगिकी को अपनाकर, प्रमाणीकरण सेवाओं की पहुंच का विस्तार करना चाहता है, जिससे प्रयोक्ता के लिए व्यापक पहुंच और सुविधा संभव हो सके।

4. **सामान्य भुगतान गेटवे सेवा:** वर्तमान में कई भुगतान गेटवे और वॉलेट के साथ एकीकरण प्रक्रियाधीन है। यह निवासियों को भुगतान के अधिक विकल्प प्रदान करता है, जिससे उपयोगकर्ता के अनुभव में सुधार होता है।

5. **पोस्टल इंडेक्स नंबर (पिन) पत्र आधारित पता अद्यतन:** भाविपप्रा आधार पता अपडेट को और अधिक समावेशी बनाने के लिए पिन आधारित आधार पता अपडेट सुविधा लागू कर रहा है, जो उन निवासियों को अनुमति देगा जिनके पास 'पते के प्रमाण' का दस्तावेज नहीं है।

6. **सीडैक ई-साइन परियोजना :** निवासी के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विकास कार्य प्रक्रियाधीन है ताकि आधार अपडेट प्रक्रिया के लिए 'अनुमोदनकर्ता/प्रमाणकर्ता' से ई-हस्ताक्षरित प्रमाणपत्र प्राप्त किया जा सके।

7. **निवासियों की प्रतिक्रिया के लिए रैपिड असेसमेंट सिस्टम (आरएएस) एकीकरण:** निवासियों द्वारा आधार पीवीसी कार्ड का लाभ लेने पर उनके अनुभव संबंधी फीडबैक को सुकर बनाने के लिए भाविपप्रा के साथ इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एनईजीडी) के रैपिड असेसमेंट सिस्टम (आरएएस) प्लेटफार्म का एकीकरण पूर्ण हो गया है। हम आरएएस एकीकरण सेवा को माई-आधार पोर्टल के जरिए आधार अद्यतन तक लागू कर रहे हैं।

8. **स्थानीय सरकार निर्देशिका (एलजीडी) का आधार इकोसिस्टम के साथ एकीकरण:** भाविपप्रा में कैप्चर/

संग्रह किए गए एड्रेस फील्ड के मानकीकरण के लिए भाविपप्रा, एलजीडी सिस्टम का उपयोग करने के लिए पंचायती राज मंत्रालय (एमओपीआर) के साथ सहयोग कर रहा है। विभिन्न सरकारी विभागो में इस तरह की पहल विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी संगठनो में सूचना प्रोद्योगिकी अवसंरचना को सक्षम करने में दूरगामी क्षमता दिखाता है

9. **विदेशी राष्ट्रीय नामांकन:** भाविपप्रा नामांकन केंद्रों के जरिए आधार प्राप्त करने के लिए निवास की शर्त को पूरा करने वाले विदेशी नागरिकों का नामांकन करने की प्रक्रिया में है।

10. **एनएवीआईसी,** एक स्वायत्त क्षेत्रीय उपग्रह नेविगेशन प्रणाली है, जो सटीक वास्तविक समय की स्थिति और टाइमिंग सेवाएं प्रदान करती है। वर्तमान में, एनएवीआईसी प्रणाली भाविपप्रा के नामांकन ग्राहकों के साथ एकीकृत है

11. **एआई/एमएल:**

- स्वदेशी निर्मित फिंगर मैच एपीआई के उपयोग के साथ एक **फ्यूजन आधारित फिंगर प्रमाणीकरण मॉड्यूल** विकसित किया जा रहा है, जिसमें प्रमाणीकरण क्रांति लाने की क्षमता है। इस नवीनीकरण का लक्ष्य प्रमाणीकरण प्रक्रिया में उच्च सटीकता, सुरक्षा और सफलता दर प्राप्त करना है।
- चेहरा प्रमाणीकरण में उपयोगकर्ता के अनुभव में वृद्धि के लिए **चेहरा कैप्चर और जीवंतता** एक महत्वपूर्ण घटक है। जीवंतता का पता लगाने के तंत्र को शामिल करने के द्वारा चेहरे की गतिविधियों, पलक झपकने का पैटर्न, या उत्तेजना एवं प्रतिक्रिया, कैप्चर किए गए चेहरे की प्रामाणिकता और जीवन-शक्ति आदि के विश्लेषण को सत्यापित किया जा सकता है। इससे उपयोगकर्ता की संतुष्टि में सुधार, सुरक्षा संवर्धन और चेहरा प्रमाणीकरण प्रणाली का संवर्धित समग्र निष्पादन सुनिश्चित होगा।
- **समझौता ज्ञापन** भाविपप्रा ने गोपनीयता संरक्षण प्रमाणीकरण के क्षेत्र में एसडीके बेंचमार्किंग प्रतिस्पर्धा और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए आईआईआईटी हैदराबाद के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। हमने स्पर्शरहित बायोमेट्रिक्स के क्षेत्र में सहयोगी अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों के लिए आईआईटी बॉम्बे के साथ समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए हैं।

12. **एनडीए ने फेस मैचिंग और धोखाधड़ी का पता लगाने के लिए फेस मैचिंग एसडीके किट उपलब्ध कराने के लिए एनसीआरबी के साथ हस्ताक्षर किए।**

13. **बग बाउंटी:** भाविपप्रा सुरक्षा कार्यक्रम अर्थात 'बग बाउंटी' शुरू करने की योजना बना रहा है, जिसमें एथिकल हैकर्स भाविपप्रा सिस्टम में सुरक्षा सुभेद्यता को उजागर करने में लगे हुए हैं। इस कार्यक्रम के दौरान, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण को उम्मीद है कि भाविपप्रा प्रणाली को और अधिक मजबूत बनाने के लिए सुरक्षा सुभेद्यता का तीव्रता से पता लगाकर उसे सही किया जाएगा।

14. **बीआई:** सीईओ से प्राप्त इनपुट के आधार पर धोखाधड़ी गतिविधियों की निगरानी के लिए अतिरिक्त रिपोर्ट को डिजाइन तैयार किया जा रहा है और इसे सीईओ डैशबोर्ड के साथ एकीकृत किया जाएगा।

15. **प्रौद्योगिकी विकास में अन्य भावी योजनाएं:** आधार के सुदृढ़ीकरण के अंश के रूप में, प्रमाणीकरण ईकोसिस्टम को प्रतिदिन 10 करोड़ की क्षमता तक बढ़ाया जा रहा है। तत्काल निष्पादन के लिए प्रमाणीकरण, ईकेवाईसी, ओटीपी और संबंधित ऐप्लिकेशन के पुनः डिजाइन करने की योजना बनाई जा रही है। मोबाइल का उपयोग करके फेस लाइवनेस और टचलेस फिंगरप्रिंट बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण को कुछ स्टार्टअप्स द्वारा अवधारणा के प्रमाण (पीओसी) के रूप में लिया जा रहा है। सॉफ्टवेयर आधारित हार्डवेयर सुरक्षा मॉड्यूल (एचएसएम) के कार्यान्वयन की व्यवहार्यता को अवधारणा के प्रमाण (पीओसी) के रूप में भी लिया जा रहा है। वास्तविक

यादृच्छिक संख्या सृजक (टीआरएनजी), प्रमात्रा यादृच्छिक संख्या सृजक (क्यूआरएनजी) का उपयोग करने वाले पीओसी को प्रमात्रा तत्परता परिप्रेक्ष्य से लिया जा रहा है। संवर्धित निवासी अनुभव (आरई) के लिए सहमति का कार्यान्वयन एमईआईटीवाई की पहल के तहत विकसित राष्ट्रीय ब्लॉकचेन फ्रेमवर्क (एनबीएफ) का उपयोग करके पीओसी के रूप में किया जा रहा है।

8.4 प्रशासन प्रभाग

- भाविपप्रा ने लखनऊ (उत्तर प्रदेश) और गुवाहाटी (असम) में अपने कार्यालय परिसर के निर्माण के लिए भूमि की खरीद की है और निकट भविष्य में नवनिर्मित कार्यालय परिसर को संक्रियात्मक कर दिया जाएगा।
- अगले चरण में डिजिटल परिवर्तन को जारी रखने के संबंध में, अन्य विभागों की परिसंपत्ति नियंत्रण रिपोर्टिंग आवश्यकताओं को पूरा करने, सटीक मूल्यह्रास बनाये में नियमित फेहरिस्त रखने, विभागों को क्षति या चोरी का पता लगाने में सहायता करने, परिसंपत्ति की जानकारी संबंधी अपडेट भेजने के लिए इलेक्ट्रॉनिक परिसंपत्ति प्रबंधन प्रणाली शुरू की जा रही है। डेटा आसानी से उपलब्ध होगा, जिसे ई-ऑफिस के साथ माइग्रेट किया जाना है। डिजिटल प्रबंधन, सुरक्षित और भरोसेमंद लेनदेन के अलावा परिसंपत्ति भंडारण और प्रबंधन के लिए अधिक किफायती और समय प्रभावी होगा।

9. वित्तीय कार्य-निष्पादन

9.1 भाविपप्रा निधि

9.1.1 भारत के लिए डेटा प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क पर न्यायमूर्ति बी. एन. श्रीकृष्ण समिति की रिपोर्ट में की गई सिफारिशों के अनुसार, भाविपप्रा की वित्तीय स्वायत्तता सुनिश्चित करने के लिए एक अलग भाविपप्रा निधि का गठन किया गया। आधार अधिनियम, 2016 के द्वारा निधि का गठन किया गया था। आधार अधिनियम (यथा संशोधित) की धारा 25 भाविपप्रा निधि को निम्नानुसार उपबंधित करती है:

"25(1) भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण निधि नामक एक निधि का गठन किया जाएगा और उसमें निम्नलिखित जमा किया जाएगा-

(क) इस अधिनियम के अधीन प्राधिकरण द्वारा प्राप्त सभी अनुदान, शुल्क और प्रभार; तथा

(ख) प्राधिकरण द्वारा ऐसे अन्य स्रोतों से प्राप्त सभी राशियां, जिनका निर्धारण केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा।

(2) निधि का उपयोग निम्नलिखित के लिए होगा-

(क) अध्यक्ष और सदस्यों को देय वेतन और भत्ते तथा प्रशासनिक व्यय जिसके अंतर्गत प्राधिकरण के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को या उनके संबंध में देय वेतन, भत्ते और पेंशन भी है; तथा

(ख) इस अधिनियम द्वारा प्राधिकृत उद्देश्यों और प्रयोजनों के लिए व्यय।''

9.2 बजट एवं व्यय

9.2.1 भाविपप्रा, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) से सहायता अनुदान (जीआईए) के तीन शीर्षों में नामतः सहायता अनुदान - सामान्य, सहायता अनुदान - पूंजीगत और सहायता अनुदान - वेतन के तहत सहायता अनुदान प्राप्त करता है। बीई/आरई के तहत बुक किए गए व्यय का विवरण तालिका 11 पर देखा जा सकता है और वित्त वर्ष 2022-23 के लिए बजट और व्यय का सारांश तालिका 12 पर दिया गया है।

9.2.2 वित्त वर्ष 2022-23 के लिए भाविपप्रा का अनुमोदित बजट आकलन (बीई) और संशोधित आकलन (आरई) क्रमशः ₹1110.00 करोड़ और ₹1110.00 करोड़ था। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) ने 2022-23 के लिए भाविपप्रा को अनुपूरक अनुदान के रूप में ₹110.00 करोड़ मंजूर किए। पिछले वर्ष अर्थात 2021-22 के अव्ययित अनुदान के रूप में 0.37 करोड़ रुपए की राशि भी उपलब्ध है। 2022-23 के दौरान 1220.37 करोड़ रुपए (0.37 करोड़ रुपए + 1110.00 करोड़ रुपए + 110.00 करोड़ रुपए) के कुल अनुदान में से कुल 1220.03 करोड़ रुपए खर्च किये गये हैं। हालाँकि, भाविपप्रा की प्रतिबद्ध देनदारियों को पूरा करने के लिए, भाविपप्रा प्राप्तियों से 414.41 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय किया गया था।

9.2.3 वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 940.00 करोड़ रुपए के बजट आकलन (बीई) को मंजूरी दी गई है।

9.2.4 भाविपप्रा में 01 जून, 2021 से ट्रेजरी सिंगल अकाउंट (टीएसए) प्रणाली लागू की गई है, जिसके तहत भाविपप्रा के बैंक खाते में अनुदान जारी करने के बजाय, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) अब आरबीआई में हमारे खाते के समक्ष टीएसए सिस्टम के जरिए अनुदान आवंटित कर रहा है।

तालिका 11 - बीई/आरई 2009 -10 से 2022 -23 के लिए बुक किये गए व्यय का विवरण

वर्ष	बजट आकलन (रुपए करोड़ में)	संशोधित आकलन (रुपए करोड़ में)	वास्तविक व्यय (रुपए करोड़ में)
2009-10	120.00	26.38	26.21
2010-11	1,900.00	273.80	268.41
2011-12	1,470.00	1,200.00	1,187.50
2012-13	1,758.00	1,350.00	1,338.72
2013-14	2,620.00	1,550.00	1,544.44
2014-15	2,039.64	1,617.73	1,615.34
2015-16	2,000.00	1,880.93	1,680.44
2016-17	1,140.00	1,135.27	1,132.84
2017-18	900.00	1,150.00	1,149.38
2018-19	1,375.00	1,345.00	1,181.86
2019-20	1,227.00	836.78	856.13@
2020-21	985.00	613.00	893.27#
2021-22	600.00	1,564.97	1,564.54
2022-23	1110.00	1220.00*	1634.44**

@पिछले वर्ष के अव्ययित शेष से अतिरिक्त व्यय की पूर्ति की गई।
 # अतिरिक्त व्यय की पूर्ति पिछले वर्ष के अव्ययित शेष एवं भाविपप्रा की आय से की गई। वर्ष 2021-22 में जीआईई-पूंजी और जीआईई-वेतन के तहत शेष ₹13.04 करोड़ का अव्ययित अनुदान ट्रेजरी सिंगल अकाउंट (टीएसए) प्रणाली के रूप में सीएफआई को प्रेषित किया गया।
**₹1110.00 करोड़ के संशोधित आकलन के अतिरिक्त, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 2022-23 के लिए अनुपूरक अनुदान के रूप में भाविपप्रा को ₹110.00 करोड़ स्वीकृत किए।*
***अतिरिक्त व्यय पिछले वर्ष के अव्ययित अनुदान और भाविपप्रा प्राप्तियों से पूरा किया गया।*

तालिका 12 - वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए बजट और व्यय का सारांश

अनुदान शीर्ष	बीई 2022 -23 (₹ करोड़ में)	पिछले वर्ष का अव्ययित अनुदान (₹ करोड़ में)	आरई 2022-23 (₹ करोड़ में)	अनुपूरक अनुदान (₹ करोड़ में)	कुल अनुदान (₹ करोड़ में)	31.03.2023 तक व्यय (₹ करोड़ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)+(5)	(7)
सहायता अनुदान -सामान्य	882.00	0.00	882.00	105.07	987.07	1400.44
सहायता अनुदान -पूंजीगत	175.00	0.00	175.00	0.00	175.00	175.00
सहायता अनुदान -वेतन	53.00	0.37	53.00	4.93	58.30	59.00
कुल सहायता अनुदान	**1110.00**	**0.37**	**1110.00**	**110.00**	**1220.37**	**1634.44***

** अतिरिक्त व्यय को भाविपप्रा प्राप्तियों से पूरा किया गया।*

ग्राफ 12 – बीई/आरई 2015 -16 से 2022 -23 तक बुक किये गए व्यय का विवरण

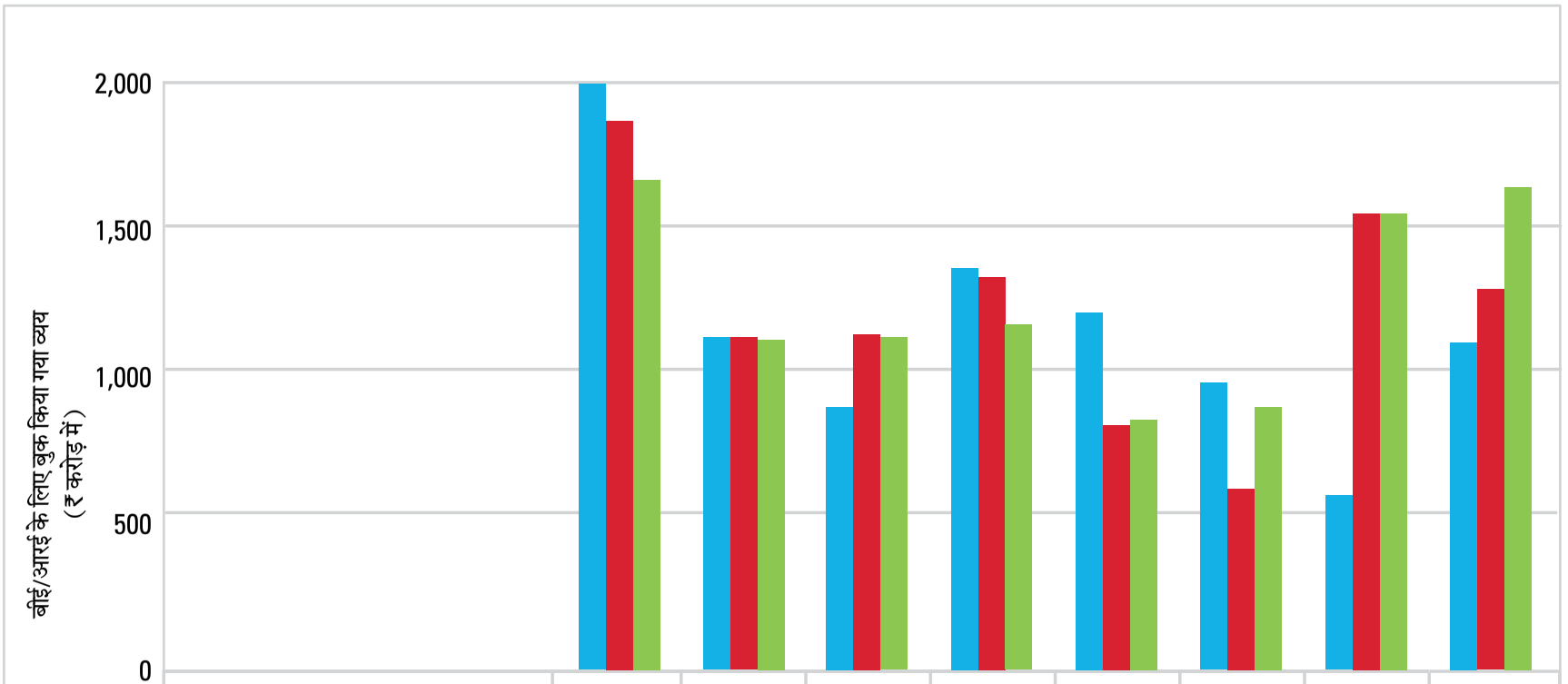

वर्ष	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
बजट अनुमान (₹ करोड़ में)	2,000.00	1,140.00	900.00	1,375.00	1,227.00	985.00	600.00	1,110.00
संशोधित अनुमान* (₹ करोड़ में)	1,880.93	1,135.27	1,150.00	1,345.00	836.78	613.00	1,564.97	1,220.00
वयय (₹ करोड़ में)	1,680.44	1,132.84	1,149.38	1,181.86	856.13	893.27	1,564.54	1,634.44

**आरई 2022-23 में माईटी से प्राप्त ₹ 110 करोड़ का एक पूरक अनुदान शामिल है*

9.3 सेवाओं से आय

मार्च, 2019 के माह में, भाविपप्रा ने अधिप्रमाणन सेवा प्रयोक्ताओं की कुछ श्रेणियों के लिए हां/नहीं अधिप्रमाणन सेवा और ई-केवाईसी सेवाओं के लिए शुल्क लेना आरंभ किया। इसके अलावा, भाविपप्रा ने अपने आधार सेवा केंद्रों की शुरूआत की, जहां निवासी नामांकन और अद्यतन सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं। पीवीसी कार्ड सेवा, स्व-सेवा अद्यतन पोर्टल (एसएसयूपी) और ब्याज आय भाविपप्रा की आय के अन्य प्रमुख स्रोत है। वर्ष 2022-23 में विभिन्न सेवाओं के द्वारा हुई आय को तालिका-13 में दर्शाया गया है।

तालिका 13 - वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान सेवाओं से हुई आय का विवरण

वर्ष	अधिप्रमाणन सेवाएं (₹ करोड़ में)	लाइसेंस फीस (₹ करोड़ में)	आधार सेवा केंद्र (₹ करोड़ में)	पीवीसी कार्ड (₹ करोड़ में)	एसएसयूपी (₹ करोड़ में)	ब्याज से आय (₹ करोड़ में)	अन्य आय (₹ करोड़ में)	कुल (₹ करोड़ में)
2022-23	544.97	14.33	30.91	13.23	95.03	77.27	1.76	**777.50**

ग्राफ 13 - वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान सेवाओं से हुई आय का विवरण

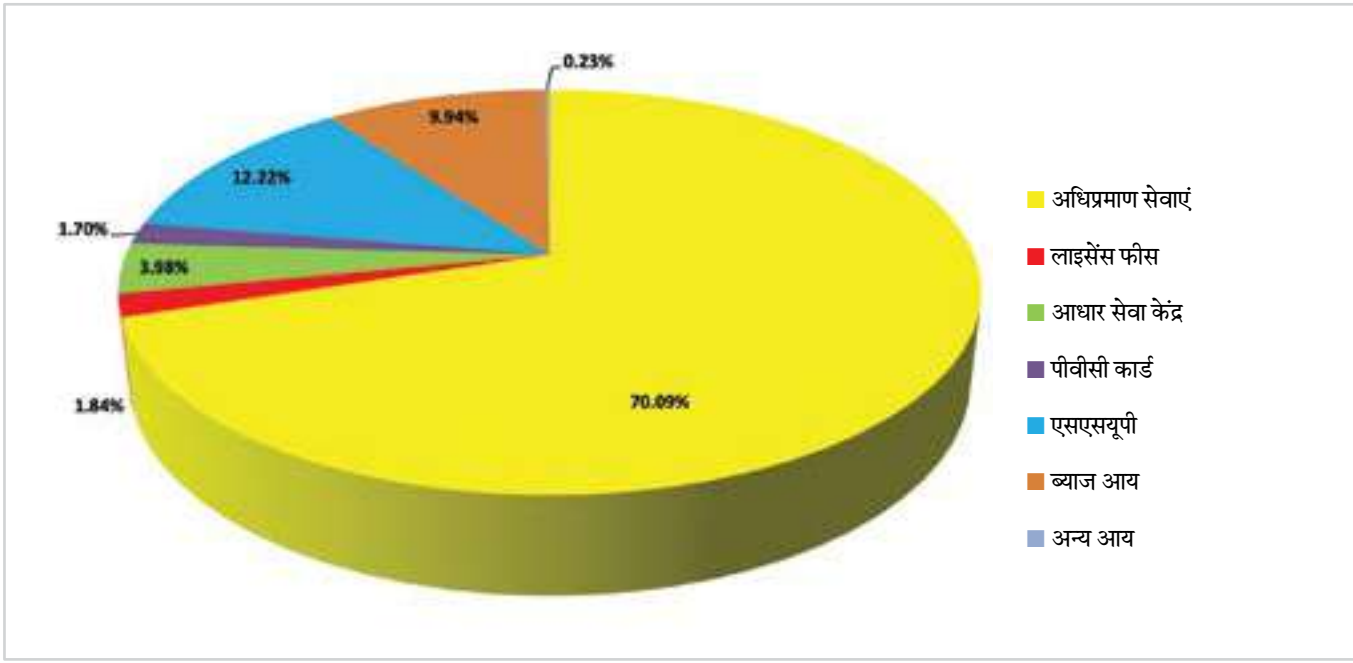

10. वर्ष 2022-23 के लिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का लेखापरीक्षित विवरण

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) के वार्षिक लेखों पर भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट

हमने, 31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) के संलग्न तुलन-पत्र और आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 (आधार अधिनियम, 2016), की धारा 26 (2), आधार और अन्य कानून (संशोधित) अध्यादेश, 2019 (02 मार्च, 2019) के साथ पठित नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19(2) के अंतर्गत उसी तारीख को समाप्त वर्ष के आय एवं व्यय लेखा/प्राप्तियों तथा भुगतान लेखा विवरणों की लेखापरीक्षा की है। ये वित्तीय विवरण भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारा दायित्व अपनी लेखापरीक्षा पर आधारित इन वित्तीय विवरणों पर अपनी राय व्यक्त करना है।

2. इस पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में वर्गीकरण, लेखांकन की श्रेष्ठ परिपाटियों के अनुरूप, लेखांकन मानकों और प्रकटीकरण मानदंडों आदि के संबंध में केवल लेखांकन संव्यवहार पर भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां शामिल हैं। विधियों, नियमों एवं विनियमों (औचित्य एवं नियमितता) के अनुपालन में वित्तीय लेन-देनों और दक्षता-सह-कार्यनिष्पादन पहलुओं इत्यादि, यदि कोई हो, के संबंध में लेखापरीक्षा टिप्पणियों को निरीक्षण रिपोर्टों/सीएजी की लेखापरीक्षा रिपोर्टों के माध्यम से अलग से रिपोर्ट किया जाता है।

3. हमने अपनी लेखापरीक्षा भारत में सामान्यतः स्वीकार्य लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार निष्पादित की है। इन मानकों में अपेक्षा की जाती है कि हम अपनी लेखापरीक्षा की योजना एवं उसका निष्पादन युक्तिसंगत परिणाम प्राप्त करने के लिए करें ताकि वित्तीय विवरण तात्विक मिथ्या-कथन से मुक्त हों। लेखापरीक्षा में परीक्षण के आधार पर, वित्तीय विवरणियों में दी गई राशि एवं प्रकटीकरण से संबंधित तथ्यों की जांच करना शामिल होता है। लेखापरीक्षा में प्रबंधन द्वारा प्रयुक्त लेखांकन सिद्धांतों और सार्थक अनुमानों के आकलन के साथ-साथ वित्तीय विवरणियों के समग्र प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन करना भी शामिल होता है। हमें विश्वास है कि हमारी लेखापरीक्षा, हमारी राय में, तर्कसंगत आधार प्रदान करती है।

4. हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर हम यह प्रतिवेदित करते हैं कि:

i. हमने वे सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं, जो लेखापरीक्षा के प्रयोजनार्थ हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास में आवश्यक थे।

ii. इस रिपोर्ट में शामिल तुलन-पत्र और आय एवं व्यय लेखा / प्राप्तियां तथा भुगतान लेखा को, आधार अधिनियम, 2016 की धारा 26(1) के अधीन भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा अनुमोदित 'लेखों का एकरूपी प्रपत्र' में तैयार किया गया है।

iii. हमारी राय में, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) द्वारा लेखा-बहियों और अन्य संबंधित अभिलेखों का रखरखाव उपयुक्त रूप से किया गया है।

iv. हम यह भी प्रतिवेदित करते हैं कि:

क वर्तमान देयताएं एवं प्रावधान (अनुसूची 7): 45125.94 लाख रुपए

प्रावधान - 23126.32 लाख रुपए

विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ-साथ यूआईडीएआई के कॉर्पोरेट कार्यालय में कर्मचारियों के वेतन, विभिन्न एएमसी शुल्क और वर्ष 2022-23 के लिए देय अन्य खर्चों को शामिल न करने के कारण उपरोक्त मद में ₹ 561.06 लाख की राशि कम करके बताई गई है। इसके परिणामस्वरूप अधिशेष को भी उसी राशि से अधिक बताया गया है।

ख. अनुदान सहायता

वर्ष के दौरान प्राप्त 1220.37 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष के 0.37 करोड़ रुपए के अव्ययित शेष सहित) के सहायता अनुदान में से, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने 1220.03 करोड़ रुपए की राशि का उपयोग किया, शेष 0.34 करोड़ रुपए को 31 मार्च, 2023 को अप्रयुक्त अनुदान के रूप में छोड़ दिया गया।

v. पिछले अनुच्छेदों में की गई हमारी टिप्पणियों के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि इस रिपोर्ट से संबंधित तुलन-पत्र तथा आय एवं व्यय विवरण के साथ लेखा/प्राप्तियों और भुगतान खाता लेखा-बही के अनुरूप हैं।

vi. हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, लेखांकन नीतियों और लेखा संबंधी टिप्पणियों के साथ पठित उक्त वित्तीय विवरण, तथा उपर्युक्त महत्वपूर्ण मामलों और इस रिपोर्ट के **अनुलग्नक-।** में उल्लिखित मामलों के अध्यधीन, एक वास्तविक एवं निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं और ये भारत में स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप हैं:

क. जहां तक यह तुलन-पत्र, 31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के कार्यों की स्थिति से संबंधित है; और

ख. जहां तक यह उक्त तिथि को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखों में हुई अधिशेष से संबंधित है।

कृते भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक
एवं उनकी ओर से
ह0/-
(रोली शुक्ला माल्गे)
प्रधान निदेशक, लेखापरीक्षा
(वित्त एवं संचार)

स्थान: दिल्ली
दिनांक : 26.10.2023

वर्ष 2022-23 के लिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण में आंतरिक नियंत्रण पर संक्षिप्त टिप्पणी

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण में विद्यमान आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का मूल्यांकन 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के वार्षिक खातों के प्रमाणीकरण के दौरान किया गया। आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है: -

संगठनात्मक व्यवस्था

प्राधिकरण में केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष अंशकालिक आधार पर, दो सदस्य और एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी शामिल है, जो प्राधिकरण के सदस्य सचिव रहेंगे। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के प्रमुख प्रबंधकीय पद इस प्रकार हैं: -

अध्यक्ष	रिक्त
मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ)	**डॉ. सौरभ गर्ग**, भा.प्र.से.

मुख्यालय व्यवस्था

मुख्यालय में, मुख्य कार्यकारी अधिकारी के सहायतार्थ आठ उपमहानिदेशक (डीडीजी), भारत सरकार के संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी, नियुक्त हैं, जो भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (मुख्यालय) के विभिन्न प्रभागों के प्रभारी अधिकारी हैं। उपमहानिदेशकों के सहायतार्थ निदेशक/सहायक महानिदेशक, उप निदेशक, अनुभाग अधिकारी और सहायक अनुभाग अधिकारी नियुक्त हैं।

क्षेत्रीय कार्यालयों की व्यवस्था

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के आठ क्षेत्रीय कार्यालयों में से प्रत्येक का नेतृत्व उपमहानिदेशक (डीडीजी) स्तर के अधिकारी द्वारा किया जाता है और उनके सहायतार्थ निदेशक/सहायक महानिदेशक, उप निदेशक, अनुभाग अधिकारी, सहायक अनुभाग अधिकारी, वरिष्ठ लेखा अधिकारी, लेखाकार और व्यक्तिगत कर्मचारी नियुक्त हैं।

वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन

सभी सक्षम प्राधिकारियों को विभिन्न कार्यालय आदेशों/ज्ञापनों के अनुसार उन्हें सौंपी गई प्रशासनिक और वित्तीय शक्ति का प्रयोग करना होता है।

नीतियां एवं क्रियाविधि

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2020 दिनांक 21.01.2020 की राजपत्र अधिसूचना के तहत जारी किया गया। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने राजपत्र अधिसूचना के उपरांत विभिन्न रिक्तियों को प्रतिनियुक्ति आधार पर भरा है, जो भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के भर्ती नियमों में भर्ती का एक परिभाषित माध्यम है।

आमेलन के संबंध में, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने अधिसूचना जारी होने के तुरंत बाद 29.01.2020 को स्थायी आमेलन के लिए कार्मिकों से आवेदन मांगे थे। हालांकि, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण में आमेलन के उपरांत देय आमेलन और पेंशन के संबंध में अधिकारियों से आमेलन के समय प्राप्त वेतन निर्धारण तथा पेंशन के अभ्यावेदनों के आधार पर, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग/इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से स्पष्टीकरण मांगा तथा अपर सचिव, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया। समिति ने अपनी सिफारिशों के साथ रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। समिति की सिफारिशों पर सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन लिया जा रहा है और तत्पश्चात आगामी कार्रवाई शुरू की जाएगी।

नकद की प्राप्ति और संवितरण

नकदी की प्राप्ति और उसके संवितरण से संबंधित कार्य को आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा निष्पादित किया जाता है। रोकड़ बही खजांची की अभिरक्षा में रहती है तथा नकदी का नियमित रूप से भौतिक सत्यापन किया जा रहा है। नकदी शेष की अधिकतम

सीमा (50,000 रुपए), प्राधिकरण द्वारा यथा निर्धारित निर्देशों के अनुसार किया जा रहा है।

निधियों का रखरखाव (योजना/गैर-योजना)

सांविधिक प्राधिकरण के रूप में स्थापित होने से पूर्व अर्थात 2016-17 तक, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण तत्कालीन योजना आयोग (वर्तमान में नीति आयोग) की दिनांक 28 जनवरी, 2009 की राजपत्र अधिसूचना सं. ए-4301/02/2009-प्रशा.क के तहत आयोग के एक संबद्ध कार्यालय के रूप में कार्य कर रहा था। तत्पश्चात, 12 सितंबर, 2015 को, सरकार ने भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण को तत्कालीन संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (डीईआईटीवाई) के साथ अटैच करने के लिए कार्य आबंटन नियमावली को संशोधित कर दिया।

वित्त वर्ष 2022-23 में, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण को केंद्र सरकार से ₹1220.00 करोड़ (वेतन ₹57.93 करोड़ + पूंजी ₹175.00 करोड़ + सामान्य ₹978.07 करोड़) का अनुदान प्राप्त हुआ।

नकद की प्राप्तियाँ एवं प्राप्य / संवितरण

सक्षम प्राधिकारियों के सभी स्वीकृतियों, जो भुगतान हेतु लेखा प्रभाग को अग्रेषित की जाती हैं, की विद्यमान नियमों/ आदेशों, सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन, आवंटन योग्य लेखा शीर्ष के तहत निधियों की उपलब्धता के परिपेक्ष में जांच की जाती है और तदनुसार भुगतान के लिए अंतिम आदेश जारी किए जाते हैं।

कार्मिकों को वेतन रोल/ऋण और अग्रिम

भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों में निहित प्रावधानों के अनुसार भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के कर्मचारियों के वेतन रोल/ऋण और अग्रिम तैयार किए जा रहे हैं और उनका भुगतान किया जा रहा है।

बैंक शेष/बैंक मिलान

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा नियमित रूप से बैंक मिलान विवरण का रखरखाव किया जाता है।

अचल परिसंपत्तियां

अचल संपत्तियों के रजिस्टरों का रखरखाव केवल कम्प्यूटरीकृत रूप में किया जाता है। साथ ही, वर्ष 2022-23 के लिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण मुख्यालय की परिसंपत्ति का भौतिक सत्यापन अप्रैल 2023 के महीने के दौरान किया गया था।

ह0/-
(रोली शुक्ला माल्गे)
प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा
(वित्त एवं संचार)

स्थानः दिल्ली
दिनांक : 26.10.2023

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) के लेखों पर पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट का अनुलग्नक-I

हमें उपलब्ध कराई गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार लेखापरीक्षा की सामान्य कार्यप्रणाली में लेखा बहियों और अभिलेखों की जांच की गई तथा अपनी पूर्ण जानकारी और विश्वास में, हम यह भी प्रतिवेदित करते हैं कि:

1. आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता

उपमहानिदेशक (वित्त) के नेतृत्व में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का वित्त प्रभाग, आंतरिक लेखापरीक्षा के लिए निर्दिष्ट प्रभाग है। वित्त प्रभाग भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, मुख्यालय के प्रभागों और क्षेत्रीय कार्यालयों की आंतरिक लेखापरीक्षा के लिए वार्षिक कार्यक्रम तैयार करता है और लेखापरीक्षा हेतु टीम का गठन करता है। लेखापरीक्षा टीम में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, मुख्यालय तथा क्षेत्रीय कार्यालयों के अधिकारियों को सम्मिलित किया जाता है। ये लेखापरीक्षा टीमें संबंधित कार्यालयों/प्रभागों का दौरा करती हैं और इन प्रभागों/कार्यालयों की लेखापरीक्षा करती हैं। लेखापरीक्षा करने के उपरांत, लेखापरीक्षा टीम भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण मुख्यालय के वित्त प्रभाग को आवश्यक आगामी कार्रवाई करने के लिए अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती हैं।

वर्ष 2022-23 के दौरान, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के आंतरिक लेखापरीक्षा विंग ने निम्नलिखित के अनुसार आंतरिक लेखापरीक्षा आयोजित की:-

क्र.सं.	प्रभाग और क्षेत्रीय कार्यालय	आयोजित लेखापरीक्षा की अवधि	निरीक्षण अभिलेख की अवधि
1	क्षेत्रीय कार्यालय, गुवाहाटी	02 मई से 06 मई 2022	दिसंबर 2019 से मार्च 2022
2	क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ	23 मई से 27 मई 2022	जनवरी 2020 से अप्रैल 2022
3	क्षेत्रीय कार्यालय, मुंबई	20 मई से 24 मई 2022	मार्च 2019 से अगस्त 2020
4	अधिप्रमाणन प्रभाग, भाविपप्रा, मुख्यालय	05 दिसंबर से 09 दिसंबर 2022	अप्रैल 2022 से सितंबर 2022
5	मुख्यालय, भाविपप्रा, नई दिल्ली प्रौद्योगिकी और सूचना सुरक्षा विंग की निष्पादन लेखापरीक्षा	13 मार्च से 17 मार्च 2023	संव्यवहार का अर्धवार्षिक निरीक्षण और प्रौद्योगिकी एवं सूचना सुरक्षा विंग की निष्पादन लेखापरीक्षा
6	क्षेत्रीय कार्यालय, बेंगुलरु	20 मार्च से 24 मार्च 2023	दिसंबर 2021 से फरवरी 2023

(क) आंतरिक लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र

आंतरिक लेखापरीक्षा का कार्य और प्रकार्य धन परिपेक्ष के महत्व को परिवेष्टित करता है, जिसमें विभिन्न परियोजनाओं के आर्थिक मूल्यांकन, उनकी कार्यकुशलता और प्रभावशीलता मानदंडों के मूल्यांकन की आवश्यकता शामिल है। तदनुसार, आंतरिक लेखापरीक्षा योजनाएँ तैयार की जाती हैं और आंतरिक लेखापरीक्षाएं आयोजित की जाती हैं। हालांकि, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण में विद्यमान परिस्थितियों के विशेष संदर्भ में, संगठन के कार्यों और प्रकार्यों को विनिर्दिष्ट करने के लिए कोई आंतरिक

लेखापरीक्षा नियमावली नहीं है।

आंतरिक लेखापरीक्षा का मुख्य उद्देश्य भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (मुख्यालय) और उसके क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा तैयार किए गए दस्तावेजों/अभिलेखों/रजिस्टरों/अनुबंधों की जांच करना और तंत्र की प्रभावी कार्यप्रणाली के लिए तंत्र की अपेक्षित जांच करना और नियंत्रण के संबंध में सुझाव देना है।

(ख) आंतरिक लेखापरीक्षा की प्रमात्रा और आवृत्ति

आंतरिक लेखापरीक्षा भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण मुख्यालय सहित क्षेत्रीय कार्यालयों में अनुरक्षित सभी लेखा अभिलेखों की सामान्य समीक्षा करती है। मुख्यालय की आंतरिक लेखापरीक्षा के संबंध में, व्यय और आधारभूत प्रक्रिया एवं क्रियाविधियों की लेखापरीक्षा तिमाही आधार पर की जाती है। क्षेत्रीय कार्यालयों और प्रौद्योगिकी केंद्रों की आंतरिक लेखापरीक्षा वार्षिक आधार पर की जाती है। आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट की समीक्षा करने पर यह देखा गया है कि 31 मार्च, 2023 के दौरान आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट के लंबित पैरा की संख्या 153 है।

(ग) प्राप्तियों की जांच करना

आंतरिक लेखापरीक्षा यह देखने के लिए नमूना जांच करती है कि क्या भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने सभी राजस्व प्राप्तियों और धन-वापसी संग्रहण और लेखांकन पर प्रभावी जांच के लिए पर्याप्त नियम और प्रक्रियाएं निर्धारित की हैं और उनका सही ढंग से पालन किया है।

2. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता

वर्ष 2022-23 के लिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण में आंतरिक नियंत्रण पर संक्षिप्त टिप्पणी इसके साथ अनुलग्नक के रूप में संलग्न है।

3. अचल परिसंपत्तियों के भौतिक सत्यापन की प्रणाली

अचल संपत्तियों के रजिस्टरों का रखरखाव केवल कंप्यूट्रीकृत रूप में किया जाता है। साथ ही, वर्ष 2022-23 के लिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण मुख्यालय की अचल परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन अप्रैल 2023 महीने के दौरान किया गया था। इसके अलावा, क्षेत्रीय कार्यालय, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया।

4. सामान-सूची की भौतिक सत्यापन प्रणाली

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण में किसी सामान-सूची का रखरखाव नहीं किया जा रहा है।

5. सांविधिक देय राशियों के भुगतान में नियमितता

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण सांविधिक देय राशियों के भुगतान में तत्पर है। लेखा संबंधी टिप्पणियों में कोई भी मामला नहीं पाया गया सभी मामलों का पहले से (अनुसूची 26) में प्रकटीकरण किया गया।

ह0/-
(रोली शुक्ला माल्गे)
प्रधान निदेशक, लेखापरीक्षा
(वित्त एवं संचार)

स्थानः दिल्ली
दिनांक : 26.10.2023

यूआईडीएआई
वार्षिक लेखा 2022-23

फार्म-क

31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र

(राशि ₹ में)

क्र.सं.	विवरण	अनुसूची	चालू वर्ष	गत वर्ष
	देयताएं			
1	समग्र /पूंजीगत निधि	1	7,50,76,70,875.12	10,59,19,84,576.55
2	भाविपप्रा निधि	1 क	18,16,33,60,726.92	9,00,45,15,114.01
3	आरक्षित और अधिशेष	2	-	-
4	निर्धारित/अक्षय निधि	3	-	-
5	प्रतिभूत ऋण और उधारी	4	-	-
6	अप्रतिभूत ऋण और उधारी	5	-	-
7	आस्थगित ऋण देयताएं	6	-	-
8	वर्तमान देयताएं और प्रावधान	7	4,51,25,93,821.89	4,89,85,31,937.84
	योग		**30,18,36,25,423.93**	**24,49,50,31,628.40**
	आस्तियां			
1	अचल आस्तियां	8	9,97,35,68,648.24	9,82,71,72,902.78
2	निर्धारित/अक्षय निधियों से निवेश	9	-	-
3	अन्य निवेश	10	-	-
4	वर्तमान आस्तियां, ऋण, अग्रिम इत्यादि	11	20,21,00,56,775.69	14,66,78,58,725.62
5	विविध व्यय (उस सीमा तक जहां उसे बट्टे खाते में डाला या समायोजित नहीं किया गया है)		-	-
	योग		**30,18,36,25,423.93**	**24,49,50,31,628.40**
	महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ	25		
	आकस्मिक देयताएं और लेखा टिप्पणियाँ	26		

नोटः- तुलन पत्र की सभी अनुसूचियां खाते का अंश होंगी।

ह0/-	ह0/-	ह0/-
निदेशक (लेखा)	उपमहानिदेशक	मुख्य कार्यकारी अधिकारी

दिनांक : 28 जून 2023
स्थानः नई दिल्ली

फार्म-ख

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय लेखा

(राशि ₹ में)

क्र.सं.	विवरण	अनुसूची	चालू वर्ष	गत वर्ष
	आय			
1	सेवाओं से आय	12	7,20,37,82,389.04	3,75,68,00,204.41
2	अनुदान/सब्सिडी	13	10,44,65,58,733.00	12,49,53,55,286.29
3	शुल्क/अभिदान	14	32,85,23,557.00	34,71,35,867.50
4	निवेश से आय निधि में अंतरित निर्धारित/अक्षय निधियों से निवेश पर आय)	15	-	-
5	रॉयल्टी,प्रकाशन आदि से आय	16	-	-
6	अर्जित ब्याज	17	77,37,31,257.00	17,17,01,577.00
7	अन्य आय	18	85,28,07,542.75	54,78,58,972.46
8	तैयार सामग्रियों और प्रगतिरत कार्य के स्टॉक में वृद्धि/ (कमी)	19	-	-
	योग (क)		**19,60,54,03,478.79**	**17,31,88,51,907.66**
	व्यय			
1	स्थापना व्यय	20	62,17,22,776.00	50,58,39,183.00
2	अन्य प्रशासनिक व्यय आदि	21	54,98,15,096.66	48,09,91,127.52
3	परिचालन व्यय	22	12,46,67,09,811.29	11,29,70,78,697.68
4	अनुदान, सब्सिडी आदि पर व्यय	23	-	-
5	ब्याज	24	96,31,588.46	-
6	मूल्यह्रास (साल के अंत में नेट योग - अनुसूची-8 के तदनुरूप)		1,08,28,06,537.61	91,46,99,971.27
	योग (ख)		**14,73,06,85,810.02**	**13,19,86,08,979.47**
	व्यय पर आय के अतिरिक्त शेष राशि (ग) = (क-ख)		**4,87,47,17,668.77**	**4,12,02,42,928.19**
	पूर्व अवधि व्यय (घ)		37,07,36,306.51	1,12,15,67,821.70
	पूर्व अवधि आय (ङ)		(5,15,05,849.10)	81,79,408.52
	पूर्व अवधि के अन्य समायोजन (च)		-	-

क्र.सं.	विवरण	अनुसूची	चालू वर्ष	गत वर्ष
	भाविपप्रा निधि को हस्तांतरण (छ)		**9,15,88,44,745.79**	**4,82,34,96,621.37**
	विशेष आरक्षित में हस्तांतरण(प्रत्येक को विनिर्दिष्ट करें)		-	-
	सामान्य आरक्षित से/ को हस्तांतरण		-	-
	अधिशेष के तौर पर शेष/ (घाटा) समग्र निधि को अग्रेणीत (ज)		**(4,70,63,69,232.63)**	**(1,81,66,42,106.36)**
	ज = (ग - घ + ङ+ च - छ)			
	महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ	25		
	आकस्मिक देयताएं और लेखा संबंधी टिप्पणियां	26		

नोटः- *आय और व्यय खाते की सभी अनुसूचियां खाते का अंश होंगी।*

ह0/-	ह0/-	ह0/-
निदेशक (लेखा)	**उपमहानिदेशक**	**मुख्य कार्यकारी अधिकारी**

दिनांक : 28 जून 2023
स्थानः नई दिल्ली

फार्म-ग

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए प्राप्ति और भुगतान लेखा

(राशि ₹ में)

क्र.सं.	विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
	प्राप्तियाँ		
1	प्रारंभिक शेष		
	क. नकदी शेष	24,32,994.00	18,79,114.00
	ख. बैंक शेष		
	i. चालू खातों में	38,47,63,552.93	1,49,83,50,692.02
	ii. जमा खातों में	10,17,36,32,691.28	4,13,35,80,304.74
	iii. बचत खाते	-	-
	iv. अन्य समायोजन	-	-
2	प्राप्त अनुदान / सब्सिडी		
	क. भारत सरकार से		
	i. अनुदान सहायता : सामान्य	9,87,07,00,000.00	12,01,97,00,000.00
	ii. अनुदान सहायता : वेतन	57,93,00,000.00	48,00,00,000.00
	iii. अनुदान सहायता : पूंजी	1,75,00,00,000.00	3,15,00,00,000.00
	ख. राज्य सरकार से	-	-
	ग. अन्य सूत्रों से (विवरण) (पूंजी और राजस्व व्यय के लिए अनुदान अलग से दिखाया जाए)	-	-
3	सेवाओं से आय	7,67,54,29,031.61	4,89,52,94,496.23
4	निवेश से आय		
	क. निर्धारित/अक्षय निधि	-	-
	ख. स्व निधि (अन्य निवेश)	27,28,14,13,963.93	52,82,21,20,292.74
5	प्राप्त ब्याज		
	क. बैंक जमा राशियों पर	20,43,58,465.00	9,01,77,176.37
	ख. ऋण, अग्रिम आदि	1,88,348.00	81,96,137.50
	ग. अन्य	4,53,869.00	91,69,330.00
6	अन्य आय (निविदा शुल्क, आरटीआई शुल्क आदि)	10,650.00	8,92,621.87

क्र.सं.	विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
7	उधार ली गई राशियाँ	-	-
8	अन्य प्राप्तियाँ (ब्योरा दें)		
	क. एनपीएस	-	-
	ख. छुट्टी वेतन पेंशन अंशदान	-	-
	ग. प्रतिभूति /जमा बयाना राशि/ नकदीकृत बैंक गारंटी	5,64,10,324.00	2,10,003.00
	घ. अग्रिमों की वापसी		
	i. गृह निर्माण अग्रिम	-	-
	ii. कार अग्रिम	-	-
	iii. मोटर साईकिल/ स्कूटर अग्रिम	-	-
	iv. कंप्यूटर अग्रिम	-	-
	v. अन्य अग्रिम	11,25,994.00	5,17,262.00
	vi. एलटीसी	11,59,555.00	6,81,355.00
	vii. सामान्य कार्यालय व्यय	3,14,779.00	3,26,066.00
	ङ. आयकर	4,31,76,991.00	9,65,19,320.00
	च. सेवा कर	-	-
	छ. विविध प्राप्तियाँ	22,76,857.54	1,69,160.00
	ज. जीएसटी/टीडीएस	32,98,72,451.57	24,68,08,831.39
	झ. राज्य प्राधिकरणों द्वारा वापस किया गया अग्रिम	14,86,47,623.28	5,39,02,304.00
	ञ. ठेकेदारों द्वारा वापस किया गया अग्रिम	-	-
	ट. अन्य प्राप्तियाँ	10,61,752.00	42,237.12
	ठ. अर्थदंड एवं परिनिर्धारित नुकसानी	20,021.00	1,37,64,777.00
	ड. स्क्रैप की बिक्री	62,722.00	61,406.94
	ढ. क्षेत्रीय कार्यालयों से प्राप्त निधि	1,50,69,54,670.00	1,10,29,07,015.00
	ण. वेंडरों की रोकी गयी राशि	-	-
	त. कर्जदारों से प्राप्त अग्रिम	-	-
	योग	**60,01,37,67,306.14**	**80,62,52,69,902.92**
	भुगतान		
1	स्थापना व्यय	48,07,74,665.60	38,08,81,696.65
2	अन्य प्राशासनिक व्यय	65,25,51,923.55	50,14,90,569.66

क्र.सं.	विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
3	परिचालन व्यय	11,61,71,06,284.55	9,92,95,23,253.60
4	विभिन्न परियोजनाओं के लिए निधि से भुगतान	-	-
5	किए गए निवेश और जमा राशि		
	क. निर्धारित/अक्षय निधि से	-	-
	ख. स्व-निधि से (निवेश - अन्य)	26,96,02,18,201.93	52,71,09,18,961.56
6	अचल आस्तियों और पूंजीगत प्रगतिरत कार्यों पर व्यय		
	क. अचल आस्तियों पर खरीद	38,61,30,795.98	2,75,10,77,439.00
	ख. पूंजीगत प्रगतिरत कार्यों पर व्यय	1,03,74,96,565.38	23,92,73,809.00
7	अधिशेष धन / ऋण की वापसी		
	क. भारत सरकार को	8,21,88,443.29	61,14,33,666.71
	ख. राज्य सरकार को	-	-
	ग. अन्य धन प्रदाताओं को	-	-
8	वित्त प्रभार (ब्याज)	96,31,588.46	-
9	अन्य भुगतान (विनिर्दिष्ट करें)		
	क. एनपीएस	-	-
	ख. छुट्टी वेतन पेंशन अंशदान	6,08,05,893.00	5,24,52,331.00
	ग. जमा बयाना राशि (ईएमडी)	-	-
	घ. अग्रिम		
	i. गृह निर्माण अग्रिम	-	-
	ii. कार अग्रिम	-	-
	iii. मोटर साईकिल/ स्कूटर अग्रिम	-	-
	iv. कंप्यूटर अग्रिम	-	-
	v. अन्य अग्रिम	46,32,308.00	44,64,571.00
	vi. सामान्य कार्यालय व्यय	13,30,887.00	7,99,693.00
	vii. एलटीसी	68,75,242.00	17,23,467.00
	viii. केंद्रीय/राज्य प्राधिकरण	1,37,58,09,999.00	1,42,33,54,503.60
	ङ. आयकर	-	-
	च. सेवा कर	-	-
	छ. विविध भुगतान	-	-
	ज. जीएसटी/टीडीएस	34,60,33,634.47	29,05,33,906.52

क्र.सं.	विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
	झ. ठेकेदारों को अग्रिम	3,37,00,800.00	-
	ञ. केएसआईआईडीसी को अग्रिम किराया	-	-
	ट. विद्युत विभाग के पास जमा	-	-
	ठ. सीआईएसएफ के पास जमा	-	-
	ड. यूपीसीआईडीसीओ के पास जमा (किराया)	-	-
	ढ. सीपीडब्लूडी के पास जमा (हैदराबाद)	-	-
	ण. जमा बयाना राशि की वापसी	-	-
	त. निविदा शुल्क वापसी	-	-
	थ. पूर्वभुगतान और अन्य	53,41,925.00	4,21,000.00
	द. देनदारों को वापसी	-	-
	ध. एजेंसियों के पास जमा - एफडी	-	-
	न. एजेंसियों के पास जमा - सीआईएसएफ	-	-
	प. एजेंसियों के पास जमा - टेलीफोन	-	-
	फ. एजेंसियों के पास जमा - अन्य	-	-
	ब. वेंडरों की रोकी गयी राशि	98,76,261.00	6,31,84,781.41
	भ. क्षेत्रीय कार्यालयों को अंतरित निधियां	1,50,48,34,958.00	1,10,29,07,015.00
10	अंत शेष		
	क. नकदी शेष	42,36,914.00	24,32,994.00
	ख. बैंक शेष		
	i. चालू खातों में	(9,03,71,966.91)	38,47,63,552.93
	ii. जमा खातों में	15,52,45,61,982.84	10,17,36,32,691.28
	iii. बचत खातों में	-	-
	योग	**60,01,37,67,306.14**	**80,62,52,69,902.92**

नोटः शीर्ष 4ख के तहत दिखाई गई प्राप्तियों और शीर्ष 5ख के तहत दिखाई गई भुगतान राशि वास्तव में चालू खाते में न्यूनतम सीमा से अधिक निधियों का स्वतः स्वीप है। स्वीप इन/आउट का शुद्ध प्रभाव भुगतान के बिंदु 10ख (ii) पर जमा खाते में बैंक में जमा राशि के रूप में अलग से दिखाया गया है।

ह0/-
निदेशक (लेखा)

ह0/-
उपमहानिदेशक

ह0/-
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

दिनांक : 28 जून 2023
स्थानः नई दिल्ली

अनुसूची 1 – समग्र/पूंजीगत निधि

31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार तुलन- पत्र का संरूपित भाग

(राशि ₹ में)

क्र.सं.	विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
1	वर्ष के प्रारम्भ की स्थिति के अनुसार शेष राशि	10,59,19,84,576.55	9,68,09,80,269.09
2	जोड़ें : समग्र /पूंजीगत निधि हेतु अंशदान	1,74,99,99,132.88	3,14,99,99,702.89
3	जोड़ें/(घटायें) : आय और व्यय खाते के अंतरित शुद्ध आय / (व्यय) का संतुलन	(4,70,63,69,232.63)	(1,81,66,42,106.36)
4	जोड़ें/(घटायें) : पूर्व वर्ष की देयताएं समग्र (कॉर्पस) को हस्तांतरित	(12,79,43,601.68)	(42,23,53,289.07)
	वर्ष के अंत में शेष राशि	**7,50,76,70,875.12**	**10,59,19,84,576.55**

ह0/-
निदेशक (लेखा)

ह0/-
उपमहानिदेशक

अनुसूची 1 क- भाविपप्रा निधि

31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार तुलन- पत्र का संरूपित भाग

(राशि ₹ में)

क्र.सं.	विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
1	वर्ष के प्रारम्भ की स्थिति के अनुसार शेष राशि	9,00,45,15,114.01	4,30,76,03,570.83
2	जोड़ें/(घटायें): आय और व्यय खाते से हस्तांतरित भाविपप्रा द्वारा सृजित शुद्ध अधिशेष अनुदान और स्वामित्व आय	9,15,88,44,745.79	4,82,34,96,621.37
3	जोड़ें /(घटायें): भाविपप्रा निधि से/में समायोजन	867.12	(12,65,85,078.19)
	वर्ष के अंत में शेष राशि	**18,16,33,60,726.92**	**9,00,45,15,114.01**

ह0/-
निदेशक (लेखा)

ह0/-
उपमहानिदेशक

अनुसूची 2 - आरक्षित और अधिशेष

31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार तुलन- पत्र का संरूपित भाग

(राशि ₹ में)

क्र.सं.	विवरण	चालू वर्ष		गत वर्ष	
1	**आरक्षित पूंजी**				
	पिछले लेखों के अनुसार				
	वर्ष के दौरान आवर्धन				
	घटाना: वर्ष के दौरान कटौतियाँ				
2	**पुनर्मूल्यांकन आरक्षित**				
	पिछले लेखों के अनुसार				
	वर्ष के दौरान आवर्धन				
	घटाना : वर्ष के दौरान कटौतियाँ				
3	**विशेष आरक्षित**				
	पिछले लेखों के अनुसार				
	वर्ष के दौरान आवर्धन				
	घटाना : वर्ष के दौरान कटौतियाँ				
4	**सामान्य आरक्षित**				
	पिछले लेखों के अनुसार				
	वर्ष के दौरान आवर्धन				
	घटाना: वर्ष के दौरान कटौतियाँ				
	योग				

ह0/-
निदेशक (लेखा)

ह0/-
उपमहानिदेशक

अनुसूची 3 - निर्धारित/अक्षय निधियां

31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार तुलन- पत्र का संरूपित भाग

(राशि ₹ में)

क्र.सं.	विवरण	निधीवर विवरण				कुल	
		निधि वेतन	निधि सामान्य	निधि अचल आस्तियां	निधि राजस्व	चालू वर्ष	गत वर्ष
1	**निधियों का अधिशेष**	-	-	-	-	-	-
2	**निधियों में आवर्धन**						
	क. दान/अनुदान	-	-	-	-	-	-
	ख. निधि के खातों में किए गए निवेश से आय	-	-	-	-	-	-
	ग. लाइसेंस आय	-	-	-	-	-	-
	घ. अधिप्रमाणन सेवाओं से आय	-	-	-	-	-	-
	ङ. नामांकन सेवाओं से आय	-	-	-	-	-	-
	च. आधार पुनर्मुद्रण से आय	-	-	-	-	-	-
	छ. पीवीसी कार्ड सेवाओं से आय	-	-	-	-	-	-
	ज. एसएसयूपी सेवाओं से आय	-	-	-	-	-	-
	झ. जुमार्ना, परिनिर्धारित नुकसानी एवं दंडात्मक कार्रवाई	-	-	-	-	-	-
	ञ. स्क्रैप की बिक्री	-	-	-	-	-	-
	ट. अन्य आय (ब्याज,किराया, लाइसेंस शुल्क के अलावा अन्य शुल्क आदि)	-	-	-	-	-	-
	ठ. वित्त वर्ष 2018-19 के सहायता अनुदान पर ब्याज वर्तमान देनदारियों को हस्तांतरित किया गया	-	-	-	-	-	-
	ड. भाविपप्रा निधि में उपलब्ध भाविपप्रा आय					-	-
	योग (2)	-	-	-	-	-	-

मेरा आधार, मेरी पहचान

क्र.सं.	विवरण	निधीवर विवरण				कुल	
		निधि वेतन	निधि सामान्य	निधि अचल आस्तियां	निधि राजस्व	चालू वर्ष	गत वर्ष
3	**निधियों के उद्देश्यों के समक्ष उपयोग/व्यय**	-					
	क. पूंजीगत व्यय						
	i. अचल परिसंपत्ति	-	-	-	-	-	-
	ii. अन्य	-	-	-	-	-	-
	योग					-	-
	ख. राजस्व व्यय						
	i. वेतन, मजदूरी और भत्ते आदि	-	-	-	-	-	-
	ii. किराया	-	-	-	-	-	-
	iii. अन्य प्रशासनिक व्यय	-	-	-	-	-	-
	ग. केंद्र सरकार के पास जमा	-	-	-	-	-	-
	योग					-	-
	योग (3)	-	-	-	-	-	-
	वर्ष के अंत में निवल शेष (1 + 2-3)	-	-	-	-	-	-

नोट :-
1) अनुदान के लिए निर्धारित शर्तों के आधार पर प्रासंगिक शीर्षों का प्रकटीकरण किया जाएगा।
2) केंद्र/राज्य सरकारों से प्राप्ति योजना निधियों को अलग निधि के रूप में दर्शाया जाना चाहिए और किन्हीं अन्य निधियों के साथ न मिलाया जाए।

ह0/-
निदेशक (लेखा)

ह0/-
उपमहानिदेशक

अनुसूची 4 - प्रतिभूत ऋण और उधारियां

31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार तुलन- पत्र का संरूपित भाग

(राशि ₹ में)

क्र.सं.	विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
1	**केंद्र सरकार**		
2	**राज्य सरकार (विनिर्दिष्ट करें)**		
3	**वित्तीय संस्थाएं**		
	क. मियादी ऋण		
	उपार्जित और देय ब्याज		
4	**बैंक:**		
	क. मियादी ऋण		
	उपार्जित और देय ब्याज		
	ख. अन्य ऋण (निर्दिष्ट करें)		
	उपार्जित और देय ब्याज		
5	**अन्य संस्थाएं और एजेंसियां**		
6	**डिबेंचर और बॉन्ड**		
7	**अन्य (विनिर्दिष्ट करें)**		
	योग		

नोट: *एक वर्ष के भीतर देय राशि*

ह0/-
निदेशक (लेखा)

ह0/-
उपमहानिदेशक

अनुसूची 5 - अप्रतिभूत ऋण और उधारियां

31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार तुलन- पत्र का संरूपित भाग

(राशि ₹ में)

क्र.सं.	विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
1	**केंद्र सरकार**		
2	**राज्य सरकार (विनिर्दिष्ट करें)**		
3	**वित्तीय संस्थाएं**		
	क. मियादी ऋण		
	उपार्जित और देय ब्याज		
4	**बैंक:**		
	क. मियादी ऋण		
	उपार्जित और देय ब्याज		
	ख. अन्य ऋण (विनिर्दिष्ट करें)		
	उपार्जित और देय ब्याज		
5	**अन्य संस्थाएं और एजेंसियां**		
6	**डिबेंचर और बॉन्ड**		
7	**सावधि जमा**		
8	**अन्य (विनिर्दिष्ट करें)**		
	योग		

नोट: *एक वर्ष के भीतर देय राशि*

ह0/-
निदेशक (लेखा)

ह0/-
उपमहानिदेशक

अनुसूची 6 - आस्थगित ऋण देयताएं

31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार तुलन- पत्र का संरूपित भाग

(राशि ₹ में)

क्र.सं.	विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
1	पूंजीगत उपकरणो और अन्य आस्तियों के दृष्टिबंधक द्वारा प्रतिभूत स्वीकृतियाँ		
2	अन्य		
	योग		

नोट: *एक वर्ष के भीतर देय राशि*

ह0/-
निदेशक (लेखा)

ह0/-
उपमहानिदेशक

अनुसूची 7- वर्तमान देयताएं एवं प्रावधान

31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार तुलन- पत्र का संरूपित भाग

(राशि ₹ में)

क्र सं.	विवरण	चालू वर्ष	चालू वर्ष	गत वर्ष	गत वर्ष
	वर्तमान देयताएं				
1	**स्वीकृतियाँ**	**-**	**-**	**-**	**-**
2	**विविध लेनदार**				
	क. माल एवं सेवाएं हेतु	-	1,51,87,22,202.29		1,53,54,96,761.87
	ख. अन्य	-	27,85,29,442.30		12,68,86,115.87
3	**प्राप्त अग्रिम**	**-**	34,56,86,358.39		59,64,97,213.45
4	**उपार्जित अदेय ब्याज**				
	क. जमानती ऋण /उधार	-	-		-
	ख. गैर- जमानती ऋण/ उधार	-	-		-
5	**सांविधिक देयताएं**				
	क. अतिदेय	-	-		-
	ख. अन्य	-	5,70,23,675.80		7,77,64,341.27
6	**अन्य वर्तमान देयता**				
	क. अनुदान - पूंजी निर्माण	-			
	प्रारंभिक शेष	-		-	
	जोड़ें : वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान	1,75,00,00,000.00		3,15,00,00,000.00	
	घटायें : वर्ष के दौरान उपयोग किए गए अनुदान	1,74,99,99,132.88		3,14,99,99,702.89	
		867.12		**297.11**	
	घटायें: कॉर्पस में हस्तांतरित	**-**			
		867.12		**297.11**	
	घटायें : भाविपप्रा निधि में / से हस्तांतरित	**867.12**	**-**	**297.11**	**-**
	ख. अनुदान - वेतन				
	प्रारंभिक शेष	-		-	
	वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान	57,93,00,000.00		48,00,00,000.00	
	घटायें: आय को हस्तांतरित राजस्व अनुदान	57,59,20,219.00		47,62,79,015.00	
		33,79,781.00		**37,20,985.00**	

क्र सं.	विवरण	चालू वर्ष	चालू वर्ष	गत वर्ष	गत वर्ष
	घटायें: भावीपप्रा निधि में हस्तांतरित	**-**	**-**	**37,18,765.00**	**-**
		33,79,781.00		**2,220.00**	
	घटायें: सीएफआई को हस्तांतरित	**33,79,781.00**		**2,220.00**	
	ग. अनुदान - सामान्य				
	प्रारंभिक शेष	-		-	
	वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान	9,87,07,00,000.00		12,01,97,00,000.00	
	घटायें: आय को हस्तांतरित राजस्व अनुदान	9,87,06,38,514.00		12,01,90,76,271.29	
		61,486.00		6,23,728.71	
	घटायें : भाविपप्रा निधि में /से हस्तांतरित अव्ययित अनुदान	**-**		-	
	घटायें: भाविपप्रा निधि में /से हस्तांतरित भाविपप्रा आय	**-**	**-**	**-**	**-**
		61,486.00		**6,23,728.71**	
	घटायें: सीएफआई को हस्तांतरित	**61,486.00**		**6,23,728.71**	
	घ. प्रतिधारित आय : केंद्र सरकार				
	प्रारंभिक शेष	**2,44,88,037.80**		**9,25,35,982.30**	
	क. निधि के निवेश से प्राप्त आय	-		-	
	ख. लाइसेंस से आय एवं एनआरडी	-		-	
	ग. जुमार्ना, परिनिर्धारित नुकसानी एवं दंडात्मक कार्रवाई	-		-	
	घ. स्क्रैप की बिक्री	-		-	
	ङ. ब्याज से आय	-		2,44,88,037.50	
	च. अन्य आय	-		-	
		2,44,88,037.80		**11,70,24,019.80**	
	घटायें : केंद्र सरकार को वापसी	2,44,88,037.80		9,25,35,982.00	
	शेष निधि	**-**		**2,44,88,037.80**	
	घटायें : कॉर्पस में हस्तांतरित	-		-	
	जोड़ें : कॉर्पस से हस्तांतरित वित्त वर्ष 2017-18 से संबंधित राशि	-	-	-	-

क्र सं.	विवरण	चालू वर्ष	चालू वर्ष	गत वर्ष	गत वर्ष
	जोड़ें : भाविपप्रा निधि से हस्तांतरित वित्त वर्ष 2018-19 के अनुदानों पर प्राप्त ब्याज	-	-	-	2,44,88,037.80
	योग (क)		**2,19,99,61,678.78**		**2,36,11,32,470.26**
	प्रावधान				
1	कराधान के लिए		-		-
2	उपदान		-		-
3	अधिवर्षिता /पेंशन अंशदान		-		-
4	संचित छुट्टी नकदीकरण		-		-
5	व्यापार वारंटियाँ /दावे		-		-
6	देय छुट्टी वेतन		-		-
7	अन्य (वेतन, सामान्य कार्यालय एवं अन्य प्रासंगिक देय)		2,31,26,32,143.11		2,53,73,99,467.58
	योग (ख)		**2,31,26,32,143.11**		**2,53,73,99,467.58**
	योग (क+ख)		**4,51,25,93,821.89**		**4,89,85,31,937.84**

ह0/-
निदेशक (लेखा)

ह0/-
उपमहानिदेशक

अनुसूची 8- अचल आस्तियां

31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार तुलन- पत्र का संरूपित भाग

(राशि ₹ में)

विवरण	सकल ब्लॉक					संचित मूल्यह्रास					निवल ब्लॉक	
	वर्ष के प्रारंभ में लागत/मूल्यांकन (01/04/2022)	वर्ष के दौरान आवर्धन	वर्ष के दौरान कटौतियाँ	समायोजन	वर्ष की समाप्ति पर लागत/ मूल्यांकन	01/04/2022 के अनुसार	वर्ष के दौरान आवर्धन	वर्ष के दौरान कटौतियाँ	समायोजन	31/03/2023 के अनुसार	31/03/2023 के अनुसार	गत वर्ष 31/03/2022 की स्थिति के अनुसार
(1) और (2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)		(10)	(11)	(12)
अचल आस्तियां												
1. भूमि												
क. पूर्ण स्वामित्व में	72,31,25,697.46	-	-	-	72,31,25,697.46	-	-	-	-	-	72,31,25,697.46	72,31,25,697.46
ख. पट्टे पर	9,87,64,050.00	-	-	-	9,87,64,050.00	3,54,55,842.97	32,92,135.00	-	-	3,87,47,977.97	6,00,16,072.03	6,33,08,207.03
योग (1)	**82,18,89,747.46**	**-**	**-**	**-**	**82,18,89,747.46**	**3,54,55,842.97**	**32,92,135.00**	**-**	**-**	**3,87,47,977.97**	**78,31,41,769.49**	**78,64,33,904.49**
2. कार्यालय भवन और डेटा सेंटर :												
क. पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि पर	1,96,17,52,817.00	-	-	-	1,96,17,52,817.00	14,45,35,499.87	3,10,61,086.27	-	-	17,55,96,586.14	1,78,61,56,230.86	1,81,72,17,317.13
ख. पट्टे पर दी गयी भूमि पर	1,15,00,00,000.00	-	-	-	1,15,00,00,000.00	12,36,37,077.62	1,82,08,333.33	-	-	14,18,45,410.95	1,00,81,54,589.05	1,02,63,62,922.38
ग. स्वामित्व अधीन फ्लैट/परिसर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
घ. संस्था से असंबंधित भूमि पर सुपरस्ट्रक्चर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
योग (2)	**3,11,17,52,817.00**	**-**	**-**	**-**	**3,11,17,52,817.00**	**26,81,72,577.49**	**4,92,69,419.60**	**-**	**-**	**31,74,41,997.09**	**2,79,43,10,819.91**	**2,84,35,80,239.51**
3. संयंत्र मशीनरी और उपकरण												
क. मशीनरी और उपकरण	1,89,38,52,053.82	-	18,135.60	-	1,89,38,33,918.22	82,01,29,174.17	11,99,42,814.82	1,419.21	-	94,00,70,569.78	95,37,63,348.44	1,07,37,22,879.65
ख. प्रोद्योगिकी अवसंरचना (सर्वर एवं डीपीयू)	18,21,25,02,733.85	4,22,58,510.29	-	-	18,25,47,61,244.14	14,26,02,30,189.74	59,96,40,237.95	-	-	14,85,98,70,427.69	3,39,48,90,816.45	3,95,22,72,544.11
ग. यूबीसीसी अवसंरचना	-		-		-	-		-	-	-	-	-

विवरण	सकल ब्लॉक					संचित मूल्यह्रास					निवल ब्लॉक	
	वर्ष के प्रारंभ में लागत/मूल्यांकन (01/04/2022)	वर्ष के दौरान आवर्धन	वर्ष के दौरान कटौतियाँ	समायोजन	वर्ष की समाप्ति पर लागत/ मूल्यांकन	01/04/2022 के अनुसार	वर्ष के दौरान आवर्धन	वर्ष के दौरान कटौतियाँ	समायोजन	31/03/2023 के अनुसार	31/03/2023 के अनुसार	गत वर्ष 31/03/2022 की स्थिति के अनुसार
घ. सूचना प्रोद्योगिकी (सॉफ्टवेयर)	1,20,94,56,707.24	8,74,13,305.14	96,259.28	-	1,29,67,73,753.10	93,22,73,107.50	18,94,46,753.29	39,646.49	28,77,004.63	1,12,45,57,218.93	17,22,16,534.17	27,71,83,599.74
ड. यूसीएफएफआईएल	-	1,80,67,807.40	-	-	1,80,67,807.40	-	7,37,038.36	-	-	7,37,038.36	1,73,30,769.04	-
योग (3)	**21,31,58,11,494.91**	**14,77,39,622.83**	**1,14,394.88**		**21,46,34,36,722.86**	**16,01,26,32,471.41**	**90,97,66,844.42**	**41,065.70**	**28,77,004.63**	**16,92,52,35,254.76**	**4,53,82,01,468.10**	**5,30,31,79,023.50**
4. वाहन	14,60,515.00		-	-	14,60,515.00	6,78,098.26	1,70,956.89	-	-	8,49,055.15	6,11,459.85	7,82,416.74
5. फर्नीचर एवं फिक्सचर	8,34,82,454.86	11,28,615.92		-	8,46,11,070.78	4,97,00,970.81	63,75,844.84	-	-	5,60,76,815.65	2,85,34,255.13	3,37,81,484.05
6. कार्यालयी उपकरण	9,97,35,421.97	34,35,157.41	1,17,59,673.18	-	9,14,10,906.20	7,07,79,764.78	75,69,974.58	27,31,391.53	-	7,56,18,347.83	1,57,92,558.37	2,89,55,657.19
7.कंप्यूटर / पेरिफेरल (डेस्कटॉप ,प्रिंटर एवं अन्य)	70,59,22,443.37	20,12,02,085.85	15,35,891.36	-	90,55,88,637.86	54,81,91,701.60	9,37,36,853.93	13,41,822.37	-	64,05,86,733.16	26,50,01,904.70	15,77,30,741.78
8. विद्युत संस्थापन	1,81,01,406.05	1,49,67,295.70	-	-	3,30,68,701.75	61,28,064.89	21,98,974.14	-	-	83,27,039.03	2,47,41,662.72	1,19,73,341.16
9. पुस्तकालयी किताबें	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. अन्य अचल आस्तियां												
क. लैपटॉप एवं टेबलेट	4,71,24,240.19	1,26,76,175.40	1,56,12,318.99	6,70,018.00	4,48,58,114.60	2,96,05,781.62	80,50,256.99	1,35,10,391.49	5,93,043.85	2,47,38,690.97	2,01,19,424.15	1,75,18,458.57
ख. मोबाइल फोन	1,31,34,915.25	34,72,863.90	67,86,733.68	3,11,237.00	1,01,32,282.47	98,90,858.29	23,75,277.22	61,30,183.00	2,78,344.78	64,14,297.29	37,17,985.18	32,44,056.96
योग (10)	**6,02,59,155.44**	**1,61,49,039.30**	**2,23,99,052.67**	**9,81,255.00**	**5,49,90,397.07**	**3,94,96,639.91**	**1,04,25,534.21**	**1,96,40,574.49**	**8,71,388.63**	**3,11,52,988.26**	**2,38,37,409.33**	**2,07,62,515.53**
चालू वर्ष का योग (1+2 +3+4 +5+6+7+8+9+10)	**26,21,84,15,456.06**	**38,46,21,817.01**	**3,58,09,012.09**	**9,81,255.00**	**26,56,82,09,515.98**	**17,03,12,36,132.12**	**1,08,28,06,537.61**	**2,37,54,854.09**	**37,48,393.26**	**18,09,40,36,208.90**	**8,47,41,73,307.60**	**9,18,71,79,323.95**
गत वर्ष	**22,87,19,14,718.87**	**3,35,09,03,982.18**	**44,03,244.99**	**-**	**26,21,84,15,456.06**	**16,11,28,68,519.04**	**91,46,99,971.27**	**40,76,279.49**	**77,43,921.29**	**17,03,12,36,132.12**	**9,18,71,79,323.95**	**6,75,90,46,199.83**
प्रगतिरत पूंजीगत कार्य	63,99,93,578.83	93,51,56,314.52	7,57,54,552.71		1,49,93,95,340.64						1,49,93,95,340.64	63,99,93,578.83
समग्र योग	**26,85,84,09,034.89**	**1,31,97,78,131.53**	**11,15,63,564.80**	**9,81,255.00**	**28,06,76,04,856.62**	**17,03,12,36,132.12**	**1,08,28,06,537.61**	**2,37,54,854.09**	**37,48,393.26**	**18,09,40,36,208.90**	**9,97,35,68,648.24**	**9,82,71,72,902.78**

(उपर्युक्त में शामिल किराया,खरीद आधार पर आस्तियों की लागत के बारे में टिप्पणी दी जानी है।)

ह0/-
निदेशक (लेखा)

ह0/-
उपमहानिदेशक

आधार
मेरा आधार, मेरी पहचान

अनुसूची 9 - निर्धारित/अक्षय निधि से निवेश

31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार तुलन- पत्र का संरूपित भाग

(राशि ₹ में)

क्र.सं.	विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
1	सरकारी प्रतिभूतियाँ		
2	अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ		
3	शेयर		
4	डिबेंचर और बॉन्ड		
5	अनुषंगी एवं संयुक्त उद्यम		
6	अन्य (विनिर्दिष्ट किया जाए)		
	योग		

ह0/-
निदेशक (लेखा)

ह0/-
उपमहानिदेशक

अनुसूची 10 - अन्य निवेश

31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार तुलन- पत्र का संरूपित भाग

(राशि ₹ में)

क्र.सं.	विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
1	सरकारी प्रतिभूतियाँ		
2	अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ		
3	शेयर		
4	डिबैंचर और बॉन्ड		
5	अनुषंगी एवं संयुक्त उद्यम		
6	अन्य (विनिर्दिष्ट किया जाए)		
	क. ऑटो स्वीप के रूप में बैंको में सावधि जमा		
	ख. एफडी प्रोजेक्ट - ईआइएल		
	योग		

ह0/-
निदेशक (लेखा)

ह0/-
उपमहानिदेशक

अनुसूची 11 - वर्तमान आस्तियां, ऋण एवं अग्रिम इत्यादि

31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार तुलन- पत्र का संरूपित भाग

(राशि ₹ में)

क्र.सं.	विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
	क. वर्तमान आस्तियां		
1	**वस्तु सूची**		
	क. स्टोर और स्पेयर्स	-	-
	ख. फुटकर उपकरण	-	-
	ग. व्यापारिक स्टॉक	-	-
	i. तैयार सामग्री	-	-
	ii. प्रगति अधीन - कार्य	-	-
	iii. कच्चा माल	-	-
2	**विविध देनदार**		
	क. छः महीने से अधिक अवधि के लिए बकाया ऋण	8,93,73,042.65	19,68,64,703.10
	ख. अन्य	1,00,72,00,153.20	37,90,98,638.60
3	**हस्तगत रोकड़ (चेक /ड्राफ्ट एवं इम्प्रेस्ट सहित)**	42,36,914.00	24,32,994.00
4	**बैंकों में शेष राशि**		
	क. अनुसूचित बैंकों के साथ		
	i. चालू खातो में	(9,03,71,966.91)	38,47,63,552.93
	ii. मियादी जमा खातों में (मार्जिन राशि सहित)	15,52,45,61,982.84	10,17,36,32,691.28
	iii. बचत बैंक जमा खातो में	-	-
	ख. गैर - अनुसूचित बैंकों के साथ		
	i. चालू खातों में	-	-
	ii. मियादी जमा खातों में	-	-
	iii. बचत बैंक जमा खातों में	-	-
5	**डाकघर बचत खाते**	**-**	**-**
6	**अन्य**	**-**	**-**
	योग (क)	**16,53,50,00,125.78**	**11,13,67,92,579.91**
	ख. ऋण,अग्रिम,एवं अन्य आस्तियां		
1	**ऋण**		
	क. स्टाफ		
	i. एलटीसी अग्रिम	13,60,091.00	9,24,037.00
	ii. सामान्य कार्यालय व्यय	5,70,103.34	8,39,738.00

क्र.सं.	विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
	ख. संस्था के समान कार्यक्रमों/उद्देश्यों में लगी हुई अन्य संस्थाएं	-	-
	ग. अन्य (टीए एवं अन्य अग्रिम)	11,65,955.00	17,99,993.20
2	**नकदी या वस्तु के रूप में या प्राप्य मूल्य के लिए वसूली योग्य अग्रिम और अन्य राशियाँ**		
	क. पूंजी खाते में	30,23,62,325.03	17,78,69,642.95
	ख. पूर्व -भुगतान	55,67,967.00	38,49,175.00
	ग. प्रतिभूति जमा	9,59,10,375.00	8,20,80,278.86
	घ. अन्य		
	i. प्राप्य टीडीएस	34,17,79,890.19	16,72,99,023.66
	ii. बीओसी , राज्य सरकार (आईसीटी सहायता), डीओपी आदि	1,13,87,05,277.87	1,53,55,78,625.60
	iii. ठेकेदार	1,19,51,821.00	1,19,39,077.00
	iv. जी एस टी इनपुट टैक्स क्रेडिट	1,54,52,93,375.15	1,51,72,77,710.11
3	**उपार्जित आय**		
	क. निर्धारित/अक्षय निधियों से निवेश पर	-	-
	ख. अन्य निवेश पर	-	-
	ग. ऋण और अग्रिम पर	-	-
	घ. अन्य (अप्राप्य देय आय रुपए ..... सहित है)		
	i. अनुसूचित बैंकों में जमा पर	23,03,89,469.33	3,16,08,844.33
4	**प्राप्त दावे**	**-**	**-**
	योग (ख)	**3,67,50,56,649.91**	**3,53,10,66,145.71**
	योग (क +ख)	**20,21,00,56,775.69**	**14,66,78,58,725.62**

ह0/-
निदेशक (लेखा)

ह0/-
उपमहानिदेशक

अनुसूची 12 – सेवाओं से आय

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के अनुसार आय और व्यय लेखा का संरूपित भाग

(राशि ₹ में)

क्र.सं.	विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
1	प्रमाणीकरण सेवाएँ	5,44,97,44,104.20	2,46,84,61,811.04
2	नामांकन सेवाएं	30,96,26,045.35	24,89,34,866.56
3	अन्य		
	क) आधार पुनर्मुद्रण	-	-
	ख) ऑर्डर आधार कार्ड (ओएसी) सेवा	49,40,46,473.99	54,08,04,091.82
	ग) स्व-सेवा अद्यतन पोर्टल (एस एस यू पी)	95,03,65,765.50	49,85,99,434.99
	योग	**7,20,37,82,389.04**	**3,75,68,00,204.41**

ह0/-
निदेशक (लेखा)

ह0/-
उपमहानिदेशक

अनुसूची 13 – अनुदान/सब्सिडी

(प्राप्त अपरिवर्तनीय अनुदान और सब्सिडी)

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखा का संरूपित भाग

(राशि ₹ में)

क्र.सं.	विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
1	केंद्र सरकार		
	क. अनुदान - वेतन	57,59,20,219.00	47,62,79,015.00
	ख. अनुदान - सामान्य	9,87,06,38,514.00	12,01,90,76,271.29
2	राज्य सरकारें	-	-
3	सरकारी एजेंसियां	-	-
4	संस्थान/कल्याण निकाय	-	-
5	अंतर्राष्ट्रीय संगठन	-	-
6	अन्य (विनिर्दिष्ट करें)		
	क. भाविपप्रा निधि में उपलब्ध अव्ययित अनुदान	-	-
	ख. भाविपप्रा निधि में उपलब्ध भाविपप्रा आय	-	-
	योग	**10,44,65,58,733.00**	**12,49,53,55,286.29**

ह0/-
निदेशक (लेखा)

ह0/-
उपमहानिदेशक

अनुसूची 14 - शुल्क/अभिदान

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखा का संरूपित भाग

(राशि ₹ में)

क्र.सं.	विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
1	प्रवेश शुल्क	-	-
2	वार्षिक शुल्क/अभिदान	-	-
3	सेमिनार/कार्यक्रम शुल्क	-	-
4	व्यावसायिक/परामर्शी सेवाएं	-	-
5	लाइसेंस शुल्क	32,85,12,907.00	34,71,19,118.00
6	अन्य (आरटीआई शुल्क, निविदा शुल्क, आरएफपी शुल्क आदि)	10,650.00	16,749.50
	योग	**32,85,23,557.00**	**34,71,35,867.50**

ह0/-
निदेशक (लेखा)

ह0/-
उपमहानिदेशक

अनुसूची 15 – निवेशों से आय

(निधियों को अंतरित निर्धारित/अक्षय निधियों से निवेश पर आय)

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखा का संरूपित भाग

(राशि ₹ में)

क्र.सं.	विवरण	निर्धारित निधि से निवेश	निर्धारित निधि से निवेश	अन्य निवेश	अन्य निवेश
		चालू वर्ष	गत वर्ष	चालू वर्ष	गत वर्ष
1	**ब्याज**				
	क. सरकार प्रतिभूतियों पर				
	ख. अन्य बॉन्ड /डिबेंचर				
	ग. अन्य				
2	**लाभांश**				
	क. शेयरों पर				
	ख. म्यूचुअल फंड पर				
	ग. अन्य (विनिर्दिष्ट करें)				
	योग				
	निर्धारित /अक्षय निधि में हस्तांतरित				

ह0/-
निदेशक (लेखा)

ह0/-
उपमहानिदेशक

अनुसूची 16 - रॉयल्टी, प्रकाशन आदि से आय

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय लेखा का संरूपित भाग

(राशि ₹ में)

क्र.सं.	विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
1	रॉयल्टी से आय		
2	प्रकाशनों से आय		
3	अन्य (विनिर्दिष्ट करें)		
	योग		

ह0/-
निदेशक (लेखा)

ह0/-
उपमहानिदेशक

अनुसूची 17 - अर्जित ब्याज

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय लेखा का संरूपित भाग

(राशि ₹ में)

क्र.सं.	विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
1	**सावधि जमा राशियों पर**		
	क. अनुसूचित बैंको से		
	i. अनुदान सहायता प्राप्तियों पर	-	-
	ii. अन्य प्राप्तियों पर	77,32,77,388.00	16,25,32,247.00
	ख. गैर - अनुसूचित बैंको से	-	-
	ग. संस्थानो से	-	-
	घ. अन्य (ईआईएल के साथ एस्क्रो खाता)	-	-
2	**बचत खातों पर**		
	क. अनुसूचित बैंको से	-	-
	ख. गैर - अनुसूचित बैंको से	-	-
	ग. डाकघर बचत खाते	-	-
	घ. अन्य	-	-
3	**ऋणों पर**		
	क. कर्मचारी/स्टाफ	-	-
	ख. अन्य	-	-
4	**ऋणों एवं प्राप्य राशियों पर ब्याज**		
	क. आयकर विभाग	4,53,869.00	91,69,330.00
	ख. अन्य	-	-
	योग	**77,37,31,257.00**	**17,17,01,577.00**

नोट - *स्रोत पर काटा गया कर दर्शाया जाए।*

i *वित्तीय वर्ष 2022-2023 में ब्याज पर 4,96,81,583/- रुपये टी.डी.एस. की कटौती।*

ii *बिंदु 1 (क) (ii) में दिखाया गया 77,32,77,388/- रुपये का ब्याज बैंकों के चालू खाते में ऑटोस्वीप/सावधि जमा व्यवस्था पर अर्जित ब्याज है।*

ह0/-
निदेशक (लेखा)

ह0/-
उपमहानिदेशक

अनुसूची 18 - अन्य आय

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय लेखा का संरूपित भाग

(राशि ₹ में)

क्र.सं.	विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
1	आस्तियों की बिक्री / निपटान पर लाभ		
	क. स्वामित्व अधीन परिसंपत्ति	-	-
	ख. अनुदान से अधिग्रहित परिसंपत्ति , या निःशुल्क प्राप्त	(4,26,197.90)	(25,087.32)
2	वसूल परिनिर्धारित नुकसानी, अर्थदण्ड	84,58,91,487.40	54,60,96,227.84
3	विविध सेवाओं के लिए शुल्क	-	-
4	किराया	6,09,014.54	5,70,000.00
5	विविध आय	67,33,238.71	12,17,831.94
	योग	**85,28,07,542.75**	**54,78,58,972.46**

ह0/-
निदेशक (लेखा)

ह0/-
उपमहानिदेशक

अनुसूची 19 – तैयार सामग्रियों और प्रगति अधीन कार्यों के स्टॉक में वृद्धि/(कमी)

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय लेखा का संरूपित भाग

(राशि ₹ में)

क्र.सं.	विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
1	अंतिम स्टॉक		
	क. तैयार सामग्री		
	ख. प्रगतिरत कार्य		
2	घटायें : प्रारंभिक शेष		
	क. तैयार सामग्री		
	ख. प्रगतिरत कार्य		
	निवल वृद्धि /(कमी) [1-2]		

ह0/-
निदेशक (लेखा)

ह0/-
उपमहानिदेशक

अनुसूची 20 - स्थापना व्यय

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय लेखा का संरूपित भाग

(राशि ₹ में)

क्र.सं.	विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
1	वेतन और मजदूरी	49,32,23,982.00	41,46,03,180.00
2	समयोपरि भत्ता	-	-
3	भत्ते और बोनस	1,03,30,103.60	24,88,624.00
4	चिकित्सा उपचार	66,25,036.00	58,91,265.00
5	शिक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति	35,45,710.00	43,98,737.00
6	घरेलू यात्रा व्यय	3,42,46,541.52	1,52,09,270.00
7	विदेश यात्रा व्यय	8,91,387.88	0.00
8	एनपीएस का अंशदान	1,13,63,752.00	92,61,227.00
9	उपदान निधि के लिए अंशदान	23,21,440.00	2,91,250.00
10	अवकाश वेतन पेंशन अंशदान	5,34,38,178.00	5,20,04,190.00
11	कर्मचारियों की सेवानिवृति एवं सेवांत लाभों पर व्यय	-	-
12	अन्य निधि में अंशदान	-	-
13	कर्मचारी कल्याण व्यय	-	-
14	अन्य (अवकाश नकदीकरण एवं मानदेय)	57,36,645.00	16,91,440.00
	योग	**62,17,22,776.00**	**50,58,39,183.00**

ह0/-
निदेशक (लेखा)

ह0/-
उपमहानिदेशक

अनुसूची 21 - अन्य प्रशासनिक व्यय

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय लेखा का संरूपित भाग

(राशि ₹ में)

क्र.सं.	विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
1	खरीद	-	-
2	श्रम और प्रसंस्करण व्यय	-	-
3	आंतरिक ढुलाई एवं परिवहन	-	-
4	विद्युत एवं ऊर्जा	4,05,59,074.58	2,74,23,577.00
5	जल प्रभार	26,73,956.02	17,25,138.00
6	बीमा	14,717.00	29,164.48
7	मरम्मत और रखरखाव	90,99,631.34	25,47,683.91
8	उत्पाद शुल्क	-	-
9	किराया, दरें और कर	14,11,50,954.33	13,74,64,751.48
10	वाहन चालन एवं रखरखाव	6,30,581.94	3,20,150.53
11	डाक, दूरभाष एवं संचार प्रभार	71,79,396.54	56,13,186.64
12	मुद्रण एवं स्टेशनरी	70,88,884.77	27,89,247.58
13	यात्रा एवं वाहन व्यय	3,82,35,073.78	2,91,30,017.83
14	संगोष्ठी / वर्कशॉप पर व्यय	36,11,583.04	1,32,298.96
15	अभिदान व्यय	14,99,612.60	3,92,617.60
16	शुल्कों पर व्यय	-	-
17	लेखापरीक्षकों पर व्यय	7,66,408.00	6,58,987.00
18	आतिथ्य व्यय	10,33,250.92	8,87,336.62
19	व्यावसायिक प्रभार	1,85,11,253.28	1,01,50,530.33
20	पुस्तकें एवं पत्रिकाएं	1,76,674.62	4,51,788.00

क्र.सं.	विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
21	भर्ती व्यय	-	-
22	अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों/अग्रिमों के लिए प्रावधान	-	-
23	अवसूलनीय शेष बट्टे खाते में डालना	-	-
24	पैकिंग प्रभार	-	-
25	मालभाड़ा एवं अग्रेषण प्रभार	-	-
26	वितरण व्यय	-	-
27	विज्ञापन एवं प्रचार	2,08,290.62	14,12,204.22
28	कानूनी प्रभार	1,25,30,800.40	1,98,68,733.20
29	संविदा स्टाफ को भुगतान (एमटीओ, चपरासी आदि)	10,98,52,370.98	8,20,40,462.04
30	अन्य		
	i. बैठक शुल्क	-	-
	ii. वार्षिक रखरखाव शुल्क	14,66,306.28	6,66,717.89
	iii. कार्यालय व्यय	11,66,95,522.68	11,55,40,249.61
	iv. दान	-	2,78,796.60
	v. सीआईएसएफ को भुगतान (भाविपप्रा - मुख्यालय)	3,68,30,752.94	4,14,67,488.00
	योग	**54,98,15,096.66**	**48,09,91,127.52**

ह0/-
निदेशक (लेखा)

ह0/-
उपमहानिदेशक

अनुसूची 22 – परिचालन खर्च

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय लेखा का संरूपित भाग

(राशि ₹ में)

क्र.सं.	विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
1	**नामांकन, अधिप्रमाणन और अद्यतन**		
	क. रजिस्ट्रारों को सहायता	6,15,23,32,908.57	4,99,48,05,956.98
	ख. गुणवत्ता नियंत्रण (एबीआईएस पूर्व)	1,11,52,634.00	3,79,48,404.12
	ग. विज्ञापन और प्रचार	2,98,70,160.39	5,41,714.30
	घ. बीपीओ अद्यतन लागत	6,32,53,659.22	6,32,79,340.70
2	**प्रोद्योगिकी संचालन**		
	क. कार्यालय व्यय/बीएसपी और टीएसपी भुगतान		
	i. बायोमेट्रिक सेवा प्रदाता को भुगतान (बीएसपी)	34,04,59,965.88	37,71,74,069.26
	ii. दूरसंचार सेवा प्रदाता को भुगतान (टीएसपी)	2,24,01,676.08	3,91,23,429.90
	iii. कार्यालय व्यय (डेटा सेंटर)	38,15,30,939.31	36,55,01,578.26
	ख. किराया, दरें और कर	-	-
	ग. व्यावसायिक सेवाएं / एमएसपी / एमएसएपी /एमएसआईपी लागत		
	i. वार्षिक रखरखाव लागत (एएमसी)	1,15,54,03,842.72	1,20,55,05,503.98
	ii. जनशक्ति सेवाएं	1,13,01,05,711.15	1,35,82,13,279.20
	घ. सीआईएसएफ को भुगतान	-	-
	ङ. केएम पोर्टल विकास प्रभार	-	-
3	**संभारिकी एवं अन्य संचार**		
	क. मुद्रण लागत	47,49,02,628.47	40,27,03,432.38
	ख. डिस्पैच लागत	92,43,51,127.30	99,98,54,343.32
	ग. टीएफएन /संपर्क केंद्र लागत	64,22,47,433.59	49,01,88,852.99
	घ. शिकायत निवारण प्रचालक	79,24,324.58	84,03,332.80
	ङ. अन्य प्रभार	-	27,452.00
4	**आधार समर्थित अनुप्रयोग**		
	क. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आईसीटी सहायता	50,59,494.00	1,49,71,693.00
	ख. माइक्रो एटीएम सहायता	-	-
	ग. आधार आधारित अनुप्रयोगों का विकास	-	-

क्र.सं.	विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
	घ. एईए / राज्य संबंधित व्यक्ति	-	-
	ङ. अन्य प्रभार	-	-
5	**अन्य समर्थन संचालन**		
	क. डी.एम.एस	-	-
	ख. डी.एम.एस - क्यूसी	41,29,40,035.68	38,94,48,751.63
	ग. जीआरसीपी	7,65,32,616.24	7,18,89,534.98
	घ. प्रशिक्षण एवं परीक्षण /प्रमाणन	1,08,87,713.00	-
6	**यूबीसीसी संचालन**		
	क. ओई	-	-
	ख. ओएई	-	-
	ग. सहायता अनुदान	-	-
7	**भौतिक सुरक्षा**		
	क. वेतन	33,73,89,015.22	25,24,75,317.16
	ख. कार्यालय व्यय	68,67,520.18	49,01,586.76
	ग. किराया , दरें और कर	37,97,860.00	44,88,380.00
	घ. अन्य प्रभार	56,02,797.16	57,64,001.41
8	**सूचना प्रौद्योगिकी**		
	क. कार्यालय व्यय	62,68,344.95	97,61,427.31
	ख. किराया, दरें और कर	-	-
	ग. व्यावसायिक सेवाएँ (पीएमयू, टीएसयू , अन्य ठेके)	26,54,27,403.60	20,01,07,315.24
	घ. अन्य व्यय	-	-
9	**पूर्वोत्तर क्षेत्र (भाविपप्रा)**		
	क. संभारिकी और अन्य संचार	-	-
	ख. अन्य प्रभार	-	-
	योग	**12,46,67,09,811.29**	**11,29,70,78,697.68**

ह0/-
निदेशक (लेखा)

ह0/-
उपमहानिदेशक

अनुसूची 23 - अनुदान, सब्सिडी आदि पर व्यय

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय लेखा का संरूपित भाग

(राशि ₹ में)

क्र.सं.	विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
1	संस्थानों /संगठनों को दिया गया अनुदान		
2	संस्थानों /संगठनों को दी गयी सब्सिडी		
	योग		

नोट -: *संस्थाओं के नाम, अनुदान/सब्सिडी की राशि सहित उनकी गतिविधियों को भी बताया जाए।*

ह0/-
निदेशक (लेखा)

ह0/-
उपमहानिदेशक

अनुसूची 24 - ब्याज

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय लेखा का संरूपित भाग

(राशि ₹ में)

क्र.सं.	विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
1	ब्याज		
	क. नियत ऋणों पर	-	-
	ख. अन्य ऋणों पर (बैंक प्रभार सहित)	-	-
	ग. अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	96,31,588.46	-
2	बैंक प्रभार	-	-
	योग	**96,31,588.46**	**-**

ह0/-
निदेशक (लेखा)

ह0/-
उपमहानिदेशक

अनुसूची 25 – महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां
31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए लेखों के अंश का निरूपण

1 लेखांकन का आधार

1.1 वित्तीय विवरणियों को प्रपत्र 'क', प्रपत्र 'ख' और प्रपत्र 'ग' में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (वार्षिक लेखा विवरण प्रपत्र) नियम, 2018 तथा इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूचियों के अनुसार तैयार किया गया है।

1.2 वित्तीय विवरणियों को ऐतिहासिक लागत परिपाटी, जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो, और लेखांकन की उपचय पद्धति के आधार पर तैयार किया गया है।

2 निवेश

2.1 दीर्घकालिक निवेशों के रूप में वर्गीकृत निवेश, लागत आधार पर वहन किए गए हैं। अस्थाई निवेश के अन्यत्र, अन्य गिरावट के लिए प्रावधान ऐसे निवेशों की लागत में वहन किए गए हैं।

2.2 'चालू' के रूप में वर्गीकृत निवेश, न्यूनतम लागत और उचित मूल्य पर वहन किए गए हैं। ऐसे निवेशों के मूल्य में हुई कमी के लिए प्रावधान, प्रत्येक निवेश के लिए व्यक्तिगत आधार पर किए जाते हैं न कि वैश्विक आधार पर।

2.3 लागत में ब्रोकरेज, स्टाम्प हस्तांतरण जैसे अधिग्रहण व्यय शामिल है।

3. अचल परिसंपत्तियां

3.1 **मूर्त परिसंपत्तियां** - मूर्त परिसंपत्तियों को लागत में से संचित मूल्यह्रास और क्षति नुकसानों, यदि कोई हो, से कम करके वहन किया जाता है। अचल परिसंपत्तियों की लागत मूल्य में, किसी तरह की व्यावसायिक छूट और रियायत, कोई आयात शुल्क और अन्य कर (प्राधिकरणों से वसूल किए जाने वाले करों के अन्यत्र), कोई प्रत्यक्ष खर्च जो इनके निर्दिष्ट उपयोग के लिए किसी परिसंपत्ति को तैयार करने में हुआ हो, अन्य आकस्मिक खर्च और उधारी पर ब्याज जो स्थायी परिसंपत्तियों के पूर्ण अधिग्रहण के संबंध में हो, इनके निर्दिष्ट उपयोग के लिए परिसंपत्ति निर्माण की तिथि तक तैयार है, शामिल हैं। मूर्त परिसंपत्तियों की खरीद/पूर्ण होने के बाद इन पर अनुवर्ती व्यय को तभी पूंजीकृत किया जाता है, जब ऐसे व्यय के परिणामस्वरूप उस परिसंपत्ति के निष्पादन के पिछले आकलन मापदंड से परे भावी लाभों में वृद्धि हो रही हो।

3.2 **प्रगति अधीन पूंजीगत कार्य** – ऐसी परिसंपत्तियों, जो अपने निर्दिष्ट उपयोग के लिए तैयार नहीं हैं, के निर्माण पर हुए व्यय को लागत में से हानि (यदि कोई हो) को कम करते हुए प्रगति के अधीन पूंजीगत कार्य के तहत वहन किया जाता है। लागत में, आयात शुल्क और अप्रतिदेय कर तथा कोई अन्य प्रत्यक्ष देय लागत सहित लागत खरीद शामिल है।

3.3 **अमूर्त परिसंपत्तियां** – अचल परिसंपत्तियों की लागत मूल्य में, किसी तरह की व्यावसायिक छूट और रियायत, कोई आयात शुल्क और अन्य कर (प्राधिकरणों से वसूल किए जाने वाले करों के अन्यत्र), कोई प्रत्यक्ष खर्च जो इनके निर्दिष्ट उपयोग के लिए किसी परिसंपत्ति को तैयार करने में हुआ हो, अन्य आकस्मिक खर्च और उधारी पर ब्याज जो स्थायी आस्तियों के पूर्ण अधिग्रहण के संबंध में हो, इनके निर्दिष्ट उपयोग के लिए परिसंपत्ति निर्माण की तिथि तक तैयार है, शामिल हैं। अमूर्त परिसंपत्तियों की खरीद/पूर्ण होने के पश्चात, इन पर अनुवर्ती व्यय को तभी पूंजीकृत किया जाता है, जब ऐसे व्यय के परिणामस्वरूप उस परिसंपत्ति के निष्पादन के पिछले आकलन मापदंड से परे भावी लाभों में वृद्धि हो रही हो।

3.4 गैर-मौद्रिक अनुदान (कॉर्पस निधि को छोडकर) से प्राप्त अचल परिसंपत्तियों को बताए गए मूल्य पर पूंजीगत आरक्षित में समतुल्य जमा द्वारा पूंजीकृत किया जाता है।

3.5 भाविपप्रा ने भारत के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे में से एक के संचालन को सुरक्षित रखने और भाविपप्रा को साइबर फोरेंसिक सहायता प्रदान करने के लिए मूल निकाय, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (भाविपप्रा) के तहत एक तकनीकी इकाई के रूप में एक साइबर फोरेंसिक धोखाधड़ी जांच प्रयोगशाला (यूसीएफएफआईएल) की स्थापना की है। यूसीएफएफआईएल को वित्त वर्ष 2022-23 में पूंजीकृत किया गया है और अनुसूची 8 - अचल संपत्तियों (संयंत्रों और मशीनरी के तहत) में दर्शाया गया है।

4. मूल्यह्रास

4.1 अचल परिसंपत्तियों के मूल्यह्रास का प्रावधान स्ट्रेट लाइन विधि (एसएलएम) से परिसंपत्तियों की प्रभावी उपयोगिता अवधि एवं 5% अवशेष मूल्य (लैपटॉप/टेबलेट के मामले में 10% और अचल परिसंपत्तियों के मामले में 'शून्य') नीचे दिए गए विवरण के अनुसार है:-

क्र.सं.	परिसंपत्तियों का विवरण	मूल्यह्रास दर	अवधारण अवधि	अभ्युक्तियां
1	सर्वर, नेटवर्क, स्टोरेज, सुरक्षा उपकरण, अन्य बायोमेट्रिक उपकरण, डेटा प्रोसेसिंग यूनिट(डीपीयू)	15.83%	6 वर्ष	कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-II के अनुसार
2	डेस्कटॉप, मॉनीटर, प्रिंटर, स्कैनर, स्विच, अन्य आईटी उपकरण	31.67%	3 वर्ष	कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-II के अनुसार
3	सॉफ्टवेयर	33.33%	3 वर्ष	भाविपप्रा की आंतरिक नीति के अनुसार
4	मोबाइल हैंडसेट	47.50%	2 वर्ष	भाविपप्रा की आंतरिक नीति के अनुसार
5	लैपटॉप, टैबलेट	30%	3 वर्ष	भाविपप्रा की आंतरिक नीति के अनुसार
6	कार्यालय उपस्कर	19%	5 वर्ष	कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-II के अनुसार
7	फर्नीचर और फिक्चर्स	9.50%	10 वर्ष	कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-II के अनुसार
8	भवन	1.58%	60 वर्ष	कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-II के अनुसार
9	संयंत्र और मशीनरी	6.33%	15 वर्ष	कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-II के अनुसार
10	वाहन (कार)	11.88%	8 वर्ष	कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-II के अनुसार

4.2 वर्ष के दौरान अचल परिसंपत्तियों में वृद्धि/कमी के संबंध में मूल्यह्रास आनुपातिक आधार पर माना जाता है।

4.3 5,000 रुपए या इससे कम लागत की प्रत्येक परिसंपत्ति का पूर्ण प्रावधान किया गया है।

5. विविध व्यय

5.1 आस्थगित राजस्व व्यय को उसके खर्च हुए वर्ष से पांच वर्षों की अवधि के उपरांत बट्टे खाते में डाल दिया जाता है।

6. सरकारी सहायता के अन्यत्र सरकारी अनुदान/ सब्सिडियां एवं प्राप्तियां

6.1 सरकारी अनुदानों को उसकी सीमा तक 'भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण निधि' यहां इसके उपरांत इसे 'भाविपप्रा निधि' कहा जाएगा, नामक निधि में पूर्णतया क्रेडिट किया गया है।

6.2 अनुदान पर ब्याज को छोड़कर अन्य सभी प्राप्तियों को पूर्णतः 'भाविपप्रा निधि' में क्रेडिट किया गया है।

6.3 राज्यों/एजेंसियों से पूर्ववर्ती वर्षों में वापस की गई अप्रयुक्त शेष राशि को उनके समक्ष बकाया अग्रिमों से समायोजित किया गया है और इन्हें सीएफआई (भारत की समेकित निधि) को प्रेषित किया जा रहा है।

6.4 उपरोक्त मद 6.1 एवं 6.2 में उल्लिखित अनुदानों और अन्य प्राप्तियों का क्रेडिट आधार अधिनियम, 2016 (यथा संशोधित) की धारा 25 के अनुसार किया गया है, तथा उक्त को नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:

'25(1) 'भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण निधि' नामक एक निधि का गठन किया जाएगा, जिसमें निम्न को क्रेडिट किया जाएगा-

क इस अधिनियम के अंतर्गत प्राधिकरण द्वारा प्राप्त सभी अनुदान, शुल्क और प्रभार; और

ख. केंद्र सरकार द्वारा तय की गई अन्य स्त्रोतों से प्राधिकरण द्वारा प्राप्त सभी राशि।

(2) निधि का उपयोग निम्न की पूर्ति हेतु किया जाएगा-

क अध्यक्ष और सदस्यों के लिए देय वेतन और भत्ते तथा प्रशासनिक व्यय, इसमें प्राधिकरण के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के वेतन या भत्ते देय पेंशन शामिल है; तथा

ख. अन्य सामान पर खर्च और इस अधिनियम के द्वारा अधिकृत अन्य प्रयोजनों के लिए।''

6.5 एयूए/केयूए/एएसए से लाइसेंस शुल्क की दरें और वैधता निम्नवत है:

एजेंसी की किस्म	उत्पादन-पूर्व लाइसेंस		उत्पादन लाइसेंस	
	शुल्क	वैधता अवधि	शुल्क	वैधता अवधि
एयूए/केयूए	5 लाख रुपए	3 माह	20 लाख रुपए	2 वर्ष
सब एयूए/ सब केयूए	-	-	3 लाख रुपए	2 वर्ष
एएसए	10 लाख रुपए	3 माह	1 करोड़ रुपए	2 वर्ष

लाइसेंस शुल्क से होने वाली आय को आनुपातिक संख्या के आधार पर बुक किया जा रहा है अर्थात इनवॉइस जारी करने की तारीख से चालू वित्त वर्ष के अंत तक और शेष राशि को आगामी वित्त वर्षों में आनुपातिक आधार पर 'अग्रिम रूप से प्राप्त आय' के रूप में बुक किया जाता है।

7. विदेशी मुद्रा लेन-देन

7.1 विदेशी मुद्रा में लेन-देन का लेखांकन, लेन-देन की तिथि को प्रचलित विनिमय दर से अंकित किया जाता है।

7.2 चालू परिसंपत्तियों, विदेशी मुद्रा ऋणों और चालू देयताओं को वर्ष के अंत में प्रचलित विनिमय दर पर परिवर्तित किया जाता है और परिणामस्वरूप लाभ/हानि को, यदि विदेशी मुद्रा की देयता अचल परिसंपत्ति से संबंधित है, अचल परिसंपत्तियों की लागत से समायोजित किया जाता है, और अन्य मामलों में राजस्व के रूप में विचार किया जाता है।

8. पट्टा

8.1 पट्टा किराया को पट्टा अवधि के संदर्भ में खर्च किया जाता है।

9. सेवानिवृत्ति लाभ

9.1 सेवानिवृत्ति लाभों के प्रति कोई दायित्व नहीं है, क्योंकि भाविपप्रा के सभी कर्मचारी अन्य मंत्रालयों/विभागों और सरकारी एजेंसियों से प्रतिनियुक्ति के आधार पर हैं।

ह0/-
निदेशक (लेखा)

ह0/-
उपमहानिदेशक

अनुसूची 26 - आकस्मिक देयताएं और लेखा संबंधी टिप्पणियां
31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लेखों के अंश का निरूपण

1. आकस्मिक देयताएं

क. दावे जिनको संस्था के समक्ष ऋण के रूप में नहीं समझा गया है - 485,07,06,184/- रुपए (पिछले वर्ष 479,68,75,502/- रुपए)। विवरण नीचे बिंदु (ज) में दिया गया है।

ख. निम्न के संबंध में:

i. संस्था की ओर से/बैंक द्वारा दी गई गारंटी - शून्य (पिछले वर्ष - शून्य)

ii. संस्था की ओर से बैंक द्वारा खोले गए साख-पत्र - शून्य (पिछले वर्ष - शून्य)

iii. बैंक द्वारा डिस्काउंट किए गए बिल - शून्य (पिछले वर्ष - शून्य)

ग. 31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों के समक्ष स्रोत पर की गई कटौती की चूकों के संबंध में विवादित मांग- 16,89,530/- रुपए है (पिछले वर्ष 66,22,809/- रुपए)।

घ. (i) सेवा कर - शून्य (पिछले वर्ष- शून्य)

(ii) निगम कर - शून्य (पिछले वर्ष- शून्य)

ङ. जीवन भारती बिल्डिंग में टावर 2/लेवल-2 के लिए एलआईसी द्वारा 20.57 लाख रुपए के रखरखाव शुल्क और 5.92 करोड़ रुपए के किराये की मांग की गई है हालांकि, भाविपप्रा को यह मांग स्वीकार्य नहीं है। तदनुसार इस संबंध में कोई दायित्व सृजित नहीं किया गया है।

च. आदेशों के गैर-निष्पादन, किंतु संस्था द्वारा विवादित, के लिए पार्टियों के दावों के संबंध में - शून्य (पिछले वर्ष - शून्य)।

छ. वेंडरों के साथ अनुबंध करने के संबंध में 61,01,64,484/- रुपए की राशि रोकी गई है (पिछले वर्ष - 57,88,34,752/- रुपए)।

ज. 31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार 485,07,06,184/- रुपए के दावों के लिए भाविपप्रा के विरूद्ध न्यायालयों में लंबित मामलों का विवरण:

(आंकड़ें रुपयों में)

क्र.सं.	मुकदमा दायरकर्ता (मैसर्स)	किस न्यायालय में मामला लंबित	याचिकाकर्ता का वित्तीय दावा	अभ्युक्ति
1	एचसीएल इंफोसिस्टम लिमिटेड	मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के तहत मध्यस्थता अधिकरण	151,64,80,518/-	क्र.सं.1 में नीचे दी गई विस्तृत टिप्पणी।
2	एचसीएल इंफोसिस्टम लिमिटेड		312,44,90,000/-	क्र.सं.1 में नीचे दी गई विस्तृत टिप्पणी।
3	टेली-परफोर्मेंस ग्लोबल सर्विस प्रा. लि. (पूर्व में सेरको बीपीओ सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड प्रा. लि.),		5,14,00,000/-	मैसर्स सेरको द्वारा मूल दावा 3.28 करोड़ रुपए और संशोधित दावा 5.14 करोड़ रुपए
4	रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड (आरसीओएम)	दिल्ली उच्च न्यायालय	8,95,00,000/-	मैसर्स आरसीओएम द्वारा 8.95 करोड़ रुपए का दावा
5	मैसर्स आई-एनर्जाइजर आईटी सर्विसेज प्रा. लि.	जिला न्यायालय, पटियाला हाऊस, नई दिल्ली	44,22,000/-	मैसर्स आई-एनर्जाइजर आईटी सर्विसेज द्वारा 44.22 लाख रुपए का दावा

क्र.सं.	मुकदमा दायरकर्ता (मैसर्स)	किस न्यायालय में मामला लंबित	याचिकाकर्ता का वित्तीय दावा	अभ्युक्ति
6	मुनीष मंगला	सिविल न्यायधीश, सीनियर डिवीजन अंबाला कोर्ट	23,11,840/-	सीएमए/14/2019
7	दलबीर सिंह	पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय	1,86,420/-	ब्याज और बैंक गारंटी सहित राशि की वापसी का दावा।
8	परसेप्ट एच प्राइवेट लिमिटेड	जिला न्यायालय, साकेत रांची	33,84,724/-	303/2017
9	संभाजी तुकाराम सुरोशी	सिविल न्यायालय, महाराष्ट्र	2, 00,000/-	हर्जाने और कमीशन के लिए दावा
10	मल्टीवेव इनोवेशन	जयपुर बेंच, राजस्थान	5,77,30,682/-	मध्यस्थता
11	कमलेश शर्मा	उपभोक्ता न्यायालय, चंडीगढ़	1,00,000/-	उपभोक्ता शिकायत
12	निशांत अरोड़ा	उपभोक्ता न्यायालय, चंडीगढ़	5,00,000/-	उपभोक्ता शिकायत
		योग	**485,07,06,184/-**	

नोटः

क. दो अंतरिम अंतिम पुरस्कारों के बाद, एचसीएल इंफोसिस्टम के दावे अब निम्नानुसार हैंः -

i. 07 अगस्त 2019 से 06 मई 2020 तक विस्तार अवधि के लिए अतिरिक्त लागत और 'स्टेटमेंट ऑफ क्लेम' (एसओसी1) के लिए इस अवधि के दौरान गलत कटौती 44,39,65,967 रुपए (14,41,30,661 रुपए+ 29,98 35,306 रुपए,), 13 जुलाई, 2021 तक 12.87% की दर से ब्याज सहित।

ii. बाजार दरों का दावा 07 मई 2020 से 06 अप्रैल 2021 (एसओसी2) अवधि के लिए 96,28,15,178 रुपए के लिए सहमति [(क) 2,11,04,393 रुपए के लिए जीएसटी के लिए गलत कटौती + (ख) 80,33,59,764 रुपए सेवाओं का बाजार दर का अप्रदत्त हिस्सा + (ग) 13,83,51,021 रुपए की गलत कटौती] है जिसमें 13 जुलाई, 2021 तक @10.03% दर से ब्याज शामिल है।

iii. बाजार दरों का दावा 07 मई 2021 से 06 अगस्त 2021अवधि तक के लिए केवल एएमसी (एसओसी3) हेतु 10,96,99,373 रुपए में सहमति है।

iv. दूसरे मध्यस्थता मामले में गलत कटौती के खिलाफ एमएसपी का दावा 12.87% की दर से ब्याज के रूप में 95.46 करोड़ रुपए शामिल है।

v. 151,64,80,518/- रुपए के एससीएल इंफोसिस्टम लिमिटेड के वित्तीय दावे के खिलाफ, भाविपप्रा ने 55,93,12,102/- रुपए का काउंटर दावा प्रस्तुत किया है।

ख. 312,44,90,000/- रुपए के एचसीएल इंफोसिस्टम लिमिटेड के वित्तीय दावे के खिलाफ, भाविपप्रा ने 1,29,66,33,946/- रुपए का काउंटर दावा प्रस्तुत किया है।

ग. एचसीएल इंफोसिस्टम द्वारा दावा दायर करने की तारीख तक ही ब्याज की गणना की गई है।

घ. देयता पूर्णतः आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के आदेश पर निर्भर है।

ङ. उपरोक्त के अलावा, कुछ अन्य मामले भी लंबित हैं, जिनका वित्तीय प्रभाव 'शून्य' है अथवा सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है।

2. पूंजीगत प्रतिबद्धताएं

पूंजीगत लेखा में निष्पादित किए जाने वाले अनुबंधों का अनुमानित मूल्य और जिनके (अग्रिमों का निवल) के लिए प्रदान नहीं किया गया 459.20 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 489.97 करोड़ रुपए)।

3. पट्टा बाध्यताएं

3.1 संयंत्र और मशीनरी के लिए वित्तीय पट्टा व्यवस्थाओं के तहत किराए हेतु भावी बाध्यताओं के संबंध में धनराशि - शून्य। (पिछले वर्ष - शून्य)

3.2 प्रौद्योगिकी केंद्र बेंगलुरु, भाविपप्रा ने 24 जून 2011 को बेंगलुरु में प्रौद्योगिकी केंद्र के निर्माण के संबंध में तीस वर्षों की एक अवधि के लिए पट्टा आधार पर 9.87 करोड़ रुपए की लागत पर पट्टा अनुबंध (लीज एग्रीमेंट) के तहत 12372.40 वर्ग मीटर की भूमि का अधिग्रहण किया था। इस संबंध में लेखांकन प्रबंध और मूल्यह्रास नीति नीचे दी गई है: -

i. पट्टे (लीज) की शर्तें - पट्टा अनुबंध को 30 साल पूरे होने के बाद एक अलग विलेखपत्र के जरिए पट्टादाता द्वारा निर्धारित की जाने वाली अगली अवधि के लिए नवीनीकृत किया जा सकता है।

ii. लेखांकन प्रयोजनार्थ, लीज पर हुई भूमि को अनुसूची-8 अचल परिसंपत्ति में पृथक रूप से दर्शाया गया है।

iii. लीज समझौते के अनुसार संपत्ति की लीज अवधि अर्थात 30 साल को ध्यान में रखते हुए भूमि का परिशोधन किया गया है।

4. कराधान

आधार अधिनियम, 2016 (यथा संशोधित) की धारा 50क के अनुसार, भाविपप्रा को इसकी सभी प्रकार की आय पर आयकर से छूट प्राप्त है, अतः आयकर के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

5. चालू परिसंपत्तियां, ऋण और अग्रिम

5.1 चालू परिसंपत्तियां, ऋण और अग्रिम, कारोबार के सामान्य तरीके में प्राप्त की गयी राशि है, जो तुलन-पत्र में दिखाई गयी कुल राशि के समतुल्य है।

5.2 भाविपप्रा ने आधार सेवा केंद्र (एएसके) के जरिए संपूर्ण भारत में सामान्य लोगों के लिए आधार नामांकन, बायोमेट्रिक और जनसांख्यिकीय अद्यतन से संबंधित सेवाएं प्रदान करने के लिए दो एजेंसियों को नियुक्त किया है। ये एजेंसियां सामान्य जनता से भाविपप्रा की ओर से नकद रूप से शुल्क वसूलती हैं और उसे भाविपप्रा के बैंक खाते में जमा करती हैं।

5.3 मुख्य रूप से अग्रिम तीन श्रेणियों नामतः आधार संबंधित कार्यों के लिए राज्यों को आईसीटी सहायता, डाक विभाग को आधार पत्र का प्रेषण प्रभार और मीडिया प्रचार अभियान के लिए बीओसी/आकाशवाणी/दूरदर्शन को दिया जाता है। इन अग्रिमों को तुलन-पत्र में ऋण एवं अग्रिम शीर्ष में दर्शाया जाता है तथा एजेंसियों से बिल/उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त होते ही, इसे व्यय के रूप में बुक कर लिया जाता है।

6. लेखापरीक्षकों को पारितोषिक

लेखापरीक्षक के रूप में

- कराधान मामलों के लिए - शून्य (पिछले वर्ष - शून्य)
- प्रबंधन सेवा के लिए - शून्य (पिछले वर्ष - शून्य)
- 7,66,408/- रुपए (पिछले वर्ष - 6,58,987/- रुपए)

अन्य

- शून्य (पिछले वर्ष - शून्य)

7. पूर्व अवधि का समायोजन

7.1 01 अप्रैल, 2022 से पूर्व अवधि के लिए प्राप्त उपयोगिता प्रमाण-पत्रों को पूर्व की अवधि के खर्चों के रूप में

बुक किया गया है।

7.2 01 अप्रैल, 2022 से पूर्व अवधि से संबंधित सभी व्यय एवं आय को क्रमशः पूर्व अवधि के व्यय और पूर्व अवधि की आय के रूप में बुक किया गया है।

7.3 पूर्व अवधि की सभी मदों को आय एवं व्यय लेखा में अलग से दर्शाया गया है।

8. पिछले वर्ष के आंकड़ों को आवश्यकतानुसार पुनःसमूहीकृत और पुनःव्यवस्थित किया गया है।

9. 1 से 26 तक की अनुसूचियां संलग्न हैं, जो 31 मार्च, 2023 के अनुसार तुलन-पत्र, उक्त तिथि को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय लेखा तथा प्राप्ति एवं भुगतान खाते के अभिन्न अंश का रूप हैं।

ह0/-	ह0/-	ह0/-
निदेशक (लेखा)	**उपमहानिदेशक**	**मुख्य कार्यकारी अधिकारी**

11. अनुलग्नक

11.1 अनुलग्नक 1: आधार अधिनियम, 2016

आधार (वित्तीय एवं अन्य सहयिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) विधेयक, 2016 में दिनांक 25 मार्च 2016 को राष्ट्रपति महोदय की सहमति मिलने के उपरांत आधार (वित्तीय एवं अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 बन गया और इसे सामान्य जानकारी के लिए विधायी विभाग द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II खंड-I दिनांक 26.03.2016 (2016 का अधिनियम संख्या 18; 'आधार अधिनियम, 2016' के रूप में संदर्भित) में प्रकाशित किया गया। आधार अधिनियम, 2016 की धारा 11 से 20, 22 से 23 और 48 से 59 12 जुलाई 2016 तथा धारा 1 से 10 और 24 से 47 को 12 सितंबर 2016 को लागू हुई।

आधार अधिनियम, 2016, में सुशासन, कार्य कौशल, पारदर्शिता एवं उन लक्षित सहयिकियों, लाभों एवं सेवाओं के परिदान के प्रावधान हैं, जिन पर व्यय भारत की समेकित निधि से और राज्य की समेकित निधि से भारत के निवासी व्यक्तियों को उनकी विशिष्ट पहचान संख्या (आधार नंबर) तथा इससे संबंधित मामलों अथवा संयोजित कार्यों के लिए किया जाता है।

आधार अधिनियम, 2016 की कुछ मुख्य विषेशताएं निम्न रूप से सूचीबद्ध की गई हैं:

1. **धारा 1:** आधार का सांविधिक मूलतत्व एवं घोषणा की तिथि से अधिनियम का प्रवर्तन।
2. **धारा 3:** प्रत्येक निवासी आधार पाने का हकदार है। निवासी एक व्यक्ति है जो भारत में तत्काल पूर्ववर्ती एक वर्ष में 182 दिनों या उससे अधिक समय से रह रहा है।
3. **धारा 7:** केंद्र/राज्य के मंत्रालयों/विभागों को, भारत के समेकित कोष से सरकारी हितलाभों, सब्सिडी या सेवाएं प्राप्त करने के लिए व्यक्तियों की पहचान के संबंध में आधार को आवश्यक बनाना।
4. **धारा 8:** आधार प्रमाणीकरण और आधार धारक की सहमति।
5. **धारा 29:** सूचना साझा करने पर प्रतिबंध:
   क. आधार और पहचान की जानकारी प्राप्त करने के लिए निवासी की सहमति।
   ख. आधार का उपयोग केवल आधार की प्राप्ति या अधिप्रमाणन के समय बताए गए उद्देश्य के लिए किया जा सकता है।
   ग. सहमति के साथ, पात्रता स्थापित करने के लिए आधार को संबंधित एजेंसियों के साथ साझा किया जा सकता है।
   घ. कोर बायोमेट्रिक्स कभी भी किसी एजेंसी को नहीं दिया जा सकता है और न ही उसका उपयोग किसी अन्य उद्देश्य के लिए किया जा सकता है।
   ङ. आधार को सार्वजनिक रूप से प्रकाशित, प्रदर्शित या पोस्ट नहीं किया जा सकता है।
6. **धारा 33, कुछ मामलों में जानकारी का प्रकटीकरण:** धारा 33(1) पहचान जानकारी और प्रमाणीकरण रिकॉर्ड सहित किसी भी जानकारी के प्रकटीकरण के संबंध में लागू होती है, यदि न्यूनतम किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा आदेश दिया गया हो।

   धारा 33(2) राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में भारत सरकार के सचिव स्तर से कम के अधिकारी के निर्देश पर पहचान की जानकारी और प्रमाणीकरण रिकॉर्ड सहित किसी भी जानकारी के प्रकटीकरण के संबंध में लागू होती है।
7. धारा 40 और 42: छद्मरूपण, गैर कानूनी प्रसार/सूचना की सहभागिता के लिए जुमार्ना और/या 3 साल तक की सजा सहित अन्य दंडात्मक कार्यवाही के लिए प्रावधान। व्यक्ति और कंपनी, दोनों के लिए लागू।

आधार अधिनियम, 2016 के बारे में अधिक जानकारी के लिए, भाविपप्रा वेबसाइट के निम्नलिखित लिंक का अवलोकन करें :

https://uidai.gov.in/images/targeted_delivery_of_financial_and_other_subsidies_benefits_and_services_13072016.pdf

तत्पश्चात, भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायमूर्ति के.एस. पुट्टस्वामी (सेवानिवृत्त) और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य के मामले में मुख्य डब्ल्यू.पी. (सिविल) क्रमांक 494/2012 में दिए गए दिनांक 26.09.2018 के निर्णय द्वारा आधार की संवैधानिक वैधता को कुछ प्रतिबंधों और परिवर्तनों के साथ बरकरार रखा।

आधार पर दिए गए निर्णय और न्यायमूर्ति बी.एन. श्रीकृष्णा (सेवानिवृत्त) समिति की सिफारिशों के आधार पर, गोपनीयता सुनिश्चित करने, व्यक्तिगत जानकारी के दुरुपयोग को रोकने तथा पात्र व्यक्तियों को सेवाओं और लाभों से वंचित रखने की प्रक्रिया को रोकने के लिए रक्षोपायों को शामिल करने के प्रयोजनार्थ आधार अधिनियम, 2016 में आवश्यक परिवर्तन लाने का निर्णय लिया गया था। इसके अलावा, सिम कार्ड प्राप्त करने और बैंक खाते खोलने के लिए आधार प्रमाणीकरण के स्वैच्छिक उपयोग की अनुमति देने के लिए भारतीय तार अधिनियम, 1885 और धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 में भी परिवर्तन किए जाने की आवश्यकता थी। तदनुसार, आधार और अन्य विधियां (संशोधन) विधेयक, 2019 के माध्यम से आवश्यक संशोधन किए गए। बाद में, राष्ट्रपति द्वारा 02.03.2019 को आधार और अन्य विधियां (संशोधन) अध्यादेश, 2019 (2019 की संख्या 9) प्रख्यापित किया गया और यह तत्काल प्रवृत्त हुआ। उक्त अध्यादेश को आधार और अन्य विधियां (संशोधन) अधिनियम, 2019 (2019 का 14) द्वारा प्रतिस्थापित किया गया, जो 24 जुलाई 2019 को भारत के आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित हुआ। अधिसूचना के बाद आधार और अन्य कानून (संशोधन) अधिनियम, 2019 की धाराएं दिनांक 25.07.2019 से लागू हो गई हैं। यह संशोधित अधिनियम, अन्य बातों के साथ-साथ, राज्य सरकार को एक सब्सिडी, हितलाभ या सेवा, जिसके लिए राज्य की समेकित निधि से व्यय हुआ है, या उससे किसी अंश को प्राप्त किया है, की प्राप्ति हेतु एक शर्त के रूप में एक व्यक्ति विशेष की पहचान स्थापित करने के प्रयोजनार्थ आधार अधिप्रमाणन के उपयोग को समर्थ बनाता है।

आधार एवं अन्य कानून (संशोधन) अधिनियम, 2019 की कुछ मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं:-

1. किसी व्यक्ति के वास्तविक आधार नंबर को छुपाने के लिए प्राधिकरण द्वारा सृजित वैकल्पिक नंबर प्रदान करना;
2. अठारह वर्ष की आयु प्राप्त करने पर बच्चों को अपना आधार नंबर रद्द करने का विकल्प देना;
3. अधिप्रमाणन या ऑफलाइन सत्यापन अथवा अन्य विधियों द्वारा प्रत्यक्ष या इलेक्ट्रॉनिक रूप में आधार नंबर का स्वैच्छिक उपयोग प्रदान करना;
4. आधार नंबर का अधिप्रमाणन या ऑफलाइन सत्यापन केवल आधार नंबर धारक की संसूचित सहमति से किया जा सकता है;
5. अधिप्रमाणन करने में असमर्थ होने या मना करने पर सेवाओं के इंकार की रोकथाम;
6. अधिप्रमाणन निष्पादन में सुरक्षा उपाय एवं प्रतिबंध स्थापित करना;
7. ऑफलाइन सत्यापन हेतु प्रक्रिया निर्धारित करना;
8. अधिप्रमाणन को ऐसे दिशानिर्देश देने हेतु अधिकार प्रदान करना, जो आधार ईकोसिस्टम में किसी संस्था के लिए अनिवार्य समझे जाएं;
9. भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण निधि की स्थापना करना;
10. सूचना की सहभागिता पर प्रतिबंधों में संवर्धन करना;
11. सिविल दंडों, इसके अधिनिर्णय और अपील प्रदान करना;
12. आधार अधिनियम की धारा 57 को रद्द करना;
13. तार अधिनियम, 1885 और धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत स्वीकार्य केवाईसी दस्तावेज के रूप में स्वैच्छिक आधार पर प्रमाणन हेतु आधार नंबर के उपयोग की अनुमति देना।
14. यह किसी व्यक्ति की पहचान स्थापित करने के प्रयोजनार्थ सब्सिडी, लाभ या सेवा की प्राप्ति हेतु एक शर्त के रूप में, जिसके लिए राज्य द्वारा खर्च किया

जाता है, या उससे राज्य की समेकित निधि के अंश की प्राप्ति के रूप में राज्य सरकार को आधार अधिनियम की धारा 7 के अंतर्गत समर्थ बनाएगा।

आधार और अन्य कानून (संशोधित) अधिनियम, 2019 के बारे में अधिक जानकारी के लिए भाविपप्रा की वेबसाइट पर उपलब्ध निम्नलिखित लिंक का संदर्भ लिया जा सकता है:

https://uidai.gov.in/images/news/Amendment_Act_2019.pdf

इसके अलावा, संशोधित आधार अधिनियम लिंक https://uidai.gov.in/images/Aadhaar_Act_2016_as_amended.pdf पर उपलब्ध है।

11.2 अनुलग्नक 2: आधार विनियम

निम्नलिखित विनियम और उनके संशोधन को उक्त आधार अधिनियम, 2016 और आधार एवं अन्य कानून (संशोधन) अधिनियम, 2019 के अनुसरण में अधिसूचित किया जाता है:

तालिका 14 -विनियमों की सूची

क्र.सं.	विनियम	प्रकाशित तिथि
1	भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (प्राधिकरण की बैठक में कार्य संचालन) विनियम, 2016 - (2016 की संख्या 1)	14 सितंबर, 2016
2	आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 (2016 की संख्या 2)	14 सितंबर, 2016
3	आधार (अधिप्रमाणन) विनियम, 2016 (2016 की संख्या 3) [दिनांक 9.11.2021 के आधार (अधिप्रमाणन और ऑफलाइन सत्यापन) विनियम, 2021 (2021 का संख्या 2) द्वारा प्रतिस्थापित]	14 सितंबर, 2016
4	आधार (डेटा सुरक्षा) विनियम, 2016 (2016 की संख्या 4)	14 सितंबर, 2016
5	आधार (सूचना की सहभाजिता) विनियम, 2016 (2016 की संख्या 5)	14 सितंबर, 2016
6	आधार (नामांकन और अद्यतन) (पहला संशोधन) विनियम, 2017 (2017 की संख्या 1)	15 फरवरी, 2017
7	आधार (नामांकन और अद्यतन) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2017 (2017 की संख्या 2)	07 जुलाई, 2017
8	आधार (नामांकन और अद्यतन) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2017 (2017 की संख्या 3)	11 जुलाई, 2017
9	आधार (नामांकन और अद्यतन) (चौथा संशोधन) विनियम, 2017 (2017 की संख्या 5)	31 जुलाई, 2017
10	आधार (नामांकन और अद्यतन) (पाचवां संशोधन) विनियम, 2018 (2018 की संख्या 1)	12 जनवरी, 2018
11	आधार (नामांकन और अद्यतन) (छठा संशोधन) विनियम, 2018 (2018 की संख्या 2)	31 जुलाई, 2018

क्र.सं.	विनियम	प्रकाशित तिथि
12	आधार (आधार अधिप्रमाणन सेवाओं का मूल्य निर्धारण) विनियम, 2019 (2019 की संख्या 1) [आधार (आधार अधिप्रमाणन सेवाओं का मूल्य निर्धारण) विनियम, 2021 (2021 की संख्या 1) दिनांक 14.10.2021 द्वारा प्रतिस्थापित]	07 मार्च, 2019
13	आधार (नामांकन और अद्यतन) (सातवां संशोधन) विनियम, 2019 (2019 की संख्या 3)	09 सितंबर, 2019
14	भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति) विनियम, 2020 (2020 की संख्या 1)	22 जनवरी, 2020
15	भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2020 (2020 का सं. 2)	22 जनवरी 2020
16	आधार (नामांकन एवं अद्यतन) (आठवां संशोधन) अधिनयम, 2020 (2020 की संख्या 3)	02 जुलाई, 2020
17	आधार (आधार अधिप्रमाणन सेवाओं का मूल्य निर्धारण) विनियम, 2021 (2021 की संख्या 1)	14 अक्तूबर, 2021
18	आधार (अधिप्रमाणन और ऑफलाइन सत्यापन) विनियम, 2021 (2021 का संख्या 2)	09 नवंबर, 2021
19	भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति) (पहला संशोधन) विनियम, 2021 (2021 की संख्या 3)	28 दिसंबर, 2021
20	आधार (अधिप्रमाणन और ऑफलाइन सत्यापन) (पहला संशोधन) विनियम, 2022 (2022 की संख्या 1)	04 फरवरी, 2022
21	आधार (नामांकन एवं अद्यतन) (नौवां संशोधन) अधिनयम, 2022 (2022 की संख्या 2)	03 मार्च, 2022
22	भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2022 (2022 की संख्या 3)	21 मार्च, 2022
23	भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2022 (2022 की संख्या 5)	18 जुलाई, 2022
24	आधार (नामांकन एवं अद्यतन) (दसवां संशोधन) अधिनयम, 2022 (2022 की संख्या 6)	09 नवंबर, 2022
25	आधार (अधिप्रमाणन और ऑफलाइन सत्यापन) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2023 (2023 की संख्या 1)	27 फरवरी, 2023
26	आधार (आधार अधिप्रमाणन सेवाओं का मूल्य निर्धारण) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2023 (2023 की संख्या 2)	27 फरवरी, 2023

उपर्युक्त विनियम भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की दैनिक कार्यप्रणाली में सहायता करते हैं। ये विनियम भाविपप्रा की वेबसाइट www.uidai.gov.in/about-uidai/legal-framework/regulations.html पर उपलब्ध हैं।

11.3 अनुलग्नक 3: सत्यापन हेतु स्वीकार्य समर्थित दस्तावेजों की सूची

आधार नामांकन के लिए स्वीकार्य सहायक दस्तावेजों की सूची (0-5 वर्ष)

नामांकन प्रकार I: परिवार का मुखिया (एचओएफ) आधारित नामांकन			
क्र.सं.	**दस्तावेजों की सूची (आवेदन की तिथि को दस्तावेज मान्य होना चाहिए)**	**पीओआर (संबंध का प्रमाण) दस्तावेज, जिसमें बच्चे का नाम और एचओएफ (परिवार का मुखिया) का नाम शामिल हो।**	**डीओबी (जन्म तिथि) दस्तावेज जिसमें नाम और जन्मतिथि शामिल हो**
1.	संबंधित राज्य के जन्म और मृत्यु पंजीकरण नियम 1999/2000/2002 के साथ पठित जन्म और मुत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत अधिकृत प्राधिकारी (संबंधित राज्यों में) द्वारा जारी जन्म प्रमाणपत्र	☑	☑
2.	भारतीय / विदेशी पासपोर्ट (भारत के बाहर जन्में बच्चों के लिए)	☑	☒
3.	नेपाल/भूटान के नागरिकों के लिए नेपाल/भूटान का पासपोर्ट। पासपोर्ट उपलब्ध न होने पर, निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए जाएं: - ● नेपाली / भूटानी नागरिकता का प्रमाणपत्र। ● 182 दिनों से अधिक समय से रहने वालों के लिए भारत में नेपाली मिशन/रॉयल भूटानी मिशन द्वारा जारी सीमित वैधता का फोटो पहचान प्रमाणपत्र।	☑	☒
नामांकन प्रकार II: दस्तावेज आधारित नामांकन			
क्र.सं.	**दस्तावेजों की सूची (आवेदन की तिथि को दस्तावेज मान्य होना चाहिए)**	**पीओआई (पहचान का प्रमाण) दस्तावेज नाम और फोटो युक्त**	**पीओए (पते का प्रमाण) दस्तावेज, जिसमें नाम और भारतीय पता शामिल हो**
4.	अधीक्षक / वार्डन / मैट्रन / मान्यता प्राप्त आश्रय गृहों या अनाथालयों की संस्था के प्रमुख (केवल बच्चों के लिए संबंधित आश्रय ग्रह या अनाथालय) द्वारा यूआईडीएआई के मानक प्रमाणपत्र प्रारूप पर जारी प्रमाणपत्र ।	☑	☑

महत्वपूर्ण टिप्पणी:

क.) 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए परिवार के मुखिया (एचओएफ) आधारित नामांकन अनिवार्य है (आश्रय गृहों या अनाथालयों में रहने वाले बच्चों को छोड़कर) माता-पिता में से कोई भी परिवार का मुखिया बन सकता है।
ख.) एचओएफ आधारित नामांकन करने से पहले परिवार के मुखिया (एचओएफ) के पास वैध आधार होना चाहिए।
ग.) एचओएफ आधारित नामांकन के लिए माता-पिता दोनों का आधार नंबर आवश्यक है और माता-पिता में से किसी एक द्वारा बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण अनिवार्य है।
घ.) पीओआर दस्तावेज में बच्चे और परिवार के मुखिया के नाम (एचओएफ) का उल्लेख किया जाना चाहिए।
ड.) परिवार के मुखिया (एचओएफ) के आधार में उल्लिखित पते का उपयोग बच्चे के आधार में किया जाएगा।
च.) निवासी विदेशियों के लिए, जारी किया गया आधार केवल वीजा की वैधता अवधि तक ही मान्य होगा। हालांकि, नेपाल/भूटान के नागरिकों के मामले में, जारी किया गया आधार केवल दस साल की अवधि के लिए मान्य होगा।
छ.) ओसीआई कार्ड धारकों के लिए, जारी किया गया आधार केवल दस वर्ष की अवधि के लिए वैध होगा।
ज.) एलटीवी दस्तावेज धारकों के लिए, जारी किया गया आधार एलटीवी दस्तावेज की वैधता तक ही मान्य होगाक
झ.) एचओएफ को बच्चे के नाम पर निम्न में से जारी पहचान के प्रमाण (पीओआई) दस्तावेजों में से कोई भी प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है: -

- भारतीय पासपोर्ट
- केंद्र सरकार/ राज्य सरकार द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र / फोटो युक्त प्रमाणपत्र यथा अधिवास प्रमाणपत्र, निवासी प्रमाणपत्र आदि।
- केंद्र सरकार / राज्य सरकार द्वारा जारी अनु. जाति/ अनु. जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाणपत्र।
- दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 के तहत जारी दिव्यांगता पहचान पत्र / दिव्यांगता का प्रमाणपत्र
- वैध विदेशी पासपोर्ट के साथ वैध ओसीआई कार्ड वाले निवासियों के लिए, जो पिछले 12 महीनों में 182 दिनों या उससे अधिक समय से भारत में रहे हैं।
- अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के अल्पसंख्यक समुदायों अर्थात हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई धर्म को जारी किए गए मूल देश के विदेशी पासपोर्ट (वैध या समाप्त) के साथ वैध दीर्घकालिक वीजा (एलटीवी) दस्तावेज,
- अन्य विदेशियों निवासी को जारी किए गए वैध विदेशी पासपोर्ट के साथ वैध वीजा, जो पिछले 12 महीनों से अधिक या 182 दिनों या उससे अधिक समय से भारत में रहे हैं

ञ.) अपवाद संचालन प्रक्रिया, यूआईडीएआई के क्षेत्रीय कार्यालयों के क्षेत्राधिकार में की जाती है और संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा मामले की उचित जांच के बाद ही इस पर विचार किया जाता है।
ट.) नामांकन/अद्यतन के लिए मूल दस्तावेज लाएं। फोटोकॉपी की आवश्यकता नहीं है। मूल दस्तावेजों को स्कैन करके निवासी को वापस कर दिए जाते हैं।

स्वीकार्य सहायक दस्तावेजों की सूची आधार नामांकन के लिए (5 वर्ष से अधिक)

क्र.सं.	दस्तावेजों की सूची (आवेदन की तिथि को दस्तावेज मान्य होना चाहिए)	पीओआई (पहचान का प्रमाण) दस्तावेज जिसमें नाम और फोटो शामिल हो	पीओए (पते का प्रमाण) दस्तावेज जिसमें नाम और भारतीय पता शामिल हो	पीओआर (रिश्ते का सबूत) दस्तावेज जिसमें आवेदक का नाम और एचओएफ का नाम (के प्रमुख परिवार) शामिल हो	डीओबी (जन्म तिथि) दस्तावेज जिसमें नाम और जन्मतिथि शामिल हो
1.	भारतीय पासपोर्ट	☑	☑	☑	☑
2.	पैन कार्ड/ई-पैन कार्ड	☑	☒	☒	☒
3.	राशन/पीडीएस फोटोग्राफ कार्ड/ ई-राशन कार्ड	☑	☑	☑	☒
4.	मतदाता पहचान पत्र / ई-मतदाता पहचान पत्र	☑	☑	☒	☒
5.	ड्राइविंग लाइसेंस	☑	☒	☒	☒
6.	केंद्र सरकार/राज्य सरकार/पीएसयू/ नियामक निकाय / सांविधिक निकाय द्वारा जारी सेवा फोटो पहचान पत्र	☑	☒	☒	☑
7.	केंद्र सरकार/ राज्य सरकार/ पीएसयू / नियामक निकाय/ सांविधिक निकाय द्वारा जारी पेंशनर फोटो पहचान पत्र/ स्वतंत्रता सेनानी फोटो पहचान पत्र / पेंशन भुगतान आदेश	☑	☒	☑	☑
8.	केंद्र सरकार/राज्य सरकार /पीएसयू/ राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना(आरएसबीवाई) कार्ड द्वारा जारी सीजीएचएस/ ईसीएचएस/ईएसआईसी/ मेडी-क्लेम कार्ड	☑	☒	☒	☒
9.	दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 के तहत जारी दिव्यांगता पहचान पत्र / दिव्यांगता का प्रमाणपत्र	☑	☑	☒	☒
10.	केंद्र सरकार / राज्य सरकार द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र / फोटोग्राफ युक्त प्रमाणपत्र जैसे भामाशाह, अधिवास प्रमाणपत्र, निवासी प्रमाणपत्र, जन-आधार, मनरेगा/नरेगा जॉब कार्ड, लेबर कार्ड आदि।	☑	☑	☑	☒
11.	केंद्र सरकार / राज्य सरकार द्वारा जारी फोटो युक्त/ बिना फोटो का विवाह प्रमाणपत्र (बिना फोटो के विवाह प्रमाणपत्र होने की स्थिति में, पुराने नाम और फोटो समर्थित पीओआई दस्तावेज की आवश्यकता है)	☒	☒	☑	☒
12.	केंद्र सरकार / राज्य सरकार द्वारा जारी एसटी / एससी / ओबीसी प्रमाणपत्र।	☑	☑	☑	☒
13.	मान्यताप्राप्त शिक्षा बोर्ड/विश्वविद्यालय द्वारा जारी अंक-पत्र/प्रमाणपत्र	☑	☒	☑	☑
14.	ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 के तहत जारी ट्रांसजेंडर पहचान कार्ड/ प्रमाणपत्र।	☑	☑	☑	☑

15.	यूआईडीएआई मानक प्रमाणपत्र प्रारूप पर जारी प्रमाणपत्रः				
	i. सांसद/विधायक/ एमएलसी/नगर पार्षद	☒	☑	☒	☒
	ii. राजपत्रित अधिकारी समूह 'ए'/ ईपीएफओ अधिकारी	☒	☑	☒	☒
	iii. तहसीलदार/राजपत्रित अधिकारी समूह 'बी'	☒	☑	☒	☒
	iv. नाको / राज्य स्वास्थ्य विभाग अधिकारी / राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटी के 'परियोजना निदेशक या उनके नामांकित के राजपत्रित (माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आपराधिक अपील संख्या 135/2010 में दिनांक 19.05.2022 के अनुसरण में)	☑	☑	☒	☒
	v. अधीक्षक / वार्डन / मैट्रन / मान्यता प्राप्त आश्रय गृहों या अनाथालयों की संस्था के प्रमुख (केवल बच्चों के लिए संबंधित आश्रय ग्रह या अनाथालय)	☑	☑	☒	☒
	vi. संस्थान के प्रमुख द्वारा हस्ताक्षरित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान (केवल संबंधित संस्थान के छात्रों के लिए)	☒	☑	☒	☒
	vii. ग्राम पंचायत प्रधान या मुखिया या इसके समकक्ष प्राधिकारी (ग्रामीण क्षेत्रों के लिए), ग्राम पंचायत सचिव या ग्राम राजस्व अधिकारी या समकक्ष (ग्रामीण क्षेत्रों के लिए)	☒	☑	☒	☒
16.	बिजली का बिल (प्रीपेड/पोस्टपेड बिल, अधिकतम 3 महीने पुराना हो)	☒	☑	☒	☒
17.	पानी का बिल (अधिकतम 3 महीने पुराना हो)	☒	☑	☒	☒
18.	टेलीफोन लैंडलाइन बिल/पोस्टपेड मोबाइल बिल/ब्रॉडबैंड बिल (अधिकतम 3 महीने पुराना हो	☒	☑	☒	☒
19.	वैध पंजीकृत बिक्री अनुबंध/पंजीयक कार्यालय में पंजीकृत उपहार विलेख /पंजीकृत या गैर पंजीकृत किराया करार/ पट्टा करार/अवकाश और लाइसेंस करार।	☒	☑	☒	☒
20.	गैस कनेक्शन बिल (अधिकतम 3 महीने पुराना हो)	☒	☑	☒	☒
21.	केंद्र सरकार/राज्य सरकार/पीएसयू /नियामक निकाय/ सांविधिक निकाय द्वारा जारी आवास का आवंटन पत्र (अधिकतम 1 वर्ष पुराना हो)	☒	☑	☒	☒
22.	जीवन/चिकित्सा बीमा पॉलिसी (पॉलिसी जारी करने की तारीख से 1 वर्ष तक मान्य)	☒	☑	☒	☒
23.	संबंधित राज्य के जन्म और मृत्यु पंजीकरण नियम 1999/2000/2002 के साथ पठित जन्म और मुत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत अधिकृत प्राधिकारी (संबंधित राज्यों में) द्वारा जारी जन्म प्रमाणपत्र।	☒	☒	☑	☑

24.	केंद्र सरकार / राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया परिवार हकदारी दस्तावेज।	☒	☒	☑	☒
25.	जेल अधिकारी के हस्ताक्षर और मुहर सहित जारी किया गया कैदी प्रवेश दस्तावेज (पीआईडी)	☑	☑	☒	☒
	ओसीआई कार्ड धारकों/एलटीवी दस्तावेज धारकों/नेपाल के लिए लागू दस्तावेज और भूटान के नागरिक/अन्य विदेशी नागरिक				
26.	निवासी जो ठीक पिछले 12 महीनों में 182 दिनों या उससे अधिक समय तक भारत में रहे हैं, के वैध विदेशी पासपोर्ट के साथ वैध ओसीआई कार्ड	☑	☒	☒	☒
27.	अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के मूल नागरिकों के अल्पसंख्यक समुदायों अर्थात हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाईयों को जारी वैध दीर्घकालिक वीजा (एलटीवी) दस्तावेज सहित विदेशी पासपोर्ट (वैध या वैधता समाप्त)	☑	☑	☒	☒
28.	नेपाल/भूटान के नागरिक के लिए नेपाल/भूटान का पासपोर्ट ।पासपोर्ट उपलब्ध न होने की स्थिति में निम्नलिखित में से कोई दो दस्तावेज एक ही पते वाले प्रस्तुत किए जा सकते हैं:- क. नेपाली / भूटानी नागरिकता प्रमाणपत्र ख. नेपाल/भूटान के चुनाव आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र ग. भारत में नेपाली मिशन/रॉयल भूटानी मिशन द्वारा जारी प्रमाणपत्र	☑	☒	☒	☒
29.	भारत में ठीक पिछले 12 महीनों में 182 दिनों या उससे अधिक समय तक रहे अन्य विदेशी निवासियों के लिए जारी वैध विदेशी पासपोर्ट के साथ वैध वीजा।	☑	☒	☒	☒
30.	विदेशी नागरिकों के लिए एफआरआरओ/ एफआरओ द्वारा जारी वैध पंजीकरण प्रमाणपत्र या आवासीय परमिट (ओसीआई कार्ड धारक, एलटीवी दस्तावेज धारक और नेपाल/भूटान के नागरिक को छोड़कर)	☒	☑	☒	☒

महत्वपूर्ण टिप्पणी:

क. किसी दस्तावेज को पहचान के प्रमाण (पीओआई) दस्तावेज के रूप में तभी स्वीकार किया जाता है जब उसमें निवासी का नाम और फोटो हो।
ख. किसी दस्तावेज को पते के प्रमाण (पीओए) दस्तावेज के रूप में तभी स्वीकार किया जाता है जब उसमें निवासी का नाम और पता शामिल हो
ग. किसी दस्तावेज को पहचान के प्रमाण (पीओआई) और पते के प्रमाण (पीओए) दस्तावेज के रूप में तभी स्वीकार किया जाता है जब उसमें निवासी का नाम, फोटो और पता हो।
घ. निवासी के नाम पर ही सभी पीओआई, पीओए, डीओबी दस्तावेज जारी किए जाएंगे। परिवार के सदस्य/सदस्यों के नाम पर दस्तावेजों के लिए विचार नहीं किया जा सकता है
ङ. परिवार के अन्य सदस्यों के नामांकन के लिए निवासी के पास पीओआई और पीओए दस्तावेज नहीं होने की स्थिति में एचओएफ आधारित नामांकन का उपयोग किया जाएगा। सदस्य जिनके नाम पीओआर दस्तावेज में दर्ज हैं उनके लिए परिवार के मुखिया (एचओएफ) आधारित नामांकन का उपयोग तत्काल परिवार के लिए किया जाएगा। निवासी के आधार प्रमाणीकरण के लिए नामांकन के दौरान एचओएफ को निवासी के साथ जाना आवश्यक होगा। मुखिया (एचओएफ) के आधार में उल्लिखित पता परिवार के सदस्य के आधार में उपयोग किया जाएगा
च. निवासी विदेशियों के लिए जारी किया गया आधार केवल वीजा की वैधता तक ही मान्य होगा। हालांकि, नेपाल/भूटान के नागरिकों के मामले में, जारी किया गया आधार केवल दस साल की अवधि के लिए मान्य होगा
छ. ओसीआई कार्ड धारकों के लिए, जारी किया गया आधार केवल दस वर्ष की अवधि के लिए वैध होगा
ज. एलटीवी दस्तावेज धारकों के लिए, जारी किया गया आधार एलटीवी दस्तावेज की वैधता तक ही मान्य होगा।
झ. कृपया जन्मतिथि में बदलाव के लिए स्व- घोषणा देखें - https://uidai.gov.in/images/SOP_for_DOB_update.pdf
ञ. कृपया उपवाद हैंडलिंग तंत्र देखें - https://uidai.gov.in/images/Biometric_exception_guidelines_01-08-2014.pdf
ट. अपवाद निपटान मामलों की प्रक्रिया यूआईडीएआई क्षेत्रीय कार्यालयों के अधिकार क्षेत्र के तहत की जाती है और संबंधित क्षेत्रीय द्वारा मामले की उचित जांच के बाद ही इस पर विचार किया जाता है।
ठ. कार्यालय नामांकन/अद्यतन के लिए मूल दस्तावेज लाएं। फोटोकॉपी की आवश्यकता नहीं है। मूल दस्तावेजों को स्कैन करके निवासी को वापस कर दी जाएगी।

आधार अद्यतन के लिए स्वीकार्य सहायक दस्तावेजों की सूची (सभी आयु वर्ग)

क्र.सं.	दस्तावेजों की सूची (आवेदन की तिथि को दस्तावेज मान्य होना चाहिए)	पीओआई (पहचान का प्रमाण) दस्तावेज जिसमें नाम और फोटो शामिल हो	पीओए (पते का प्रमाण) दस्तावेज जिसमें नाम और भारतीय पता शामिल हो	पीओआर (रिश्ते का सबूत) दस्तावेज जिसमें आवेदक का नाम और एचओएफ का नाम (के प्रमुख परिवार) शामिल हो	डीओबी (जन्म तिथि) दस्तावेज जिसमें नाम और जन्मतिथि शामिल हो
1.	भारतीय पासपोर्ट	☑	☑	☑	☑*
2.	पैन कार्ड/ई-पैन कार्ड	☑	☒	☒	☒
3.	राशन/पीडीएस फोटोग्राफ कार्ड/ ई-राशन कार्ड	☑	☑	☑	☒
4.	मतदाता पहचान पत्र / ई-मतदाता पहचान पत्र	☑	☑	☒	☒
5.	ड्राइविंग लाइसेंस	☑	☒	☒	☒
6.	केंद्र सरकार/राज्य सरकार/पीएसयू/ नियामक निकाय / सांविधिक निकाय द्वारा जारी सेवा फोटो पहचान पत्र	☑	☒	☒	☑*
7.	केंद्र सरकार द्वारा जारी /राज्य सरकार/पीएसयू/नियामक निकाय/ सांविधिक निकाय द्वारा जारी पेंशनर फोटो पहचान पत्र/स्वतंत्रता सेनानी फोटो पहचान पत्र / पेंशन भुगतान आदेश	☑	☒	☑	☑*
8.	किसान फोटो पासबुक	☑	☑	☒	☒
9.	केंद्र सरकार/राज्य सरकार/ पीएसयू/ राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आरएसबीवाई) कार्ड द्वारा जारी सीजीएचएस/ ईसीएचएस/ ईएसआईसी/मेडी-क्लेम कार्ड	☑	☒	☒	☒
10.	दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 के तहत जारी दिव्यांगता पहचान पत्र / दिव्यांगता का प्रमाणपत्र	☑	☑	☒	☒
11.	केंद्र सरकार / राज्य सरकार द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र / फोटोग्राफ युक्त प्रमाणपत्र जैसे भामाशाह, अधिवास प्रमाणपत्र, निवासी प्रमाणपत्र, जन-आधार, मनरेगा/नरेगा जॉब कार्ड, लेबर कार्ड आदि।	☑	☑	☑	☒
12.	केंद्र सरकार / राज्य सरकार द्वारा जारी फोटो युक्त/ बिना फोटो का विवाह प्रमाणपत्र (बिना फोटो के विवाह प्रमाणपत्र होने की स्थिति में, पुराने नाम और फोटो समर्थित पीओआई दस्तावेज की आवश्यकता है)	☑	☑	☑	☒
13.	केंद्र सरकार / राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया एसटी / एससी / ओबीसी प्रमाणपत्र।	☑	☑	☑	☒
14.	स्कूल छोड़ने का प्रमाणपत्र (एसएलसी) / स्कूल स्थानांतरण प्रमाणपत्र (टीसी)	☑	☒	☒	☒

15.	मान्यताप्राप्त शिक्षा बोर्ड/विश्वविद्यालय द्वारा जारी अंक-पत्र/प्रमाणपत्र	☑	☒	☑	☑*
16.	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (आरबीआई द्वारा अधिसूचित) की पासबुक, जिसमें नाम और फोटोग्राफ (बैंक की सील सहित क्रॉस स्टैम्प) हो तथा बैंक अधिकारी के हस्ताक्षर हो/डाकघर की बचत खाता पासबुक (डाकघर के जारीकर्ता अधिकारी की मुहर सहित)	☒	☑	☒	☒
17.	बैंक खाता विवरण/क्रेडिट कार्ड विवरण (जारीकर्ता बैंक के अधिकारी के हस्ताक्षर और बैंक स्टेम्प सहित)/पोस्ट ऑफिस बचत खाता विवरण (डाकघर के जरीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर मुहर सहित) (3 महीने से अधिक पुराना नहीं)	☒	☑	☒	☒
18.	ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 के तहत जारी ट्रांसजेंडर पहचान कार्ड/ प्रमाणपत्र।	☑	☑	☑	☑*
19.	यूआईडीएआई मानक प्रमाणपत्र प्रारूप पर जारी प्रमाणपत्रः				
	i. सांसद/विधायक/ एमएलसी/नगर पार्षद	☒	☑	☒	☒
	ii. राजपत्रित अधिकारी समूह 'ए'/ ईपीएफओ अधिकारी	☒	☑	☒	☒
	iii. तहसीलदार/राजपत्रित अधिकारी समूह 'बी'	☒	☑	☒	☒
	iv. नाको / राज्य स्वास्थ्य विभाग अधिकारी / राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटी के 'परियोजना निदेशक या उनके नामांकित के राजपत्रित (माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आपराधिक अपील संख्या 135/2010 में दिनांक 19.05.2022 के अनुसरण में)	☑	☑	☒	☒
	v. अधीक्षक / वार्डन / मैट्रन / मान्यता प्राप्त आश्रय गृहों या अनाथालयों की संस्था के प्रमुख (केवल बच्चों के लिए संबंधित आश्रय ग्रह या अनाथालय)	☑	☑	☒	☒
	vi. संस्थान के प्रमुख द्वारा हस्ताक्षरित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान (केवल संबंधित संस्थान के छात्रों के लिए)	☒	☑	☒	☒
	vii. ग्राम पंचायत प्रधान या मुखिया या इसके समकक्ष प्राधिकारी (ग्रामीण क्षेत्रों के लिए), ग्राम पंचायत सचिव या ग्राम राजस्व अधिकारी या समकक्ष (ग्रामीण क्षेत्रों के लिए)	☒	☑	☒	☒
20.	बिजली का बिल (प्रीपेड/पोस्टपेड बिल, अधिकतम 3 महीने पुराना हो)	☒	☑	☒	☒
21.	पानी का बिल (अधिकतम 3 महीने पुराना हो)	☒	☑	☒	☒
22.	टेलीफोन लैंडलाइन बिल/पोस्टपेड मोबाइल बिल/ब्रॉडबैंड बिल (अधिकतम 3 महीने पुराना हो	☒	☑	☒	☒

23.	संपत्ति कर रसीद (अधिकतम 1 वर्ष पुराना हो)	☒	☑	☒	☒
24.	वैध पंजीकृत बिक्री अनुबंध/पंजीयक कार्यालय में पंजीकृत उपहार विलेख /पंजीकृत या गैर पंजीकृत किराया करार/ पट्टा करार/अवकाश और लाइसेंस करार।	☒	☑	☒	☒
25.	गैस कनेक्शन बिल (अधिकतम 3 महीने पुराना हो)	☒	☑	☒	☒
26.	केंद्र सरकार/राज्य सरकार/पीएसयू /नियामक निकाय/ सांविधिक निकाय द्वारा जारी आवास का आवंटन पत्र (अधिकतम 1 वर्ष पुराना हो)	☒	☑	☒	☒
27.	जीवन/चिकित्सा बीमा पॉलिसी (पॉलिसी जारी करने की तारीख से 1 वर्ष तक मान्य)	☒	☑	☒	☒
28.	संबंधित राज्य के जन्म और मृत्यु पंजीकरण नियम 1999/2000/2002 के साथ पठित जन्म और मुत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत अधिकृत प्राधिकारी (संबंधित राज्यों में) द्वारा जारी जन्म प्रमाणपत्र।	☒	☒	☑	☑
29.	केंद्र सरकार / राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया परिवार हकदारी दस्तावेज।	☒	☒	☑	☒
30.	जेल अधिकारी के हस्ताक्षर और मुहर सहित जारी किया गया कैदी प्रवेश दस्तावेज (पीआईडी)	☑	☑	☒	☒
31.	परिवार के मुखिया (एचओएफ) इस प्रमाणीकरण के साथ स्व घोषणा करे कि निवासी के रूप में वह एचओएफ के साथ उसी पते पर रह रहा है, यह केवल एचओएफ के पते के मामले में ही मान्य है । (केवल परिवार के सदस्य/ एचओएफ के सदस्यों का तत्काल पता अद्यतन के संबंध में उपयोग करने के लिए किया जाएगा)	☒	☒	☑	☒
	ओसीआई कार्ड धारकों/एलटीवी दस्तावेज धारकों/नेपाल के लिए लागू दस्तावेज और भूटान के नागरिक/अन्य विदेशी नागरिक				
32.	निवासी जो ठीक पिछले 12 महीनों में 182 दिनों या उससे अधिक समय तक भारत में रहे हैं, के वैध विदेशी पासपोर्ट के साथ वैध ओसीआई कार्ड	☑	☒	☒	☒
33.	अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के मूल नागरिकों के अल्पसंख्यक समुदायों अर्थात हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाईयों को जारी वैध दीर्घकालिक वीजा (एलटीवी) दस्तावेज सहित विदेशी पासपोर्ट (वैध या वैधता समाप्त)	☑	☑	☒	☒
34.	नेपाल/भूटान के नागरिक के लिए नेपाल/भूटान का पासपोर्ट। पासपोर्ट उपलब्ध न होने की स्थिति में निम्नलिखित में से कोई एक ही पते वाले दो दस्तावेज प्रस्तुत किए जा सकते हैं:- क. नेपाली / भूटानी नागरिकता प्रमाणपत्र ख. नेपाल/भूटान के चुनाव आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र ग. भारत में नेपाली मिशन/रॉयल भूटानी मिशन द्वारा जारी प्रमाणपत्र	☑	☒	☒	☒

35.	भारत में ठीक पिछले 12 महीनों में 182 दिनों या उससे अधिक समय तक रहे अन्य विदेशी निवासियों के लिए जारी वैध विदेशी पासपोर्ट के साथ वैध वीजा।	☑	☒	☒	☒
36.	विदेशी नागरिकों के लिए एफआरआरओ/ एफआरओ द्वारा जारी वैध पंजीकरण प्रमाणपत्र या आवासीय परमिट (ओसीआई कार्ड धारक, एलटीवी दस्तावेज धारक और नेपाल/भूटान के नागरिक को छोड़कर)	☒	☑	☒	☒
नाम, लिंग और जन्मतिथि के अपवाद मामलों के लिए उपयुक्त दस्तावेज					
37.	नाम परिवर्तन के अपवाद मामलों के लिए: नए नाम की राजपत्र में अधिसूचना के साथ पुराने नाम और फोटोग्राफ वाला कोई भी सहायक पीओआई दस्तावेज (प्रथम या पूर्ण नाम में परिवर्तन के लिए)/तलाक का आदेश/दत्तक ग्रहण प्रमाणपत्र / विवाह प्रमाणपत्र	☑	☒	☒	☒
38.	लिंग परिवर्तन के अपवाद मामलों के लिए: निवासी द्वारा शल्य-चिकित्सा से लिंग बदलने की स्थिति में सर्जन द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाणपत्र।	☑	☒	☒	☒
39.	जन्मतिथि परिवर्तन के अपवाद मामलों के लिए: अधिसूचित प्रारूप के अनुसार स्व घोषणा के साथ संबंधित राज्य के जन्म और मृत्यु पंजीकरण नियम 1999/2000/2002 के साथ पठित जन्म और मुत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत अधिकृत प्राधिकारी (संबंधित राज्यों में) द्वारा जारी जन्म प्रमाणपत्र।	☒	☒	☒	☑

महत्वपूर्ण टिप्पणी:

क. *0-18 वर्ष आयु वर्ग के सभी निवासियों की जन्मतिथि को अद्यतन करने के लिए अनिवार्य रूप से संबंधित राज्यों के प्राधिकृत प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाणपत्र की आवश्यकता होती है।

ख. किसी दस्तावेज को पहचान के प्रमाण (पीओआई) दस्तावेज के रूप में तभी स्वीकार किया जाता है जब उसमें निवासी का नाम और फोटो हो।

ग. किसी दस्तावेज को पते के प्रमाण (पीओए) दस्तावेज के रूप में तभी स्वीकार किया जाता है जब उसमें निवासी का नाम और पता शामिल हो

घ. किसी दस्तावेज को पहचान के प्रमाण (पीओआई) और पते के प्रमाण (पीओए) दस्तावेज के रूप में तभी स्वीकार किया जाता है जब उसमें निवासी का नाम, फोटो और पता हो।

ङ. निवासी के नाम पर ही सभी पीओआई, पीओए, डीओबी दस्तावेज जारी किए जाएंगे। परिवार के सदस्य/सदस्यों के नाम पर दस्तावेजों के लिए विचार नहीं किया जा सकता है

च. परिवार के अन्य सदस्यों के नामांकन के लिए निवासी के पास पीओआई और पीओए दस्तावेज नहीं होने की स्थिति में एचओएफ आधारित नामांकन का उपयोग किया जाएगा। सदस्य जिनके नाम पीओआर दस्तावेज में दर्ज हैं उनके लिए परिवार के मुखिया (एचओएफ) आधारित नामांकन का उपयोग तत्काल परिवार के लिए किया जाएगा। निवासी के आधार प्रमाणीकरण के लिए नामांकन के दौरान एचओएफ को निवासी के साथ जाना आवश्यक होगा। मुखिया (एचओएफ) के आधार में उल्लिखित पता परिवार के सदस्य के आधार में उपयोग किया जाएगा

छ. बच्चे (0-5 वर्ष) के मामले में जिसका आधार में नाम 'बेबी ऑफ ...' है, पूर्ण नाम परिवर्तन के लिए प्रथम अद्यतन अनुरोध की अनुमति, संबंधित राज्यों के जन्म और मृत्यु पंजीकरण नियम 1999/2000/2002 के साथ पठित जन्म और मृत्यु अधिनियम, 1969 के पंजीकरण के तहत जारी जन्म प्रमाणपत्र जमा करने पर दी जाएगी।

ज. विदेशी नागरिकों का आधार अपडेट केवल वयस्कों हेतु आधार नामांकन केंद्रों पर किया जाएगा।

झ. विदेशी नागरिकों के लिए आधार, वीजा की वैधता तक ही मान्य होगा। हालांकि, नेपाल/भूटान के नागरिकों के मामले में, आधार केवल दस साल की अवधि के लिए मान्य होगा।

ञ. ओसीआई कार्ड धारकों के लिए आधार, केवल दस वर्ष की अवधि के लिए मान्य होगा।

ट. एलटीवी दस्तावेज धारकों के लिए आधार, दीघार्कालिक वीजा (एलटीवी) दस्तावेज की वैधता तक ही मान्य होगा।

ठ. कृपया निवासी के नाम में मामूली अद्यतन करने के संबंध में - https://uidai.gov.in/images/SOP_ 28.10.2021-Name_And_Gender_UpdateRequest-under_Exception_Handling_Process.pdf पर स्पष्टीकरण देखें।

ड. कृपया जन्मतिथि में परिवर्तन के लिए https://uidai.gov.in/images/SOP_for_DOB_update.pdf लिंक पर स्व-घोषणा देखें।

ढ. कृपया अपवाद हैंडलिंग तंत्र के लिए - https://uidai.gov.in/images/Biometric_exception_ guidelines_01-08-2014.pdf लिंक देखें।

ण. अपवाद निपटान की प्रक्रिया यूआईडीएआई क्षेत्रीय कार्यालयों के अधिकार क्षेत्र के तहत की जाती है और संबंधित क्षेत्रीय द्वारा मामले की उचित जांच के बाद ही इस पर विचार किया जाता है।

त. नामांकन/अद्यतन के लिए मूल दस्तावेज लाएं। फोटोकॉपी की आवश्यकता नहीं है। मूल दस्तावेजों को स्कैन करके निवासी को वापस कर दिया जाता है।

11.4 अनुलग्नक 4: 31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार परिपूर्णता रिपोर्ट

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र- वार परिपूर्णता 31 मार्च, 2023				
क्र.सं.	राज्य का नाम	कुल आबादी (परियोजित 2023)	समनुदेशित आधार की संख्या (लाइव)	परिपूर्णता % (लाइव)
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	4,03,000	3,87,442	96.14%
2	आंध्र प्रदेश	5,31,56,000	5,17,08,514	97.28%
3	अरूणाचल प्रदेश	15,62,000	12,37,756	79.24%
4	असम	3,57,13,000	3,05,07,919	85.43%
5	बिहार	12,67,56,000	10,87,79,039	85.82%
6	चंडीगढ़ **	12,31,000	11,58,593	94.12%
7	छत्तीसगढ़	3,01,80,000	2,81,32,668	93.22%
8	दादर एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव **	6,50,880	5,99,432	92.10%
9	दिल्ली	2,13,59,000	2,26,51,593	106.05%
10	गोवा	15,75,000	16,16,077	102.61%
11	गुजरात	7,15,07,000	6,51,66,810	91.13%
12	हरियाणा	3,02,09,000	3,00,38,583	99.44%
13	हिमाचल प्रदेश	74,68,000	77,29,456	103.50%
14	जम्मू कश्मीर	1,36,03,000	1,16,76,416	85.84%
15	झारखंड	3,94,66,000	3,57,30,236	90.53%
16	कर्नाटक	6,76,92,000	6,45,10,025	95.30%
17	केरल	3,57,76,000	3,72,04,366	103.99%
18	लद्दाख	3,00,000	2,38,896	79.63%
19	लक्षद्वीप	69,000	73,546	106.59%
20	मध्य प्रदेश	8,65,79,000	7,75,92,017	89.62%
21	महाराष्ट्र	12,63,85,000	11,83,09,601	93.61%
22	मणिपुर	32,23,000	26,33,441	81.71%
23	मेघालय	33,49,000	23,04,621	68.82%
24	मिजोरम	12,38,000	11,90,413	96.16%
25	नागालैंड	22,33,000	13,55,835	60.72%
26	ओडिशा	4,62,76,000	4,38,67,828	94.80%
27	पुदुचेरी**	13,76,974	12,88,694	93.59%
28	पंजाब	3,07,30,000	3,11,30,060	101.30%
29	राजस्थान	8,10,25,000	7,49,38,355	92.49%
30	सिक्किम	6,89,000	5,74,111	83.33%
31	तमिलनाडु	7,68,60,000	7,39,50,810	96.21%
32	तेलंगाना	3,80,90,000	3,83,49,916	100.68%
33	त्रिपुरा	41,47,000	38,05,493	91.76%
34	उत्तर प्रदेश	23,56,87,000	21,69,78,472	92.06%
35	उत्तराखंड	1,16,37,000	1,15,54,695	99.29%
36	पश्चिम बंगाल	9,90,84,000	9,58,48,044	96.73%
योग		**1,38,72,84,855**	**1,29,48,19,773**	**93.33%**

*आरजीआई डेटा के अनुसार
**जनसंख्या दमन एवं दीव और दादर एवं नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन कार्यालय के दिनांक 02 नवंबर 21 से प्राप्त पत्र सीओएल/आधार-जागरूकता/2021-22/3060 के अनुसार संशोधित जनसंख्या को अद्यतित किया गया।
** क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़ के दिनांक 17.12.2021 के पत्र सं. RO-CHD-17020/4/2020-RO-CHD/2859 से प्राप्त चंडीगढ़ की संशोधित जनसंख्या को अद्यतित किया गया।
**क्षेत्रीय कार्यालय बेंगलुरु से दिनांक 27.12.2021 को प्राप्त पुदुचेरी की संशोधित जनसंख्या को अद्यतित किया गया।

0<5 वर्ष आयु सीमा में आधार परिपूर्णता (31 मार्च, 2023)				
क्र.सं.	राज्य का नाम	आबादी (0<5वर्ष) (परियोजित 2023)	समनुदेशित आधार की संख्या (लाइव)	परिपूर्णता % (लाइव)
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	29,010	13,651	47.05%
2	आंध्र प्रदेश	34,73,110	16,25,672	46.81%
3	अरूणाचल प्रदेश	1,12,442	15,925	14.16%
4	असम	30,81,817	6,12,826	19.89%
5	बिहार	1,38,96,683	22,10,399	15.91%
6	चंडीगढ़ **	1,09,807	44,084	40.15%
7	छत्तीसगढ़	28,20,197	9,59,718	34.03%
8	दादर एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव **	74,443	23,586	31.68%
9	दिल्ली	9,75,989	5,57,176	57.09%
10	गोवा	1,13,378	42,239	37.25%
11	गुजरात	59,69,505	21,27,715	35.64%
12	हरियाणा	24,94,960	15,21,943	61.00%
13	हिमाचल प्रदेश	4,69,654	3,02,255	64.36%
14	जम्मू कश्मीर	8,51,202	4,25,381	49.97%
15	झारखंड	37,55,687	7,67,849	20.44%
16	कर्नाटक	47,19,047	17,83,040	37.78%
17	केरल	23,33,721	4,98,533	21.36%
18	लद्दाख	21,596	4,552	21.08%
19	लक्षद्वीप	4,967	2,400	48.32%
20	मध्य प्रदेश	86,34,748	21,42,601	24.81%
21	महाराष्ट्र	85,76,187	32,91,397	38.38%
22	मणिपुर	2,32,011	54,165	23.35%
23	मेघालय	2,41,082	39,590	16.42%
24	मिजोरम	89,119	51,900	58.24%
25	नागालैंड	1,60,745	10,180	6.33%
26	ओडिशा	35,32,206	13,29,887	37.65%
27	पुदुचेरी**	74,675	35,354	47.34%
28	पंजाब	19,77,157	8,11,384	41.04%
29	राजस्थान	78,55,074	17,87,266	22.75%
30	सिक्किम	49,598	2,564	5.17%
31	तमिलनाडु	47,56,343	15,40,770	32.39%
32	तेलंगाना	26,30,204	9,36,718	35.61%
33	त्रिपुरा	2,98,526	76,620	25.67%
34	उत्तर प्रदेश	2,42,35,524	48,23,522	19.90%
35	उत्तराखंड	8,87,144	4,36,340	49.18%
36	पश्चिम बंगाल	64,18,119	18,52,665	28.87%
योग		**11,59,55,678**	**3,27,61,866**	**28.25%**

*आरजीआई डेटा के अनुसार
**दादरा और नगर हवेली तथा दमन एवं दीव संघ राज्य-क्षेत्र प्रशासन के कार्यालय से दिनांक 02 नवंबर 2021 के पत्र सीओएल/आधार-अवेयरनेस/2021-22 के जरिए प्राप्त जनसंख्या की संशोधित सूचना के अनुसार अद्यतित।
**क्षेत्रीय कार्यालय चंडीगढ़ के दिनांक 17.12.2021 के पत्र आरओ-सीएचडी-17020/4/2020-आरओ-सीएचडी के जरिए प्राप्त चंडीगढ़ की संशोधित जनसंख्या सूचना के अनुसार अद्यतित।
**क्षेत्रीय कार्यालय बेंगलुरु के दिनांक 27.12.2021 के पत्र के जरिए प्राप्त पुदुचेरी जनसंख्या की संशोधित सूचना के अनुसार अद्यतित।

5 <18 वर्ष आयु बैंड में आधार परिपूर्णता 31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार				
क्र.सं.	राज्य का नाम	आबादी (5<18वर्ष) (परियोजित 2023)	समनुदेशित आधार की संख्या (लाइव)	परिपूर्णता % (लाइव)
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	62,027	71,484	115.25%
2	आंध्र प्रदेश	98,85,624	96,38,058	97.50%
3	अरूणाचल प्रदेश	2,40,414	3,19,049	132.71%
4	असम	85,20,857	70,16,748	82.35%
5	बिहार	3,72,18,477	3,05,59,780	82.11%
6	चंडीगढ़ **	2,62,143	2,42,883	92.65%
7	छत्तीसगढ़	72,52,082	64,12,663	88.43%
8	दादर एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव **	1,55,979	1,33,046	85.30%
9	दिल्ली	38,49,019	49,77,457	129.32%
10	गोवा	2,42,415	2,55,140	105.25%
11	गुजरात	1,54,24,806	1,36,07,673	88.22%
12	हरियाणा	66,26,246	66,67,133	100.62%
13	हिमाचल प्रदेश	14,20,071	14,69,628	103.49%
14	जम्मू कश्मीर	32,06,972	27,37,535	85.36%
15	झारखंड	1,02,04,266	98,79,355	96.82%
16	कर्नाटक	1,34,36,120	1,29,06,668	96.06%
17	केरल	65,18,291	62,02,992	95.16%
18	लद्दाख	46,174	50,688	109.77%
19	लक्षद्वीप	10,620	13,767	129.64%
20	मध्य प्रदेश	2,16,53,970	1,83,08,725	84.55%
21	महाराष्ट्र	2,49,42,443	2,32,27,638	93.12%
22	मणिपुर	4,96,066	6,19,705	124.92%
23	मेघालय	5,15,459	5,36,865	104.15%
24	मिजोरम	1,90,546	2,85,452	149.81%
25	नागालैंड	3,43,691	2,76,175	80.36%
26	ओडिशा	97,76,886	90,57,039	92.64%
27	पुदुचेरी**	2,49,419	2,20,135	88.26%
28	पंजाब	57,21,803	57,35,052	100.23%
29	राजस्थान	2,05,27,846	1,80,93,807	88.14%
30	सिक्किम	1,06,047	85,688	80.80%
31	तमिलनाडु	1,38,65,624	1,26,98,270	91.58%
32	तेलंगाना	74,24,142	75,31,267	101.44%
33	त्रिपुरा	6,38,283	7,50,991	117.66%
34	उत्तर प्रदेश	6,09,75,656	5,51,84,887	90.50%
35	उत्तराखंड	25,18,509	25,44,399	101.03%
36	पश्चिम बंगाल	1,93,04,845	1,80,72,702	93.62%
योग		**31,38,33,838**	**28,63,90,546**	**91.26%**

*आरजीआई डेटा के अनुसार
**दादरा और नगर हवेली तथा दमन एवं दीव संघ राज्य-क्षेत्र प्रशासन के कार्यालय से दिनांक 02 नवंबर 2021 के पत्र सीओएल/आधार-अवेयरनेस/2021-22 के जरिए प्राप्त जनसंख्या की संशोधित सूचना के अनुसार अद्यतित।
**क्षेत्रीय कार्यालय चंडीगढ़ के दिनांक 17.12.2021 के पत्र आरओ-सीएचडी-17020/4/2020-आरओ-सीएचडी के जरिए प्राप्त चंडीगढ़ की संशोधित जनसंख्या सूचना के अनुसार अद्यतित।
**क्षेत्रीय कार्यालय बेंगलुरु के दिनांक 27.12.2021 के पत्र के जरिए प्राप्त पुदुचेरी जनसंख्या की संशोधित सूचना के अनुसार अद्यतित।

12. लघुरूपण

लघुरूपण	पूर्ण स्वरूप
एबीआईएस	स्वचालित बायोमेट्रिक पहचान प्रणाली
एडीजी	सहायक महानिदेशक
एईए	आधार समर्थित ऐप्लिकेशन
एईबीएएस	आधार समर्थित बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली
एईपीएस	आधार समर्थित भुगतान प्रणाली
एईएस	विकसित एन्क्रिप्शन मानक
एआई	कृत्रिम आसूचना
एआईआर	आकाशवाणी (ऑल इंडिया रेडियो)
एएमसी	वार्षिक अनुरक्षण लागत
ए एंड एन	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह
एपीबी	आधार भुगतान ब्रिज
एपीआई	एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस
एएसए	अधिप्रमाणन सेवा एजेंसी
एएसके	आधार सेवा केंद्र
एटीएम	स्वचालित टेलर मशीन
एयू	आधार यूसेज
एयूए	अधिप्रमाणन प्रयोक्ता एजेंसी
एवीएल	पता सत्यापन पत्र
बी2सी	व्यवसाय से उपभोक्ता
बीई	बजट अनुमान
भीम	भारत इंटरफेस फॉर मनी
बीआई	व्यवसाय आसूचना
बीओसी	व्यवसाय संचालन समिति
बीपीएल	गरीबी रेखा से नीचे
बीपीओ	बिजनेस-प्रोसेस ऑउटसोर्सिंग
बीएसएनएल	भारत संचार निगम लिमिटेड
बीएसपी	बायोमेट्रिक सेवा प्रदाता
बी-टेक	प्रौद्योगिकी स्नातक
सीएजी	नियंत्रक और महालेखापरीक्षक
सीबीएसई	केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड
सीडीए	कंटेंट डेवलपमेंट एजेंसी

लघुरूपण	पूर्ण स्वरूप
सी-डेक	प्रगत संगणन विकास केंद्र
सीईएलसी	बाल नामांकन लाइट क्लाइंट
सीईओ	मुख्य कार्यकारी अधिकारी
सीएफआई	भारत की समेकित निधि
सीजीएचएस	केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना
सीआई	चैनल इंटरफेस़
सीआईसी	केंद्रीय सूचना आयोग
सीआईडीआर	केंद्रीय पहचान डाटा रिपॉजिटरी
सीआईएसएफ	केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल
सीएमए	सिविल विविध अपील
सीपीजीआरएएमएस	केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और मॉनीटरिंग प्रणाली
सीपीआईओ	केंद्रीय जन सूचना अधिकारी
सीपीडब्ल्यूडी	केंद्रीय लोक निर्माण विभाग
सीआरएम	ग्राहक संबंध प्रबंधन
सीएससी	सामान्य सेवा केंद्र
सीएसएस	कैस्केडिंग स्टाइल शीट
सीआरटी	चैटबॉट रिस्पांस टेम्प्लेट
सीवीओ	प्रमुख सतर्कता अधिकारी
डीएआरपीजी	प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग
डीबीटी	प्रत्यक्ष लाभ अंतरण
डीसी	डेटा केंद्र
डीसी	डिस्ट्रिक ऑफ कोलंबिया
डीडी	उपनिदेशक
डीडीजी	उपमहानिदेशक
डीआईटी	सूचना प्रौद्योगिकी विभाग
डीएलसी	डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र
डीएमएस	दस्तावेज प्रबंधन प्रणाली
डीओबी	जन्मतिथि
डीओपी	डाक विभाग
डीओटी	दूरसंचार विभाग
डीपीयू	डेटा प्रोसेसिंग यूनिट
डीआर.	डॉक्टर
ईसीएचएस	भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना

लघुरूपण	पूर्ण स्वरूप
ईसीएमपी	नामांकन ग्राहक बहुविध प्लेटफार्म
ईजीओएम	मंत्रियों का अधिकार प्राप्त समूह
ईआईडी	नामांकन पहचान
ईआईएल	इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड
ईएमडी	जमा बयाना राशि
ईपीएफओ	कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
ईपीआईसी	मतदाता फोटो पहचान पत्र
ईएसआईसी	कर्मचारी राज्य बीमा निगम
ईएंडयू	नामांकन और अद्यतन
एफएए	प्रथम अपीलीय प्राधिकरण
एफएक्यू	प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्न
एफसीबीडी	वित्त और केंद्रीय बैंक प्रतिनिधि
एफसीसी	फिनटेक कन्वर्जेंस काउंसिल
एफडी	मियादी जमा
एफआईआर	फिंगरप्रिंट इमेज रिकार्ड
एफएमसीबीजी	वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक गवर्नर
एफएमआर	फिंगर मिनुटिया रिकॉर्ड
एफआरओ	विदेशी पंजीकरण कार्यालय
एफआरआरओ	विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण अधिकारी
एफवाई	वित्त वर्ष
जी20	जी20 शिखर सम्मेलन
जी2सी	सरकार-से-नागरिक
जीएफएफ	ग्लोबल फिनटेक फेस्ट
जीआईए	सहायता अनुदान
जीआईजीडब्ल्यू	भारत सरकार वेबसाइट दिशानिर्देश
जीपीएस	ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम
जीआरसीपी	शासन जोखिम अनुपालन और निष्पादन
जीआरसीपी-एसपी	संचालन, जोखिम, अनुपालन और निष्पादन-सेवा प्रदाता
जीआरआई	ग्लोबल रिव्यू इंडेक्स
जीआरआईएचए (गृहा)	एकीकृत आवास मूल्यांकन के लिए ग्रीन रेटिंग
जीएसटी	माल और सेवा कर
एचबीए	गृह निर्माण अग्रिम
एचसीएल	हिंदुस्तान कंप्यूटर्स लिमिटेड

लघुरूपण	पूर्ण स्वरूप
एचओएफ	परिवार का मुखिया
एचओएनएस.	सम्मान
एचपी	हिमाचल प्रदेश
एचक्यू	मुख्यालय
एचआर	मानव संसाधन
एचएसएम	हार्डवेयर सुरक्षा मॉडल
एचटीएमएल	हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज
एचटीटीपी	हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल
आईएएस	भारतीय प्रशासनिक सेवा
आईबीए	भारतीय बैंक एसोसिएशन
आईसीटी	सूचना व संचार तकनीक
आईडी	पहचान दस्तावेज
आईईसी	सूचना, शिक्षा और संचार
आईएफएससी	भारतीय वित्त व्यवस्था संहिता
आईआईआईटी	अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान
आईआईटी	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान
आईओएस	आईफोन प्रचालन प्रणाली
आईपीपीबी	भारतीय डाक भुगतान बैंक
आईएस	सूचना सुरक्षा
आईएसओ	अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन
आईएसआरओ	भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र
आईटी	सूचना प्रौद्योगिकी
आईटीआईएल	सूचना प्रौद्योगिकी अवसंरचना लाइब्रेरी
आईवीआर	इंटरएक्टिव वॉयस रिस्पांस
आईवीआरएस	परस्पर स्वर प्रतिक्रिया प्रणाली
जेएएम	जन-धन आधार और मोबाइल
जेएंडके	जम्मू और कश्मीर
केएम	ज्ञान प्रबंधन
केएमएस	ज्ञान प्रबंधन प्रणाली
केएसआईआईडीसी	कर्नाटक राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम
केयूए	ई-केवाईसी प्रयोक्ता एजेंसी
केवाईसी	अपने ग्राहक को जानो
एलडी	परिनिर्धारित नुकसानी

लघुरूपण	पूर्ण स्वरूप
एलजीडी	स्थानीय सरकारी निर्देशिका
एलआईसी	जीवन बीमा निगम
एलएमएस	लर्निंग प्रबंधन प्रणाली
एलपीजी	रसोई गैस
एलटीसी	छुट्टी यात्रा रियायत
एलटी. सीओएल	लेफ्टिनेंट कर्नल/ले. कर्नल
एलटीवी	दीर्घकालिक वीजा
एमबीए	व्यवसाय प्रशासन निष्णात
एमबीयू	अनिवार्य बायोमेट्रिक अद्यतन
एमईए	विदेश मंत्रालय
एमईआईटीवाई	इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
एमजीएनआरईजीएस	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना
एमएचए	गृह मंत्रालय
एमएल	मशीन लर्निंग
एमएलए	विधान सभा सदस्य/विधायक
एमएलसी	विधान परिषद सदस्य
एमओसीए	नागर विमानन मंत्रालय
एमओपीआर	पंचायती राज मंत्रालय
एमओएसआईपी	मॉड्यूलर ओपन-सोर्स आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म
एमओयू	समझौता ज्ञापन
एमओडब्लूसीडी	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
एमपी	संसद सदस्य/सांसद
एमपी	मध्य प्रदेश
एमएस	विज्ञान निष्णात
एमएसएपी	प्रबंधित सेवा अनुप्रयोग प्रदाता
एमएसआईपी	प्रबंधित सेवा अवसंरचना प्रदाता
एमएसपी	प्रबंधित सेवा प्रदाता
एमटीओ	बहु-कार्य प्रचालक
एनएबीएल	राष्ट्रीय परीक्षण और अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड
एनएसीओ	राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन
एनएवीआईसी	भारतीय नक्षत्र के साथ नौवहन
एनबीएफ	राष्ट्रीय ब्लॉकचेन फ्रेमवर्क
एनसीआरबी	राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो

लघुरूपण	पूर्ण स्वरूप
एनइजीडी	राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस प्रभाग
एनआईसी	राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र
एनआईडीएचआई	आतिथ्य उद्योग का राष्ट्रीय एकीकृत डेटाबेस
एनआईएसजी	नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्मार्ट गवर्नेंस
एनआईटीआई	नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया
एनपीसीआई	भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम
एनपीआर	राष्ट्रीय जनसंख्या पंजिका
एनपीएस	राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली
एनआरडी	अनिवासी जमा
एनआरआई	अनिवासी भारतीय
एनआरएससी	राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र
ओएसी	आर्डर आधार कार्ड
ओएई	अन्य प्रशासनिक व्यय
ओसीआई	भारत के प्रवासी नागरिक
ओई	कार्यालयी व्यय
ओइएम	मूल उपकरण निमार्ता
ओएल	राजभाषा
ओएलआईसी	राजभाषा कार्यान्वयन समिति
ओएम	कार्यालय ज्ञापन
ओएस	ऑपरेटिंग सिस्टम
ओएसडी	विशेष कार्य अधिकारी
ओटीपी	वन टाईम पासवर्ड
पीएएचएएल	प्रत्यक्ष हस्तांतरित लाभ
पीएएन	स्थायी खाता संख्या
पीबीएक्स	निजी शाखा विनिमय
पीसीएच	पूर्व-सत्यापित हार्डवेयर
पीसीआई	पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया
पीडीएफ	पोर्टेबल दस्तावेज फार्मेट
पीडीएस	सार्वजनिक वितरण प्रणाली
पीएच.डी	विद्या वाचस्पति
पीआईडी	कैदी प्रेरण दस्तावेज
पीआईएन	डाक सूचक संख्या
पीएम	प्रधान मंत्री

लघुरूपण	पूर्ण स्वरूप
पीएमयू	परियोजना प्रबंधन यूनिट
पीओए	पते का प्रमाण
पीओबी	जन्म का प्रमाण
पीओसी	अवधारणा का प्रमाण
पीओडीओबी	जन्मतिथि का प्रमाण
पीओआई	पहचान का प्रमाण
पीओआर	रिश्ते का प्रमाण
पीओएस	बिक्री केंद्र
पीओएसएच	यौन उत्पीड़न की रोकथाम
पीएसयू	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम
पीवीसी	पोलीविनाइल क्लोराइड
क्यूसी	गुणवत्ता जांच
क्यूआर	त्वरित प्रतिक्रिया
क्यूआरएनजी	प्रमात्रा यादृच्छिक संख्या सृजक
आरएएस	त्वरित मूल्यांकन व्यवस्था
आरबीआई	भारतीय रिजर्व बैंक
आरसीओएम	रिलायंस कम्युनिकेशन्स लिमिटेड
आरडी	पंजीकृत उपकरण
आरई	निवासी अनुभव
आरई	संशोधित अनुमान
आरएफपी	प्रस्ताव के लिए अनुरोध
आरजीआई	भारत के महापंजीयक
आरओ	क्षेत्रीय कार्यालय
आरएसबीवाई	राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना
आरटीआई	सूचना का अधिकार
एससी	उच्चतम न्यायालय
एसडीए	सॉफ्टवेयर विकास एजेंसी
एसडीके	सॉफ्टवेयर विकास किट
एसईटीएस	सोसायटी फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रांजेक्शन एंड सिक्युरिटी
एसआईएम	ग्राहक पहचान मॉड्यूल
एसएलए	सेवा स्तर अनुबंध
एसएलसी	स्कूल छोड़ने का प्रमाणपत्र
एसएलएम	स्ट्रेट लाइन मेथड/सीधी रेखा पद्धति

लघुरूपण	पूर्ण स्वरूप
एसएमएस	लघु संदेश सेवा
एस.एनओ	क्रमांक नंबर
एसओसी	दावा विवरण
एसओपी	मानक प्रचालन प्रक्रिया
एसएसयूपी	स्व सेवा अद्यतन पोर्टल
एसआरटी	मानक प्रतिक्रिया टेम्पलेट
एसटीक्यूसी	मानकीकरण परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाण पत्र
टीए	यात्रा भत्ता
टीएटी	टर्नअराउंड समय
टीसी	स्थानांतरण प्रमाणपत्र
टीसीए	परीक्षण प्रमाणन एजेंसी
टीडीएस	स्रोत पर कर कटौती
टीईई	विश्वसनीय निष्पादन पर्यावरण
टीएफएन	टॉल फ्री नंबर
टीआरएनजी	वास्तविक यादच्छिक संख्या सृजक
टीएसए	राजकोषीय एकल खाता
टीएसपी	दूरसंचार सेवा प्रदाता
टीएसयू	तकनीकी सहायता यूनिट
टीटीएंडसी	प्रशिक्षण परीक्षण और प्रमाणन
यूआईडी	विशिष्ट पहचान
यूआईडीएआई	भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
यूसीएफएफआईएल	यूआईडीएआई साइबर फोरेंसिक धोखाधड़ी जांच प्रयोगशाला
यूएमएएनजी	यूनिफाइड मोबाइल ऐप्लिकेशन फॉर न्यू-एज गवर्नेंस
यूआरएन	अद्यतन अनुरोध संख्या
यूएसए	संयुक्त राज्य अमेरिका
यूटी	संघ राज्य-क्षेत्र
यूटीआईआईएसएल	यूटीआई इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी एंड सर्विसेज लिमिटेड
यूएक्स	उपयोगकर्ता अनुभव
वीआईडी	वर्चुअल आईडी
वीआईएसए	आगंतुक अंतर्राष्ट्रीय प्रवास प्रवेश
वीआईजेड.	विडेरे लिसेट (अर्थात)
वीआरओ	ग्राम राजस्व अधिकारी
डब्ल्यू3सी	वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम
एक्सएमएल	एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज

आधार

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण

बंगला साहिब रोड, गोल मार्केट,

नई दिल्ली -110001

www.uidai.gov.in

Aadhaar aadhaar_official @UIDAI @UIDAI Aadhaar UIDAI aadhaar_official